खण्ड-412, अंक-2
मंगलवार, 6 वैशाख, शक संवत् 1916
(26 अप्रैल, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 412 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बांदा के अमारा रोड पर चन्द्रावल नदी पर पुल निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	85
जनपद बांदा में पैलानी–लसड़ा मार्ग पर बने तुर्रा नाला (द्वितीय) पुल के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	86
जिला गाजियाबाद की तहसील दादरी में डी० एस० पी० रोड पर स्थित रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	86
जनपद बाराबंकी के ग्राम बरावां में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	86–87
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	87
उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 (पुरःस्थापित)	87–88
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	88–106
जनपद इटावा के अन्तर्गत ग्राम पाथ एवं जयसिंहपुरा में पुरहा नदी को चौड़ा व गहरा कराने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	107
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	107–109
एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपने नाम के साथ 'हरिजन' शब्द जोड़े जाने पर शासन द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	109–110
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (पारित) ...	110–179
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान– अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग (चर्चा जारी)	180–205
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	205
जनपद सीतापुर के थाना मछरेहटा के अन्तर्गत पुलिस जुल्म एवं अपमान से मर्माहत पूर्व सैनिक द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	205–206
आगरा कालेज, आगरा में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ जाति सूचक अमानवीय व्यवहार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	207

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–घ
प्रश्नोत्तर	1–71
भारतीय जनता पार्टी के सदन से बहिष्कार के निर्णय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	72–73
अध्यक्ष के प्रति विश्वास का प्रस्ताव (पारित)	73–75
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	75
अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान हेतु ओवरटैंक बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75–76
हरदुआगंज तापीय परियोजना, अलीगढ़ में टेलीफोन के फर्जी बिलों की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
सिंचाई विभाग में आरक्षण कोटा पूरा करने हेतुअनुसूचित जाति/जनजाति के सहायक अभियन्ताओं को प्रोन्नति देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद में की गयी गम्भीर अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
मुजफ्फरनगर में रामगंगा कमाण्ड परियोजना में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	77–78
जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर के सुरदी ग्राम में विद्युत सब स्टेशन बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव को कतिपय समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी द्वारा वापस लेने के समाचार प्रसारित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	78–80
बिक्रीकर समाप्ति की घोषणा के बावजूद खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं बोर्ड द्वारा बिक्रीकर की सीमा निर्धारित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	80–83
मुजफ्फरनगर में एक रिटायर्ड आई० पी० एस० की बहन से डी० एस० पी० द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	83–84
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या 3 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार (पटल पर रखा गया) ...	84
वित्त लेखे वर्ष 1990-91 एवं विनियोग लेखे वर्ष 1990-91 उत्तर प्रदेश सरकार (पटल पर रखे गये)	84
जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत मंडी समितियों से सम्बद्ध ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	85
जनपद मुजफ्फरनगर के बन्ती खेड़ा में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	85
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम करौड़ी एवं कुरमाली में अलग-अलग उप विद्युत संस्थान बनाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी) ...	85

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बांदा के थाना गिरवां के अन्तर्गत पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	208–209
प्रदेश में बुनकर सूत के दामों में बेतहाशा वृद्धि तथा कर्ज वसूली में बुनकरों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ...	209–210
आंख का अस्पताल, सीतापुर के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत घोषित वेतन दिलाये जाने विषयक 30 मार्च, 1994 को तारांकित प्रश्न संख्या–7, नत्थी 'घ' के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ...	210
प्रदेश में चुंगी समाप्त होने के बाद अधिकांश निकायों के सामने उत्पन्न वित्तीय संकट विषयक दिनांक 22 अप्रैल, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 नत्थी 'घ' के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	211
नत्थियां.....	212–218

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	चन्द्र मणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
अखलाख, श्री	मेरठ	चन्द्र विजय सिंह उर्फ	
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	जगदम्बा, श्री	बस्ती
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अम्बिका सिंह, श्री	देवरिया	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
उदय भान सिंह, श्री	आगरा	जमुना मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद	जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
ओंकार सिंह, श्री	एटा	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	तिलक राज बेहड़, श्री	नैनीताल
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	तुलसीदास राय चन्दानी, श्री	गोण्डा
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़	तुलाराम सैनी, श्री	मुरादाबाद
कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री	गाजियाबाद	तेजपाल सिंह पंवार, श्री	हरिद्वार
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	तेजभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली	दया सिन्धु शंखधार, श्री	बदायूं
गनपति सिंह, श्री	महराजगंज	दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री	रायबरेली	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	दौलत राम, श्री	सीतापुर
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज	धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
चन्द्र भूषण सिंह उर्फ		नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
मुन्नू बाबू, श्री	फर्रुखाबाद	नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री	इलाहाबाद

नरेन्द्र सिंह, श्री	मैनपुरी
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवल किशोर, श्री	बुलन्दशहर
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पीतम सिंह, श्री	एटा
पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार
प्रणत पाल सिंह, श्री	मथुरा
प्रीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री	सिद्धार्थनगर
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
बंशीधर, श्री	नैनीताल
बचनू राम पटेल, श्री	वाराणसी
बची सिंह रावत, श्री	अल्मोड़ा
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बाबू लाल, श्री	उन्नाव
बाल गोविन्द राजवंशी, श्री	सीतापुर
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
बेचन राम, श्री	गोरखपुर
बैजनाथ रावत, श्री	बाराबंकी
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	लखनऊ
भैरो प्रसाद मिश्र, श्री	बांदा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महाबीर सिंह, श्री	बिजनौर
महावीर सिंह, कुंवर	हरदोई
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
माम चन्द्र, श्री	सहारनपुर
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुनीश गौड़, श्री	अलीगढ़
मोहर सिंह, श्री	सहारनपुर
यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं
रंगनाथ, श्री	वाराणसी
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फर नगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फर नगर
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री	गढ़वाल
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर	मेरठ
रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राकेश सोनकर, श्री	कानपुर नगर

राजकुमार शिवहरे, श्री	बांदा
राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजा राम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राजेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	बाराबंकी
राधे श्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम कृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
राम गोपाल, श्री	खीरी
राम पाल सिंह, श्री	मुजफ्फर नगर
राम प्रकाश, श्री	बस्ती
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लक्ष्मी चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री	प्रतापगढ़
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाज कृष्ण गांधी, श्री	सहारनपुर
वासुदेव सिंह, श्री	बुलन्दशहर
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री	गोण्डा
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
शशि बाला भारती, श्रीमती	खीरी
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री	महराजगंज
शिव दानी, श्री	इलाहाबाद
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम देव राय चौधरी, (दादा)	वाराणसी
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम सिंह, श्री	गोण्डा
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सत्येन्द्र सिंह, श्री	मुरादाबाद
समर पाल, श्री	मुरादाबाद
सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर

सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद	सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फर नगर
सुखदेव, श्री	आजमगढ़	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुधीर कुमार बालियान, श्री	मुजफ्फर नगर	स्वयंवर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री	बाराबंकी	हरपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात
सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री	मुजफ्फर नगर	हरी शंकर माहौर, श्री	अलीगढ़
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बज कर 4 मिनट पर अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नई कृषि नीति के प्रारूप का विवरण

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में नई कृषि नीति लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो नयी कृषि नीति का क्या प्रारूप होगा तथा यह नई कृषि नीति कब से लागू होगी ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां।

कृषि नीति का मसौदा भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है एवं कृषि नीति प्रदेश में भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही लागू की जायेगी।

नई कृषि नीति का मसौदा संलग्न है।

नई कृषि नीति भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त ही लागू की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 212–215 पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम 311 की सूचना दी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल के बाद इसको लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूं आपने कृपा पूर्वक मेरे इस अकिंचन अल्पसूचित प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा ग्राह्य करने की कोशिश की, सदन का समय खत्म होने वाला है और आपने मेरे अल्पसूचित प्रश्न को लिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करना जरूरी समझता हूं। सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछिए।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नयी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार कोई नई कृषि नीति लागू करेगी । उसका प्रारूप क्या होगा उसे कब तक लागू करेंगे ? मंत्री जी ने कहा है कि कृषि नीति को भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाता है । कृषि नीति प्रदेश में भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त प्रारम्भ की गयी थी । भारत सरकार किसी मसौदे का अनुमोदन तभी करेगी, जब वह राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजा जायेगा । दूसरी बात यह है कि कृषि तो राज्य का विषय है । यह सेन्ट्रल का विषय नहीं है । जो वर्तमान कृषि नीति है, उसमें क्या मुख्य बिन्दु हैं ?

श्री बलराम यादव-

माननीय पाल साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु उठाया है ? इसमें हमारा यह कहना है कि राज्य स्तर पर एक कृषि नीति का संकल्प सम्पूर्ण प्रदेशों में भेज करके भारत सरकार ने 14 बिन्दुओं का संकल्प प्रस्तुत किया है । जब वह संकल्प प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ तो उस पर बैठक करके सरकार की तरफ से 3 बिन्दुओं को जोड़ने के बाद यहां से भेजा गया है । उसमें एक है ऊसर भूमि का सुधार । दूसरे कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तथा फसल संरक्षण एवं फसल बीमा का समावेश । यह तीन बिन्दु उन 14 बिन्दुओं में शामिल किये गये हैं । जो प्रदेश सरकार ने मशविरे के साथ भेजे हैं । केन्द्र से जो नीति निर्धारित होगी उसको हम लागू करेंगे ।

श्री ऊदल–

जो मसौदा भारत सरकार ने राज्य सरकार के पास भेजा था उसमें यदि राज्य सरकार के कुछ बिन्दु छूट गये हों या कम हो गये हों तो राज्य सरकार ने क्यों उसको पूर्ण करके अब भारत सरकार के अनुमोदन के लिये भेज दिया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री बलराम यादव–

मैंने कहा था कि तीन बिन्दुओं को जोड़ने के लिये कहा गया था । जब यह नई सरकार गठित हुई है तो हम लोगों ने 5/2/1994 को जनप्रतिनिधियों, विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों, तमाम बुद्धिजीवियों, कृषि क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को भेजा उसमें अभी तक किसी की राय प्राप्त नहीं हुई है । इसको अब भारत सरकार को भेज दिया गया । जो तीन बिन्दु उसमें जोड़े गये थे, वह भेज दिये गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

नई कृषि नीति के मसौदे के संबंध में भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्यों को जो संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन बिन्दुओं को जोड़ कर भेजा है । इन तीन बिन्दु और मसौदे के 14 बिन्दुओं को मिलाकर 17 बिन्दु हुए, इन 17 बिन्दुओं में कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य के संबंध में कोई बचनबद्धता नहीं दोहराई गई है । मैं समझता हूं कि सरकार का सबसे बड़ा दायित्व प्रदेश के किसानों के द्वारा उत्पादित किये गये उत्पाद को लाभप्रद समर्थन मूल्य दिलाना है । इन 17 बिन्दुओं में यह छूट गया है ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भविष्य में जो किसानों के उत्पाद होंगे उनको लाभप्रद समर्थन मूल्य दिलाये जाने के लिये किसी ऐसे आयोग का गठन करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों के

प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जायगा । और क्या उसमें विधान सभा के जन प्रतिनिधियों को शामिल करेंगे ? मान्यवर, सबसे ज्यादा आज किसान प्रभावित होता है, अभी पिछले दिनों तूफान ओलावृष्टि बिजली की कमी से किसान प्रभावित हुआ । ऐसी आपदाओं से यदि किसान की फसल को क्षति पहुंचती है तो क्रय केन्द्र वाले कहते हैं कि उत्पादन गुणवत्ता का नहीं है । इस तरह की तमाम कठिनाइयां किसानों के समक्ष आती हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसी कृषि आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों के प्रतिनिधि, विधान सभा और विधान परिषद् के जनप्रतिनिधियों को उसमें रखने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, हमें खुशी है कि माननीय पाल साहब हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पढ़कर यह सवाल उठा रहे हैं । चुनाव घोषणा पत्र में हमारा वादा है कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दिलायेंगे । इसी आधार पर हमने अभी आने वाली खरीफ की फसल के लिये, खरीफ की फसल के क्या मूल्य हों इसके लिये जो हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी है उसकी ओर से संस्तुतियां भेजी गयी हैं । सरकार की किसानों को प्रोत्साहन दिये जाने की नीति है । इस 4-5 महीनों में सरकार ने किसानों के हित के लिये अनेक काम किये हैं जिसके कारण मैं कहना चाहता हूं कि अबकी बार रबी की रिकार्ड पैदावार हुई है । विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने 16 घंटे बिजली दी है, नहरों के छोर पर पानी पहुंचाया है, खेतिहर मजदूरी को 25 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये किया है इसीलिये कृषि क्षेत्र में उन्नति हुयी है । खरीफ के लिये समर्थन मूल्य के संबंध में मुख्य मंत्री की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया है ।

इसी तरह से खाद्यान्न पर जो पाबंदी थी उसको हटाया है । हमारे पश्चिमी जिले के विधायक बैठे हुए हैं, इस सरकार ने खाण्डसारी पर से रोक हटाकर जिस तरह से लाभकर मूल्य दिया है उस तरह से कभी उसके पूर्व नहीं किया गया था । इस तरह से गन्ना मूल्य में भारी वृद्धि की गयी है जिससे किसानों का बहुत हित हुआ है । मान्यवर, हमारी जो भूमि है चाहे वह ऊसर हो, चाहे बंजर या बीहड़ भूमि हो, भूमि सेना के माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाने जा रहे हैं । यह तमाम कार्य इस नयी सरकार ने कृषि क्षेत्र में किये हैं । कृषि में शोध कार्यों के लिये एक 5 करोड़ रुपये की निधि स्थापित की गयी है । कृषि में किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से कार्य हो इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं । कृषि हमारी प्राथमिकता है और हमें जनादेश इन्हीं बिन्दुओं पर मिला है कि हम किसानों और गांव के लोगों को खुशहाली के रास्ते पर ले जायेंगे ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया । मंत्री जी ने कहा कि जो केन्द्र सरकार कृषि नीति बना रही है उस पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं । यदि केन्द्र सरकार कृषि नीति घोषित नहीं करती है तो आप किस पर ध्यान रखेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी कृषि नीति बनायेंगे ? कृषि राज्य सरकार का विषय है केन्द्र सरकार पिछले 50 सालों से कृषि नीति बना रही है । उद्योग नीति, श्रम नीति, सब नीतियां बनायी गयी हैं लेकिन कृषि नीति अभी तक नहीं बनायी गयी है । आप केन्द्र सरकार का कब तक इन्तजार करेंगे, क्या आप प्रदेश में अपनी कृषि नीति बनायेंगे ? दूसरा सवाल यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये यहां पर आयोग

बनाने की बात कही गयी, तो उसमें मुझे माननीय मंत्री से जानना है कि जब ऐसी नीतियां बनाने की बात कही गयी है, तो जैसे-जैसे बाजार में लागत मूल्य बढ़ता रहता है फसलों का, वैसे-वैसे उसके अनुपात में दाम बढ़ाते रहेंगे ? क्या आप ऐसी कोई नीति बनायेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मूल्य निर्धारण का कार्य भारत सरकार के द्वारा होता है, केवल हम यहां से अपनी राय देते हैं, राय मानकर इनके मूल्य तय किये जाते हैं, तो हमेशा प्रदेश सरकार लाभकारी मूल्य देने लिये अपने सुझाव देती है । दूसरा हमने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कृषि नीति बनाई जा रही है, उसमें हम 14 बिन्दुओं पर सहमत होकर 3 बिन्दु और कर दिये गये हैं । निकट भविष्य में जो सुझाव आ जायेंगे, उनको भेज कर हम चाहेंगे कि उसमें उनको सम्मिलित कर लिया जाय, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति के अनुसार कार्य कर सकें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री ने मूल्य निर्धारण के सिलसिले में जिस प्रक्रिया का जिक्र किया है, उसी का संदर्भ लेते हुए मैं यह पूछना चाहता हूं कि गन्ने के मूल्य बढ़े, क्या केन्द्र सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया था या राज्य सरकार ने लिया था ? अगर गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिये राज्य सरकार अपना श्रेय लेना चाहती है, तो गेहूं के समर्थन मूल्य के लिये केन्द्र पर क्यों डाल रही है ? अभी जो उत्तर दिया है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि कृषि नीति केन्द्र बनायेगा और उसके बाद जबाब दिया गया कि मूल्य की नीति केन्द्र तय करेगा । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो आपके हिस्से में कृषि नीति है, उस कृषि नीति के बारे में शासन की क्या रूपरेखा है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, कृषि नीति के साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि उसी का एक अंग होगा वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है, हमारी नीति है कि कृषि के क्षेत्र में उपज बढ़े और जो राष्ट्रीय स्तर पर संकल्प प्रस्तुत हुआ है, उसमें हमारी जो कृषि संबंधी प्रदेश की आवश्यकतायें हैं, उसमें जोड़वा कर हम इसको करेंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भारत सरकार का हाथ है, इसलिये उसको भी साथ लेकर उसी के अन्तर्गत चलने में हमारी कृषि को लाभ होगा ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह तो भारत सरकार के ऊपर सब बात कृषि मंत्री जी डाल रहे हैं । जो घोषणा-पत्र की बात आपने कही कि उसको पढ़कर पाल साहब ने सवाल किया है, तो मैं एक सवाल आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं कि स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया जब तक जिन्दा थे, उनकी दाम बांधों नीति को लेकर यह पार्टी चला करती थी और उन्हीं की नीति पर चलने वाली यह पार्टी की सरकार है, तो क्या सरकार डा० राम मनोहर लोहिया के उस दाम बांधों नीति का अनुसरण करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने आने में चीनी बिकेगी, उतने रुपये मन गन्ना बिकेगा, तो उसका अनुसरण करते हुए क्या सरकार मौजूदा चीनी के मूल्य को देखते हुए, दाम बढ़ाने के बाद भी, गन्ने का मूल्य डा० राम मनोहर लोहिया के विचारों से जोड़ते हुए, अब इस समय गन्ने का दाम तय करने पर विचार करेगी ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यही सही है कि डा० राम मनोहर लोहिया की दाम बांधो नीति हमारा आदर्श है और उसी क्रम में हम कहना चाहते हैं कि लोहिया ने दाम बांधो नीति के संबंध में कहा था कि एक फसल से दूसरी फसल आने तक 20 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि न हो, कारखाने का जो उत्पादन हो वह 30 प्रतिशत से अधिक न हो, यह हमारा आदर्श है,उसका हम अनुसरण करेंगे, वही आदर्श है और उसी के अनुसार हमने यह किया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी काफी तैयारी करके उत्तर दे रहे हैं । मैं उनसे स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं कि जिस सवाल को माननीय किरन पाल जी ने और ऊदल ने उठाया है कि जो भारत सरकार मूल्य निर्धारित करती है वह स्टेटुटरी मिनिमम प्राइस पर करती है और वह इसलिये करती है जिससे पूरे देश के राज्यों में एकरूपता बनी रहे और उसके बाद फिर राज्य सरकारें अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मूल्य निधारित करती हैं, उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फसल की जो लागत आयेगी वह बुन्देलखण्ड की फसल में नहीं आयेगी, उनमें फर्क होगा ।

भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनकी लागत में फर्क होगा । तो इस प्रकार मूल्य निर्धारण करना प्रदेश सरकार का काम है । गेहूं का दाम जो भारत सरकार तय करती है और फिर प्रदेश सरकार करती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या लाभप्रद मूल्य के लिये क्या सरकार किसानों के प्रतिनिधियों का गठन करेगी, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । कृषि नीति का मसविदा लगा हुआ है, उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में सरकार क्या कर रही है ? जो आबादी बढ़ रही है, खेती योग्य भूमि मकान बनाने के लिये नहीं दी जायेगी, तो यह बड़े अहम सवाल हैं और प्रश्नों के माध्यम से उनके उत्तर आने संभव नहीं हैं, इसलिये मैं इसको लिखकर आपको दे रहा हूं आप इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

समय मिलेगा तो देखा जायेगा ।

गोवंश बध निरोधक बिल को केन्द्र सरकार को स्वीकृत हेतु भेजा जाना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) (अनुपस्थित)–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि पूर्ववर्ती चुनी हुयी सरकार द्वारा गोवंश बध निरोधक बिल को स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया था ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोवंश बध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पशुधन तथा मत्स्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)–

जी हां । उत्तर प्रदेश गोबध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को तथा विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 मई, 1992 को पारित किया गया है । इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति के अनुमति हेतु दिनांक 29 मई, 1992 को सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा गया है ।

नत्थी 'ख'

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पी० सी० एस० अधिकारियों की मांगों के संबंध में दिये ज्ञापन पर कार्यवाही

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 फरवरी, 94 को पी० सी० एस० संघ के अध्यक्ष ने पी० सी० एस० अधिकारियों की मांगों के संबंध में कोई ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में किन बिन्दुओं का उल्लेख है तथा उसे पूरा करने के लिये शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, राजनैतिक पेंशन एवं होमगार्ड्स मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रश्न करते समय केवल तिथि गलत हो गयी, इसलिये माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का उत्तर दे दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने पी० सी० एस० सम्वर्ग के लिये जो घोषणा की थी उसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने नहीं किया और न यह ही बताया कि वह क्या करने जा रहे हैं । हमने प्रश्न किया था कि 9 फरवरी को क्या कोई ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया गया था, तो उसका उत्तर आया कि जी नहीं, उस ज्ञापन में क्या-क्या प्रश्न उठते हैं । क्या 9 फरवरी, 1994 को पूरे उत्तर प्रदेश के पी० सी० एस० संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनन्दन किया था और यदि किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पी० सी० एस० संघ के लिये कुछ घोषणायें की थीं और जो घोषणायें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की हो चुकी हैं तो यह घोषणायें 9 फरवरी, 1994 को हो चुकी हैं और आज 26 अप्रैल है । चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी व्यवहारिक और राजनीतिक हैं उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनकी मांगों को मानेंगे और यह पूर्व में ही कहा था । तो जो 9 फरवरी, 1994 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणायें की थीं उसका कोई शासनादेश अभी आया नहीं है यह शासनादेश कब तक निर्गत हो जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारियों ने अपना एक सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनन्दन किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि माननीय जगदम्बिका पाल जी ने कहा कथनी और करनी में कहीं अन्तर नहीं हैं उन्होंने उसी दिन घोषणायें की थीं और उन घोषणाओं के संबंध में काफी शासनादेश निर्गत भी हो चुके हैं और वह यह है कि पी० सी० एस० सम्वर्ग के वेतनमान रु० 7300-7600 में दो पद (व्यक्तिगत वेतन के साथ) स्वीकृत किये जायं तो यह 9-4-94 की घोषणा है

और इसके संबंध में शासनादेश 30-3-94 को निर्गत हो गया है । दूसरी घोषणा है वेतनमान रु० 5900-6700 में 6 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जायं अब यह संख्या 12 से बढ़कर 18 हो जायेगी इस संबंध में भी शासनादेश निर्गत हो गया है । तीसरी घोषणा वेतनमान रु० 5100-5700 में 12 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जायं ।

अब यह संख्या 53 से बढ़कर 65 हो जायेगी इस संबंध में भी शासनादेश 19 अप्रैल, 1994 को जारी हो गया है । चौथी घोषणा वेतनमान रु० 5100-5700 या इसके ऊपर के वेतनमान में पी० सी० एस० संवर्ग के जो अधिकारी सचिवालय में तैनात किये जाये उन्हें विशेष सचिव का पदनाम दिये जायें तो इस संबंध में शासनादेश 30 मार्च, 1994 को जारी कर दिया गया है और इसमें अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गयी है । पांचवीं घोषणा मुख्यमंत्री जी की है पी० सी० एस० सम्वर्ग से आई० ए० एस० सम्वर्ग की प्रोन्नति में लगभग 24 वर्ष लग रहे हैं । इस अवधि को 15 वर्ष तक लाने के लिये प्रोन्नत कोटे को 33% से बढ़ाकर 60% करने के लिये भारत सरकार को संस्तुति भेजी जायगी तो यह घोषणा पांचवीं थी । यह घोषणा भारत सरकार से संबंधित है इस संबंध में भी यह मुख्य सचिव के स्तर पर यह बनाकर भारत सरकार को भेज दी जायेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणायें की । घोषणायें इन्होंने पी० सी० एस० संवर्ग के अभिनन्दन समारोह में कुछ कीं और शासनादेश उसके विपरीत हुआ है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पी० सी० एस० सम्वर्ग के जो वेतनमान हैं उसके समकक्ष हमारे जो विशेष सचिव हैं उनके दो पद स्वीकृत कर दिये गये हैं और उसके संबंध में शासनादेश हो गया है तो जब मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि जैसे आई ए० एस० संवर्ग होता है उसी के हिसाब से पदनाम होगा वेतनमान के समान पदनाम यानि जिस स्केल में वह आ जायेंगे वैसे ही उनका पदनाम दिया जायेगा । इस तरह से पी० सी० एस० संवर्ग की मांग थी कि आई० ए० एस० कमिश्नर के वेतनमान में आयेगा तो कमिश्नर कहलाता है, प्रमुख सचिव वेतनमान में आता है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहलाता है, इसी तरह से उनके साथ किया जाय ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदाशयतापूर्वक मांग को माना कि जो वेतनमान होगा उनके समकक्ष वेतनमान भी होगा । वह घोषणा नहीं हुई । क्या उनकी घोषणाओं का क्रियान्वयन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । दूसरे, भारत सरकार हर प्रदेशों में कैडर नियुक्त करती है, आई० ए० एस० में कितने कैडर के पद होंगे यह अधिकार क्षेत्र भारत सरकार का है, आई० ए० एस० भारत सरकार के हैं । भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव के जो पद स्वीकृत हैं उनकी कैडर की संख्या 11 है लेकिन उस 11 के विपरीत आज उत्तर प्रदेश में 22 पदों पर तैनाती कर दी गयी है 11 और बढ़ा दिये गये हैं । उत्तर प्रदेश में जो सचिव के पद हैं वह 28 पद स्वीकृत हैं भारत सरकार से और इस 28 के विपरीत 61 पद बनाये गये, लोग नियुक्त हैं 20 उसमें और बढ़ाये जा रहे हैं 81 हो जायेंगे । भारत सरकार की जो कैडर पोस्टिंग है जितने स्वीकृत पद हैं उनके विपरीत आई० ए० एस० जो नियुक्त किये गये हैं, वही कैडर पोस्टिंग पी० सी० एस० में करेंगे या आई० ए० एस० लोगों के कैडर के संबंध में अधिक किया है उस संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मूल प्रश्न केवल पी० सी० एस० अधिकारियों के संबंध में, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं के संबंध में था और उसमें उत्तर दे दिया गया उस प्रश्न से हटकर माननीय पाल जी ने आई० ए० एस० के संबंध में जानना चाहा है यह प्रश्न से संबंधित नहीं है । जो पहला सवाल था पाल साहब का, शायद उन्होंने सुना नहीं, मैंने बताया था वेतनमान रु० 5100-5700 या इसके ऊपर पी० सी० एस० संवर्ग के जो अधिकारी हैं सचिवालय में तैनात किये जायें उन्हें विशेष सचिव का पदनाम दिया जाय, यह हो गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणायें क्रियान्वित नहीं की गयी हैं उसके लिये जिम्मेदार कौन है ? क्या घोषणाओं को क्रियान्वित न किये जाने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

यह हमारे लिये गर्व की बात है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो घोषणायें होती हैं उन घोषणाओं के कार्यान्वयन में न कहीं बाधा आती है और न अनावश्यक विलम्ब होता है । इन घोषणाओं के संबंध में मैंने निश्चित तौर पर बता दिया है वह सब मेरे पास है चेम्बर में माननीय वर्मा जी आ जायेंगे देख लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

चेम्बर वाला काम माननीय मंत्री जी करते होंगे राम आसरे वर्मा उसमें शामिल नहीं हैं । अगर वे संतुष्ट हैं कि क्रियान्वयन हो गया है तो वह किन किन शासनादेशों के तहत किया गया है वह बतायें ?

श्री अवधेश प्रसाद–

पहली घोषणा के संबंध में मैंने निवेदन किया है 30-3-94 द्वारा अनुमन्य कराया जा चुका है । इस घोषणा के अनुरूप श्री के० के० एन० सिंह लाभान्वित हो चुके हैं तथा जो अधिकारी को फायदा मिलने वाला है, मैं नाम भी बता दूं, वह हैं श्री पी० एन० मिश्र, घोषणा लागू भी हो गयी है और संदेह का कोई अवसर नहीं है । दूसरी घोषणा के संबंध में शासनादेश 19 अप्रैल को जारी कर दिया गया है और तीसरी घोषणा के संबंध में, जो विशेष सचिव के पद के संबंध में है, उसमें पंचायती राज के संयुक्त सचिव को विशेष सचिव बना दिया है और इस संबंध में शासनादेश 30 मार्च, 1993 को जारी कर दिया गया है । जो पांचवीं घोषणा है इसका संबंध भारत सरकार से है और इस संबंध में पत्रावली मुख्य सचिव को 19-4-94 को प्रेषित कर दी गयी है और संस्तुति जल्दी से जल्दी भारत सरकार को भेज दी जायेगी ।

श्री अशोक बाजपेई–

मान्यवर, पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारी को आई० ए० एस० संवर्ग में आने के लिये 25 वर्ष तक सेवा अवधि करनी पड़ती है उसके बाद उन्हें जिलाधिकारी और दूसरे कार्य सौंपे जाते हैं । तो क्या इसकी सेवा अवधि को घटाकर 15 वर्ष करने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन् यह 25 वर्ष नहीं बल्कि 24 वर्ष है और 15 वर्ष करने के संबंध में जो घोषणा नम्बर–5 है उसमें यह शामिल है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन करने में कोई बाधा नहीं है । मैं उनका स्वागत करूंगा यदि वे सभी घोषणायें पूरी हो जायें । मान्यवर, इसी के संबंध में मैंने प्रश्न भी लगाया है । मान्यवर, आज आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का दबाव पी० सी० एस० और पी० पी० एस० संवर्ग पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है और प्रायः यह देखा जाता है कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में ठनी रहती है । मान्यवर, 12 जनवरी, 1993 को पी० सी० एस० संवर्ग के लोग महामहिम श्री राज्यपाल जी से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन भी दिया था उसमें उन्होंने कुछ आश्वासन दिये थे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारी तो मुख्य सचिव और माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलते ही रहते हैं जहां तक मांगों का संबंध है तो उनकी जो मुख्य मांगें हैं वह यह हैं –

1–पी० सी० एस० (कार्यकारी शाखा) में रु० 7300-7600 के वेतनमान में 6 पद स्वीकृत किये जायें ।

2–प्रशासन में पी० सी० एस० की भागीदारी, जो केन्द्र तथा प्रदेश दोनों सरकारों की घोषित नीति है के मुताबिक प्रदेश सचिवालय के महत्वपूर्ण विभागों के सचिव के पद पर पी० सी० एस० सेवा को देते हुए तुरन्त तैनाती की जाये ।

3–पी० सी० एस० के वेतनमान रु० 5100-5700 के अधिकारियों को आई० ए० एस० एवं राज्य सेवा के अधिकारियों की भांति विशेष सचिव पदनाम दिया जाय जो सचिवालय में तैनात किये जायें ।

4–जिलाधिकारी के एक तिहाई पदों पर रु० 5100-5700 वेतनमान के पी० सी० एस० अधिकारी तैनात किये जायें ।

5–वर्तमान में पी० सी० एस० के लिये आई० ए० एस० में प्रोन्नति का प्रतिशत 33.33 प्रतिशत है इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाय जिससे इस संवर्ग में प्रोन्नति का गतिरोध समाप्त हो सके ।

6–न्यायिक सेवा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 60 वर्ष है यही सेवा निवृत्ति की आयु पी० सी० एस० अधिकारियों की भी की जाय ।

7–न्यायिक अधिकारियों को पुस्तकालय, अनुदान, आवासीय कार्यालय भत्ता 250 रुपये प्रतिमाह तथा अतिथि सत्कार भत्ता उपलब्ध है । पी० सी० एस० सेवा के अधिकारियों को भी यही सुविधायें दी जायें । इसी तरह से और भी मांगें हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, काफी देर से इस सवाल पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारियों को चाहे वह आई० ए० एस० हो, आई० पी० एस० हो या पी० सी० एस० हो या कोई और संवर्ग हो उनके द्वारा अभिनन्दन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री को बुलाना और अभिनन्दन करना क्या वह प्रशासनिक नार्म्स के विरुद्ध नहीं है और वहां जाकर उनकी मांगों के बारे में घोषणा और फिर इस तरह के प्रश्न की नौबत आना क्या उचित है ? यदि नाम नार्म्स के खिलाफ है तो क्या सरकार आइन्दा इस बात का ध्यान रखेगी कि कहीं भी, किसी भी सरकारी अधिकारियों से मुख्यमंत्री या मंत्री लेविल के लोग अभिनन्दन न करायें । यदि अभिनन्दन कराना है तो जनता से अभिनन्दन कराया करें । क्या मेरी बात से सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी सहमति व्यक्त करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह परम्परा रही है और हमेशा हर साल पी० सी० एस० अधिकारियों का सालाना जलसा मानाया जाता है, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों का भी होता है । इन अधिकारियों का जो समारोह होता है, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि शासन की भावनाओं से, शासन के कार्यकलापों की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गयी है इसलिये उनके बीच में जाने में कहीं कोई ऐसी बाधा नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय किरन पाल सिंह के प्रश्न को दूसरी तरफ मोड़ दिया । चाहे पी० सी० एस० अधिकारी हों, आई० ए० एस० हों या आई० पी० एस० अधिकारी हों । इन सबको अधिकार प्राप्त है कि वह अपना सालाना जलसा करें । प्रश्न यह उठाया गया था कि एक वह व्यक्ति, जिसको सदन के नेता के रूप में हम मानते हैं, एक वह व्यक्ति, जो अपने को 14 करोड़ जनता का रहनुमा कहलाने का दम भरता हो, वह जनता से अभिनन्दन न कराकर अधिकारियों से अभिनन्दन कराये, इसका क्या औचित्य है ? माननीय मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि परम्परा रही है । माननीय मंत्री जी यह बता दें कि किस मुख्यमंत्री ने पी० सी० एस० या आई० ए० एस० अधिकारियों से अपना अभिनन्दन करवाया है और उनके बीच में जाकर नीतियों की घोषणा की हो, ऐसे किसी मुख्यमंत्री का नाम बता दें । माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सदन से बड़ा कोई भी मंच नहीं मिल सकता, शासन की नीतियों की घोषणाओं का । अगर वह सदन के मंच का इस्तेमाल न करके अधिकारियों के मंच का इस्तेमाल करते हैं तो यह मर्यादा के विरुद्ध है और इसीलिये माननीय किरन पाल सिंह ने यह जानना चाहा था । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जो बात कही है, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबंध में कही । मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अभिनन्दन करवाने के लिये पहल नहीं की, बल्कि अभिनन्दन करने के लिये उत्तर प्रदेश के जो हमारे पी० सी० एस० अधिकारी हैं, उनकी एक यूनियन भी है, उनका हर साल वार्षिक जलसा होता है, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और आमंत्रण के बाद ही मुख्यमंत्री जी वहां गये थे । ऐसा वह लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है । मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे आप बुला लीजिये, मेरा अभिनन्दन करिये । यह तो समारोह है समारोह में जब उन्होंने आमंत्रित किया, आमंत्रण करने के बाद उन्होंने उनकी प्रशस्ति की और सराहना की । इसके पहले जब 89-90 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो भी गये थे, उसके पहले माननीय नारायण दत्त तिवारी जी भी गये थे, हमें जानकारी है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नारायण दत्त तिवारी गये होंगे, लेकिन अतिथि के रूप में गये होंगे, वह अभिनन्दन कराने के लिये नहीं गये होंगे । माननीय मंत्री जी को नाम याद भी आया तो मुलायम सिंह जी का । उन्होंने पिछली सरकार में भी अभिनन्दन कराया था और इस सरकार में करवा रहे हैं । अभिनन्दन के मामलों को सदन की मर्यादा के नाते कम किया जाना चाहिये ।और जो प्रशासनिक नार्म्स हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए इसको निरुत्साहित किया जाना चाहिये । मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि सदन के नेता को जिसे सदन का मंच मिला हुआ है और शासन की नतियों की घोषणा के लिये सदन के मंच से बड़ा मंच कोई नहीं होता वह अधिकारियों के बीच में जाकर शासन की नीतियों की घोषणा करें, यह उचित नहीं है । अगर हम दूसरे शब्दों में यह कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के बीच जाकर ब्लैकमेल होते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । अगर इमानदारी और निष्ठा के साथ घोषणा करनी है, तो सदन की मंच से घोषणा होनी चाहिये, अधिकारियों की मंच से घोषणा शासन की और सदन की मर्यादा के विपरीत है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वर्मा जी और किरनपाल सिंह जी को अभी अनुभव नहीं है, जिस दिन ये मंत्री हो जायेंगे, तो तमाम संघ वाले इनको अभिनन्दन के लिये बुलायेंगे और प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मंत्री बनने में इन्हीं की तरफ से देर है । पाल साहब इनको समझाइये ।

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय वर्मा जी ने अभी एक बात कही है कि पी० सी० एस० अधिकारियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनन्दन कराने का कोई अधिकार नहीं है, यह परम्परा के विपरीत है । मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में माननीय वर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट में चाहे पी० सी० एस०, आई० ए० एस० या साधारण कर्मचारी हों उनको यह

अधिकार है कि वह किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं और मंत्री या मुख्यमंत्री जा सकते हैं, इसमें कोई बन्धन नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

सवाल था कि पी० सी० एस० अधिकारियों के जलसे में जाने का । माननीय सदस्य ने ट्रेड यूनियन का हवाला दे दिया । क्या पी० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी भी इस ट्रेड यूनियन से बंधे हुए हैं । मैं खुश होता अगर ट्रेड यूनियन मंच पर जाकर मजदूरों के बीच जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका प्यार पाया होता, मगर मजदूरों के बीच न जाकर अधिकारियों के बीच में गये, कम से कम मजदूरों के बीच में जाते । अधिकारियों के बीच में वह ब्लैकमेल भी हो सकते हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रमिकों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, व्यापारियों और प्रदेश के सभी लोगों का, यहां तक कि माननीय वर्मा जी का भी प्यार प्राप्त है, इसलिये इनको इस पर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पी० सी० एस० अधिकारियों ने जो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया था उसमें उन्होंने रु० 7300 से 7600 के वेतनमान में ५ पदों की मांग की थी, लेकिन जो शासनादेश किया गया है वह मात्र 2 पद के लिये किया गया है, तो यह जो विसंगति उत्पन्न हुई है, क्या शासन इस विसंगति को दूर करने के लिये कार्यवाही करेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मांग तो पी० सी० एस० संवर्ग ने 5 पदों के लिये किया था यह सही है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने ९ तारीख को 2 पदों की घोषणा कर दी और उसको लागू भी करा दिया । श्रीमन्, मांग तो होती रहती है लेकिन उस मांग को पूरा करने की हमारी सीमायें हैं, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए और जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको ध्यान में रखते हुए उसका पालन होगा ।

कानपुर की जे० के० जूट मिल को बन्द होने से कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*2–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर की जे० के० जूट मिल को मालिकों ने 15-3-94 को बन्द कर दिया जिससे लगभग पांच हजार कर्मचारियों की सेवायें समाप्त हो गयी है और वे जिलाधीश व विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन पर उतारू हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मेसर्स जे० के० जूट मिल कं० लि०, कालपी रोड, कानपुर के सेवायोजकों ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण दिनांक 15-3-94 से प्रतिष्ठान को बन्द कर दिया है । इस बन्दी से लगभग 4,000 श्रमिक प्रभावित

हुए हैं । श्रमिकों की कठिनाइयों एवं रोष से शासन अवगत है । प्रतिष्ठान को पुनः चालू कराने के संबंध में शासन प्रयत्नशील है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार–

मान्यवर, एक तो यह कि जो यह अल्पसूचित प्रश्न आपके यहां दिये जाते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसी एजेण्डे में एक अल्पसूचित प्रश्न श्री जगदम्बिका पाल जी का दिनांक 2-3-94 का है और अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दिनांक 26-9-94 को दिया जा रहा है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, दूसरी बात यह कि मैंने भी अल्पसूचित प्रश्न दिया था, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण था, इसकी गम्भीरता को देखते हुए, जो कि एक मिल बंद हो गयी है, इसके उत्तर में बताया गया है कि चार हजार श्रमिक प्रभावित हुए हैं, चार हजार नहीं बल्कि पांच हजार परिवार हैं जिनके सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है, इसे तारांकित प्रश्न के अन्तर्गत लाया गया है, एक माह चार दिन हो गये हैं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रश्नों की गम्भीरता को देखते हुए इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न जल्दी आ जायं और ज्यादा समय न लगे तो अच्छा होगा ।

यह जो कार्यसूची छपी है उसमें दिनांक 21-3-94 लिखा है और सरकार को भेजने की तिथि 22-2-94 छपा है, कृपया इसको दिखवा लें, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो मिल बन्द हो गयी है उसके खोले जाने के संबंध में सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है और की है तो क्या है ? क्या इस संबंध में कोई वार्ता चल रही है, क्या कोई सेवायोजक बैठाये गये हैं या सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठा है । इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है एवं मिल खोली जायेगी या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, मिल बन्दी के संबंध में शासन स्तर से जितने भी प्रयास हो सकते हैं उनको त्वरित गति से श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर किसी भी संवेदनशील सरकार का काम करना चाहिये, अभी तक जो जोड़-तोड़ से काम हुए हैं । इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही यह मिल बन्द हुयी, उनको विधि के आधार पर "कारण बताओ" नोटिस दी गयी, उनके प्रबन्ध तंत्र को । प्रबन्ध-तंत्र ने हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, नोटिस के अगेन्स्ट में 17 तारीख से 26 तारीख तक कानपुर में मण्डलायुक्त ने उन लोगों से जो मिल बन्द है, उसे चालू करने के लिये कहा और यही नहीं प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुयी और बहुत जल्दी ही मीटिंग होने वाली है और इसी दिशा में विधि संगत कार्यवाही हो सकती है । श्रीमन्, इसमें श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं, इस दृष्टि से मजदूरों का सवाल है, उनके अधिकारों का हनन न हो और उनका शोषण न हो तथा उन्हें निकाला न जाय, इस संबंध में कार्यवाही हो रही है, शासन द्वारा जो कार्यवाही की जायेगी वह विधि के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी एवं अभी तक विधिसंगत कार्यवाही की गयी है, इस ओर लगातार प्रयास चल रहा है ।

श्री ऊदल–

क्या सरकार को पता है, इसमें धरना भी हुआ है कि जे० के० जूट मिल 15 मार्च को बंद हो गयी, 3500 मजदूर काम करते थे और उन्होंने जब एक ज्ञापन दिया तो मा० मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्दी ही मिल को चालू करा दिया जायगा, नम्बर एक बात, नम्बर दो कि क्या जे० के० जूट मिल के

जो मालिकान हैं वह अब तक जूट मिल के बन्द होने के पहले भी दस कारखानों को बन्द कर चुके हैं, उनके खिलाफ यह सरकार सख्त कार्यवाही करेगी, चालीस हजार मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, काम न मिलने की वजह से सड़कों पर आ गये हैं, मिलों के बारे में विचार करें, क्या यह सरकार जे० के० जूट मिल को खुलवाने की कृपा करेगी । क्या कोई ऐसा शासनादेश है, जो कानून के ऊपर भी शासनादेश लागू हो, क्या सरकार उसको लागू करके मिल मालिकों को गिरफ्तार करायेगी और मिल को चलवायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, विद्युत विच्छेदन होने से श्रमिक लोग बैठ गये थे, इसलिये श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 21-1-1994 को विद्युत कनेक्शन से जुड़वा दिया था । दूसरा, प्रश्न यह किया गया है कि जे० के० जूट मिल के जो मालिक हैं, उनके द्वारा तमाम फैक्टरियों को बंद कर दिया गया है, जिससे 40 हजार श्रमिक बेकार बैठ गये हैं । मैं बताना चाहता हूं कि इस मिल में 4300 श्रमिक हैं । उनका किसी भी तरह से शोषण न होने पाये, इसके लिये सरकार कृत संकल्प है । इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए इनके विद्युत कनेक्शन को जोड़ा गया । यह मिल चले, इस दिशा में शासन स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं । 17 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आयुक्त, कानपुर तथा विभाग के उप श्रमायुक्त द्वारा भी प्रयास किये गये हैं । विधि में जो हमें अधिकार प्राप्त है, उसके तहत उन्हें शो-काज नोटिस भी दिया गया परन्तु वह उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में चले गये और स्थगन आदेश ले आये । इसके बावजूद भी प्रमुख सचिव, भारी उद्योग के स्तर पर सारे बिन्दुओं को देखकर शासन स्तर पर श्रमिकों के हित में जो भी विधि संगत होगा, निर्णय लिया जायेगा ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जे० के० जूट मिल का यह कोई पहला कारखाना बंद नहीं हो रहा है बल्कि इससे पहले भी कानपुर शहर के अन्दर उनकी जो बड़ी-बड़ी मिलें थीं, जिनमें 4-4 व 3-3 हजार श्रमिक काम करते थे, उनको बन्द कर दिया गया । उनकी यह आखिरी मिल थी, जिसे उन्होंने बंद कर दिया है । शुद्ध रूप से यह बात है कि वह इस मिल को खोलना ही नहीं चाहते हैं । उन्होंने हर बैठक में कहा है कि हमारे पास वित्तीय संकट है । सरकार संसाधन मुहैय्या करवा दे तो हम कारखाना खोल सकते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि जे० के० जूट मिल वालों की करोड़ों की जमीन कानपुर में पड़ी है । तो क्या सरकार इस जमीन को मारकेट रेट पर बेचकर, उस पैसे से इस बंद मिल को खुलवाने में मदद करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जो भी विधि संगत व न्याय संगत होगा, मजदूरों के हित में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी ।

श्री राकेश सचान–

श्रीमन्, जे० के० जूट मिल बंद हो जाने के बाद वहां के श्रमिक व वहां के नेता लोग मुख्य मंत्री जी से मिले और उन्हें आश्वासन भी मिला । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार किन

बिन्दुओं पर विचार कर रही है, उसका क्या प्रारूप तैयार किया है कि कब तक इस मिल को खोल देंगे? आज कानूनी अड़चन खड़ी कर दी गयी है, हाई कोर्ट से स्टे है। सो साफतौर से बतायें कि कब तक एक महीने, 15 दिन में पुनः चालू करा दिया जायेगा जैसा बेरिया जी ने कहा इस मिल के पास अरबों रुपयों की सम्पत्ति है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी क्या इसको चलाने में स्थगन आदेश बाधक है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, 15-3-94 को मिल बंद हुई। दूसरे दिन से ही जो विधि में अधिक है शासन को उसके अनुसार शो-काज नोटिस दिया गया उसके तुरन्त बाद मिल वालों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी है। इसके बाद 17 ता० से लगातार मंडलायुक्त और श्रमायुक्त ने बैठकें की उसके पहले भी जो ऐसी समस्यायें थी जैसे विद्युत की थी जिसके कारण लाकआउट हो गया था, श्रमिक बैठ गये थे। यह बात जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आयी उसके लिये आदेश कर दिये, फैक्ट्री इसके पहले भी बंद थी। शासन का लगातार प्रयास हो रहा है, उसमें अनावश्यक विलम्ब न किया जाय। हमारी सरकार मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च मान कर काम करती है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसमें सभी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है जो यह जे० के जूट मिल बंद हुई है इसके फलस्वरूप हजारों मजदूर बेकार पड़े हुए हैं। कहा जा रहा है विधि सम्मत और न्याय संगत तरीके से प्रयास करेंगे। यह मामला माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर आ चुका है वह सदन में आ गये हैं। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि सरकार श्रमिकों और किसानों के हितों के लिये बचनबद्ध है। इस संबंध में घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की थी जैसा ऊदल जी ने भी कहा कि 3 दिन के अन्दर चला देंगे। तो क्या इस मिल को अधिग्रहण करके चलाया जायेगा, इसमें क्या कठिनाइयां आ रही हैं, यह नीतिगत सवाल है ?

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, कानपुर का यह गम्भीर प्रश्न है (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आजम खां साहब कल बिजली मंत्री थे आज श्रम मंत्री बन गये हैं तो इनके कितने रूप होंगे ?

श्री अध्यक्ष–

उनको अधिकृत कर दिया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारे नेता जी ने निर्देश दिया है। मान्यवर, जे० के० जूट मिल जो बंद हो गयी है उसमें मुख्य मंत्री जी ने पहले बैठक करके कोशिश किया था कि यह मिल खुले लेकिन

उस पर बहुत ज्यादा लाइबिल्टीज हैं, इसलिये हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं वरना बी० एफ० आर० से पैसा लेंगे और खा जायेंगे और मिल भी नहीं चलेगी । मान्यवर, मिल न चलने के कुछ तकनीकी कारण भी हैं । मसलन काटन इंडस्ट्री में इतने ज्यादा डेवलपमेंट हो गये हैं कि जो काटन आज बन रहा है वह एक महीने बाद नहीं बनेगा और नई टेक्नालोजी आ जायेगी और यह मशीनें दूसरे देशों में चली जायेंगी । इसलिये पुराने समय से लगी मशीनों से धन वापस नहीं आ सकता है । बी० एफ० आर० से जितना पैसा पहले मिला उससे अधिक पुरानी इण्डस्ट्री को धीरे-धीरे माडर्नाइज करते लेकिन वह नहीं किया और पैसा खाते रहे, इसलिये मिल बंद होती रही ।

मान्यवर, उनकी मांग क्या है, और यह क्या चाहते हैं ? यह देखें तो यह फैक्ट्रियां शहर के बीचों बीच में लगी हैं, इसलिये उनके मालिकान ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि सरकार तंग होकर उन्हें जमीन बेचने की इजाजत दे दे और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो उनके पास इतना धन होगा कि उससे वह एक नया कानपुर कहीं दूसरी जगह बसा सकते हैं ।

मान्यवर, जे० के० जूट मिल में शरारत हुई है और इसलिये कोर्ट से स्टे आर्डर आया है । यह सही है कि मैं कानपुर गया था तो वहां इसका हल बता दिया था और श्रम विभाग ने समझ लिया कि समस्या हल कर दी जायेगी । लेकिन यह इसका हल नहीं है कि बी० एफ० आर० से पैसा मिले या मुख्य मंत्री जी कोई अपना बल प्रयोग करें । समस्या का हल कानूनी तौर पर जो हो सकता है उसके अनुसार एडीशनल लेबर कमिश्नर ने नोटिस दिया कि आपने गलत तालाबंदी किया है और उसके अगेन्स्ट कोर्ट से स्टे ले आये लेकिन श्रम विभाग स्टे के खिलाफ पैरवी कर रहा है ताकि स्थगनादेश समाप्त हो सके ।

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शुरू से ही इसमें दिलचस्पी लिया कि जे० के० जूट मिल खुल जाये लेकिन मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि जिस नोटिस की बात कही गयी है वह वहां के उप श्रमायुक्त श्री के० एल० द्विवेदी ने जानबूझकर मिल मालिकों को नोटिस दिया और उस नोटिस के आधार पर मिल मालिकान ने स्टे ले लिया, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस अधिकारी ने यानी के० एल० द्विवेदी जिन्होंने सरकार के साथ साजिश की, क्या सरकार ने कभी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है या भविष्य में करने को तैयार है ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के प्रतिनिधियों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के मध्य कितनी बैठकें सरकार ने कराई हैं और उसका क्या नतीजा रहा है ? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि जे० जे० जूट मिल की एक यूनियन के नेताओं को प्रश्रय देने के लिये उनके पत्रों का तो जवाब देते हैं, किन्तु दूसरी यूनियन के पत्रों का जवाब आज तक नहीं दिया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, जहां तक पहले सवाल की बात है, द्विवेदी जी की बात है, तो इस दिशा में भी दिखवा लिया जाएगा । दूसरी बात के संबंध में जो बैठकों के बारे में कहा है, तो लगातार कई बैठकें हो चुकी हैं 17 मार्च से 26 मार्च तक और प्रमुख्य सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में बैठक हुई और पुनः प्रमुख सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में इस पर बैठक होने जा रही है । तो शासन श्रमिकों के प्रति काफी जागरूक है और प्रयत्नशील है । श्रमिकों के हित में हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा कदम उठाये हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने इसमें यह कहा था कि तीन दिन में मिल खुलवा देंगे, किन्तु आज तक वह नहीं खुली है, तो आज सदन मे मुख्य मंत्री जी बतला दें कि इस मिल को खुलवाने में अभी कितना समय और लेगा, इसकी कोई समय सीमा वह बांधेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विस्तार से माननीय आजम खां ने बताया था कि सरकार पूरी तरह से उसे खुलवाने के पक्ष में है, लेकिन कहीं कहीं न्यायालय के आदेश की वजह से बाधा आती है । अभी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिल खुले । जहां तक तारीख की बात है, उसमें बहुत सी बाधाएं है, कभी-कभी अदालत की बात आ जाती है तो हम मजबूर हो जाते हैं । पाल साहब (आर० डी० पाल) से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितने-जिन मजदूरों की बात आप करते हो, क्या उतने आपके श्रमिक हैं वहां (व्यवधान) अब मान्यवर, ऐसा है, जगदम्बिका पाल जी से भी कहूंगा पहले कोई पाल आता नहीं था सदन में, अब बहुत आने लगे हैं, उतने जितने मजदूरों की यहां बात रखते हो, परन्तु यहां नहीं कहना चाहिए, फिर भी आपका कितना संगठन वहां पर मजबूत है । दूसरे के पत्रों के जवाब आ जाते हैं, यह सच्चाई है । आपको मौका मिला है, अपने संगठन को मजबूत करो । आपका संगठन कहीं मजबूत है नहीं ।

दूसरे जो मजबूत हैं, वह तो चिट्ठियों का उत्तर ले ही लेते हैं । हम फिर कहना चाहते हैं कि हम मीटिंग बुलायेंगे उद्योगपतियों को और अधिकारियों को भी बुलायेंगे और जैसा श्रम विभाग के अधिकारियों ने सूचित किया है अवधेश जी ने कह दिया, इसको दिखवा लेंगे । हमारी सरकार की नीति और नीयत है कि किसी तरह से यह फैक्ट्री खुले । मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज कानपुर की हालत बहुत खराब है । कानपुर ही एक इस प्रदेश का ऐसा शहर था जहां सबसे ज्यादा उद्योग थे, मजदूर ज्यादा काम करते थे । आज स्थिति यह हो गयी है कि धीरेधीरे कानपुर से उद्योगपति दूसरे शहरों में जा रहे हैं, यह एक चिन्ता का विषय है । उद्योग नीति तो हम लाने वाले है परन्तु इसके साथ ही साथ नेताओं की एक बैठक बुलायेगे जिसमें उद्योग नीति के संबंध में, मजदूरों के संबंध में विचार विमर्श किया जायेगा । जो राय आप देंगे और जो राय हमारी होगी उसमें कोई अन्तर नहीं होगा । हम आपका सहयोग चाहते हैं ताकि इस समस्या के निराकरण के उपाय ढूंढे जा सकें ।

नत्थी 'ग'

[मंगलवार, दि० 26 अप्रैल, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

रेल यात्रियों को विषाक्त पदार्थ खिलाकर लूटे जाने की घटनाओं की जानकारी

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विषाक्त पदार्थ खिलाकर रेल यात्रियों को प्रदेश सीमान्तर्गत लूटे जाने व अन्य प्रकार से उनके सामान चोरी हो जाने की वर्ष 91-92 तथा 92-93 नवम्बर माह तक कुल कितनी प्राथमिकी दर्ज कराई गयी ? क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*2–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दि० 8-3-94 को अता० प्र० सं० 99 द्वारा उत्तरित]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को देश से बाहर ट्रेनिंग पर भेजे जाने का औचित्य तथा प्रशिक्षार्थियों पर हुए व्यय की जानकारी

*3–श्री तेजभान सिंह (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को देश से बाहर ट्रेनिंग पर भेजता है ? यदि हां, तो इस वर्ष एवं गत वर्ष अलग-अलग कितने अधिकारी किस-किस देश में भेजे गये तथा उन पर कितना सरकारी धन का व्यय भार आया ? उक्त ट्रेनिंग किस विषय में दी जाती है तथा किसके आदेश से ? उस ट्रेनिंग के विषय का उपयोग शासन में किस प्रकार से होता है ? यदि समुचित उपयोग नहीं है, तो उक्त ट्रेनिंग पर उक्त अधिकारियों को भेजने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत विदेश प्रशिक्षण पर भेजा जाता है ।

वर्ष 1993 एवं 1994 में विदेश प्रशिक्षण पर भेजे गये अधिकारियों, प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण का देश एवं विषय के विवरण संलग्न सूची ''क'' एवं ''ख'' में उपलब्ध हैं ।

प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय विदेश संस्थायें वहन करती हैं ।

प्रशिक्षण की उपयोगिता के विषय में उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य तथा केन्द्र शासन के अधीन विभिन्न विभागों तथा विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं जहां वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते रहते हैं और इस प्रकार केन्द्र शासन तथा प्रदेश शासन दोनों को प्रशिक्षण का पूरा लाभ प्राप्त होता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 216–218 पर)

जेल मैनुअल में संशोधन का प्रकरण

*4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जेल मैनुअल में संशोधन का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । मैंने प्रश्न यह किया है कि क्या सरकार जेल मैनुअल में संशोधन का विचार कर रही है ? उत्तर आया है जी हां । तो मान्यवर, इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो संशोधन किये जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा क्या है ? उसके मुख्य बिन्दु कौन-कौन से हैं जिनको जेल मैनुअल में शामिल किया जा रहा है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, जेल मैनुअल में संशोधन के लिये वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित रूप से सलाह मांगी गयी है और सुझाव मांगे गये हैं । इस दिशा में क्वैश्चनायर बनाकर वितरित करेंगे और जो रिटायर्ड जजेज हैं, विधि-वेत्ता हैं, कारागार के वरिष्ठ पदों पर रह चुके अधिकारी और तमाम विद्वानों से राय लेकर हम जल्दी ही इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जेल से वास्ता उन लोगों का नहीं पड़ा है, जिनका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है । जो जेल गये हैं वही इस संबंध में कुछ सलाह दे सकते हैं । मंत्री जी का वास्ता भी पड़ा होगा, जब जेल में रहे होंगे तो इन्होंने बहुत एहसास किया होगा कि इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका जेल से वास्ता पड़ता रहा है । जेल मैनुअल की कमियां उनकी नजरों के सामने नाचती रही हैं । क्या इस संबंध में एक समिति सदन की विधायकों के बीच से बनायेंगे और उससे परामर्श भी करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, हमने बताया कि राय लेने के लिये एक क्वैश्चनायर तैयार किया जायेगा । मा० विधायकों से और अन्य जन प्रतिनिधियो से भी राय लेगे । वर्मा जी जेल में रहे हैं, इनको ज्यादा अनुभव होगा । ऐसे तमाम लोग हैं इनसे राय जरूर लेंगे और इसमें विलम्ब नहीं होगा । दो महीने के अन्दर जेल मैनुअल में राय लेकर संशोधन किया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अगर माननीय मंत्री जी मेरी राय मान लेंगे तो इनका काम भी हो जायेगा । तीन साल जेल में काटे हैं । मैं सही राय दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

होमगार्ड के जवान की ड्यूटी पुलिस के सहायक के रूप में होने के कारण मृत्यु की दशा में दी जाने वाली आर्थिक सहायता में अन्तर

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कारागार एवं होमगार्ड मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान के सभी दायित्व पुलिस जवान के समान ही हैं ? यदि हां, तो क्या ड्यूटी दौरान होमगार्ड जवान की मृत्यु (हत्या) पर उसके आश्रितों को पुलिस जवान से कम आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार होमगार्ड्स को पुलिस के समान सहायता देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां, किन्तु होमगार्ड के जवान की ड्यूटी पुलिस के सहायक के रूप में होती है, पुलिस पूर्णकालिक राजकर्मी है, जबकि होमगार्ड केवल ड्यूटी भत्ता पाने वाले स्वयंसेवी हैं।

दोनों के क्रमशः राजकर्मी और स्वयंसेवी होने के नाते मृत्यु की दशा में दोनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में अन्तर है।

स्वयं सेवक होने के कारण होमगार्ड को पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों के समान आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमित राज्य कर्मचारी न होने के कारण होमगार्ड को पुलिस के समान आर्थिक सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है।

ऊनी गलीचा एवं दरी उद्योग में कार्यरत बुनकरों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत रखे जाने की मांग

*6–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊनी गलीचा एवं दरी उद्योग में बुनकर के रूप में लगभग कितने मजदूर उ० प्र० में कार्यरत हैं ? क्या इनको मजदूरी कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इस वर्ग के मजदूरों का कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग में बुनकरों की नियोजन की अनुमानित संख्या दो लाख पचास हजार है।

जी नहीं। कारखाना अधिनियम में मजदूरी का निर्धारण किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कालीन बनाने वाले समस्त प्रतिष्ठानों को चाहे इनमें नियोजन एक व्यक्ति का ही हो, कारखाना अधिनियम से आच्छादित किया जा चुका है।

।नोट :–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तरों का समय समाप्त हुआ।।

पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी के उत्तर प्रदेश में पकड़े गये एजेन्टों के प्रति की गयी कार्यवाही की जानकारी

*7–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी के कुछ एजेन्ट उत्तर प्रदेश में पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ? इनके पास से कितनी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है ? क्या सी० बी० आई० की कार्यवाही से पहले उ० प्र० पुलिस को इस जखीरे की जानकारी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । सी० बी० आई० को इसकी सूचना मिलने पर उनके द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मामले में विस्तृत सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

*8–श्री जगदम्बिका पाल–

[9वे गुरुवार में अता० प्र० सं०-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा एक समान किये जाने की मांग

*9–श्री राजेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में कार्यरत न्यायिक सेवा के अधिकारियों एवं कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है जबकि नियमित कार्य करने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी की सेवा निवृत्ति की आयु एक समान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, केवल न्यायिक सेवा के अधिकारियों को छोड़कर, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 60 वर्ष निर्धारित है, सभी श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त की आयु समान रूप से 58 वर्ष निर्धारित कर दी गयी है ।

उपरोक्तानुसार सभी की सेवा निवृत्ति की आयु एक समान पहले ही कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के सत्र 1990-92 के सत्र के आई० टी० आई० परीक्षाफल की जानकारी

*10–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनके वर्ष 1990–92 के सत्र में आई० टी० आई० परीक्षा दिये छात्रों के परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किये गये हैं? क्या लाजपतराय वोकेशनल एण्ड मैनेजमेंट सेंटर, साहिबाबाद, गाजियाबाद भी उक्त सत्र के छात्रों के परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये गये हैं उक्त परीक्षा परिणामों को घोषित न करने का कारण क्या है ? क्या छात्रों के भविष्य को बचाने के लिये परिणामों को निकट भविष्य में घोषित करने की शासन की कोई योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के उन समस्त निजी आई० टी० आई० संस्थानों के अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा जुलाई, 1992 के परीक्षाफल घोषित किये जा चुके हैं जिनके इस परीक्षाफल से संबंधित कोई वाद मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

लाजपत राय वोकेशनल एण्ड मैनेजमेंट सेन्टर, साहिबाबाद, गाजियाबाद का जुलाई, 1992 का समस्त परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रामीण शिल्पकारों को टूल किट दिये जाने की मांग

*11–श्री रणधीर सिंह, श्री हरपाल सिंह, श्री नरेन्द्र सिह सिसौदिया, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया तथा श्री राम प्रसाद टम्टा–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रत्येक गांव सभा से 10 शिल्पकारों का चयन कर उन्हें टूल किट देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है।

औद्योगिक इकाइयों को विद्युत बिलों में न्यूनतम मांग भार से छूट की स्वीकृति की संस्तुति पर हुई कार्यवाही की जानकारी

*12–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उद्योग बंधु ने जनवरी, 1994 को प्रदेश सरकार को एक नोट स्वीकृति हेतु भेजा है जिसके अन्तर्गत 16 अक्टूबर, 1990 को तत्कालीन सरकार की औद्योगिक नीति जो शासनादेश संख्या 3272(1)3/90-2359-89 के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विद्युत बिलों में नयूनतम मांग भार से छूट की स्वीकृति की संस्तुति की है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है ? उक्त कार्यवाही कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मामला शासन के विचाराधीन है।

आई० ए० एस० संवर्ग की प्रोन्नतियां के समय पदों की उपलब्धता

*13–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई० ए० एस० संवर्ग की प्रोन्नतियों के समय पदों की उपलब्धता को संज्ञान में न लेकर प्रोन्नतियां की जाती हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि राज्य सरकार में कितने प्रमुख सचिव व सचिव के पद स्वीकृत हैं ? इन स्वीकृत पदों के विपरीत कितने पद भरे गये हैं । स्वीकृत पदों के विपरीत कितने पद रिक्त हैं ? कितने अतिरिक्त हैं ? क्या इस संबंध में पी० सी० एस० एसोसियेशन ने सरकार के समक्ष अपना रोष व्यक्त किया है ? यदि हां,तो इसके निराकरण के लिये सरकार क्या उपाय कर रहे है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, आई० ए० एस० संवर्ग में प्रोन्नति के समय शासन द्वारा पदों की उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए प्रोन्नतियां की जाती हैं । प्रदेश आई० ए० एस० संवर्ग में कृषि उत्पादन आयुक्त को सम्मिलित करते हुए प्रमुख सचिव के 12 पद तथा सचिव के 29 पद स्थायी रूप से स्वीकृत हैं तथा प्रमुख सचिव का एक पद एवं सचिव के 15 पद अस्थाई रूप से राज्य सरकार द्वारा सवीकृत हैं । स्वीकृत पदों के विपरीत न तो कोई पद रिक्त है और न ही अतिरिक्त है । पी० सी० एस० एसोसियेशन का एक पत्र दि० 5-4-94 प्राप्त हुआ है । संघ के उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे उत्पीड़न आदि की घटनाओं में हो रही बेतहाशा बढ़ोत्तरी के कारणों की जानकारी

*14–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में विगत दो माह दिसम्बर, 93 से जनवरी, 94 तक अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न आदि की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसका मूल कारण क्या है ? सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, शासन/प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोगों के मामलों में सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही की जा रही है । इसलिये लोग निर्भीक होकर उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना थानों पर दर्ज कराने लगे हैं । उत्पीड़न को समाप्त करने के लिये शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

1–शासन ने यह निर्देश दिया है कि अत्याचार संबंधी घटनाओं का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा 24 घण्टे के अन्दर करके उत्पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचायी जाये तथा विवेचना 14 दिन के अन्दर समाप्त की जाय ।

2–ऐसे अपराधों की रोकथाम में सक्रिय सहयोग हेतु जनपद स्तर पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया है ।

3–प्रदेश मुख्यालय पर विशेष जांच प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है तथा जनपद स्तर पर जनपदीय प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं ।

4–उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु उनकी शिकायतों की तत्काल सुनवाई एवं इन पर कार्यवाही करने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं और कर्तव्य पालन में चूक करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर देहात एवं फतेहपुर के कतिपय जनप्रतिनिधियों आदि को अकारण बन्द किये जाने की शिकायत

*15–श्री हरी किशन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 फरवरी, 1994 को जिलाधिकारी, कानपुर के आवास पर प्रातः 10 बजे कानपुर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर के दो सांसद पांच विधायक एवं पूर्व विधायकों सहित अट्ठाइस व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर बिना किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किये नियमानुसार बिना वारण्ट प्राप्त किये अवैध रूप से बन्दी बनाकर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में दिनांक 11-2-1994 को रात्रि 1.00 बजे से रखा ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह कार्यवाही की गयी ? उक्त कार्यवाही के लिये दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी दिये जाने की सरकार की योजना

*16–श्री रामदास पाल–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदारी दिये जाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी दिये जाने की योजना प्रदेश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में पहले से ही लागू है । श्रमिक सहभागिता योजना के अन्तर्गत शाप फ्लोर तथा प्लाट

स्तर पर श्रमिकों के प्रतिनिधित्व हेतु विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों जैसे कुशल, अकुशल, टेक्निकल व नान टेक्निकल, सुपरवाइजरी श्रेणी के श्रमिक जैसे फोरमैन, चार्जमैन, आदि को सम्मिलित किया गया है। (प्रबन्ध श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) शाप फ्लोर तथा प्लांट स्तर पर श्रमिकों तथा सेवायोजकों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पक्ष की ओर से आवश्यकतानुसार 5 से 10 सदस्य तक रखे जाते हैं। इन सदस्यों की संख्या सेवायोजक प्रतिष्ठान की ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के परामर्श से तय होती है। इसके अतिरिक्त सेवायोजक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के परामर्श एवं उनकी सर्वसम्मति से करते हैं। दोनों पक्ष यह भी सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें श्रमिक बल का 10 प्रतिशत या उससे अधिक महिलायें कार्यरत हैं, तो ऐसे प्रतिष्ठान में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सेवायोजक यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके दबाव से श्रमिक पक्ष स्वतंत्र हों तथा उनका उत्पीड़न से बचाव किया जाय। वर्तमान में प्रदेश के 52 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में, 76 शाप काउंसिलों तथा 12 संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का गठन किया जा चुका है तथा निजी क्षेत्र की 41 चीनी मिलों में, 74 शाप काउंसिलों तथा 14 संयुक्त प्रबन्ध परिषदों का गठन कराया जा चुका है।

जनपद सहारनपुर का हैण्डलूम काम्प्लेक्स पूर्णरूपेण बन्द होने से कार्यरत कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी भुखमरी की समस्या

*17–श्रीमती शशिबाला पुन्डीर–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि देवबन्द, जनपद सहारनपुर का हैण्डलूम काम्पलेक्स पूर्ण रूप से बन्द पड़ा है और हजारों लोग बेरोजगार हैं ? क्या सरकार बन्द औद्योगिक इकाइयों को फिर से चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। काम्पलेक्स में वर्तमान में 7 इकाइयां आंशिक रूप से चालू हैं तथा 7 इकाइयां पूर्ण रूपेण बन्द हैं।

काम्पलेक्स की इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये समय-समय पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्यवाही की गयी है। दिनांक 18/19 फरवरी, 1994 को वित्तीय निगम ने इन इकाइयों के साथ सहारनपुर में बैठक की थी। 6 इकाइयों ने निगम के देयों हेतु एक मुश्त योजना के अर्न्तत प्रस्ताव किये हैं जो कि वित्तीय निगम के विचाराधीन हैं।

स्वायत्तशासी संस्थाओं विश्वविद्यालयों/निगमों, निजी प्रबन्धीकरण विद्यालयों एवं गैर सरकारी अधिष्ठानों में आरक्षण लागू न किये जाने की शिकायत

*18–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वायत्त शासित संस्थाओं विश्वविद्यालयों/निगमों, निजी प्रबन्धीकरण विद्यालयों एवं गैर सरकारी अधिष्ठानों में आरक्षण को प्रभावकारी लागू कराने के लिये नियमों/परिनियमों में कोई संशोधन की आवश्यकता है ? यदि हां, तो उपरोक्त संस्थाओं में आरक्षण को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिये विधिक बाध्यता क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्वायत्तशासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों/निगमों में आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया जा चुका है ।

निजी प्रबन्धीकरण विद्यालयों एवं गैर सरकारी अधिष्ठानों में आरक्षण लागू नहीं है । अतः नियमों/परिनियमों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

''अमृत प्रभात'' एवं ''नार्दन इण्डिया पत्रिका'' के बन्द होने के कारणों की जानकारी तथा इन्हें पुनः चालू किये जाने की मांग

*19–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्र ''अमृत प्रभात'' एवं ''नार्दन इण्डिया पत्रिका'' कब से बन्द चल रहे हैं ? इन समाचार पत्रों के बन्द होने के कारण क्या हैं ? सरकार इनके पुनः प्रकाशन हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इलाहाबाद से प्रकाशित समचार पत्र ''अमृत प्रभात'' एवं ''नार्दन इण्डिया पत्रिका'' का प्रकाशन दिनांक 8 जनवरी, 1994 से नहीं हो रहा है ।

माह दिसम्बर, 1993 के वेतन का भुगतान समय से न होने के कारण कर्मचारियों ने दिनांक 7 जनवरी, 94 की सायंकाल कार्य करना बन्द कर दिया जिसके कारण दिनांक 8-1-1994 से उक्त दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया है ।

माह दिसम्बर, 1993 के वेतन की वसूली हेतु कलेक्टर, इलाहाबद को वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 2-2-94 जारी किया गया, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सेवायोजकों द्वारा रिट याचिका में पारित आदेश के अनुसार कर्मचारियों को दो लाख रुपये का आंशिक भुगतान हो गया है । शेष भुगतान दो बराबर किस्तों में क्रमशः दिनांक 7-5-1994 तथा दिनांक 7-6-94 के पूर्व किये जाने का आदेश है जिला प्रशासन तथा श्रम विभाग द्वारा पक्षों में समझौता वार्ता करायी जा रही है ।

सेवायोजन कार्यालयों में अभ्यर्थियों का पंजीयन वर्तमान निवास के पते के आधार पर किये जाने का प्राविधान

*20–श्री तीरथ राज–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराते समय क्या मूल निवास प्रमाण-पत्र मांगा जाता है ? यदि नहीं, तो ऐसी दशा में किसी दूसरे जनपद के मूल निवासी जो किसी दूसरे जनपद में सरकारी अर्धसरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं, के परिवार से संबंधित लोगों के द्वारा अभिभावक के कार्य स्थल के पते पर पंजीकरण करा लेने से स्थानीय बेरोजगारों के साथ हो रही नाइन्साफी को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

सेवायोजन कार्यालयों में अभ्यर्थियों का पंजीयन उनके वर्तमान निवास के पते के आधार पर किये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायक के रिक्त पदों की संख्या की जानकारी तथा रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति करने की मांग

1–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायकों की कुल कितनी रिक्तियां चल रही हैं ? क्या यह सही है कि इन रिक्तियों के कारण शासकीय कार्य को गति नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या इसी को ध्यान में रखते हुए शासकीय नियमों के तहत चतुर्थ श्रेणी वर्ग की पदोन्नति करने हेतु वर्ष 1992 में परीक्षा हुई थी ? क्या यह भी सत्य है कि अभी तक कुछ ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो अतिरिक्त पदों पर प्रोन्नतियां क्यों नहीं की गयीं ? उक्त पदोन्नतियां कब तक की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सचिवालय में सम्प्रति अवर वर्ग सहायकों की लगभग 200 रिक्तियां हैं ।

जी हां ।

जी नहीं । वर्ष 1992 में 34 पदों हेतु चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति विषयक परीक्षा "उ० प्र० सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग नियमावली, 1942" के नियम–9(4) एवं 14(4) के अन्तर्गत सम्पन्न करायी गयी थी ।

जी हां । प्रश्नगत परीक्षा में सफल 25 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ।

अवशिष्ट 9 पदों पर नियुक्ति के संबंध में रिट याचिकायें मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिन पर मा० न्यायालय का आदेश प्रतीक्षित है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला बाराबंकी द्वारा खरीदी गयी पेट्रोमेक्स में की गयी अनियमितता में जांच की मांग

2–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जनपद बाराबंकी द्वारा वर्ष 92-93 कुल 100 गैस पेट्रोमैक्स, लगभग रुपये (00) प्रति की दर से खरीदे गये थे ? क्या उन सबको पशु सेवा केन्द्रों/चिकित्सालयों में वितरित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसके क्रय करने पर कोई टेण्डर आमंत्रित किया गया था ? यदि नहीं, तो किस एजेन्सी से पेट्रोमैक्स खरीदा गया था ? क्या यह सही है कि इससे कम मूल्य पर और अधिक गुणवत्ता वाले पेट्रोमैक्स बाजार में उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो क्या इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को दोषी पाया गया है ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां। कुल 105 गैस पेट्रोमैक्स क्रय किये गये जिन्हें 35 पशु चिकित्सालयों 67 पशु सेवा केन्द्रों एवं 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र मसौली पर वितरित किया गया।

जी नहीं। नोटिस जारी करके विभिन्न फर्मों की दरें कोटेशन के रूप में आमंत्रित की गयी थीं तथा मै० विशाल एजेन्सी, प्रताप मार्केट, अमीनाबाद, लखनऊ से गैस पेट्रोमैक्स क्रय किये गये थे।

प्राथमिक जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा खरीदे गये गैस पेट्रोमैक्स में रिफलिंग हेतु व्यय किये गये धन में हुई अनियमितता की जांच की मांग

3–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 में मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा खरीदे गये गैस पेट्रोमैक्स को कितनी बार रिफलिंग करायी गयी और उन पर शासन का कितना धन व्यय किया गया ? उक्त पेट्रोमैक्स किन-किन पशु सेवा केन्द्रों/पशु चिकित्सालयों से संबंधित क्रय किये गये थे ? क्या यह सही है कि खरीदे गये पेट्रोमैक्स को माह फरवरी, 1994 तक न तो रिफिल कराया गया और न ही इस संबंध में कोई आदेश निर्गत किये गये ? यदि हां, तो उक्त पेट्रोमैक्सों के क्रय का औचित्य क्या था ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री मनोहर लाल–

गैस पेट्रोमैक्स की रिफिलिंग नहीं करायी गयी और इस पर शासन का कोई व्यय नहीं किया गया है।

35 पशु चिकित्सालयों, 67 पशु सेवा केन्द्रों तथा 3 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र मसौली हेतु गैस पेट्रोमैक्स क्रय किये गये।

जी हां ।

रात्रि में बीमार पशुओं को देखने तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु गर्म पानी की तत्काल व्यवस्था किये जाने के उद्देश्य से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा गैस पेट्रोमैक्स का क्रय किया गया ।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट शासन के परीक्षणाधीन है ।

वर्तमान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा पशु चिकित्साधिकारी जिला गोण्डा में कार्य करने के दौरान किये गये गबन की शिकायत

4–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बाराबंकी से पशु चिकित्साधिकारी, जनपद गोण्डा में कार्य करने के दौरान लगभग रुपये एक लाख के गबन के आरोप प्रकाश में आने पर शासन द्वारा उनसे रिकवरी किये जाने के आदेश जारी हुए थे ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि उनसे रिकवरी कर ली गयी है, तो दोष सिद्ध अधिकारी को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात करने का औचित्य क्या है ?

श्री मनोहर लाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध सूकर फार्म नेवलेट बाराबंकी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी महिला का शिकायती-पत्र तथा उसके द्वारा दर्शाये गये बिन्दुओं पर जांच की मांग

5–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूकर फार्म नेवलेट, जनपद बाराबंकी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी से मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं कथित ज्यादतियों के संबंध में कोई शिकायती-पत्र, निदेशालय/उपनिदेशक, पशुपालन, फैजाबाद अथवा शासन को माह जनवरी, 1994 तक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उन पर किस स्तर के अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ? क्या जांच में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री मनोहर लाल–

श्रीमती सुशीला, अनुचर का एक शिकायती-पत्र दिनांक 31-12-93 निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ के कार्यालय में माह जनवरी, 1994 में प्राप्त हुआ है । उक्त शिकायती-पत्र में शिकायतकर्ता की इच्छा के विपरीत तैनाती किये जाने तथा रिश्वत मांगने आदि का आरोप लगाया गया है । इस शिकायत की जांच विभाग के एक श्रेणी–I के अधिकारी से करायी गयी और प्रारम्भिक जांच में संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी मध्य सत्र में स्थानान्तरण के दोषी पाये गये हैं । अतः जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद बाराबंकी के विभिन्न पशु सेवा केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल तथा कन्टीजेन्सी बिलों का भुगतान का मामला

6–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में कार्यरत विभिन्न पशु सेवा केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के कितने पशु चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारियों के कितने कन्टीजेन्सी बिलों/यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान माह फरवरी, 1994 तक नहीं हो पाया है ? क्या उक्त से संबंधित धनराशि जो लगभग एक लाख रुपये से अधिक है, को निदेशालय स्तर से जारी नहीं किया गया है ? क्या उक्त धनराशि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के यहां लम्बित है ? क्या पशु चिकित्साधिकारियों, बाराबंकी के आहरण वितरण अधिकारी को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने वापस ले लिया है ? यदि नहीं, तो मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उक्त यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान में क्या कठिनाई है ? उनको उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जनपद बाराबंकी के विभिन्न पशु सेवा केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के 22 अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 73 यात्रा भत्ता बिल तथा 9 कन्टीजेन्सी बिल माह फरवरी, 1994 तक भुगतान हेतु शेष थे ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उपर्युक्त बिलों का भुगतान मार्च, 1994 में किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बिना निलम्बित किये श्री सुहेल अहमद कांस्टेबिल को जेल भेजे जाने की शिकायत

7–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बिना निलम्बित किये किसी पुलिस कांस्टेबिल को जेल भेजा जा सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्या यह सही है कि कांस्टेबिल–62 ए० पी० श्री सुहेल अहमद को दिनांक 19-8-93 को एस० पी० सुखदेव सिंह सिद्धू द्वारा बिना निलम्बित किये, जेल भेजा गया है ? क्या दिनांक 20-8-93 को जमानत हुई और पुनः 21-8-93 को ड्यूटी कराने के बाद उसे निलम्बित किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उ० प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के तहत ।

जी हां ।

जी हां, जमानत के पश्चात् उससे किसी भी प्रकार की ड्यूटी कराये बिना दिनांक 20-8-93 को निलम्बित किया गया ।

जनपद बांदा एवं जनपद फतेहगंज कोतवाली में क्रमशः मारकुण्डी एवं बहिलपुरवा में स्थापित थानों में आवासीय एवं पेयजल की समस्या

8–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के आज से 4 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ थाना मारकुण्डी, बहिलपुरवा, फतेहगंज कोतवाली देहात आदि थाने जंगल में स्थापित हैं ? क्या वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवासीय व पेयजल की सुविधा मुहैया करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

1–थाना मारकुण्डी में एक मिनी कार्यालय व एक मिनी बैरक उपलब्ध है । पेयजल हेतु दो हैण्ड पम्प भी उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त नया थाना भवन श्रेणी प्रथम के 8 आवास, श्रेणी तृतीय के दो आवास व एक बैरक (सात व्यक्तियों के लिए) का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है, सभी कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं ।

2–थाना बहिलपुरवा में दो बैरक, एक मिनी कार्यालय तथा एक भोजनालय भवन की सुविधा उपलब्ध है । पेयजल के लिए एक हैण्ड पम्प स्थापित किया गया है ।

3–थाना फतेहगंज में श्रेणी प्रथम के आठ आवास, श्रेणी द्वितीय का एक, श्रेणी तृतीय के दो आवास एवं एक बैरक की आवासीय सुविधा उपलब्ध है । पीने के पानी हेतु दो हैण्ड पम्प की व्यवस्था है ।

4–थाना कोतवाली देहात सूती मिल के पम्प हाऊस में स्थापित है । वर्तमान में पुलिस कर्मी सूती मिल के पम्प हाउस में बनी एक बैरक में निवास करते हैं । जल निगम द्वारा पानी की सप्लाई है । श्रेणी प्रथम के सात आवास, श्रेणी द्वितीय का एक आवास व एक बैरक का निर्माण कार्य उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि०, द्वारा किया जा रहा है, जो प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा के मौजा मुगौरा में हुई हत्या के सन्दर्भ में की गयी शिकायत तथा उस पर हुई कार्यवाही की जानकारी

9–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या सरकार को ज्ञात है कि मौजा-मुगौरा में तारीख 11-12-93 ई० को एक कत्ल हो गया था जिसमें एक शिकायती-पत्र श्याम बहादुर पटेल का मुख्य मंत्री तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को तारीख 11-2-94 को प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ पुलिस द्वारा मामले में कार्यवाही न करने संबंधी

प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि धारा–147/148/149/302/452/323/506 आई० पी० सी० की उक्त रपट में नामजद मुल्जिमानों को नाजायज तरीके से बचाने का प्रयास करने का आरोप है ? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है ? अभी तक उक्त केस में पुलिस ने नामजद मुल्जिमानों के खिलाफ क्या कार्यवाही किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, दिनांक 11-12-93 को श्री सत्य नारायण निवासी मुगौरा का कत्ल हो गया लेकिन प्रश्न में सन्दर्भित शिकायती-प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है ।

जी नहीं, विवेचना से नामजद अभियुक्तों की नामजदगी गलत पायी गयी थी इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी । अभियोग की विवेचना के अनुसार अभियुक्तगण चुन्नू पप्पू उर्फ शिवशरन, चुनवाद उर्फ पहलवान बसन्ता, शिव नारायन, सुन्दर लाल, प्रकाश में आये थे । इन अभियुक्तों के पास से मृतक का सामान भी बरामद किया गया । अभियुक्त बसन्ता को छोड़कर सभी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

चूंकि नामजदगी ही गलत पायी गयी है इसलिए कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर सरकार द्वारा किये गये उपायों की जानकारी

10–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में 1 जनवरी, 93 से 15 फरवरी, 94 तक कुल कितने अपराध दर्ज हुए ? सरकार द्वारा उन अपराधों की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? अपराधों की रोकथाम न कर पाने में कितने पुलिस कर्मियों को दण्डित किया गया ? उक्त अवधि में जनता के प्रार्थना-पत्रों की कितनी शिकयतें प्राप्त हुईं तथा कितने का निस्तारण हुआ ? क्या यह भी बतायेंगे कि देवरिया कोतवाली में बढ़ रहे अपराधों के नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

1 जनवरी, 1993 से 15 फरवरी, 1994 तक कुल 13,008 अपराध दर्ज हुए हैं ।

अपराधों की रोकथाम हेतु संबंधित जनपदीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

इस संबंध में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया है ।

प्रश्नगत अवधि में जनता से कुल 4,010 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें 3,560 का निस्तारण किया जा चुका है । शेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किये जा चुके हैं ।

देवरिया कोतवाली में हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है तथा पिकेट व्यवस्था एवं गस्त व्यवस्था भी तेज की गयी है और अलग से एक सचल दस्ता भी बनाया गया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर की इटवा तहसील में कार्यरत पुलिस क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध जनता से प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच की मांग

11–श्री स्वयम्वर सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील में नियुक्त पुलिस अधिकारी श्री अनिल कुमार के विरुद्ध जनता की शिकायत कब प्राप्त हुई ? शिकायत के आधार पर उक्त क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब कार्यवाही करायेगी ? क्या सरकार उक्त अधिकारी को दोषी पाये जाने पर तत्काल स्थानान्तरित भी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भित क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध दिनांक 22-1-1994 को शिकायत प्राप्त हुई थी । अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व, सिद्धार्थनगर के स्तर पर उसकी जांच प्रचलित होने के कारण क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध सम्प्रति किसी कार्यवाही का अवसर नहीं बना । इस संबंध में जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही पर विचार अपेक्षित होगा ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में सन्दर्भदाता द्वारा प्रतिदिन/प्रतिमाह प्रस्तुतीकरण के मानक की जानकारी एवं नियुक्ति–5 में कार्यरत सन्दर्भदाता द्वारा की गयी शिथिलता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

12–श्री मुक्तिनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सचिवालय में सन्दर्भदाता के पदधारक को प्रतिमास/प्रतिदिन सन्दर्भ प्रस्तुतीकरण/निस्तारण का मानक क्या निर्धारित है ? क्या यह भी बतायेंगे कि सचिव, नियुक्ति विभाग के अधीन नियुक्ति अनु०–5 में तैनात सन्दर्भदाता प्रथम के पास प्रतिमाह प्राप्त सन्दर्भों की संख्या क्या है ? निर्धारित मानक के अनुसार पर उक्त पदधारक के पास निस्तारण हेतु प्राप्त सन्दर्भों की संख्या क्या है ? यदि वहां पर पर्याप्त कार्य नहीं है, तो उक्त पद को वहां पर बनाये रखने का औचित्य क्या है ? क्या उक्त पदधारक तथा पद को यथा शीघ्र अन्यत्र अनुभाग में समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० सचिवालय मैनुअल में सन्दर्भदाता के लिए प्रतिदिन प्रस्तुतीकरण का मानक 24 रसीदें है ।

नियुक्ति अनुभाग–5 में तैनात सन्दर्भदाता प्रथम का वर्ष, 1994 में प्रतिमास प्राप्ति एवं प्रस्तुतीकरण का औसत लगभग 10 रसीदें प्रतिदिन है ।

उक्त सन्दर्भदाता समस्त आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० अधिकारियों के आचरण एवं सेवा संबंधी नियमावली से आच्छादित मामलों से सम्बद्ध है, जिसमें लगभग 1,700 अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों का रख-रखाव निहित है । इन व्यक्तिगत पत्रावलियों को अल्पकालिक सूचना पर तत्काल प्रस्तुत एवं पुनर्स्थापित करना होता है । यह कार्य स्वयं में काफी अधिक एवं समय साध्य है । अतः इसके लिए सन्दर्भदाता प्रथम का पद आवश्यक है ।

प्रकरण की महत्ता, संवेदनशीलता, त्वरितता एवं कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए यह पद नियुक्ति अनुभाग–5 में बनाये रखना नितान्त आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है, अतः इस पद पर को अन्यत्र किसी अनुभाग में समायोजित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कार्यरत कारापाल, उपकारापाल एवं बन्दी रक्षक पदों की संख्या की जानकारी तथा उन पदों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

13–श्री राम करन आर्य–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने कारापाल तथा कितने उपकारापाल एवं कितने बन्दी रक्षक कार्यरत हैं । इनमें से क्रमशः कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं ? क्या उनका आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कोटा पूरा करेंगे तो कब तक ?

श्री अवधेश प्रसाद–

प्रदेश में इस समय 54 कारापाल, 246 उपकारापाल तथा 5,004 बन्दी रक्षक कार्यरत हैं । इनमें 12 कारापाल, 26 उपकारापाल तथा 1,020 बन्दी रक्षक अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं । कारापाल तथा बन्दी रक्षक संवर्ग में कोटा पूर्ण है । उप कारापाल संवर्ग में कोटा पूर्ण नहीं है क्योंकि लोक सेवा आयोग में चयन लम्बित था अब लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध कराये गये हैं जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही मेडिकल जांच आदि में विचाराधीन है । कोटा शीघ्र पूरा किया जा रहा है ।

प्रदेश के समस्त रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों तथा केन्द्रीय सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगारों की संख्या की जानकारी तथा उन्हें रोजगार देने की मांग

14–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं ? क्या सरकार के किसी अन्य स्रोत से भी जानकारी प्राप्त होती है कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उनमें पूर्ण बेरोजगार कितने हैं तथ आंशिक बेरोजगार कितने हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के समस्त रोजगार कार्यालयों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 तक कुल 23,79,465 बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं ।

जी हां ।

भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की सूचना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 1994-95 में बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ चार लाख हो जायेगी ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार उक्त 104 लाख में लगभग 78 लाख को पूरे समय रोजगार नहीं मिल रहा है । पूर्ण बेरोजगारों की संख्या लगभग 26 लाख है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना उस्का बाजार के कतिपय ग्राम सभाओं में चौकीदार तैनात किये जाने की मांग

15–श्री धनराज यादव–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के थाना उस्का बाजार के हरनी बुजुर्ग, डुमरियागंज खुर्द कत्तेपुर, मारखर्ग गांवों में चौकीदार तैनात नहीं हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन स्तर पर क्या कार्यवाही चल रही है ? कब तक इन गांवों के लिए चौकीदार नियुक्त कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि जनपद में जिन ग्राम सभाओं में पूर्व में चौकीदार नियुक्त थे, उनकी रिक्तियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक के परामर्श से आवश्यकतानुसार चौकीदारों की नियुक्ति तत्काल सुनिश्चित करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के औराई थाना के अन्तर्गत श्री बाल कृष्ण बिन्द छात्र की हत्या के सन्दर्भ में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

16–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी जनपद के औराई थाना अन्तर्गत श्री बाल कृष्ण बिन्द, एम०एससी० के छात्र की 15 जनवरी, 1994 को हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो अपराधियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही पुलिस ने की है ? क्या सरकार मृतक के परिवार को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 15-1-94 को श्री हृदय लाल बिन्द ने वाराणसी के थाना औराई पर इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया कि दिनांक 12-1-94 को ग्राम सारीपुर प्राइमरी पाठशाला के मैदान में क्रिकेट होते समय उसके भाई बाल कृष्ण को मारने से सिर में काफी चोटें आयीं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औराई में उपचार होता रहा । हालत खराब होने के कारण डाक्टर ने उसके भाई को बी० एच० यू० हेतु स्थानान्तरित कर दिया परन्तु रास्ते में लगभग 4 बजे उसके भाई का देहान्त हो गया ।

उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना औराई, जनपद वाराणसी में मु० अ० सं०–12/94 धारा 304 भा०-दं०वि० दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के उपरान्त दिनांक 31-1-94 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है ।

अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

विचाराधीन है ।

जिला देवरिया ग्राम अजोरेया थाना भाटपार रानी में थाना परिसर के अन्दर की गयी हत्या के सन्दर्भ में बरती जा रही शिथिलता की शिकायत

17–श्री विश्वनाथ–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामजी यादव ग्राम अजोरिया थाना–भाटपाररानी, जिला–देवरिया की हत्या थाना परिसर भाटपाररानी में दिनांक 28-9-93 को कर दी गयी है जिसका मुकदमा थाना कोतवाली, देवरिया में अन्तर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड विधान के तहत लिया गया है ? यदि हां, तो अब तक मुल्जिमानों को गिरफ्तार न करने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच प्रचलित है । परिणाम प्राप्त होने पर गुण व दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद देवरिया, थाना खामपार, भाटपाररानी बनकटा तथा भटनी में दर्ज मुकदमों की संख्या तथा उनके निस्तारण की जानकारी

18–श्री विश्वनाथ–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना खामपार, भाटपाररानी बनकटा तथा भटनी, जिला देवरिया में 6-12-93 से 6-2-94 के बीच कितने मुकदमें दर्ज हुए ? उक्त मुकदमों की किस्में क्या थीं ? कितने मुकदमों में चार्जशीट लगी है ? यदि नहीं, तो फाइनल रिपोर्ट लगने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 6-1293 से 6-2-94 तक की अवधि में कुल 44 मुकदमें पंजीकृत किये गये ।

लूट के 5, बलवा–5, नकबजनी–8, चोरी साधारण–15, डकैती 3, हत्या 3, 419/420 भा०दं०वि० में 1, 323/324 भा०दं०वि० में 2, 498-ए में 1, 307/308 भा०दं०वि० में 2, 279/337 में 1 तथा अन्य भा०दं०वि० में 18 मुकदमें दर्ज किये गये हैं ।

उपर्युक्त अभियोगों में से 37 में चार्जशीट तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एवं दोष सिद्ध न होने के कारण 9 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी है ।

जनपद मिर्जापुर थाना विन्ध्याचल में खेमरिया कला गांव में सड़क के निर्माण के समय श्री अरुण शंकर पटेल की की गयी हत्या के सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही की जानकारी

19–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-मिर्जापुर, थाना–विन्ध्याचल के अन्तर्गत खेमरिया कलां गांव में सड़क निर्माण करवा रहे श्री अरुण शंकर पटेल, जो पिछड़ी जाति एवं स० पा०/ब०-स०पा० कार्यकर्ता था, की सवर्णों द्वारा सामूहिक रूप से हमला करके हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो घटना के

अभियुक्त कौन-कौन थे ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध धारा–82, 83 की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अलीगढ़ महायोजना किसान संघर्ष समिति द्वारा पशुधन मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर हुई कार्यवाही की जानकारी

20–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 11-2-92 को अलीगढ़ आगमन पर कोई ज्ञापन उन्हें अलीगढ़ महायोजना किसान संघर्ष समिति द्वारा दिया गया था ? क्या ज्ञापन के संबंध में कोई आश्वासन भी उन्होंने उक्त समिति को दिया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा दिये गये ज्ञापन पर क्या कार्यवाही हो रही है ? कब तक इस पर कार्यवाही पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

अलीगढ़ महायोजना किसान संघर्ष समिति द्वारा तत्कालीन माननीय पशुधन मंत्री जी को दिनांक 11 फरवरी, 1992 को दिया गया ज्ञापन पशुधन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त ज्ञापन पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमेश चन्द्र पाठक, कान्सटेबिल, थाना बाजार खाला लखनऊ के विरुद्ध मा० सदस्यों के शिकायती-पत्र एवं उस पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

21–श्री मयंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–141 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त (प्रश्नगत) शिकायती-पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 को विधायक प्रकोष्ठ, एनेक्सी भवन, लखनऊ में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायती-पत्रों में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपलब्ध सूचनानुसार दिनांक 23-12-93 का प्रश्न में अंकित तथा कथित पत्र विधायक प्रकोष्ठ एनेक्सी भवन में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

22–श्री नजमउद्दीन तथा श्री हीरा मणि पटेल–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

प्रदेश के थानों में दर्ज एफ० आई आर० के अभियोगों की विवेचना समाप्त होने पर प्रकरण को न्यायालय में सन्दर्भित किया जाना तथा थाने में दर्ज अभिलेखों को सुरक्षित किया जाना

23–श्री नजमउद्दीन तथा श्री हीरा मणि पटेल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश थानों में दर्ज एफ० आई० आर० के विरुद्ध अगर जांचोपरान्त फाइनल रिपोर्ट लग गयी हो व कोर्ट से मुकदमा समाप्त (बरी) हो गयी हो, तो क्या थाने में व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज अपराध शासन की नीति के अनुसार समाप्त हो जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अभियोग समाप्त होने पर क्रिमिनल रिपोर्ट बनाने हेतु अभियोगों का थानों में दर्ज रहना नियमों के विपरीत है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल इसे समाप्त करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभियोगों की विवेचना समाप्त होने पर प्रकरण न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया जाता है । थानों में दर्ज अभियोग अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं जो नियम के विपरीत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धानेपुर गोण्डा के पूर्व थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मी द्वारा दलितों के उत्पीड़न, अवैध कब्जा, कार्यकर्ता उत्पीड़न के प्रति प्रश्नकर्ता की शिकायत एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

24–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पूर्व थानाध्यक्ष (श्री एस० आर० सुगम) धानेपुर गोण्डा व एस० आई० श्री अशोक कुमार, श्री बुद्धू प्रिये व कुछ सिपाहियों के विरुद्ध दलितों के उत्पीड़न नाजायज तरीके से अवैध कब्जा व कार्यकर्ता उत्पीड़न के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया था ? क्या उसकी जांच शासन द्वारा कराई गई ? यदि जांच कराई गई, तो क्या मंत्री जी जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ? जांच के बाद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां । जांचोपरान्त उक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

जांच रिपोर्ट मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

जांच में कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस विभाग के कान्स्टेबिलों को अपने गृह जोन में नियुक्ति होने की नीति

25–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पुलिस विभाग के कान्स्टेबिल अपने जोन में ही नियुक्त रह सकते हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग इनको अपने गृह जोन से बाहर स्थानान्तरित कर रही है, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सामान्यतः कान्स्टेबिलों की गृह जोन के बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर थाना मीरगंज पो० भटहर में श्रीमती हमीदा खातून को दहेज हेतु उत्पीड़ित किये जाने की शिकायत तथा जानकारी

26–श्री रमापति शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती हमीदा खातून पत्नी मो० असलम, ग्राम व पो० भटहर, थाना–मीरगंज, जनपद–जौनपुर के साथ ससुराल पक्ष द्वारा दहेज हेतु हो रहे मारने, पीटने, अत्याचार, उत्पीड़न एवं हत्या जैसी षडयंत्र की घटना पर सुरक्षा हेतु कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों, क्या इससे संबंधित दोषी अधिकारियों, ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 10-1-94 को मुकदमा अपराध संख्या–4/94 धारा 498ए/506 भा०द०वि० बनाम मु० असलम पुत्र अब्दुल अजीज, साकिन भटहर, थाना मीरगंज, जौनपुर आदि 5 नफर पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संख्या–20 दिनांक 18-3-94 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है । इसके पूर्व उक्त संबंध में दिनांक 30-12-93 को धारा 107/116 जा० फौ० की चालानी रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है जो भी विचाराधीन न्यायालय है ।

27-28–श्री अजय कुमार पोइया–

[8वें बुद्ध में अता०प्र०सं०–189-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सहारनपुर के कस्बा रामपुर में सेठ लम्ब चन्द्र का अपहरण तथा उनकी हत्या का मामला

29–श्री मामचन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सहारनपुर के कस्बा रामपुर में 6 दिसम्बर, 1993 को सेठ लम्ब चन्द्र को उनके राइस मिल से दिन में 11.00 बजे अपहरण करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी

थी ? क्या आज तक उनके हत्यारे अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए गए ? क्या इस हत्या काण्ड का पर्दाफाश हुआ है । क्या सरकार इस हत्या काण्ड के सिलसिले में कोई प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत दिनांक को उक्त अपहरण एवं हत्या की घटना सेठ लम्ब चन्द्र की न होकर सेठ इलम चन्द की हुई ।

हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं ।

जी हां ।

विवेचना से चार अभियुक्त प्रकाश में आए जिनके विरुद्ध 82/83 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । प्रकरण की विवेचना त्वरित गति से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला देवरिया के थाना–बनकटा के ग्राम किशोरी छापर, निवासी श्री रामनछत्र यादव को मारने तथा घर से निकाले जाने की शिकायत

30–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला देवरिया के थाना–बनकटा के ग्राम किशोरी छापर, निवासी श्री रामनछत्र यादव व उनके भाइयों को मीरपीट कर उनके घर से बाहर कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि उन्हें खेती बारी करने नहीं दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त श्री यादव को उनके घर में रखवाने तथा खेती करने तथा व्यवस्थित होने तक उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

दो सशस्त्र आरक्षी शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से रामपुर कोठी से किशोरी छापर तक ड्यूटी करते है । राम नछत्र एवं विपक्षी दोनों के ऊपर सतर्क दृष्टि रखकर सुरक्षा की जा रही है ।

समाचार पत्रों में किसी अपराधिक व्यक्ति के खिलाफ छापने पर शिकायतकर्ता तथा पत्रकार का उत्पीड़न किये जाने की शिकायत

31–श्री स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि समाचार-पत्रों के पत्रकारों द्वारा किसी व्यक्ति के कारनामों पर कोई खबर छापी जाती है तो उस व्यक्ति की शिकायत के अनुसार पुलिस विभाग धारा–151 के अन्तर्गत 107/116 की कार्यवाही करते हुए शान्ति व्यवस्था में शिकायतकर्ता को बन्द कर देती है ? यदि हां, तो

क्या सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता को बरकरार रखने के लिए ऐसे पत्रकारों को उक्त प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

32–श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री अक्षयवर भारती–

[6ठें शुक्र में अता०प्र०सं०–169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

33–श्री बालेश्वर त्यागी–

[7वें शुक्र में अता०प्र०सं०–114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

34–श्री विश्वनाथ–

[दि० 1-3-94 के अता० प्र० सं०–153 द्वारा उत्तरित]

जिला देवरिया के ग्राम भिंगारी बाजार, थाना खामपार में श्री रमाकान्त अनुसूचित जाति की हत्या का मामला तथा गवाहों के बयानों की तब्दीली का मामला

35–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया अवगत है कि ग्राम भिंगारी बाजार, थाना खामपार, जिला देवरिया में दिनांक 1-1-94 को श्री रमाकान्त अनु० जाति की हत्या दिन दहाड़े आरा मशीन पर कर दी गई है ? जिसकी रपट दिनांक 21-1-94 को थाना खामपार में धारा 302 के तहत लिखी गई है ? यदि हां, तो इसी हत्या को 304-ए धारा में किन-किन गवाहों के बयान पर बदला गया है ? क्या उक्त रपट के गवाहों का बयान लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस सम्बन्ध में दिनांक 2-1294 को मु०अ०सं० 1/94 धारा 302 भा०द०वि० व 3(11) एस०सी०एस०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया ।

सर्वश्री मेवालाल, वासदेव, सुबाष शर्मा वासदेव भगत तथा हरिचरन शर्मा के बयान के आधार पर ही धारा 302 भा० दं० वि० को धारा 304 ए में परिवर्तित किया गया है ।

सभी गवाहों के बयान अंकित किए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला देवरिया के ग्राम भिंगारी बाजार थाना खामपुर में श्री भोला मुहम्मद की दुकान को लूटा जाना तथा आग लगाने का मामला

36–श्री मुक्तिनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया अवगत है कि ग्राम भिंगारी बाजार, थाना खामपार, जिला–देवरिया के श्री भोला मुहम्मद के दुकान को दिनांक 1-7-93 को लूट लिया गया है तथा उसमें आग लगा दी गई है

जिसका मुकदमा थाना खामपार में दिनांक 9-8-93 को धारा 395/436\323 के तहत कायम हुआ है ? यदि हां, तो इस मुकदमें में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विवेचनोपरान्त साक्ष्य के अभाव में अन्तिम आख्या दिनांक 19/12-93 को न्यायालय प्रेषित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला देवरिया ग्राम भिंगारी बाजार थाना खामपार में श्री कमरुद्दीन की कपड़े की दुकान को लूटा जाना तथा आग लगा देने का मामला

37–श्री मुक्तिनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया अवगत हैं कि ग्राम भिंगारी, बाजार थाना–खामपार जिला देवरिया के श्री कमरुद्दीन के कपड़े तथा दवा की दुकान को दिनांक 1-7-93 को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी गई है, जिसका मुकदमा थाना खामपार में दिनांक 7-8-93 को धारा–147/148/307/395/436 के तहत कायम हुआ है ? यदि हां, तो इस मुकदमें में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । अभियोग धारा 147/148/149/307/395/436/323/506 भा०दं०वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है ।

विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 19-12-93 को न्यायालय प्रेषित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला देवरिया के थाना खामपार के ग्राम बलिवन की श्रीमती जमुनीबाई को प्रताड़ना दिये जाने तथा आत्महत्या करने विषयक पत्र की जानकारी

38–श्री मुक्तिनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना खामपार के ग्राम बलिवन की श्रीमती जमुनीबाई ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, देवरिया को दिनांक 6-1-94 को इस आशय का पत्र दिया है कि उसको न्याय न मिलने के कारण वह अपने बच्चों सहित आत्महत्या कर लेने पर मजबूर होगी ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है तथा उसमें प्रार्थना-पत्र पर अब तक शासन द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रार्थिनी का पति श्री कपिल देव सिंह, भिलाई नगर, मध्य प्रदेश में नौकरी करता था और वहीं उसकी मृत्यु हो गयी । प्रार्थिनी की जमीन ग्राम बलिवन थाना खामपार, देवरिया में 1.20 एकड़ है जिसकी रजिस्ट्री राम अशीष, दिलीप, लक्ष्मन, देवेन्द्र ग्राम बलियन ने जनपद सीवान बिहार प्रान्त ने करा लिया है प्रार्थिनी को इस तथ्य की जानकारी होने पर उसने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है जो विचाराधीन न्यायालय है । प्रार्थिनी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु० अ० सं०–202/93 धारा 147/452/323/506/427/467/468/471 भा०द०वि० बनाम राम अशीष आदि 8 नम्बर पंजीकृत किया गया । प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण धारा 467/468/471 भा०द०वि० निकाल कर शेष धाराओं की विवेचना की गयी । अभियुक्त राम अशीष, महेन्द्र व राम जी गिरफ्तार किये गये तथा शेष अभियुक्त हाजिर अदालत हुए जिसमें आरोप-पत्र दिनांक 30-3-94 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

न्यायालय के निर्णय के पश्चात् धारा 467/468/471 भा०द०वि० की विवेचना सम्भव होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के प्रबन्धक एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच वेतन विसंगतियों को दूर करने का मामला

39–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 12-1-93 को अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के प्रबन्धक एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या उस समझौते को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि अनुमोदित किया जायेगा, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, वेतन विसंगतियों के बारे में कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अपनी संस्तुतियों के साथ जो प्रस्ताव भेजा जाता है उसे परीक्षणोपरान्त शासन स्तर पर गठित विसंगति समिति के विचारार्थ यथा समय प्रस्तुत किया जाता है ।

जिला बरेली, ग्राम करेली, थाना सुभाष नगर में अल्पसंख्यक महिला को मारने एवं निर्वस्त्र करके नगर की गलियों में घुमाने की शिकायत

40–श्री राजेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम–करेली, थाना–सुभाष नगर, जिला–बरेली में दिनांक 26-2-94 को रात्रि में एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला को पूर्णतया निर्वस्त्र करके गांव की गलियों में घुमाया गया है, जिसकी प्रथम सूचना सुभाष नगर थाने में दिनांक 26-2-94 को लिखी गयी है ? यदि हां, तो

उक्त घटना के नामजद मुल्जिम कौन हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम करेली, थाना–सुभाष नगर में दिनांक 26-2-94 को किसी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाये जाने की घटना की पुष्टि नहीं हुई । सन्दर्भित घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि आपसी मारपीट के कारण एक महिला की सलवार उसके घुटने के पास फट गयी थी । इस संबंध में थाना सुभाष नगर पर मुकदमा अपराध संख्या–120/94 अन्तर्गत धारा 323/504/325 भा०द०वि० पंजीकृत हुआ है ।

उक्त घटना में चार अभियुक्त रईसा, चन्दा, सईद व निसार नामजद हैं । इनमें से रईसा व चन्दा को दिनांक 5-3-94 को गिरफ्तार किया गया तथा सईदा व निसार को दिनांक 9-3-94 को हाजिर अदालत हुए । समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 21-3-94 को प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बरेली, ग्राम विक्रमपुर में ग्राम प्रधान श्रीराम सेवक की भतीजी के साथ पी०ए०सी० के कान्सटेबिल द्वारा कथित बलात्कार की घटना

41–श्री राजेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि साम्प्रदायिक तनाव से ग्रस्त ग्राम–विक्रमापुर, जिला–बरेली में ग्राम प्रधान श्री राम सेवक की 18 वर्षीय भतीजी के साथ गांव में नियुक्त पी०ए०सी० के कान्सटेबिल द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 94 दोपहर 3 बजे बलात्कार किया गया है तथा स्थानीय पुलिस व पी०ए०सी० की तानाशाही के भय से ग्रामीणों को आतंकित करके रखा गया है ? क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा उक्त बलात्कार की घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो शासन स्तर से उक्त शर्मनाक काण्ड के लिए दोषी जनों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने के संबंध में सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

बलात्कार नहीं किया गया । वरन् छेड़खानी की गयी ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

घटना के अभियुक्त पी०ए०सी० के कां सं०–10750 कैलाश कुमार के विरुद्ध अभियोग संख्या–45/94 धारा–354 भा०द०वि० को पंजीकृत किया गया है तथा उक्त अभियुक्त को 8वीं वाहिनी पी०ए०सी० बरेली से बर्खास्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बरेली में सिविल लाइन्स में स्थित आई० जी० जोन कार्यालय में हुई फायरिंग से वहां तैनात पुलिस कर्मी की अकर्मण्यता की शिकायत

42–श्री राजेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला बरेली में सिविल लाइन्स स्थित आई० जी० जोन कार्यालय में दिनांक 25 फरवरी को सायंकाल थ्री नाट थ्री रायफल द्वारा गोली चलायी गयी है जबकि इसी स्थान पर आई० जी० निवास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का निवास आई० जी० कार्यालय आदि पर सशस्त्र पहरा रहता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बरेली पुलिस खुद अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ है ? यदि हां, तो आम जनता की सुरक्षा की कैसे सरकार व्यवस्था करेगी ? उक्त आतंकवादी की परिस्थितियों में बरेली के नागरिकों की सुरक्षा हेतु शासन की योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

पुलिस कार्यालय की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है ।

आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस सजग है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धार्मिक ट्रस्ट संगत महमूदाबाद सीतापुर के द्वारा इचौली गांव में बिना जिलाधिकारी की अनुमति बेची गयी जमीन का मामला

43–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि धार्मिक ट्रस्ट संगत महमूदाबाद सीतापुर के द्वारा इचौली गांव में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के जमीन व बाग बेची गयी है ? क्या इस अवैधानिक बिक्री को निरस्त किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

ट्रस्ट के द्वारा कोई सम्पत्ति नहीं बेची गयी है बल्कि जो सम्पत्ति बेची गयी है वह महन्त श्री गुरु सरन दास द्वारा बेची गयी है । यह भूमि भू-राजस्व अभिलेखों में महन्त गुरु सरन दास के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है ।

शेष का प्रन नहीं उठता ।

44–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

। दिनांक 19-4-94 से अता० प्र० सं०–14 द्वारा उत्तरित ।

प्रदेश में रिक्त इन्सपेक्टर के पदों की संख्या एवं उन्हें प्रोन्नति से भरे जाने का मामला

45–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने इन्सपेक्टर के कुल स्थान हैं ? कितने स्थान अभी रिक्त पड़े हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन्सपेक्टर की प्रोन्नति कब से नहीं की गयी है ? यदि प्रोन्नति नहीं की गयी है तो उनकी प्रोन्नति कब की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल 1031 पद स्वीकृत हैं।

महिला निरीक्षक के 5 पद रिक्त हैं।

दिनांक 15-10-92 के उपरान्त निरीक्षकों की प्रोन्नति नहीं हुई है।

प्रकरण में मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। मा० न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

कान्सटेबिल एम० व एस० आई० एम० स्टेनो की लिखित परीक्षा, 1989 में होने के बाद से साक्षात्कार न किये जाने के कारणों की जानकारी

46–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 के माह अक्टूबर में कान्सटेबिल एम० व एस०आई० एम० स्टेनो की लिखित परीक्षा हुई थी ? क्या उसका साक्षात्कार माह सितम्बर, 90 में होना था ? यदि हां, तो इसे किन कारणों से स्थगित कर दिया गया है ? उक्त के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही होगी, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मा० मुख्य मंत्री जी के आदेश दिनांक 27-12-1989 में यह निर्देश हुए थे कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती के मामलों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की भर्ती पर प्रतिबन्ध रहेगा। तद्नुसार प्रश्नगत मामले में कार्यवाही की गयी थी। सम्प्रति प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ में मेसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स को शासन द्वारा स्वीकृत ऋण का मामला

47–श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में मेसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स को शासन द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या अनुबन्ध की शर्तें पूरा न करने की दशा में शासन द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऋण देने के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । मेसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स, लि०, को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है । शासन व मेसर्स सिपानी आटोमोबाइल्स, लि० के मध्य दिनांक 19 मार्च, 1991 को हुए अनुबन्ध में दिनांक 1 जून, 1992 को रु० 50 लाख तथा 31 मार्च, 1993 को रु० 37.50 लाख के ऋणों की स्वीकृति मेसर्स आटो ट्रैक्टर्स लि०, को की गयी है । ऋण की स्वीकृति अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत की गयी है ।

पशुपालन निदेशालय से उप निदेशालय गोरखपुर को 40 बार फोन छुट्टी के दिन करने की शिकायत

48–डा० सियाराम सागर–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि पशु निदेशालय से उप निदेशक कार्यालय, गोरखपुर को छुट्टी के दिन लगभग 40 बार दूरभाष का प्रयोग किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी उक्त कार्य की जांच करवाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

पशुपालन निदेशालय में कई अधिकारियों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है । जिस टेलीफोन से गोरखपुर को अवकाश के दिन 40 काल किये जाने का प्रश्न है, उसका नम्बर, टेलीफोन काल की तिथि की सूचना के अभाव में प्रकरण की जांच तत्काल सम्भव नहीं है ।

जनपद वाराणसी के औराई थानान्तर्गत माधोसिंह ग्राम में श्री रामधनी पाल नामक युवक की हत्या तथा अभियुक्तों के खिलाफ हुई कार्यवाही की जानकारी

49–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार को जानकारी है कि 5 अप्रैल, 1992 को औराई थानान्तर्गत माधोसिंह ग्राम में श्री राम धनी पाल नामक युवक की हत्या की गयी थी ? यदि हां, तो क्या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है ? यदि हां, तो कौन सी धारा के तहत तथा किस तारीख में ? क्या इस मामले की सी० आई० डी० से जांच की गयी थी ? यदि हां, तो सी० आई० डी० ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० आर० पी० अग्रवाल, उप निदेशक संतति परीक्षण योजना, चक गजरिया लखनऊ के सेवानिवृत्ति के बाद अवशेषों के भुगतान में विलम्ब के कारणों की जानकारी

50–श्री तेजभान सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-7-92 को सेवानिवृत्त, डा० आर० पी० अग्रवाल, उप निदेशक संतति परीक्षण योजना, चक गजरिया, लखनऊ को नियमानुसार देय पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,

तो नियमानुसार सेवानिवृत्त के तीन माह के अन्दर भुगतान किये जाने के नियम के बावजूद विलम्ब का कारण क्या है ? इसमें विलम्ब हेतु दोषी व्यक्ति कौन है ? क्या सरकार समस्त देयों का भुगतान यथाशीघ्र किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मनोहर लाल–

जी हां । डा० अग्रवाल के सेवा नैवृत्तिक देयों के भुगतान के आदेश निम्नलिखित तिथियों को जारी किये गये हैं :–

(1) पेंशन दिनांक 12-8-93

(2) पेंशन राशिकरण दिनांक 12-8-92

(3) पेंशन राशिकरण दिनांक 7-9-93 संशोधित आदेश ।

(4) उपादान मा० लोक सेवा अधिकरण (ग्रेच्युटी) एक वाद के विचाराधीन होने के कारण मा० अधिकरण के आदेशानुसार रु० 38 हजार रोक कर रु० 30,062 का भुगतान आदेश दिनांक 2-3-94 को जारी किया गया है ।

डा० अग्रवाल के वाह्य सेवा अवधि के पेंशन तथा अवकाश अंशदान वाह्य सेवायोजक द्वारा भुगतान पर पत्राचार के कारण इनकी अर्हकारी सेवा का निर्णय लेने का विलम्ब हुआ जिसके लिए कोई सरकारी सेवक उत्तरदायी नहीं है ।

श्री रक्षा राय यादव उतरौला गोण्डा के पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने उत्पीड़न किये जाने की शिकायत एवं कार्यवाही की जानकारी

51–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के प्रेषित पत्र के प्रति उत्तर के सन्दर्भ में अनुसचिव, गोपन अनुभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या–एम०एल०ए०–150/93, गो०–7, लखनऊ दिनांक 3-1-94 जो कि श्री रक्षाराय यादव, उतरौला गोण्डा को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें में फंसाने और उत्पीड़न किये जाने के संबंध में शिकायती-प्रार्थना-पत्र के संबंध में अब तक की जांच कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? उक्त जांच कार्यवाही के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं और जांच अधिकारी कौन-कौन हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

52-53–श्री विश्वनाथ–

।राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस आयुध अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को देने का प्राविधान

54–श्री योगेन्द्र कुमार सागर तथा दया सिन्धु शंखधर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये जा रहे हैं ? क्या शासन द्वारा उन लाइसेंसों को लेने के लिए अल्प बचत में पैसा जमा कराना एवं नसबन्दी कराना

आवश्यक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता के जनपद बदायूं में बिना अल्प बचत में पैसा जमा कराये या नसबन्दी के बिना लाइसेंस शासन द्वारा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के कतिपय ग्रामों में अत्याचारों से प्रभावित जाटवों को निःशुल्क आग्नेयास्त्र दिये जाने की सरकार की योजना की जानकारी

55–श्री यागेन्द्र कुमार सागर तथा श्री दया सिन्धु शंखधर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में गत दिवसों में गौरीपुरा, मुहम्मदपुर मई एवं पड़रिया आदि ग्रामों में अत्याचारों से प्रभावित जाटव वर्ग के लोगों को अपनी सुरक्षा हेतु निःशुल्क आग्नेयास्त्र शासन द्वारा दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निःशुल्क आग्नेयास्त्र दिये जाने का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है ।

प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत पिछड़ी जाति के लोगों को पदोन्नति दिये जाने की मांग

56–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डल आयोग के तहत पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है ? क्या आरक्षण नौकरियों में पदोन्नति के लिए भी लागू किया गया है ? यदि हां, तो क्या विभिन्न विभागों में पिछड़ी जाति से संबंधित व्यक्तियों की लिस्ट बनायी गयी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त लिस्ट बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधियिम, 1994" द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16 नवम्बर, 1992 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को उचित नहीं पाया है ।

जनपद मैनपुरी में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस कन्ट्रोल रूम स्थापित करने की मांग

57–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में अपराधों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए मैनपुरी में कोई पुलिस कन्ट्रोल रूम स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पुलिस कन्ट्रोल रूम की स्थापना सरकार बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1495/छः–पु०–10-90–2(9)89, दिनांक 31 मार्च, 1990 द्वारा जनपद मैनपुरी में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी बरेली में मृतक आश्रित एवं अन्य की नियुक्तियां

58–श्री हरीश कुमार गंगवार तथा डा० सियाराम सागर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में राज्याधीन बरेली की इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी सी०वी० गंज में अब तक कितने और कौन-कौन मृतक आश्रित हैं, जिन्हें अब तक नौकरी नहीं दी गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

कम्पनी द्वारा मानवीय आधार पर अनुकम्पा स्वरूप दिनांक 31-3-94 तक के सभी मृतकों के आश्रितों को नौकरी बदली कर्मचारी की हैसियत से दे दी गयी है ।

59–श्री हरीश कुमार गंगवार तथा डा० सियाराम सागर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सात वर्षों में उक्त आई० टी० आर० कम्पनी में कितने ऐसे लोग हैं जो मृतक आश्रित नहीं होते हुए भी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं, उनकी पद पर नियुक्ति की आवश्यक योग्यता क्या है तथा जब उन्हें नियुक्ति दी गयी तब मृतक आश्रितों की संख्या कितनी थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आई० टी० आर० कम्पनी में पिछले 7 वर्षों में 11-1-87 से विभिन्न वर्ष में 67 कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी जिसमें से विभिन्न श्रेणी के 44 कर्मचारी आरक्षित कोटे के विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत तथा 5 सफाईकार (स्वीपर) नियुक्त किये गये । नियुक्ति हेतु वर्गवार आवश्यक योग्यता निम्न प्रकार थी :–

वर्ग "क"–बी०एस०सी० व डायफाइट में डिप्लोमा

वर्ग "ख"–डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर

वर्ग "ग"–स्नातक

वर्ग "घ"–संबंधित ट्रेड में आई० टी० आई० ट्रेड शिक्षित कक्षा–8 तक

नियुक्ति के समय मृतक आश्रितों की संख्या शून्य थी क्योंकि ऐसे आश्रितों को बदली कर्मचारी की हैसियत से यथाशीघ्र नियुक्त कर लिया जाता है ।

60–63–श्री बंशीधर भगत–

[8वें बुध० में अता० प्र० सं०–193–196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

64–श्री सुन्दर लाल–

[6ठें शुक्र० में अता० प्र० सं०–170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

65–श्री सुन्दर लाल दीक्षित––

[दिनांक 19-4-94 को अता० प्र० सं०–50 द्वारा उत्तरित ।

पुलिस इन्सपेक्टरों को वाहन भत्ता दिये जाने के प्राविधान की विस्तृत जानकारी

66–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस इन्सपेक्टर को क्या वाहन भत्ता मिलता है ? उक्त वाहन भत्ता रुपया का दैनिक औसत क्या है और उस भत्ते से प्रतिदिन कितना पेट्रोल खरीदा जा सकता है ? कितनी कीमत के पेट्रोल से कितने कि०मी० गाड़ी चलायी जा सकती है ? क्या क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उक्त धन पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या इसे सरकार बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश में थानों पर नियुक्त पुलिस इन्सपेक्टरों को रु० 120 प्रतिमाह मोटर साइकिल भत्ता दिया जाता है ।

दैनिक औसत रु० 3.89 होता है ।

लगभग 200 कि०मी० ।

यदि गाड़ी की चाल का औसत 30 कि०मी० प्रति लीटर है तो पेट्रेल से 6 कि०मी० मोटर साइकिल चलायी जा सकती है ।

जी हां । इसके अलावा प्रत्येक थानों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एक-एक जीप भी उपलब्ध करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ग्राम बाबाखेड़ा मजरा भैसोरा में श्री मेड़ी लाल के यहां पड़ी डकैती में श्री पुत्तन लाल उर्फ पुत्ती लाल को अभियुक्त करार देना

67–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सोहरामऊ, जनपद उन्नाव में माह अक्टूबर, 93 में ग्राम बाबाखेड़ा, मजरा भैसोरा में श्री मेड़ी लाल के घर पर डकैती पड़ी थी, जिसका अपराध सं०–234/93 पी०एस० सोहरामऊ में दर्ज है ? क्या उपरोक्त वाद में किसी का नाम दर्ज नहीं था ? क्या पुलिस थाना सोहरामऊ के एस० आई० श्री हुकुम सिंह, विवेचन अधिकारी ने ग्राम के ही श्री पुत्तन लाल को अभियुक्त बनाया है ? क्या वादी मेड़ी लाल ने स्वयं पुलिस अधीक्षक उन्नाव के यहां जाकर शपथ पत्र दिया है कि श्री पुत्तन लाल निर्दोष है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा उक्त श्री पुत्तन लाल को दोषी बनाये जाने का कारण क्या है ? क्या दोषी पुलिस कर्मी के कार्यों की जांच मंत्री जी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, प्रकरण की विवेचना से अभियुक्त पुत्तन लाल उर्फ पुत्ती लाल का घटना में शरीक होना पाया गया था इसलिए उसे अभियुक्त बनाया गया है ।

जी हां ।

वादी श्री मेड़ी लाल द्वारा श्री पुत्तन लाल उर्फ पुत्ती लाल के निर्दोष होने संबंधी शपथ-पत्र दिया गया है किन्तु घटना के समय वह स्वयं अपने घर उपस्थित नहीं था । जांच से अभियुक्त पुत्तन लाल के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण उसे दोषी बनाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र के धौरा-टाण्डा कस्बे को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की मांग

68–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली के भोजीपुरा विधान सभा क्षेत्र के धौरा-टाण्डा कस्बे को, वहां के दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए उद्योगों को देखते हुए, औद्योगिक क्षेत्र घोषित करेंगे ? क्या औद्योगिक क्षेत्र की सुविधाएं वहां मिलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस कर्मियों की सामयिक पदोन्नति की व्यवस्था की जानकारी

69–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रेगुलेशन के पैरा–911 व पैरा 455 के तहत धारा–2, पु० अधि० के भर्ती पुलिस कर्मियों की पदोन्नति व्यवस्था सन् 1989 तक जारी थी, को पुलिस विभाग द्वारा बन्द कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या धारा–4 के तहत भर्ती पु० अधिकारी को सामयिक पदोन्नति व्यवस्था है ? यदि हां, तो धारा–2 के तहत भर्ती कर्मचारियों के साथ उक्त अन्याय पूर्ण कार्यवाही का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर में लघु उद्योग हेतु लम्बित आवेदन-पत्रों को निस्तारित करने की मांग

70–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के महोबा क्षेत्र के कबरई कस्बे में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अनुमोदित लघु उद्योग, पत्थर कटाई, पालिस उद्योग हेतु ऋण/आवेदन पत्र, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, हमीरपुर में करीब दो वर्षों से लम्बित हैं ? क्या इसको शीघ्र स्वीकृति शासन द्वारा मिलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ में महिला थाना की स्थापना के पश्चात् प्रभारी थानाध्यक्ष को प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विस्तृत विवरण

71–श्री बची सिंह रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–120 के उत्तर के संदर्भ में मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्व प्रभारी महिला थाना, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा लखनऊ क्षेत्र में अपने समय में महिला अपराधियों को पकड़ने या असामाजिक एवं अवांछनीय कार्यों के अड्डों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही उच्च अधिकारियों को इस कार्य हेतु कोई प्रस्ताव ही भेजा ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरवरी, 1994 को उक्त महिला थानाध्यक्ष, प्रभारी तथा उप-निरीक्षक (महिला) (श्रीमती शारदा सिंह शंखवार) के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र कतिपय मुस्लिम महिलाओं ने शासन को तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को डाक द्वारा भेजा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र का विवरण क्या है तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-8-1993 को लखनऊ जनपद में महिला थाना की स्थापना के पश्चात् प्रभारी थानाध्यक्ष प्रोन्नति पर जनपद मुरादाबाद प्रस्थान कर चुकी हैं ।

पूर्व थानाध्यक्ष के कार्यकाल में 33 महिला अपराधियों को पकड़ा गया था । उनके कार्यकाल में ही असामाजिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त 2 महिला अपराधियो को दिनांक 1-9-93 को गिरफ्तार किया गया । इसी प्रकार दिनांक 24-8-93 को हजरतगंज चौराहे के पास 1 पुरुष को अवांछनीय गतिविधियां करते पकड़ा गया । दिनांक 27-8-93 को भी नावेल्टी टाकीज के सामने 1 पुरुष को ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते पकड़ा गया था । पूर्व प्रभारी महिला पुलिस थाना द्वारा नियुक्ति काल में 2 लड़कियों को गोमती नदी में पुल से कूद जाने पर निकालकर जान बचायी गयी ।

प्रश्न में अंकित शिकायती-पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया गया अतएव किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में 53 वर्ष की आयु के बाद बनाये गये थानाध्यक्ष इंचार्जों की जानकारी

72–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष को इन्चार्ज बनाते समय 53 वर्ष की आयु होने का प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या 53 वर्ष की आयु से अधिक के भी थानाध्यक्ष प्रदेश में इन्चार्ज के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा में थाना एत्मादपुर के अन्तर्गत कुबेरपुर तथा थाना हरी पर्वत के अन्तर्गत नेहरू नगर में हुई लूट-पाट में पुलिस कर्मियों का शामिल होना तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

73–श्री बदन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में थाना एत्मादपुर के अन्तर्गत कुबेरपुर तथा हरी पर्वत के अन्तर्गत नेहरू नगर की (जनवरी, 1994 लूट में पुलिस कर्मियों का ही हाथ था ? यदि हां, तो क्या उन सभी पुलिस कर्मी अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है ? क्या उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही शासन द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि आगरा पुलिस के बहुत से पुलिस कर्मी अपराध में लिप्त पाए गये हैं ? यदि हां, तो उन सभी अपराधी स्वभाव के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की योजना शासन ने बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दोनों घटनाओं में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ कुछ पुलिस कर्मियों का भी हाथ होना प्रकाश में आया है।

जी हां।

उक्त सभी पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त दोनों अभियोगों में आगरा पुलिस के 8 पुलिस कर्मियों का लिप्त होना प्रकाश में आया है।

उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

74–श्री अमरजीत सिंह–

19वें बुधबार में अता० प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद बस्ती के ग्राम जिबधरपुर राय थाना हर्रेया में स्व० मैनपुरी पुत्र बरसाती लाल (चमार) ट्रक क्लीनर की साजिश के तहत की गई हत्या का मामला

75–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय मैनपुरी पुत्र बरसाती लाल अनुसूचित जाति (चमार) निवासी ग्राम जिवधरपुर राय, पत्रा०–हर्रेया, थाना–हर्रेया, जनपद बस्ती जो ट्रक नं०–यू० पी०–78 बी०-1462 पर क्लीनर पर, कार्यरत रहते हुए दिनांक 21-9-93 को ट्रक मालिक के साजिश के तहत हत्या हो गयी ? क्या शासन द्वारा इसकी छानबीन की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या छानबीन करके दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन सेवायोजन प्रखण्ड के कतिपय पद जीरो बेस बजटिंग के अन्तर्गत समाप्त किये जाने का प्रकरण एवं विवरण

76–श्री जगन्नाथ प्रसाद–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन सेवायोजन प्रखण्ड के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के 3 पद, जिला सेवायोजन अधिकारी के 2 पद तथा सहायक सेवायोजन अधिकारी के 6 पद एवं क्षेत्र के सेवायोजन कार्यालयों से सहायक सेवायोजन अधिकारी के 3 पद, ड्राइवर के 3 पद, अनुदेशक आशुलिपिक के 10 पद, अनुदेशक भाषा के 2 पद, अनुदेशक सेक्रैटेरियल प्रैक्टिस के 2 पद, अन्वेषक-कम-कम्प्यूटर के 11 पद, तकनीकी सहायक के 9 पद, आशुलिपिक के 3 पद, वरिष्ठ सहायक के 4 पद तथा कनिष्ठ लिपिक का एक पद जीरो बेस बजटिंग के नाम पर समाप्त कर दिए गए ? क्या प्रशिक्षण प्रखण्ड की कोई भी योजना समाप्त नहीं की गयी ? क्या जीरो बेस बजटिंग के सिद्धान्तों के विपरीत है ? क्या सेवायोजन कार्यालयों के 12 वाहन तथा 23 टेलीफोन भी समर्पित कर दिए गये हैं ? इस कार्यवाही के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या शासन इन्हें पुनर्जीवित करने हेतु विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन सेवायोजन प्रखण्ड के निम्न पद जीरो बेस बजटिंग के अन्तर्गत समाप्त किये गये थे :–

1–आगरा, रायबरेली, एवं प्रतापगढ़ में चल रही सचल योजना के अन्तर्गत सहायक सेवायोजन अधिकारी के 3 पद तथा ड्राइवर के 3 पद ।

2–निदेशालय में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के 3 पद तथा जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी के 8 पद ।

3–सेवायोजन प्रखण्ड में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 41 पदों को नहीं भरा जायेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

जीरो बेस बजटिंग के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्णय वित्त विभाग की सहमति से लिया गया था ।

अतिआवश्यकता के आधार पर पुनर्जीवित किये जाने हेतु विचार किया जायेगा ।

जनपद फर्रुखाबाद के थाना इन्दरगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अं० सं० 102-92 धारा 364 आई० पी० सी० के अन्तर्गत अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार न किया जाना

77–श्रीमती उर्मिला राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के थाना इन्दरगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अं० सं०–102-92 धारा 364 आई० पी० सी० वादी श्री पुत्तू लाल के मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मु० अ० सं० 102/92 धारा 364 भा० दं० वि० का अभियोग दिनांक 14-6-1992 को वादी श्री पुत्तू लाल द्वारा थाना–इन्दरगढ़ पर नामित अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न हो सकने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

जनपद हरदोई में थाना अरबल के निर्माणाधीन भवन को पूर्ण किये जाने की मांग

78–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में थाना अरबल का भवन निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रम विभाग की सेवा नियमावली के अनुकूल प्रशिक्षित आयुर्वेद कम्पाउण्डर (फार्मेसिस्ट) पद हेतु योग्यता/डिप्लोमा आदि की विस्तृत जानकारी

79–श्री तेजभान सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग की सेवा नियमावली के अनुकूल प्रशिक्षित आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर (फार्मेसिस्ट) के पद पर पूर्व में भर्ती किए गए प्रशिक्षित कम्पाउण्डरों को वर्ष 1993 में अप्रशिक्षित घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। परन्तु समता समिति ने केवल उन फार्मेसिस्टों को रु० 1350–2200 का वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की है जिनके पास हाईस्कूल अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता के साथ फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा हो।

प्रश्न नहीं उठता।

80-82–श्री बंशीधर–

18वें बुधवार में अता० प्र० सं०–197-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद टिहरी गढ़वाल में सृजित मत्स्य पालन निरीक्षक के पद का कार्य शून्य के बराबर होने की शिकायत

83–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में मत्स्य पालन निरीक्षक का पद कब से सृजित चला आ रहा है ? क्या मत्स्य पालन निरीक्षक ने कोई कार्यवाही जनपद टिहरी गढ़वाल में की है ? यदि कोई उपलिब्ध वहां पर नहीं है, तो इस पद को सृजित करने का औचित्य क्या है ?

श्री मनोहर लाल–

जनपद टिहरी विशेष के लिये मत्स्य निरीक्षक का कोई पद सृजित नहीं है। निदेशक मत्स्य के आदेश दिनांक 22 अप्रैल, 1983 द्वारा जनपद टिहरी के लिये अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत मत्स्य विकास के लिये एक मत्स्य निरीक्षक को तैनात किया गया तथा संबंधित मत्स्य निरीक्षक द्वारा जनपद में मत्स्य विकास के लिये पर्याप्त प्रयास किये जा रहे हैं।

मत्स्य निरीक्षक द्वारा जनपद में मत्स्य बीज वितरण तथा पर्वतीय मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु हौजों के सुधार एवं पर्वतीय तालाबों के सुधार संबंधी कार्यवाही की जा रही है तथा मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में स्थित बन्द जिला सेवायोजन कार्यालय को खोलने की मांग

84–श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय पिछले कई दिनों से बन्द पड़ा है तथा कार्य भी नहीं हो रहा है इससे शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं ? क्या सरकार सेवायोजन कार्यालय लोक महत्व के तहत पुनः खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? कार्यालय बन्द होने की स्थिति मे क्या जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में मंडलायुक्त, फैजाबाद से जांच आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मंडलायुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरिद्वार पुत्र राम सुमेर जायसवाण, थाना फीलखाना कानपुर पर श्री शरद ओझा उर्फ गट्टू द्वारा हुए कातिलाना हमले की रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

85–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिद्वार पुत्र राम सुमेर जायसवाण, थाना फीलखाना, कानपुर पर श्री शरद ओझा उर्फ गट्टू गैंग द्वारा हुए कातिलाना हमले की रिपोर्ट थाना फीलखाना, कानपुर में मुकदमा अपराध सं०–393/93 धारा–307 आई० पी० सी० कायम है ? क्या इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने इस दुर्दान्त गैंग से बचाव हेतु उक्त व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अपराध संख्या–393/93 धारा–307 भा० द० वि० थाना फीलखाना में न्यायालय से वारन्ट बनवाकर जिला कारागार कानपुर में निरुद्ध कराया गया । विवेचना पूर्ण करके इस अभियोग में आरोप पत्र संख्या–75 दिनांक 20-4-94 को प्रेषित किया गया । अभियुक्त शरद ओझा अभी जिला कारागार कानपुर में है ।

घायल हरिद्वार की सुरक्षा में दिनांक 6-3-94 से 26-3-94 तक अस्पताल में सुरक्षा उपलब्ध करायी गई थी । अस्पताल से मुक्त होने के बाद उसकी सुरक्षा की तरफ सतर्क दृष्टि स्थानीय पुलिस द्वारा रखी जा रही है ।

श्री प्रहलाद यादव एडवोकेट पुत्र श्री दलसिंगार यादव ग्राम भरथरी थाना उरुवा बाजार जिला गोरखपुर द्वारा की गई हत्या के आरोप में की गई गिरफ्तारी

86–श्री मोलई–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 11-12-1991 की रात्रि लगभग 1 बजे श्री प्रहलाद यादव, एडवोकेट निवासी ग्राम भरथरी, थाना उरुवा बाजार, जिला गोरखपुर को बहुजन समाज पार्टी मण्डल कार्यालय बी–104, आवास विकास कालोनी, शाहपुर, गोरखपुर से क्यों गिरफ्तार किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उन्हें गिरफ्तार करके साजिश के तहत धारा–302 आई० पी० सी० में जेल भेज दिया गया है ? क्या उक्त साजिश की जांच करके शासन उक्त श्री प्रहलाद यादव, एडवोकेट को न्याय प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री प्रहलाद यादव एडवोकेट पुत्र श्री दलसिंगार यादव ग्राम भरथरी थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर, श्री सुरेश चन्द्र ग्राम मल्हनपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर की दिनांक 11-10-91 को की गयी हत्या का वांछित अभियुक्त था, इस लिये उसे बांसगांव–खजनी मार्ग से गिरफ्तार किया गया न कि बहुजन समाज पार्टी मण्डल कार्यालय आवास विकास कालोनी शाहपुर से गिरफ्तार किया गया । मृतक सुरेश चन्द्र के भाई राजेन्द्र चन्द्र की दिनांक 11-10-91 की सूचना पर थाना बांसगांव में मु० अ० सं० 182/91 धारा 147/148/149/302 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ । दिनांक 12-10-91 को 17.50 बजे बांस गांव खजनी मार्ग पर अभियुक्त प्रहलाद यादव को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या में प्रयुक्त चाकू को गन्ने के खेत से स्वयं बरामद कराया । इस संबंध में थाना बांस गांव में मु० अ० सं० 187/91 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त प्रहलाद यादव को जेल भेज दिया गया ।

चूंकि गिरफ्तारी किसी साजिश के तहत नही थी इसलिए शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के फरेन्दा में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य चालू किये जाने की मांग

87–श्री शिवेन्द्र–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद महराजगंज के फरेन्दा में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य सरकार प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा जनपद महराजगंज के फरेन्दा में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु कोई भूमि न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही विचाराधीन है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय में कार्यरत अनुमोदित तथा विनियमित प्रवर वर्ग सहायकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची के कतिपय जूनियर कर्मचारियों की प्रोन्नति हेतु जारी विज्ञप्ति का विवरण

88–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कार्यरत अनुमोदित तथा विनियमित प्रवर वर्ग सहायकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची, जो मंत्रि-परिषद् द्वारा दि० 22-6-92 को अनुमोदित सिद्धान्त के आधार पर तैयार की गयी है, में उल्लिखित उन सभी कर्मचारियों जो अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, की प्रोन्नति विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ज्येष्ठता सूची में कतिपय जूनियर कर्मचारियों की विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है ? जबकि सरकार सीनियर कर्मचारियों की विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां । ऐसे प्रवर वर्ग सहायक जो अनुभाग अधिकारी की रिक्ति के विरुद्ध कार्यरत हैं उनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विज्ञप्ति जारी किया जाना संभव नहीं हो सका है ।

जनपद फैजाबाद की नगर कोतवाली में श्री विजय नरायन तिवारी नामक व्यक्ति व अन्य के विरुद्ध दर्ज एफ० आई० आर० के बाद की गयी कार्यवाही की जानकारी

89–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की नगर कोतवाली, फैजाबाद में श्री विजय नरायन तिवारी नामक व्यक्ति व अन्य के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करने हेतु दिनांक 28-6-91 को सी० डी० कार्यालय (पी० आर० डी० विभाग) के किसी लिपिक का पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो किसका ? क्या इसी के नियमित डाक से पुनः अनुस्मारक पत्र से अनुरोध भी किया जाता रहा क्या उक्त लिपिक का एफ० आई० आर० दर्ज कराने के लिए कृते जिलाधिकारी (श्री उमेश चन्द्र तिवारी) द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को पत्र भी भेजा गया ? यदि हां, तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया ? मुकदमा दर्ज किए जाने की दशा में क्या नकल दी जायेगी ? इसकी अद्यावधिक स्थिति क्या है ? क्या मुकदमा दर्ज न करके संवैधानिक व्यवस्था का हनन किया गया है ? यदि हां, तो

संबंधित पुलिस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब लिपिक का मुकदमा दर्ज किया जायेगा तथा नकल दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त लिपिक का प्रार्थना-पत्र श्री उमेश चन्द्र तिवारी, ए० डी० एम० प्रशासन द्वारा हस्तगत कराया गया था जिसकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

90–श्री मित्रसेन यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

जनपद बिजनौर में विगत दो वर्षों से हो रही हत्या, डकैती एवं अनुसूचित जाति के उत्पीड़न को देखते हुए कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की मांग

91–श्री महाबीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में विगत दो वर्षों में हत्या, डकैती एवं अनुसूचित जाति उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज हुए ? उनमें कितने मामलों के अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जनपद की कानून व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए शासन ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

92–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

थाना अलीगंज लखनऊ में अनैतिक देह व्यापार के अड्डे की शिकायत के बाद भी किसी कार्यवाही का न होना

93–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस कन्ट्रोल रूम लखनऊ द्वारा दिनांक 3-2-94 को रात्रि 10 बजे सेक्टर एन-2 मकान नं०–173 में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के अड्डे की सूचना थाना

अलीगंज लखनऊ को मिली थी ? यदि हां, तो उक्त अड्डे पर पकड़ी गयी महिला एवं अभियुक्त आरक्षी सी० आई० डी० (मुख्यालय, लखनऊ) के विरुद्ध जांच कराकर मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

94–श्री अजय कुमार पोइय–

[9वें बुधवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान लखनऊ के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाओं को दिये जाने की मांग

95–श्री हरक सिंह रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1990 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–145 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कर्मचारियों को वेतन के साथ महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं जैसे नकदीकरण, स्थाईकरण, बोनस, भवन/वाहन अग्रिम, चिकित्सा भत्ता, गेच्युटी, जी० पी० एफ० एवं संयुक्त बीमा योजना आदि अनुमन्य कर कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वांछित सुविधायें कब तक अनुमन्य कर दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं ।

विचारोपरान्त उचित निर्णय लिया जायेगा ।

96–श्री राज कुमार शिवहरे–

[6ठें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद बांदा के मोहल्ला मर्दननाका निवासी मुहम्मद अकबर उर्फ मुन्ना पुत्र इम्मी द्वारा राष्ट्रीय पशु पक्षियों की हत्या के संबंध में प्रेषित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

97–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि मोहल्ला मर्दननाका, बांदा निवासी मुहम्मद अकबर उर्फ मुन्ना पुत्र इम्मी द्वारा गत दिनांक 27-9-93 को राष्ट्रीय पशु पक्षियों की हत्या के संबंध में भेजा गया शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त हुआ है ? तद्विषयक शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक, बांदा के आदेश सं०–2418 (डी) दिनांकित 28-10-93 के अनुपालन में संबंधित जांच कब पूरी हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संदर्भित जन्तु भक्षियों के विरुद्ध भा० द० वि० एवं वन जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रकरण के संबंध में शिकायती-पत्र दिनांक 8-10-93 को पुलिस अधीक्षक बांदा को प्राप्त हुआ ।

संबंधित जांच दिनांक 20-3-94 को पूर्ण की गई ।

जी नही, क्योंकि जांच से शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप असत्य पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा नगर के मोहल्ला मर्दननाका निवासी अकबर उर्फ मुन्ना पुत्र इम्मी को जान से मारने, मारपीट करने, छेड़खानी किये जाने की शिकायत पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

98–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगर के मुहल्ला मर्दननाका निवासी मोहम्मद अकबर उर्फ मुन्ना पुत्र इम्मी द्वारा दिनांक 9-10-93 को अपने पड़ोसियों अतीकुद्दीन खां, लईकुद्दीन खां एवं मतीनुद्दीन खां पुत्रगण हिसामुद्दीन खां के विरुद्ध गुण्डई के बलबूते लोगों को आतंकित कर जान व माल की धमकी देने व मारपीट करने व छेड़खानी आदि करने तथा उनके विरुद्ध 10 आपराधिक मुकदमें पंजीकृत होने से संबंधित शिकायती-पत्र दिया है ? क्या उस पर जिलाधिकारी, बांदा के आदेश सं०–एस०टी/2390(डी)/नगर/93, दिनांकित 26-10-93 एवं पुलिस अधीक्षक, बांदा के आदेश सं०–दिनांक 27-10-93 के अनुपालन में सी० ओ० सिटी बांदा द्वारा जांच पत्रावली संख्या–208एल/93 सील कर जांच की जा रही है ? क्या संदर्भित जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 16-11-93 को जांच अधिकारी के समक्ष बयान दिया गया था ? क्या दिनांक 5-11-93 को संदर्भित व्यक्तियों द्वारा धमकी तथा प्रताड़ना देकर बयान बदलवाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

99–श्री राजकुमार शिवहरे–

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला फतेहपुर ग्राम चिन्वापुर थाना कल्यानपुर में बिंदकी महरहा मुख्य मार्ग पर दिन में श्री शिव किशोर सैनी सहायक अध्यापक की हत्या की शिकायत उनकी पत्नी द्वारा करने पर भी अभियुक्तों को न पकड़े जाने का मामला

100–श्री महेन्द्र प्रताप नारायन सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना कल्यानपुर के अन्तर्गत फतेहपुर जिले में ग्राम चिन्वापुर में बिंदकी महरहा मुख्य मार्ग पर दिनदहाड़े 9.30 बजे विद्यालय जाते समय श्री शिव किशोर सैनी सहायक

अध्यापक जू० हा० स्कूल महरहा की हत्या कर दी गई है ? घटना की नामजद सूचना मृतक की पत्नी द्वारा उसी दिन थाने में दर्ज कराई गई पर अभी तक नामजद अभियुक्तों को न गिरफ्तार किया गया न उनकी कुर्की आदि की कार्यवाही की गई ? अभियुक्तगण स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं तथा मृतक की पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं ? क्या सरकार उक्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 1-3-94 को वादिनी श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी शिव किशोर नि० मो० जहानपुर कस्बा व थाना बिन्दकी, फतेहपुर में लिखित सूचना दी । इस सूचना पर मु०अ०सं० 45/94 धारा 302 भा०द०वि० अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया किन्तु फरार होने के कारण गिरफ्तारी सम्भव न होने पर दिनांक 11-3-94 को अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 जा० फौ० की कार्यवाही की गयी । नामित तीनों अभियुक्त दिनांक 21-3-94 को न्यायालय में आत्म समर्पण किये हैं । विवेचना के उपरान्त आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र संख्या–47 दिनांक 1-4-94 को नामित उक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जनपद लखनऊ के दौलत गंज के वार्ड अहमद नगर मोहल्ले में तीन हरिजनों की चाकुओं से गोदने की घटना

101–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के दौलतगंज के वार्ड अहमद नगर मोहल्ले में तीन हरिजनों ओमकार, किशन और ओमकार की मां के घर पर कुछ लोगों में आक्रमण कर चाकुओं से गोद दिया था ? इस आशय की एफ० आई० आर० उसी दिन 25-2-93 को करा दी गई जिसके कारण क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया ? परन्तु कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अभी तक मेडिकल कालेज में नहीं गये और वह तीनों मौत से जूझ रहे हैं ? क्या उन्हें अभी तक कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार मुन्ना पुत्र केवल निवासी अहमदगंज पजावा थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा दिनांक 25-2-94 को रात्रि 22-50 बजे नदीम तथा 8 अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें उसके दो भाइयों ओमकार व किशन के बीच बचाव करने आई उसकी मां श्रीमती फुलवाला को चाकू से मारने की सूचना दी गयी ।

अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 46/94 धारा 147/148/149/452/504/307 भा०द० वि० पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरान्त उक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 3(1)/10एस० सी०/एस० टी० ऐक्ट में उक्त अभियुक्तों का चालान करके आरोप पत्र प्रेषित किया गया । घटना के सम्बन्ध में कोई तनाव व्याप्त होना नहीं पाया गया । घटना की सूचना पर तत्काल कार्यवाही की गयी थी और घायलों के चिकित्सा प्रबन्ध सुव्यवस्थित कराने के लिये पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी चिकित्सा अधिकारियों के सम्पर्क में रहे थे ।

ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मा० मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र नगर पूरब विधान सभा क्षेत्र पिपरा गौतम व कुदरहा में थाना बनाये जाने की मांग

102–श्री राम करन आर्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में आबादी व क्राइम एरिया के आधार पर नये थाने सृजित करने के लिए शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ये थाने सृजित किये जायेंगे ? क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जैसे बड़े जनपद में पुलिस थानों की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्या नगर पूरब विधान सभा क्षेत्र पिपरा गौतम व कुदरहा में थाना बनाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यथा आवश्यकता आबादी व अपराध आंकड़ों के आधार पर थाना-सृजन के प्रस्ताव शासन में समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं।

प्राप्त प्रस्ताव का यथा समय परीक्षण करके निर्णय लिया जाता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

बस्ती जनपद में पर्याप्त संख्या में थाने कार्यरत हैं और अधिक थानों की आवश्यकता नहीं बताई गयी है।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महानगर में होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की इमारत ढहने से मृतक जवानों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग

103–डा० राम बाबू हरित–

क्या कारागार एवं होमगार्ड मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1993 में आगरा महानगर में होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर की इमारत ढहने से कितने जवान मरे ? क्या सरकार द्वारा उनके आश्रितों को नौकरी पर रखा गया है ? क्या सरकार द्वारा उस इमारत की मरम्मत करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

वर्ष 1993 में होमगार्ड ट्रेनिंग सेन्टर, महानगर,आगरा की इमारत ढहने से 3 जवान मरे थे। मृतक होमगार्ड के किसी आश्रित को नौकरी में नहीं रखा गया है।

इमारत किराए की होने के कारण उसकी मरम्मत नहीं कराई जा सकी है।

पुलिस सब इन्स्पेक्टर के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों का साक्षात्कार लिये जाने की मांग

104–श्री रवीन्द्र शुक्ला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक (पुलिस) उत्तर प्रदेश द्वारा अक्टूबर,/नवम्बर, 1991 में पुलिस सब इन्स्पेक्टर पदों की भर्ती हेतु निकाली गयी विज्ञप्ति के अनुसार लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापदण्ड परीक्षा में उत्तीर्ण 1739 अभ्यर्थियों के अभी तक साक्षात्कार नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 26-9-93, 7-12-93 तथा 28-12-93 तारीख साक्षात्कार हेतु निश्चित की गयी थी ? किन परिस्थितियों वश साक्षात्कार स्थगित कर दी गयी ? क्या अब कोई साक्षात्कार की तिथि निश्चित की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

चुनाव आयोग द्वारा माह नवम्बर, 1993 में विधान सभा के चुनाव घोषित कर दिये जाने एवं दिनांक 4-12-93 को नई लोक प्रिय सरकार के गठित हो जाने के उपरान्त नई आरक्षण नीति आ जाने तथा उसे लागू करने में उत्पन्न कतिपय समस्याओं के कारणवश फिलहाल साक्षात्कार स्थगित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोकप्रिय सरकार की नई आरक्षण नीति के लागू करने में उत्पन्न समस्या के निराकरण होते ही साक्षात्कार प्रारम्भ कराया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, रामकोला (देवरिया) में वर्ष 1992 से 94 तक ठेकेदारों व प्रबन्धक द्वारा नियमों के विपरीत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों में की गयी अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की मांग

105–श्री चन्द्र किशोर–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, रामकोला (देवरिया) में वर्ष 1992-93 से 93-94 की अवधि में श्री गुलजार हुसैन, श्री करीमउद्दीन एवं अन्य ठेकेदारों के माध्यम से एक हजार मैनडेज से लेकर चार हजार पांच सौ मैनडेज तक प्रतिमाह दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की आपूर्ति मिल में की गयी है ? यदि हां, तो क्या संबंधित ठेकेदार मजदूरों की आपूर्ति हेतु श्रम विभाग द्वारा रजिस्टर्ड है? क्या कारखाने को इतनी संख्या में दैनिक मजदूर लगाने के लिये लाईसेन्स प्राप्त हैं ? क्या ऐसे मजदूरों को कारखाने में लागू न्यूनतम मजदूरी दी गयी है ? क्या मिल प्रबन्धक एवं ठेकेदार के पास नियमानुसार मजदूरों की हाजिरी रजिस्टर, वेतन रजिस्टर आदि का रख-रखाव किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी, हां ।

जी, नहीं ।

जी, नहीं ।

ऐसा न करके नियमों का उल्लंघन किया गया है ।

रजिस्टरों के रख-रखाव के लिए 28-12-93 को निरीक्षण टिप्पणी जारी की गई तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी देवरिया के न्यायालय में दिनांक 28-2-94 को प्राभियोजन दायर किया गया ।

106-107–श्री चन्द्र किशोर–

[दि० 19-4-94 को अता० प्र० सं० 24 द्वारा उत्तरित]

जनपद देहरादून में पी० पी० सी० एल० उपक्रम के पट्टे की अवधि बढ़ाये जाने की मांग

108–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जनपद में पी० पी० सी० एल० जो कि उत्तर प्रदेश का उद्यम है को खनन का पट्टा कब दिया गया था तथा खनन पट्टे की अवधि कब समाप्त हो जायेगी ? क्या सरकार पी० पी० सी० एल० के खनन पट्टे की अवधि बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कितने वर्ष के लिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पी० पी० सी० एल० भारत सरकार का उपक्रम है । जनपद देहरादून के ग्राम बौढ़ा सुरखेत में 84.579 हेक्टेअर तथा ग्राम टुरमाला के 340.30 एकड़ क्षेत्र में राक फास्फेट के खनन हेतु दो खनन पट्टा क्रमशः दिनांक 12 फरवरी, 1969 तथा 6 फरवरी, 1976 को 20 एवं 10 वर्ष की अवधि के लिये दिये गये हैं । दोनों खनन पट्टों का नवीनीकरण करते हुए 10-10 वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ा दिया गया है जो दिनांक 11 फरवरी, 1999 तक तथा दूसरा ग्राम टुरमाला का पट्टा दिनांक 5 फरवरी, 1996 तक चलेगा ।

खनन पट्टे को नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में श्री लक्ष्मन प्रसाद पुत्र रोशनलाल नि० ग्राम दतिया थाना नरहोली पर संज्ञेय अपराधों की शिकायत होने की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराने की मांग

109–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मन प्रसाद पुत्र रोशन लाल नि० ग्राम दतिया थाना नरहोली जनपद मथुरा ने 12 मार्च, 1994 को 21 आरोपों का प्रार्थना-पत्र उन्हें दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या थाना नरहोली मथुरा के अपराध संख्या-42/94 व 43/94 पुलिस

मुठभेड़ की अपराध अनुसंधान शाखा से जांच करायेंगे जिससे नागरिक पुलिस का उत्पीड़न से न्याय उक्त लक्ष्मन प्रसाद को मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधायक निवासों में विधायकों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे फर्नीचर आदि के संदर्भ में परिवर्तन किये जाने की जानकारी

110–श्री प्रेम प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० विधायकों के आवासों में दिये जाने वाले सामानों जैसे फर्नीचर आदि पुरानी सुविधाओं के अनुसार अनुमन्य रहेगी या कोई परिवर्तन उन सुविधाओं में किया जायेगा ? क्या ऐसा कोई मामला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत सुविधा में परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

111-112–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[8वें बुधवार में अता० प्र० सं० 191-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

112–श्री यशपाल–

[8वें बुधवार में अता० प्र० सं० 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद फतेहपुर में होमगार्ड में कार्यरत पूर्णकालिक स्थाई होमगार्डों की संख्या एवं उन्हें देय भत्ते के भुगतान का मामला

114–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या कारागार एवं होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में विभाग के कितने पूर्ण कालिक स्थाई कर्मचारी हैं ? कुल कितने होमगार्ड वहां तैनात हैं ? इन होमगार्ड का 28 फरवरी, 94 तक कितना भत्ता देय था ? उसे कब तक पूर्ण रूप से अदा कर देने की सरकार की योजना है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जनपद फतेहपुर में 32 पूर्ण कालिक स्थाई कर्मचारी तैनात हैं । वर्तमान समय में 700 होमगार्ड विभिन्न ड्यूटियों पर तैनात हैं । वर्ष 1993-94 में होमगार्डों को रु० 41,63,576/- का भत्ता देय था । जिसमें से रु० 41,34,526/- का भुगतान किया जा चुका है । रु० 29,050/- का भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जायेगा ।

श्री विजय शंकर गुप्ता, वरिष्ठ सहायक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड के लिपिकीय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्रत्यावेदन का मामला

115–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गृह (नागरिक सुरक्षा) अनुभाग में शासनादेश संख्या-1445/छः ना० सु०–92-15 होगा/91, दिनांक 10-6-92 में श्री विजय शंकर गुप्ता, वरिष्ठ सहायक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स के लिपिकीय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्रत्यावेदन के मामले में कमाण्डेन्ट जनरल को क्या यह आदेश दिये गये थे कि पदोन्नति से संबंधित चयन (वर्ष1973) को गलत समझते हैं तो निरस्त करके ठीक करें या नियुक्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 41/चार/69 नियुक्ति-ख, दिनांक 15-5-70 के प्रस्तर 11 में उल्लिखित प्राविधानानुसार ज्येष्ठता निर्धारित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण करके प्रत्यावेदी को भी सूचित करें ? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां । शासनादेश में उल्लिखित निर्देशानुसार कमाण्डेण्ट जनरल द्वारा श्री विजय शंकर गुप्ता का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जा चुका है तथा कमाण्डेण्ट जनरल न अपने पत्रांक–स्था०/एक–117/1987 दिनांक 31 अगस्त, 1993 के द्वारा प्रत्यावेदी श्री गुप्ता को सूचित भी किया जा चुका है ।

श्री विजय शंकर गुप्त को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स मुख्यालय लेखानुभाग में स्थानान्तरित किये जाने में हुई कार्यवाही की जानकारी

116–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमाण्डेण्ट जनरल के आदेश संख्या 2709/स्था/एक-761/1991, दिनांक 21-5-93 द्वारा श्री विजय शंकर गुप्त को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स मुख्यालय लेखानुदान में स्थानान्तरित किया गया था परन्तु श्री पी० एन० चोपड़ा वरिष्ठ सहायक की रिट मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4-6-93 में पारित आदेशानुसार कमाण्डेण्ट जनरल के आदेश संख्या–2944/स्था/एक–342/1993 दिनांक 8-6-93 द्वारा श्री गुप्ता को मुख्यालय से केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान को वापस कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7-10-93 के अनुपालन में श्री वी० एस० गुप्ता वरिष्ठ सहायक को पुनः मुख्यालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया ? उन्हें कब तक मुख्यालय में तैनात कर दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7-10-93 में श्री पी० एन० चोपड़ा द्वारा मा० उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगनादेश को ही निरस्त किया था एवं अन्य कोई आदेश न्यायालय ने पारित नहीं किए थे । अतः श्री विजय शंकर गुप्ता को पुनः होमगार्ड मुख्यालय में तैनात किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री ए० के० सिंह से किये गये अभद्र व्यवहार की जांच की मांग

117–श्री अक्षयवर भारती, डा० सियाराम सागर तथा श्री जी० सी० दिनकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद्, लखनऊ में कार्यरत अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ता श्री ए० के० सिंह द्वारा कार्यालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा किये अभद्र व्यवहार के संबंध में विशेष जांच (पुलिस) के कार्यालय में जुलाई, 93 में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस मामले में विशेष पुलिस जांच कार्यालय में कोई कार्यवाही प्रारम्भ होकर लम्बित है? यदि हां, तो इस पर अभी तक कानूनी कार्यवाही न करने का कारण क्या है ? क्या इस मामले की किसी पुलिस अधीक्षक (विशेष जांच) द्वारा जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री ए० के० सिंह अवर अभियन्ता, ग्रामीण आवास परिषद्, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र दिनांक 16-7-93 व 21-7-93 पुलिस अधीक्षक, विशेष जांच को प्राप्त हुये । प्रकरण की जांच हेतु तत्कलीन क्षेत्राधिकारी अलीगंज लखनऊ को दिनांक 6-8-93 को भेजा गया । जांच के मध्य आवेदक श्री ए० के० सिंह ने आवेदन पत्र देकर अनुरोध किया कि वह क्षेत्राधिकारी अलीगंज की जांच से संतुष्ट नहीं हैं अतएव जांच क्षेत्राधिकारी महानगर को सुपुर्द कर दी गयी । क्षेत्राधिकारी महानगर के स्थानान्तरण हो जाने पर प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी गोमती नगर को सुपुर्द की गयी जांच प्रचलित है ।

जनपद सीतापुर में विवेक गन्ना लि० रामगढ़ में कार्यरत स्थानीय व बाहरी कर्मचारियों की संख्या एवं श्रमिकों को समय से वेतन न दिये जाने के कारणों की जानकारी

118–श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र–मछरेहटा में पड़ने वाले विवेक गन्ना लि० रामगढ़ में कितने स्थानीय कर्मचारी एवं बाहर के कर्मचारी कार्य हेतु रखे गये हैं ? दोनों की संख्या कितनी-कितनी है ? स्थानीय नागरिकों को मिल में कार्य करने हेतु न रखने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि मिल में कार्यरत श्रमिकों को समय से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इटावा में परगना औरैया में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहीत की गयी भूमि के प्रतिकर के संबंध में हुई शिकायत एवं पत्राचार आदि कार्यवाही की जानकारी

119–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना औरैया, जनपद इटावा में लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर संबंधी अभिनिर्णय के पूर्व जिलाधिकारी, इटावा द्वारा जन प्रतिनिधियों के पत्रों पर विचार न किये जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, सदस्य,

विधान परिषद् द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गये पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1992 पर नियुक्ति विभाग के माध्यम से कोई जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उक्त जांच किसी अधिकारी द्वारा की गयी ? जांच अधिकारी के समक्ष जांच के लिए किन-किन जन प्रतिनिधियों के पत्र प्रस्तुत किये गये ? अभिनिर्णय में क्या इन पत्रों का संदर्भ दिया गया है ? यदि नहीं, तो जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पूर्व उल्लिखित समस्त पत्रों का संज्ञान लिया गया है अथवा संबंधित प्रतिनिधियों को भी साक्ष्य हेतु आमंत्रित किया गया है ? क्या जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं उस पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री मुलायम सिह यादव–

जी हां ।

प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त, कानपुर द्वारा की गयी थी ।

जांच के समय श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के शिकायती-पत्र दिनांक 25-8-92 के संदर्भ में श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा का मा० राजस्व मंत्री को संबोधित पत्र दिनांक 28-4-92, श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 28-4-92, श्री बंशीधर भगत, सदस्य, विधान सभा का मा० राजस्व मंत्री को संबोधित पत्र दिनांक 25-5-92, श्री टी० पी० शुक्ला, सदस्य, विधान सभा का मा० राजस्व मंत्री को संबोधित पत्र दिनांक 5-5-92, व श्री राम कुमार शुक्ला, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 30-3-92 संबंधित पत्रावली में मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे ।

जी नहीं ।

मण्डलायुक्त द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत पत्रों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया था तथा संबंधित प्रतिनिधियों को साक्ष्य हेतु आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी थी जिसके फलस्वरूप प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था ।

बी० एन० के० बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही

120–श्री बच्चा पाठक–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–151 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फरहत अब्बास रिजवी, निवासी अकबरपुर, जिला–फैजाबाद का नाम वर्ष 86-87 में बी० एन० के० बी० डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा किन-किन आधारों पर काटा गया है ? क्या संबंधित छात्र का प्रवेश फार्म तथा बयानहलफी को मूल रूप से सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसके संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा कोई रिपोर्ट कोतवाली अकबरपुर में लिखायी गयी थी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारतीय जनता पार्टी के सदन से बहिष्कार के निर्णय के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कहिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सम्मान्नित सदन उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सदन है जो प्रदेश की जनभावना को प्रतिबिंबित करने वाला है । उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी समस्यायें हैं जनता से जुड़े जनहित के प्रश्न हैं वह हम प्रश्न प्रहर के माध्यम से उठाते हैं विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से उठाते हैं । इस सम्मानित सदन के सदस्य सदन में उपस्थित होकर जनता की जबावदेही करते हैं । कल जब भाजपा के लोगों ने बहिष्कार किया तो मैंने समझा कि उन्होंने कल के लिए ही बहिष्कार किया है लेकिन उन्होंने शेष सत्र के लिए बहिष्कार किया है । यह दुख का विषय है इससे यह साबित होता है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रदेश की जनता ने उन्हें निर्वाचित करके भेजा है तो वह जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए जबाव देह हैं। किसी जीच का एक नियम होता है । उन्होंने पीठ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है । 14 दिन पूर्व इसकी ग्राह्यता पर विचार नहीं हो सकता है तो नियमों के विपरीत बात नहीं हुई है और इसके विरोध में उन्होंने बहिष्कार किया है । सदन नियमों से चलते हैं, पीठ फैसले से चलते हैं । इसमें 14 दिन के उपरान्त विचार हो सकता था । उस नियमों को तोड़कर, नियमों के विपरीत फोर्स उनको नहीं करना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष–

जबर्दस्ती कैसे बुला सकते हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रदेश के प्रति जो चिन्ता है उसको व्यक्त कर सकते हैं जो जनप्रतिनिधि का दायित्व है उससे वह वंचित हो रहे हैं प्रदेश का जनमानस समझेगा कि नियमों परम्पराओं में काम करके बहिष्कार किए हैं । उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां के सदस्य नहीं हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । उन्होंने वक्तव्य दिए हैं वह सीधे-सीधे संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर, इस पीठ के ऊपर सीधे-सीधे आक्षेप किया है । पीठ पर आक्षेप करना सम्पूर्ण सदन पर आक्षेप करना होता है । पूरे सदन की मर्यादा उससे बंधी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होती है जिस तरह से पीठ और संसदीय कार्य मंत्री पर आक्षेप लगाया गया है मैं इसकी मौखिक सूचना विशेषाधिकार की दे रहा हूं लिखित सूचना भी बाद में दे दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय पाल जी ने जो बात यहां रखी उससे सहमत नहीं हूं क्योंकि कल ही सदन में जो संसदीय दुराचरण माननीय नेता विरोधी दल और उनके भाजपा के सहयोगियों द्वारा किया गया है उसका निन्दा प्रस्ताव पास हो चुका है । जो कहा जा चुका है सदन का हिस्सा है फिर वह सदन के बाहर क्या कह रहे हैं इन सब चीजों को लेकर सदन का समय न बरबाद किया जाये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

विचार किया जायेगा, लिखकर दे दें ।

श्री ऊदल–

मा० कलराज मिश्र इस सदन के सदस्य नहीं हैं । बाहर वह क्या बक रहे हैं इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है उसको नोटिस में न लें तो अच्छा है ।

अध्यक्ष के प्रति विश्वास का प्रस्ताव

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में आज दिनांक 26 अप्रैल, 1994 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं । अतः अनुरोध है कि कृपया तत्संबंधी नियमों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें ।

"यह सदन वर्तमान माननीय अध्यक्ष के प्रति विश्वास व्यक्त करता है ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं थी लेकिन पूरे प्रदेश और देश में माननीय नेता विरोधी दल और उनके माननीय सदस्यों ने और दल ने यह प्रचार और यह भावना व्यक्त करने की कोशिश की है कि आपके प्रति सदन का विश्वास नहीं है । इसलिए आज हमने यह प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है । आज भी मैंने 11.30 बजे माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध किया था, निवेदन किया था कि हम एक साथ मिल कर सदन की कार्यवाही चलाएं । आप सदन में आज आएं तथा जो नेता विरोधी दल के दायित्व हैं लोकतंत्रीय प्रणाली में, उनको आप निभाएं । आपने जो भी अपना विरोध या रोष व्यक्त करना था वह व्यक्त कर लिया है । अब आप सदन में आएं । उन्होंने सदन में आने से अपनी मजबूरी जाहिर की । आपने सदन को निर्भीकता से चलाने का प्रयास किया है और जो संसदीय लोकतंत्र में महान परम्पराएं हैं और मर्यादाएं हैं, उनका थोड़े ही समय में पालन करने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का प्रयास किया है । आप जब उच्च आसन पर आसीन हुए थे, तो इतनी आशाएं और उम्मीदें सदन को नहीं थीं कि आप इतनी निष्पक्षता और निर्भीकता से सदन को चलायेंगे । इसलिए हमने यह प्रस्ताव दिया है । जितने भी नेता और माननीय सदस्य इस समय बैठे हैं । नेता कांग्रेस पार्टी, नेता जनता दल, नेता कम्युनिस्ट पार्टी, नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व जितने भी निर्दलीय सदस्य हैं । सभी का विश्वास लेकर और पूरे सदन के नेताओं का विश्वास लेकर आपको इस उच्च आसन पर आसीन किया गया था । कल मैं बाहर था लेकिन समाचार पत्रों से मैंने भी पढ़ा था । मैं उन सभी नेताओं और सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पुनः आपके प्रति पूरा विश्वास व्यक्त किया है । इसलिए आज हम पुनः इस सदन में यह प्रस्ताव लाए हैं आपके सम्मान, सदन के सम्मान और लोकतंत्र की परम्पराओं का निर्वहन हम पूरी तरह से करें । इसलिए यह प्रस्ताव लाने की हमने कोशिश की है और देश और प्रदेश की जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे माननीय अध्यक्ष के प्रति पूरे सदन का विश्वास है । मुझे विश्वास है कि जितने माननीय नेता हैं, जितने सदन के सदस्य हैं, वह आपके प्रति पूरा विश्वास करेंगे ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता था कि इस तरह के प्रस्ताव की कोई आवश्यकता थी । जिन्होने अविश्वास प्रस्ताव दिया था, नियमों और कानूनों को जानते हुए, उन्होंने नियमों के विपरीत दिया था । माननीय ऊदल जी ने इस संबंध में विस्तार से बताया था । उन लोगों को मालूम था कि वह गलत कर रहे हैं इसलिए हो-हल्ला मचाकर वह सदन से भाग खड़े हुए हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस वक्त हमने आपको इस उच्च आसन पर बैठाया था, उस समय आपके प्रति पूरा विश्वास व्यक्त किया था आज भी हमने आपके प्रति अविश्वास व्यक्त नहीं किया है । मेरा आपके प्रति पूरा विश्वास है । आप मतदान करा लें । हम पूरे मन से पूरी शक्ति के साथ आपमें विश्वास व्यक्त करते हैं । कल इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं कहना है। हम लोगों का पूरा विश्वास आप में है । एक वर्ग सदन का जरूर ऐसा है जिसका किसी चीज में विश्वास नहीं है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सीधे मतदान करा लें । हम मतदान में आपके साथ हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पीठासीन अधिकारी हमारे बाजपेई जी आ रहे हैं ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुये ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि प्रक्रिया नियमावली के संगत नियमों को शिथिल करते हुये निम्नलिखित प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

"यह सदन वर्तमान माननीय अध्यक्ष के प्रति विश्वास व्यक्त करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन वर्तमान माननीय अध्यक्ष के प्रति विश्वास व्यक्त करता है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान माननीय अध्यक्ष के प्रति विश्वास व्यक्त करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(मेजों की थपथपाहट)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। पहली सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा की है। (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर–अनुपस्थित) दूसरी सूचना श्री जगवीर सिंह की है। तीसरी सूचना श्री अमर सिंह यादव की है। चौथी सूचना श्री चरन सिंह की है। पांचवी सूचना श्री मित्रसेन यादव की है। छठी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की है एवं सातवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की है। प्रतीक्षा सूची में श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय की सूचना है। वे अनुपस्थित हैं तो यह 6 सूचनायें नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार की गयी हैं।

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना थी।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

अलीगढ़ के खैर में पेयजल समस्या के निदान हेतु ओवर टैंक बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगबीर सिंह–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर जनपद अलीगढ़ में पानी का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। वर्षवार जल स्तर नीचे ही जा रहा है इससे पीने के पानी का भंयकर संकट उत्पन्न हो गया है और पीने का पानी खारा है जो जुबान पर नहीं रखा जाता। इससे ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जनता में भय एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से शासन से निम्न ग्रामों को सालपुर, टप्पल, गौरोला, आदमपुर, चन्डौस, मंहगौरा, जरारा, पल्सेड़ा और शाहपुर में जल निगम से ओवरटैंक बनवाने

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की मांग करता हूं। जिससे ग्रामवासियों के जीवन की रक्षा हो सके। अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के पटल पर लाकर शासन से नये टैंक बनवाने की मांग करता हूं।।

हरदुआगंज तापीय परियोजना अलीगढ़ में टेलीफोन के फर्जी बिल घोटाले की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर सिंह (अलीगढ़)–

। महोदय, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि हरदुआगंज तापीय परियोजना अलीगढ़ में अधिशासी अभियन्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं तथा एक ही जाति के भी है, की मिलीभगत से टेलीफोन के फर्जी बिलों द्वारा 23 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। जानकारी में आया है कि अधिशासी अभियन्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता ने निजी लाभ लेने के लिए यह घोटाला मिलकर किया है। शासन की नीति है कि फर्जी बिलों का भुगतान जांच किए वगैर न किए जाएं किन्तु जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों का दुरुपयोग खुलेआम किया गया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं।।

सिंचाई विभाग में आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु अनु० जाति/जनजाति के सहायक अभियन्ताओं को प्रोन्नति देने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चरन सिंह–

। महोदय, आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिक) के कुल 194 पद हैं जिसमें से केवल 14 पदों पर अनु० जाति/जनजाति के अभियन्ता कार्यरत हैं जबकि आरक्षण कोटे के अनुसार 39 पद मिलने चाहिये। वर्ष 1991-92 में सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) से अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के 45 पदों पर पदोन्नतियां की गयी थी जिसमें अनु० जाति के 9 व्यक्तियों की पदोन्नति न करके मात्र एक व्यक्ति की पदोन्नति की गयी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय अधिकारी जानबूझ कर आरक्षण कोटा पूरा नहीं करना चाहते हैं। वर्तमान में संलग्न आंकड़ों के अनुसार विभाग में अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के 18 पद पदोन्नति हेतु रिक्त हैं तथा विभाग में अनु० जाति के 8 सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) पदोन्नति हेतु उपलब्ध हैं जो सभी औपचारिकतायें पूरी करते है परन्तु उनकी प्रोन्नति नहीं की जा रही है।

अतः शासन से मांग करता हूं कि आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु शासनादेश दिनांक 29-6-1993 के तहत विशेष चयन कराकर अनु० जाति/जनजाति के सहायक अभियन्ताओं (यान्त्रिक) को अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिक) के पदों पर प्रोन्नति की जाय ताकि अभियन्ताओं में व्याप्त असन्तोष समाप्त हो सके।]

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद में की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मित्रसेन यादव–

। मान्यवर, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद में विगत वर्ष 1992-93 व 1993-94 के अन्तर्गत गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें एवं अनुशासनहीनता की गयी है । ग्राम्य बिकास अभिकरण के विभागीय सहायक अभियन्ता और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत एवं साजिश के तहत धन आहरण एवं वितरण में नियमों, प्रतिबन्धों का खुला उल्लंघन कर पद का दुरुपयोग किया गया । परियोजनाओं के निर्माण कार्य एवं विकास कार्यों में गैर तकनीकी प्रतिबन्धों एवं वित्तीय शर्तों का पालन किये ही धन का भुगतान किया गया है । उदाहरण स्वरूप टोडी नदी विकास क्षेत्र भियांव में नाला खुदाई के नाम पर अधिकार क्षेत्र के विपरीत 25 लाख टन आवंटन ग्राम–निमड़ी विकास क्षेत्र–हरिश्टनगंज, में न्यायालय के निर्णय के विपरीत निजी भूमि पर प्रा० पा० का निर्माण अम्बेडकर ग्राम रामपुर गौहनियां वि० क्षे०–अमानीगंज के नाम पर बेहटा गौहनियां में धन का आवंटन, सड़कों की मरम्मत तथा प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के घटिया निर्माण पर धन का अनियमित भुगतान निजी हित में धन का आहरण लाखों रुपयों के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर कमीशनखोरी की गई है ।

मेरी मांग है कि किसी सक्षम एवं उच्च स्तरीय समिति द्वारा समयबद्ध जांच कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । ।

मुजफ्फरनगर में रामगंगा कमांड परियोजना में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन एवं सरकार के संज्ञान में अति लोक महत्व के विषय को ला रहा हूं ।

मान्यवर, रामगंगा कमाण्ड परियोजना के तहत जिला मुजफ्फरनगर में नालियों का निर्माण कराया जा रहा है । यह निर्माण मानक स्तर से नहीं हो रहा है । निर्माण में प्रयोग की जा रही सामग्री में सीमेन्ट की जगह रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है । ईंट अत्यधिक घटिया स्तर की लगाई जा रही हैं पी० डब्लू० डी० की दर से 50 प्रतिशत से ज्यादा रेट पर खरीद की जा रही है नीचे बिछाने वाला पत्थर बारीक भी है तथा उसके बिल भी ज्यादा बनाये गये हैं । इसके बावजूद भी नालियों का निर्माण पानी के बहाव के अनुकूल न कर प्रतिकूल कर दिया गया है जैसे–राजबहा सापलोई के कुलाबा नं० 16 की नाली से एक बूंद भी पानी किसान के खेत तक नहीं पहुंच रहा है । इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी को पत्र भी लिखा गया था । नालियों का निर्माण किस लम्बाई तक होगा यह किसानों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रिश्वत पर निर्भर करता है। इन नालियों के निर्माण पर जहां करोड़ों का खर्च हो रहा है वहां किसान के खेतों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में इस लोक महत्व के प्रश्न को लाकर सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं निर्माण की टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराने की मांग करता हूं।]

जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर के सुरी ग्राम में विद्युत सब स्टेशन बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पारस नाथ यादव–

[महोदय, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के तरफ दिलाते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर में सुरी ग्राम में विद्युत सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति पूर्व में हुई थी, किन्तु आज तक सब स्टेशन का निर्माण नहीं कराया गया। विद्युत लोड न होने के कारण किसानों को बिजली नहीं प्राप्त हो पाती है। विकास खण्ड रामपुर के मुख्यालय पर एक सब स्टेशन है इस सब स्टेशन से लगभग पन्द्रह किलोमीटर लाईन बिछाई गयी है और लोड नहीं रुक पाता है। रघुनाथपुर फीडर की अधिकांश राजकीय एवं निजी नलकूप बन्द पड़े रहते हैं, यहां तक कि पेयजल हेतु बनाई गयी पानी की टंकी भी लोड के कारण चल नहीं पाती है, लोगों को पानी नहीं मिल पाता है कई बार अधिकारियों से विद्युत सब स्टेशन बनाने हेतु आग्रह किया गया किन्तु आज तक निर्माण नहीं किया गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल कृषकों एवं उपभोक्ताओं के हित में विकास खण्ड रामपुर के ग्राम सुरी में सब स्टेशन बनवाने की तत्काल कार्यवाही की जाय।]

ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव को कतिपय समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी द्वारा वापस लेने के समाचार प्रसारित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उसमें से पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल की 25 अप्रैल, 1994 को ऊर्जा विभाग से अनुदानों की मांगों पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के बावजूद समाचार पत्रों एवं आकाशवाणी द्वारा कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के समाचार के संबंध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न सदन में दिया है वह सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में है । मान्यवर, कल आप भी विराजमान थे और ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या 9 पर चर्चा हो रही थी तो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने ऊर्जा विभाग के दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने मेरे द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की बात कही थी । उस समय मैंने माननीय मंत्री जी से यह कहा था कि आज प्रदेश में जो वर्तमान व्यवस्था लागू है कि यदि किसी गांव को ऊर्जीकृत या विद्युतीकृत किया जाता है तो उस गांव से जुड़े हुए जो पुरवे हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुविधा को देखते हुए 2 पोलों को निःशुल्क देने की सुविधा है । इस दो पोल में से पुरवे तक विद्युतीकरण हो सकता है, मैंने यह कहा था कि प्रदेश के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरवे हैं, उन गांवों को जोड़ने की घोषणा माननीय मंत्री जी कर दें, तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा, लेकिन जो हमारे प्रश्न में ऊर्जीकरण की बात थी, उन प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया था और उस कटौती के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, इसके बावजूद मुझे आश्चर्य लगा, जब 7-20 पर मैंने आकाशवाणी पर सुना कि मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया था, वह अखबारों में भी छपा और आकाशवाणी में भी आया, तो मान्यवर, हमारे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करने की कृपा करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो माननीय जगदम्बिका पाल जी ने बात रखी है, सही है । उन्होंने कटौती ही नहीं रखी थी, बल्कि उस कटौती पर बकायदे मतदान भी हुआ था । यह जो गलत सूचना समाचार-पत्रों और आकाशवाणी में चली गयी, इसको आप अपने स्तर से देख लें और इसको सही कराने की कृपा करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, अगर किसी समाचार-पत्र में गलत छपा है, तो उसको तो संज्ञान में लाना ही नहीं चाहिये । जो पाल साहब ने कही है, वह तो कार्यवाही में होगी । इसमें हम क्या कर सकते हैं ?

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी सही वस्तु स्थिति सदन के समक्ष रख सकते हैं, ताकि उसका सुधार हो जाय, तो मान्यवर, वह उस चीज को कह दें ।

श्री अधिष्ठाता–

वह तो कार्यवाही में सब मौजूद है । जो सदन में कार्यवाही हुई है, वह तो मौजूद है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री नहीं कहना चाहते हैं, तो जो कार्यवाही है, उससे सदन को अवगत करा दिया जाय और उससे अखबारों और आकाशवाणी को भी खबर हो जायगी और वे सही कर लेंगे । यह मान्यवर, जनता के बीच में बात आनी चाहिये, ताकि जनता भ्रम में न रहे ।

* श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह जो समाचार-पत्रों में गलत खबर छपी है और आकाशवाणी में भी खबर पहुंच गयी कि पाल साहब ने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया, तो उससे जो छवि धूमिल हुई है, उसको मान्यवर, उज्जवल कराने के लिये, जो वास्तविकता है, उसको सदन में स्पष्ट कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बाकायदा मतदान हुआ था । उस दिन की कार्यवाही का वह अंश मैं पढ़कर सुना देता हूं । श्री अधिष्ठाता ने पाल साहब के कटौती के प्रस्ताव पर मतदान कराया था, उस दिन की कार्यवाही में यह लिखा है, "प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ? (प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)" इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और इसे अस्वीकार किया जाता है ।

बिक्रीकर समाप्ति की घोषणा के बावजूद खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं बोर्ड द्वारा बिक्रीकर की सीमा निर्धारित करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

दूसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री किरन पाल सिंह और श्री हरेन्द्र सिंह की शासन द्वारा एक ओर बिक्री कर समाप्त करके विकल्पों की तलाश करने के बारे में है और दूसरी ओर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित इकाइयों की बिक्रीकर सीमा निर्धारित करने के बारे में है ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, सदन के नेता द्वारा सदन में बार-बार घोषणा की जाती रही है कि बिक्री कर को समाप्त कर दिया जायेगा, लेकिन इसके विपरीत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलायी जा रही इकाइयों को बिक्रीकर और आयकर की सीमा में लाया जा रहा है । अगर यह कर दिया जायेगा तो सारी इकाइयां बन्द हो जायेगी और उनमें लगे हुए मजदूर बेकार और बेरोजगार हो जायेंगे । अगर यह इकाइयां बिक्री कर की सीमा में आयेंगी तो वह दूसरे उद्योगों से मुकाबला नहीं कर पायेंगी और वह बन्द हो जायेंगी । ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि बिक्रीकर की सीमा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित इकाइयों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पर न लगायी जाये, उनको बिक्रीकर सीमा से अलग रखा जाये और मान्यवर, हम चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करे कि जो इकाइयां हैं वह बिक्रीकर से मुक्त रहेगी ।

* श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मान्यवर, प्रदेश सरकार बिक्रीकर समाप्त करने जा रही है और दूसरी ओर खादी एवं ग्रामोद्योग की जो छोटी-छोटी इकाइयां हैं, उन पर बिक्रीकर लगाया जा रहा है, उनको बिक्रीकर की सीमा में बांधा जा रहा है । इन इकाइयों को समितियों के माध्यम से चलाया जाता है, समितियों को तो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए परन्तु उल्टे उनका शोषणा किया जा रहा है, उन पर बिक्रीकर बांधा जा रहा है, इससे वह इकाइयां बंद हो जायेंगी। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मसला है और औचित्य का प्रश्न बनता है क्योंकि बिक्रीकर की सीमा बांधी जा रही है, तो इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति दें ।

*श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, अभी माननीय नेता जनता दल ने और चन्देल जी ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित इकाइयों को बिक्रीकर की सीमा में बांधा जा रहा है । यह मामला सदन के संज्ञान में है । मुख्य मंत्री जी ने अनेक बार घोषणा की है कि बिक्रीकर को समाप्त कर दिया जायेगा । सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में है कि बिक्रीकर को समाप्त किया जायेगा, लेकिन आयोग द्वारा संचालित इकाइयों को बिक्रीकर की सीमा में बांधा जा रहा है, तो इस प्रकार से यह इकाइयां बंद हो जायेंगी और दूसरी इकाइयों के मुकाबले ठहर नहीं पायेगी और वह बन्द हो जायेंगी और उनमें लगे हुए मजदूर हैं वह बेकार हो जायेंगे और बेरोजगार हो जायेंगे । उनको वहां से जो ऋण मिलता है, वह पूरा नहीं मिलता है, उसमें भी उनका बड़ा शोषण होता है और दूसरी ओर बिक्रीकर की सीमा में बांधा जा रहा है । यह इकाइयां बिरला और टाटा के सामने कम्पटीशन नहीं कर पायेंगी, अगर आप बिक्रीकर लगा देंगे, उनका शोषण होगा ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो औचित्य संबंधी सूचना दी गयी है उसमें दो पहलू हैं एक तो बिक्रीकर से संबंधित है और दूसरा है ग्रामीण विकास से संबंधित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अपनी इकाइयों का संचालन करता है ग्रामीण क्षेत्रों में और उससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलता है अब एक तरफ तो सरकार ने यह घोषणा की कि हम बिक्रीकर समाप्त करेंगे और विकल्प की तलाश जारी है । हो सकता है कि शराब पुरानी हो और लेबिल बदल जाय लेकिन कर तो किसी न किसी रूप में बंधेगा ही लेकिन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की इकाइयों को बिक्रीकर की सीमा में लाना यह तो ग्रामीण विकास के साथ खिलवाड़ करना है । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं वह कम से कम इस बात की घोषणा करें कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में लगायी जाती है । इस समय इन ग्रामीण इकाइयों से लाखों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बेरोजगार रोजगार पा रहे हैं अगर कहीं बिक्रीकर की सीमा निर्धारित कर दी गयी तो यह सब के सब लोग बेरोजगार हो जायेंगे और जो स्पर्धा का बाजार है उस बाजार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा तैयार किया गया माल बिक नहीं पायेगा और यह इकाइयां बन्द हो जायेंगी, लोग बेरोजगार हो जायेंगे । इसलिये मेरा यह अहम प्रश्न है मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करें और निर्देशित करें कि कम से कम अगर गांवों के विकास का सपना इन्होंने सोचा है तो उसको साकार करने की कड़ी के रूप में इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, पहले तो हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे माननीय वर्मा जी और माननीय नेता जनता दल से, कि जो नियमावली में औचित्य के प्रश्नों के संबंध में ग्राह्यता की शर्तें हैं उनके अन्तर्गत यह कतई नहीं आता है फिर भी श्रीमन्, जो आपने यह प्रश्न यहां पर उपस्थित किया है वह कल्पनाओं पर आधारित है इसमें है कि (व्यवधान) पहले सुन तो लें । बिक्रीकर की सीमा निर्धारित की जा रही है इसलिये ग्रामीण स्तर की इकाइयां बन्द हो जाने की स्थिति में पहुंच जायेंगी तो इसमें कोई स्पेशिफिक कारण उपस्थित नहीं किया गया है । यह न सदन की कार्यवाही से संबंधित है और न संविधान के किसी अनुच्छेद से संबंधित है जिससे सदन की कार्यवाही संचालित या बाधित होती है इसलिये यह 300 में नहीं आता है इसलिये निरस्त करने योग्य है । श्रीमन्, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और जो भी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से ही प्राथमिकताएं देने के लिये सरकार संकल्पबद्ध है । बिक्रीकर के संबंध में जो प्रश्न यहां पर आया है तो 6 माह के अन्दर बिक्रीकर का विकल्प हम देंगे और बिक्रीकर का विकल्प देते समय हम संसाधनों को कम नहीं करेंगे, संसाधन बढ़ाकर रखेंगे किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया है वह कल्पना पर आधारित नहीं है मैं निवेदन कर दूं कि कल्पना पर आधारित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियमावली के नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित नहीं है । संविधान में मूलाधिकार को यहां का नागरिक अधिकार देता है रोजगार देने का और यहां 8 लाख लोग बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं इसलिये यह कहना कि संविधान के अनुच्छेद से संबंधित नहीं है यह गलत है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह 300 के अन्तर्गत नहीं आता है यह अग्राह्य है और जो सूचनाएं हैं वह भी 300 में नहीं आती है । इसलिये अग्राह्य हुई । माननीय वर्मा जी, यह औचित्य का प्रश्न कैसे बनता है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, समय देंगे तो साबित करने जा रहा हूं ।

एक तो यह संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित है रोजगार देने का अधिकार संविधान ने दिया है। इस सरकार ने सदन में घोषणा की है कि बिक्रीकर समाप्त करेंगे ग्रामीण विकास पर ध्यान देंगे उस पर अपनी शक्ति केन्द्रित करेंगे। सदन में जो बातें शासन द्वारा कही गयी हैं उन्हीं को जोड़ते हुए यह प्रश्न उठाया गया है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न तो कतई नहीं बनता लेकिन अगर इसमें जनहित का मामला जुड़ा हुआ होगा, तो मैं माननीय वर्मा जी से और माननीय नेता जनता दल से वार्ता कर लूंगा, वार्ता में कोई बात प्रकाश में आयी तो उस पर विचार भी कर लिया जायेगा।

मुजफ्फरनगर में एक रिटायर्ड आई० पी० एस० की बहन से डी० एस० पी० द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

मान्यवर, एक मामला मुजफ्फरनगर में एक रिटायर्ड आई ० पी० एस० की बहन को बेइज्जत करने के संबंध में मैं लाया था।

श्री अधिष्ठाता–

आपने एक ही सूचना पर दस्तखत किये हैं उसको मैंने सुन लिया है। नियम भी तो कुछ है।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो प्रकरण हरेन्द्र सिंह जी उठा रहे हैं वह सदन में आ चुका है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

उस संबंध में मलिक जी को जानकारी दे दूं कि थाना कोतवाली पर दर्ज अ० सं० 156/94 अन्तर्गत धारा 147/148/149/323/302 भा० दं० सं० की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को दिनांक 30-3-94 को सौंप दी गयी है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, यह दूसरा मामला है। एक तो ब्रह्मवती 50 साल की महिला को आपके डिप्टी एस० पी० विजय गौतम ने बाल खींचकर निर्वस्त्र कर दिया उसको 4 दिन थाने पर रखा था, उस प्रकरण की सी० आई० डी० से जांच कराने की घोषणा की। मैं कत्ल और कातिल की कभी सिफारिश नहीं करता। दूसरा जो औचित्य का प्रश्न है वह एक रिटायर्ड आई० पी० एस० अग्रवाल की बहन को उसी डिप्टी एस० पी० ने सरे बाजार बेइज्जत किया। जब लोगों ने घेराव कर लिया तो कह दिया गया कि कुछ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बदमाश एक वेश्या को लेकर जा रहे थे । मान्यवर, वह एक रिटायर्ड आई० पी० एस० अग्रवाल की बहन है ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो आपकी सूचना है यह वही है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

अगर इसकी भी सी० आई० डी० जांच करा दें तो छुट्टी हो जायेगी । यह अग्रवाल जी की बहन के बारे में है । यह अलग है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप नाम दीजिये । सूचना जो थी वह ब्रह्मवती के बारे में थी उस मामले की सी० आई० डी० जांच के आदेश हो गये हैं ।

इस घटना के संबंध में अलग से लिखकर दे दीजिये ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

इसमें भी सी० आई० डी० जांच करा लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सी० आई० डी० से ही दे देंगे अलग से दीजिये ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-13 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-3 (सिविल) उत्तर प्रदेश सरकार को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 141(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त लेखे वर्ष 1990-91 एवं विनियोग लेखे वर्ष 1990-91 उत्तर प्रदेश सरकार †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त लेखे वर्ष 1990-91 एवं विनियोग लेखे वर्ष 1990-91 उत्तर प्रदेश सरकार को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत मण्डी समितियों से सम्बद्ध ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका ††

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत मण्डी समिति थाना भवन मण्डी समिति शामली एवं मण्डी समिति, मुजफ्फरनगर से सम्बद्ध ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण मण्डी परिषद् से कराये जाने के संबंध में डा० ओम पाल सिंह तथा श्री हर पाल सिंह निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर के बन्ती खेड़ा में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में याचिका ††

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मुजफ्फरनगर के बन्तीखेड़ा में कृष्णा नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में श्री जयपाल सिंह तथा डा० सुरेन्द्र सिह निवासीगण बन्तीखेड़ा मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम करोड़ी एवं ग्राम कुरमाली में अलग-अलग उपविद्युत संस्थान बनाने के संबंध में याचिका ††

श्री हरेन्द्र सिह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से ग्राम करौड़ी एवं ग्राम कुरमाली में अलग-अलग 33/11 के० वी० ए० के उप विद्युत संस्थान बनाने के संबंध में श्री मुहम्मद खालिक तथा श्री इकबाल सिंह निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं हैं।

जनपद बांदा के अमारा रोड पर चन्द्रावल नदी पर पुल निर्माण के संबंध में याचिका ††

श्री धूराम चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अमारा रोड पर चन्द्रावल नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में श्री केशव प्रसाद तथा श्री छद्दू फौजी निवासीगण अमारा बांदा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छपी नहीं गयी।

जनपद बांदा में पैलानी लसड़ा मार्ग पर बने तुर्रा नाला (द्वितीय) के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका †

श्री धूराम चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा में पैलानी लसड़ा मार्ग पर बने तुर्रा नाला (द्वितीय) पुल के पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में श्री शिवभूषण निषाद तथा श्री राम खेलावन निषाद, निवासीगण जनपद बांदा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जिला गाजियाबाद की तहसील दादरी में डी० एस० सी० रोड पर रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका †

श्री समीर भाटी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला गाजियाबाद की तहसील दादरी में डी० एस० सी० रोड पर रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री मुकेश भाटी, निवासी दादरी, जिला गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(श्री महराज सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं हैं।

जनपद बाराबंकी के ग्राम बरावा में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में याचिका †

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बाराबंकी के ग्राम बरावां में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में श्री रामधीरज मौर्य तथा श्री सूरजपाल निवासीगण जनपद बाराबंकी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(श्री सुधीर कुमार बालियान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वे नहीं हैं।

(श्री रवीन्द्र शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

वे नहीं हैं।

(श्री रमापति शास्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

वे नहीं हैं।

(श्री बदन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

---

† छापी नहीं गयी।

वे नहीं हैं ।

(श्री धनराज यादव का नाम पुकारे जाने पर)

वे नहीं हैं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 अप्रैल, 1994 की बैठक में सदन के दिनांक 26 अप्रैल, तथा 27 अप्रैल, 1994 के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :––

अप्रैल, 1994

26 मंगलवार (1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार एवं उसका पारण, एक घंटा

(2) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

27 बुधवार (1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1994 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता ने दी है, से सहमत है ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 †

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

---

† दिनांक 29-4-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 की सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई, शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रीतम सिह जी की सन्त कबीर सहकारी कताई मिल लि० मगहर, जनपद बस्ती की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा व श्री ऊदल की, जनपद एटा के जलेसर क्षेत्र के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के अध्यापको द्वारा विद्यालय बन्द कर धरना एवं प्रदर्शन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री किरनपाल सिंह , श्री राम आसरे वर्मा व श्री हरेन्द्र सिह जी की, जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा कथित रूप से पिछड़ी जाति के 22 वर्षीय युवक श्री सुधीर कुमार की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौथी सूचना श्री तेजपाल सिंह जी की, जनपद मथुरा की सदर व छाता तहसीलों में अपर आगरा कैनाल के रजवाहों द्वारा जल की समुचित आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री गकेश सचान जी की, जनपद कानपुर देहात की घाटमपुर तहसील के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में हुए अग्निकांड से पीड़ित परिवारों को राहत न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। छठी सूचना श्री ऊदल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री लालमणि प्रसाद व श्री बाबू राम वर्मा जी की, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा कुक्कुट काम्प्लेक्सों के निर्माण में अनुपयोग सामानों की खरीददारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। सातवीं सूचना श्री राकेश सचान की, कानपुर देहात के घाटमपुर क्षेत्र के अन्तर्गत कुइनी ग्राम निवासियों को जिलाधिकारी के यहां प्रदर्शन हेतु जाते समय स्थानीय पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, नियम-311 में जो सूचना मैंने दी थी उसे आपने नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है। मान्यवर, यह तात्कालिक भी है और अविलम्बनीय लोक महत्व का भी विषय है और यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा बनता है, उत्तर प्रदेश के बुनकरों को सस्ता सूत मुहैय्या कराने के लिये 24 स्पिनिंग मिलों की स्थापना की गयी है और जिन 24 स्पिनिंग मिलों में सूत उत्पाद करके जो प्रदेश के हजारों लाखों बुनकर हैं उन्हें हम सूत उपलब्ध करा सकें, सस्ता और अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता का, जिससे वह हथकरघा के माध्यम से कपड़े का उत्पाद तैयार करके प्रदेश और देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बेंच सकें। मान्यवर, खलीलाबाद, मडडोहा, गोरखपुर, मऊ, अकबरपुर मिलों में पिछले दिनों समस्यायें पैदा हुयीं। बस्ती में भी इसी प्रकार की समस्या पैदा हुयी, उस समय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उन्होंने इस मिल की स्थापना की थी। यह एक ऐसी मिल है जो आज भी लाभप्रद है। सरकार ने सूत के संबंध में नई नीति घोषित कर दी और सूतों की बिक्री पर खुले बाजार में प्रतिबन्ध लगा दिया, इस कारण से इस मिल के गोदाम में। करोड़ 25 लाख का सूत पड़ा हुआ है और धनाभाव के कारण, फेडरेशन की गलत नीति के कारण आज यह स्थिति आ गयी है। मैंने स्वयं इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से प्रयास किया। आज 24 स्पिनिंग मिलों में से आधे से अधिक बन्द पड़ी हैं। नगीना, कम्पिल, फर्रुखाबाद की स्थिति क्या है, इसे आप जानते हैं, अकबरपुर की मिल भी बन्द है और आज मगहर की मिल इसी स्थिति में आ गयी है। मैं समझता हूं माननीय राम लखन जी के क्षेत्र में यह मिल आती होगी। आज इस मिल के हजारों श्रमिक बेकार पड़े हैं, उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है, आज उन लोगों के घरों में ठीक से चूल्हा नहीं जल रहा है और उन्हें पेट पालने के लियें रिक्शा चलाना पड़ रहा है। कुशल श्रमिक होने के बावजूद जीविका चलाने के लिये आज उन्हें इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। मान्यवर, जब मगहर मिल बन्द हो गयी तो मैंने सहकारिता मंत्री जी से प्रयास किया, यद्यपि यह उनके विभाग में सीधे-साधे नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने रुचि ली और उनके आश्वासन से मैं काफी संतुष्ट भी था। मान्यवर, यह मिल का मामला भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत आता है। मिल बंदी के संबंध में कई बार प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री जी से मिले, हमारी बात को सुनकर इन्होंने फेडरेशन के लोगों से भी बात की और शासन स्तर से प्रयास भी किया लेकिन इनके प्रयासों के बावजूद, इनकी सद्भावनाओं के बावजूद समस्या हल नहीं हो सकी। फेडरेशन जो रुई की आपूर्ति करता है, वह आपूर्ति बंद है। मैंने मुख्यमंत्री जी से इसके लिये प्रयास किया क्योंकि उन्हें प्रदेश के बुनकरों, श्रमिकों की चिन्ता है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसे बंद नहीं होने देंगे। पिछले दिनों एक फैसला लिया गया, उसके तहत इटावा की मिल को डेढ़ करोड़ रुपया दे दिया, इलाहाबाद की मिल को पैसा मिल गया, लेकिन मगहर की मिल को न ऋण मिला और न रुई की आपूर्ति की गयी।

मैं तो एक बात कहूंगा कि आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि जब यह मिल लाभ में चल रही है तो जो फेडरेशन द्वारा सभी मिलों की एक ही में बैलेन्सशीट बनाई जाती है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको सामूहिक रूप से न बनाया जाय क्योंकि इसकी वजह से दूसरी मिलों के नुकसान का भार इसको भी वहन करना पड़ता है, जिसके कारण इस मिल के सामने कठिनाई होती है साथ ही जो पुरानी सूत की नीति है, उसको बरकरार रखा जाय और रुई की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय । इस बात की माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें । आज हजारों श्रमिकों के मन में रोष हैं, क्षोभ है और स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है । कल बस्ती में हजारों श्रमिकों ने जिलाधिकारी के समक्ष धरना दिया, प्रदर्शन किया लेकिन जिलाधिकारी कुछ नहीं कर सकते । यदि समय रहते शासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वह मजबूर होकर रोटी के लिये लखनऊ तक की यात्रा करेंगे और विधान भवन, जी० पी० ओ० तथा मुख्यमंत्री के समक्ष उन्हें अपना विरोध करना पड़ेगा, यह कोई राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि यह उनकी विवशता होगी उनकी मजबूरी होगी और उन्हें सत्याग्रह करने पर विवश होना पड़ेगा । इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई सवाल हो नहीं सकता है, यह अत्यन्त गम्भीर और लोकमहत्व का है, तात्कालिक घटना है, मिल चार दिन से बन्द है । इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि आप इसे स्वीकार करें ।

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, श्री पाल जी ने मगहर कताई मिल के बारे में, उसकी समस्या के बारे में अपने विचार रखें । मगहर कताई मिल के बारे में पाल साहब का व्यक्तिगत प्रयास भी रहा है यह इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं और कोशिश भी करते हैं । मैंने तो इस परेशानी को देखकर जब बात कराई थी पाल साहब थे, मैं खुद शर्मिन्दगी महसूस कर रहा था । इसके लिये एक मीटिंग बुलायी थी जिसमें अधिकारीगण थे, और बुनकर जिसमें उनसे कुछ मदद ली जा रही थी । एक बात आपने कही कि सारे मिलों का हिसाब किताब इकटठा करते हैं चाहे वह लाभ की मिल हो या घाटे की और अक्सर मिलों को बन्द कर दिया जाता है । मैं इस पर बात करूंगा कि मिलों का हिसाब अलग-अलग किया जाये, घाटे और फायदे की मिलों को अलग से देखा जाये । जहां तक सूत देने का सवाल है, उसमें केन्द्र और राज्य दोनों की अलग-अलग नीति है । यह तो आपने नियम 56 में दिया है, कल के प्रश्न में आपका उत्तर भी आ रहा है उसमें विस्तार से बात हो जायेगी और जो अधिकारी इसमें मददगार हो सकते हैं, एक बार मैं खुद उनसे बात कर लूंगा । अगर आप इसमें चाहें तो हम बड़ी मीटिंग भी बुला सकते हैं, आपके जो भी सुझाव आये हैं मैं इस पर विचार करूंगा ।

(श्री राम करन आर्य के खड़े होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, श्री राम करन आर्य जी भी कुछ अपनी बात इसी संबंध में कहना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब सारी बात आ गयी है ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मेरे जिले से संबंधित है ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने पूरी बात स्पष्ट कर दी है। क्या आप नियम 56 में बोल रहे हैं ?

श्री राम करन आर्य–

नहीं मान्यवर, मैं नियम 56 में नहीं बोल रहा हूं। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाह रहा था।

* श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री को बताना चाहता हूं कि बुलन्दशहर जनपद में भी सहकारी सूती मिल है और वह बहुत घाटे में चल रही है। जो बात अभी जगदम्बिका पाल जी ने कही है उससे मिलता-जुलता है ; पहले भी यह मिल बन्द होने को थी, उस समय श्री धर्मपाल सिंह जी ने जो विधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने पैसा दिलाया था। इस समय इस मिल की हालत खराब है। इसमें बहुत से मजदूर बेरोजगारी की कगार पर हैं, मिल को सूत नहीं मिल पा रही है। कुव्यवस्था के कारण उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं यह चाहता हूं कि आपने जो जगदम्बिका पाल जी का प्रश्न लिया है तो इसको भी इसके साथ जोड़ लें और ताकि इसका भी भला हो जाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सहकारिता मंत्री जी, यह समस्या पूरे प्रदेश के कताई मिलों की है। बड़ी संख्या में मजदूर इससे जुड़े हैं, अगर कताई मिलों की समस्या का समाधान हो सके तो बहुत से श्रमिकों का कल्याण हो सकेगा। इसलिये इसको आप दिखवा लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने किसी राजनीतिक कारण से इस विषय को नहीं उठाया है। मैं इसके बारें में समय रहते सरकार को चेतावनी देता रहा, कि इन सहकारी मिलों की स्थिति को सुधारा जाये, जिससे श्रमिकों की स्थिति अच्छी हो सके। किरन पाल सिंह जी ने भी इसी का उल्लेख किया है।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब सारी बात आ गयी है, मैं समझता हूं कि अब कोई बात नहीं रह जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे मिल खुलने का आश्वासन नहीं मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप उत्तर से संतुष्ट हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं संतुष्ट नहीं हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दूसरी सूचना माननीय वर्मा जी की लेता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, अतः मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल सदन त्याग कर चले गये)

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जनपद एटा के विकास क्षेत्र जलेसर में कई प्राथमिक विद्यालय आते हैं, वह इस समय बन्द पड़े हैं, वहां पर पढ़ाई का कार्य रुका हुआ है तथा अन्य सभी कामकाज ठप्प पड़े हुए हैं। पूरे जनपद में शिक्षक लोगों ने काम बन्द कर दिया है और जो वहां पर घटना हुयी उससे पूरे जनपद में आग की चिन्गारी की तरह फैलती जा रही है, इसका कारण यह है कि तजापुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक को थानाध्यक्ष शकरौली ने पकड़कर थाना के पेड़ में बांधकर उन पर बर्बर लाठी चार्ज किया, उन्हें विद्यालय से निकालकर बाहर बुरी तरह से, बेरहमी के साथ पीटा और इससे ही उनको संतोष नहीं हुआ, उनको पेड़ में बांधकर बुरी तरह से पिटाई की, जबकि प्रधानाध्यापक के विरुद्ध थाना में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, इस घटना से वहां के अध्यापकों में रोष व्याप्त हो गया है, जिस कारण से सारे विद्यालय बन्द पड़े हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है और काम-काज ठप्प है। जिले के अध्यापक इस घटना के खिलाफ रोष व्यक्त करने के लिये आन्दोलन चलाने जा रहे हैं। मैं इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करता हूं कि प्रधानाध्यापक के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उस थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाय और जो प्राथमिक विद्यालय तजापुर के भवन में पुलिस चौकी कायम कर रखी है, उससे लड़कों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, विद्यालय की इमारत से लड़कों को बाहर कर दिया गया है, विद्यालय में पुलिस चौकी स्थापित है। दूसरी मांग मेरी यह है कि तजापुर प्राथमिक विद्यालय से वह पुलिस चौकी अलग हटाई जाय, थानाध्यक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और उसे निलम्बित करके कार्यवाही की जाय और जो स्कूल बन्द पड़े हुए हैं उनको शुरू कराया जाय ताकि वहां पर शिक्षण कार्य हो सके।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया करके आप बैठे, नियम 56 की सूचनायें चल रही हैं।

*श्री ऊदल–

मान्यवर, वर्मा जी ने जिन बातों को आपके समक्ष रखा है, उससे मैं सहमति व्यक्त करता हूं। श्रीमन् मेरे यहां एटा जनपद के सभी अध्यापक आये थे, उनमें बहुत बड़ा रोष है और उनमें असंतोष भी व्याप्त हो गया है, पुलिस के द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार करने से और प्रधानाध्यापक की पिटाई की वजह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी विद्यालय बंद हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है । आगे इस मसले के बारे में यहीं कहना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस घटना के ऊपर जाना चाहिये और अध्यापकों में जो रोष एवं असंतोष व्याप्त है, उसे दूर करना चाहिये । इस घटना के विरोध में जो विद्यालय बंद हो गये हैं उनको जल्द से जल्द खुलवाये जाने की व्यवस्था करना चाहिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्रीमन्, अध्यापक हमारे समाज का सम्मानित वर्ग है, उनके लिये जो भी ज्यादती हो वह बहुत ही जाहिल और निन्दनीय है । यह जो घटना घटी और जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, उसकी जांच भी होगी, जो तथ्य होंगे और इसमें जिन तथ्यों को पाया जायेगा, उसके ऊपर कार्यवाही होगी । जो थाना का मुद्दा उठाया गया है, उसको दिखवा लेंगे । थाना स्कूल और कालेज के प्रेमिसस के अन्दर है और उसे वाले स्कूल नहीं रखना चाहते हैं तो उसको दिखवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि इसको दिखवा लेंगे, जो जिज्ञासा है, उसको दिखायें । अगली सूचना श्री किरनपाल जी की है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर आज पुलिस और बदमाश, दोनों से आतंकित है, इसके साथ ही अपराधियों के साथ-साथ वहां पर सुनियोजित ढंग से पुलिस का कम आतंक नहीं है, मुजफ्फरनगर में इसकी पराकाष्ठा है । पिछले तीन माह से ऐसा कोई भी दिन है जब मुजफ्फरनगर में घटनायें न हुयी हों, लोकतंत्र के अन्दर इस तरह से हो रहा है । माननीय जगदम्बिका पाल जी बैठे हैं, जिन्होंने मामला उठाया है, कांग्रेस के लोगों को जूता दिखा-दिखाकर, रस्सा डालकर आतंकित किया गया, इस तरह की घटनायें वहां घटती रहती है, वहां पर हिस्ट्री सीट खोल दी गयी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री नकली सिंह के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर किया है, 307 का मुकदमा दायर किया है । आज सदन में हम बोल रहे हैं, हमें डर है कि हमारे किस समर्थक के साथ वहां पता नहीं क्या हो जाय । आज न छात्रायें सुरक्षित हैं और न मातायें । ब्रह्मवती को नंगा करने वाला पुलिस अफसर आज वहां घूम रहा है । कांधला थाने की पुलिस ने विभा नाम की छात्रा के साथ तीन दिन तक बलात्कार किया । वह कुछ कहा सुनी में अपने घर से दिल्ली भाग रही थी । अहंकार की बात तो यह है कि आज वहां पर जातिवाद चरम सीमा पर है । वास्तविक स्थिति तो यह है कि सुधीर नाम का एक पिछड़ी जाति का लड़का है । यह एक बेवा श्रीमती कुन्ती का लड़का है, जो 22 साल का है । तीन दिन पहले एक धन्ना सेठ से उसके लड़के से झगड़ा हो गया था । बताया यह भी जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है । परन्तु उस धन्ना सेठ ने सी० ओ०, एस० पी० से सम्पर्क कर पैसे देकर, उस बेवा के लड़के को घर से मण्डी थाने की पुलिस उठा ले गयी । वह गांधी कालोनी का रहने वाला है । जब यह स्थानीय समाचार पत्रों में छपा तो एक रात उसकी हत्या कर दी गई । यह कहा गया कि एक बहुत बड़े बदमाश को मुठभेड़ में मार दिया गया है । प्रेस वालों ने जब यह जानकारी चाही कि रात में ही आपको कैसे मालूम पड़ा कि उसका नाम सुधीर है । तो इस पर पुलिस वालों ने कहा कि ऐसी ही हमशक्ल लड़के की हमें विवेचना में तलाश थी । सच बात तो यह है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और नहीं वह

किसी विवेचना में था मेरे यहां वहां के दस लोग आये हुए हैं सबसे अफसोस की बात यह है कि हत्या करने के बाद उसकी मां डी० वाई० एस० पी०, एस० पी० व कोतवाल के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही कि मेरे बच्चे की लाश मुझे दे दो, परन्तु उसे लाश नहीं दी गई। एस० पी० इस बात को कहता है कि माता जी आपका लड़का गलती से मारा गया है, इसके बावजूद भी उसकी लाश पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया गया। आज मुजफ्फरनगर का यह हाल है।

सच बात तो यह है कि जो 22 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पुलिस में दर्ज हैं, उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया है। यह सब इसलिये हो रहा है क्योंकि पुलिस के संरक्षण में यह काम हो रहा है। कल्ल का मामला है, कल्ल चाहे किसी का भी हो, भारत के संविधान के तहत दण्ड सबको बराबर मिलना चाहिये। जिन लोगों ने इस बेवा के लड़के की हत्या की है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय और इस मामले की सी० बी० आई० से जांच कराई जाय। मैंने पहले भी एक बात यहां पर कही थी साढ़े सात सौ लोगों को थाने में एक माह तक रखा गया। इस बात को कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने हमने स्वीकार किया, स्वयं समाजवादी पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया परन्तु हर आदमी से 15-20 हजार रुपये रिश्वत लेकर छोड़ा गया। आज लोकतंत्र में मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जितने भी मामले हैं जिन मामलों का मैंने उल्लेख किया है आप इनको दिखवा लें। गत 3 महीने में कितने फर्जी इनकाउन्टर हुये, कितने पकड़े जाने के बाद मारे गये, इस सुधीर के मामले में तो पहले दिन अखबार में भी आ गया था, इसी तरह से उस विभा लड़की का मामला है। उन सबकी जांच आप करा लें। सुधीर के मामले ने तो वहां लोगों की नींद हराम कर रखी है। आप कहें तो उसकी मां को आपके घर भेज दें उसकी क्या हालत है ? इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाय 302 में मुकदमा चले। इसकी जांच सी० बी० आई० से करायें क्योंकि यहां की पुलिस कोई न्याय नहीं देगी।

यह मामला मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है तो इसको गम्भीरता से लेते हुए इस पर चर्चा करायें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, पाल साहब को भी सुन लें यह बड़ा गम्भीर मामला है। इनके दल के लोगों का बड़ा अपमान किया जा रहा है। जो दो तीन बार सदन के सदस्य रह चुके हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है उनको हिस्ट्री शीटर कराया जा रहा है जब कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस सदन में पिछले दिनों भी हमने बुलन्दशहर में फर्जी इन्काउन्टर का मामला उठाया था, मेरठ में फर्जी इन्काउन्टर का मामला उठाया था। आज यह घटना मुजफ्फरनगर शहर की है। मैक्सीकन सिटी जो अपराधों के लिये प्रसिद्ध है, मुजफ्फरनगर की तुलना उससे की जाती है। अनेक इनामी अपराधी वहां हैं जिनको पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है। हां निर्देष लोगों को बड़े लोगों से मिलकर अपराधी बनाकर मार दिया है। इसी कड़ी में सुधीर नाम के एक लड़के को 21 अप्रैल को मार दिया तीन दिन पहले उसको शहर से, गांव से भी नहीं पकड़ ले गये, शहर का वाकेआ है सरेआम उसको पकड़ ले गये किसी की दुश्मनी से किसी की शिकायत से तीन दिन तक थाने में रखा, सभी अखबारों में यह छपा है ; शहरियों को जानकारी है। पुलिस के अधिकारियों ने बड़े लोगों से मिलकर जैसा मलिक साहब ने कहा पैसा लेकर उसका इन्काउन्टर कर दिया। उसे मारने के बाद उसकी मां को उसकी लाश तक नहीं दी तो

इससे ज्यादा जघन्य अपराध पुलिस के द्वारा और क्या हो सकता है । पुलिस जो कानून की रक्षा करने के लिये, जनजीवन की रक्षा करने के लिये है वही ऐसा काम करेगी तो फिर कानून व्यवस्था क्या होगी ? इसी तरह से विभा लड़की का मामला है उसके साथ तीन दिन तक पुलिस द्वारा बलात्कार किया गया जघन्य अपराध उसके साथ किया उसका भी यही हुआ ; तो इस तरह से पुलिस द्वारा मुजफ्फरनगर में अनेकों इन्काउन्टर फर्जी हुए हैं । यह सरकार अक्षम है, पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है ।

इसके बारे में भी नहीं मालूम सरकार क्या जबाब देती है ? मैं अपेक्षा करूंगा यह सरासर हत्या का मामला है और मानवाधिकार का मामला है । प्रजातंत्र में निर्देष लोगों को पुलिस द्वारा मारा जाता है, जो पुलिस संरक्षण देने के लिये वही मारेगी तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा ? मेरा निवेदन है कि इस घटना को गम्भीरता से लें, इस मामले की सारे मुजफ्फरनगर में चर्चा है, पुलिस के खिलाफ इस बेचारे में मारे जाने के बारे में कोई मुकदमा हत्या का दर्ज नहीं हुआ है । यह कैसे अपराधी पैदा हो गया, कितने दिन अपराधी बने हुए इसे हुआ इसका कोई रिकार्ड नहीं है । सरेआम पुलिस के द्वारा, खाकी वर्दी के लोगों द्वारा उसे मारा गया और उसकी मां को उसकी लाश तक नहीं दी । तो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया जाय और उन्हें गिरफ्तार किया जाय । वह अपनी मां का एकलौता बेटा था, जिसका परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं रह गया है, उसका सारा कुटुम्ब खत्म हो गया है । इसलिये मांग करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से सोचे और दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर दण्ड दे और उसकी विधवा मां को समुचित आर्थिक सहायता देने की सरकार घोषणा करे ।

(समय 1 बजकर 30 मिनट)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री हरेन्द्र सिंह ने इस सदन का ध्यान एक गम्भीर घटना की ओर आकर्षित किया था जिसके कारण उनके जनपद में 6 अल्पसंख्यकों की हत्या पुलिस द्वारा की गयी । इस प्रकार यदि कोई विधायक किसी घटना को यहां सदन में उठाता है तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप तलवार दूसरे लोगों पर चलने लगी है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में हरिजनों का मामला आया तो कोई कार्यवाही नहीं हुई, 6 अल्पसंख्यक मारे गये तो सरकार पर कोई जूं नहीं रेंगी और इस तरह आज दूसरे लोगों के मारे जाने का सिलसिला चालू हो गया है । इसलिये सरकार इसको गम्भीरता से ले और इसको रोके तथा सख्त से सख्त कार्यवाही करे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि कोई इस सम्मानित सदन का माननीय सदस्य किसी पुलिस के नाजायज काम को यहां उठाता है तो क्या क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही की जायेगी ? यदि ऐसा होगा तो भविष्य में ऐसे लोक महत्व के प्रश्नों को यहां कोई नहीं उठायेगा । मान्यवर, मुजफ्फरनगर में पुलिस जुर्म के खिलाफ भूतपूर्व विधायक नकली सिंह, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर में हैं, ने जब सत्याग्रह पर बैठने की घोषणा किया तो उन्हें पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बताकर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया है जबकि उनका जीवन निष्कलंक है किन्तु

उनके खिलाफ मुकदमा चालू हो रहा है । मान्यवर, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं लेकिन वहां दरोगाओं को इनाम दिया जा रहा है । तो मान्यवर, जितने सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ आज हिस्ट्रीशीट खोली जा रही है और उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है जबकि पुलिस लोगों की रक्षा के लिये है किन्तु पुलिस आज लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा रही है और सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है । मान्यवर, मुजफ्फरनगर में जिस दिन पुलिस के अत्याचारों को एवं अनेक शिकायतों को लेकर वहां के भूतपूर्व विधायक श्री नकली सिंह, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, ने वहां प्रदर्शन किया तो पुलिस ने बदले की भावना से उन्हें फर्जी मुकदमें में फंसा रही है और वहां की पुलिस को सरकार की ओर से परमिट मिल गया है कि निर्दोष लोगों की हत्या की जाय । जैसे कि मुजफ्फरनगर में सुधीर नाम के लड़के को पुलिस वालों ने मार दिया और उसकी विधवा मां के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया जो बड़े शर्म की बात है । इसलिये मांग है कि उसकी विधवा मां के खिलाफ मुकदमा न दर्ज किया जाय । मान्यवर, में श्री हरेन्द्र जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मामले को उठाया लेकिन जो बातें वहां उनसे हुई हैं उससे मैं समझता हूं कि आज तक कोई सार्वजनिक कार्यकर्ता या विधायक कोई सुरक्षित नहीं है । आज वहां पर कोई कानून नहीं कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है । जिस तरह के पुलिस के अधिकारी कृत्य कर रहे हैं वह बहुत ही शर्मनाक और निन्दनीय है । जिस तरह से वहां पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा बदले की भावना से उत्पीड़न की कार्यवाही की जाती है, उसको देखते हुए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उस मुकदमे को वापस करवा दीजिये और फिर भविष्य में मैं ऐसे सवाल फिर नहीं उठाऊंगा । सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में काम करने वाले के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार की कार्यवाही की गई है, और उस पर भी सरकार उसको देखती रहे तो इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, गम्भीर प्रश्न है, लेकिन जिस इलाके का यह मामला है, उससे किरनपाल जी, पाल साहब और आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा, जो गाजियाबाद होते हुए चलता है और मुजफ्फरनगर तक आता है, उसमें जिस तरह का माहौल है पिछले कई सालों से है, वह वाकई में बड़ा दुखदायी है । आज वहां आम जीवन खौफजदा है, लेकिन पिछले चार-पांच महीनों में उसमें कमी आई है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

तो क्या आप बेगुनाहों की हत्या करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

अभी तो वह बोल रहे हैं, आप बीच में बोलने लगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप आंकड़े देखेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे, पर इसे मैं सही नहीं कह रहा हूं। फिर भी यह इधर तीन चार महीनों में बनी स्थिति नहीं है, यह सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है (व्यवधान) देखिये उतनी ही शान्ति से मैंने आपको सुना है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप मंत्री जी की बात को सुनें, गृह विभाग पर आज और कल चर्चा होगी, जो रह जाय उसमें उस पर विस्तार से कह लीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पहले जिस तरह के हीनियस क्राइम्स होते थे, उसमें कमी आई है (व्यवधान) मैं उधर के मंडल का प्रभारी भी हूं, वहां मैं बराबर जाया करता हूं, कुछ लोगों के मरने के बाद लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है। जिनके बारे में इस सदन में कहा जाता रहा है, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वह नाम ऐसे नहीं हैं, जो सदन में लिये जायें। उनके काम इस तरह के नहीं थे कि सदन में नाम लेकर उन्हें चर्चित किया जाय। लेकिन इनके मारने के बाद ऐसा महसूस आम जनता में हुआ है, जो मासूम बच्चों और बूढ़ों का पैसा लेकर अपहरण का काम किया करते थे (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर मामला है, मैं फौरी तौर पर कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं (व्यवधान) मैं फौरी तौर पर कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। इंसानी जिन्दगी से कोई चीज कीमती नहीं है, कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये भी किसी को बेइज्जत करना उचित नहीं है। इस जवाब में इतना आया है कि जिन महिलाओं को अपमानित करने की बात कही गई है, यह सही नहीं है। लेकिन पूरी जानकारी के लिये मुझे समय चाहिए होगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम एक दिन का समय आपसे जानकारी करने के लिये हमें मिल जाय।

श्री किरनपाल सिंह–

मंत्री जी कह रहे हैं कि जो जवाब आया है, उससे वह संतुष्ट नहीं हैं और उसके जवाब के लिये व समय मांग रहे हैं, तो जवाब आप कल तक दे दीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं कोशिश करूंगा।

श्री किरनपाल सिंह–

मरने वाले की लाश तक उसकी मां को नहीं दी गई।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने बड़ी साफगोई के साथ कह दिया है, आप थोड़ा समय उनको पूरी घटना की जानकारी करने के लिये दे दें। मंत्री जी ने बहुत गम्भीरता से इसको लिया है।

श्री किरन पाल सिंह–

जो माननीय मंत्री जी के सूत्र थे, उनका जवाब माननीय मंत्री जी को संतुष्ट नहीं कर सका। माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मान्यवर, इनके सूत्र एस० एस० पी० होंगे और मंत्री जी कह रहे हैं कि जो जवाब दिया गया है उसको बताने में भी शर्म आ रही है इसलिये नहीं बता रहे हैं। यह अच्छी बात है कि इस तरह का जवाब न बतायें। लेकिन मान्यवर, क्या मंत्री जी कोई अपना सूत्र भेजकर कल तक जानकारी मंगवा लेंगे और उस विधवा को, जिसकी लड़कियां शादी के लिये हैं, उसको आर्थिक सहायता दिलवायेगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि कल तक जानकारी दे देंगे।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, एस० एस० पी० की जानकारी से मंत्री जी संतुष्ट नहीं हैं तो फिर अब किसको भेजेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

हमारे जो सूत्र हैं, वह तो आपको मालूम हैं। सरकार को जानकारी लेने का एक ही माध्यम है, जिन लोगों से जानकारी लेनी है, इन्हीं से जानकारी लेंगे, अगर उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो उच्च अधिकारियों से जानकारी लेंगे। लेकिन इतना फर्क होगा जानकारी लेनें में ....

श्री जगदम्बिका पाल–

एडिशनल डी० जी० को कह दें जानकारी लेने के लिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं उसका भी निदान करता हूं। जानकारी लेने में हमें देखना होगा कि जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाह रहे हैं उन पर जानकारी मिली या नहीं। जो जानकारी दी जाती है उससे हम मुतमईन नहीं होंगे तो खुद ही जायेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय में सारी बात आ चुकी है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां की जनता ने राहत की सांस ली है। माननीय मंत्री जी मेरी नोटिस पढ़ लें मैंने उसमें लिखा है कि मुजफ्फरनगर के नागरिक चक्की में पिस रहे हैं, दो पार्टी की। एक तरफ बदमाश हैं और दूसरी तरफ पुलिस। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने लोग मारे गये हैं उनमें से कोई एक नाम बता दें जो अपराधी रहा हो, जिसने कत्ल किया हो। यह लोग पुलिस के द्वारा मारे गये हैं बुलन्दशहर की पुलिस ने, गाजियाबाद की पुलिस ने सराहनीय कार्य किया होगा लेकिन मुजफ्फरनगर में

क्या हो रहा है ? पुलिस बेगुनाह लोगों को मार रही है । जिससे आज वहां नागरिकों में भय व्याप्त है । दूसरी बात मान्यवर, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं, मान्यवर, दिखवा लें कि अब तक जो 10-12 लोग मारे गये हैं इनमें सात लोग ऐसे हैं जिनके विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं है । अपने आई० जी० मेरठ से पता करवा लें । माननीय मंत्री जी सहारनपुर गये थे ।। तारीख को वहां पर वीरेन्द्र सिंह भी थे जो अब कांग्रेस में चले गये हैं । डाक बंगले पर बात हुई थी उन्होंने कहा था कि सारे मुसलमानों को मरवाया जा रहा है । मान्यवर, मुसलमानों का मरना तो कम हुआ है लेकिन दूसरे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं । मान्यवर, यह लोगों का कहना है जनता की आवाज है । हम जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की बात यहां कहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मलिक जी आज गृह विभाग का बजट भी है, उसमें चर्चा होगी । आपकी सूचना पर जबाव आ चुका है ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, सुन लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने सूचना दे दी है, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उस पर कार्यवाही करायेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं वहां के पुलिस प्रशासन की बात कह दूं वह क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव से कह कर मंत्री बनवा देंगे । मान्यवर, पुलिस वालों ने नकली सिंह को जूता दिखाया । सरे आम कत्ल हो रहे हैं । यह इस तरह से नहीं होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । गृह विभाग का बजट है उस पर कहियेगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मुस्लिमों की हत्यायें हो रही हैं । दीपा नाम की लड़की के साथ तीन दिन तक पुलिस बलात्कार कर रही है । कहा जाता है पुलिस ने बदमाश मारे हैं । कौन से बदमाश मारे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कल आपको सूचना दें देंगे । मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे इसमें जो तथ्य हैं उनकी जांच कराई जाएगी इसमें अब आप और क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

इस सदन की एक समिति बना दें।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना नियम–56 के अन्तर्गत दी गई है उसमें मंत्री जी ने कहा है कि जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री किरनपाल सिंह–

इन्होंने कहा जो सूचना भेजी गई उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें मंत्री जी खड़े हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया है उसकी गम्भीरता से मुझे कोई इनकार नहीं है। लेकिन उस पट्टी के माहौल के बारे में कहा गया कि उस पूरी पट्टी का माहौल अच्छा नहीं था।

(व्यवधान)

अरे भई, सुन तो लें। इसकी अहमियत से भाग नहीं रहा हूं। आपसे पहले भी कहा है जो जवाब आया है उससे मैं खुद मुतमईन नहीं हूं, इसलिये नहीं हूं बहुत से ऐसे बिन्दु जो नियम–56 के माध्यम से नोटिस में दर्शाये गये हैं उनका जवाब मैं समझता हूं मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है, तो जब मेरे पास सवालों के जवाब नहीं हैं मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। एक दिन का समय मांग रहा हूं, सत्र अभी नहीं उठा जा रहा है जो जवाब आप चाह रहे हैं वह कल आ जायेगा। जो नाराजगी है, जिज्ञासा है वह कल तक बनी रहेगी अच्छा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

तेजपाल सिंह (किसी सदस्य के न बोलने पर) मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं। श्री तेजपाल सिंह।

(व्यवधान)

सारी बात आ गई है अब आप बैठ जायं।

श्री किरनपाल सिंह–

रिपोर्ट कौन लेकर आयेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

सारी बात मंत्री जी ने कह दी है । मंत्री जी ने बहुत साफगोई से कहा है कि कल तक सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे । आप बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी मंत्री जी ने खुद इस बात का इकबाल किया है कि जिन बिन्दुओं पर संतोषजनक सूचना नहीं मांगी गयी थी, उन बिन्दुओं पर संतोषजनक सूचना नहीं प्राप्त हुई है । उसी मशीनरी से वह कल भी सूचना मंगवायेंगे । इस पर मेरा विश्वास है कि निष्पक्षता से उनको सूचना नहीं मिल पायेगी । यह सवाल जन सामान्य से जुड़ा हुआ है । पुलिस के आतंक और बदमाशों के आतंक से जुड़ा हुआ है । जिन तथ्यों के बारे में माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक ने संकेत किया है उन तथ्यों के बारे में जानकारी करने के लिये इस सदन की एक समिति आप बना दें वह समिति मौके पर जाकर सारे तथ्यों की जानकारी करके, उसकी रिपोर्ट आपको दे दे ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने बड़ी साफगोई से कहा है कि जिन तथ्यों के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है उनकी जानकारी कल उपलब्ध करा देंगे । कल माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये । कल्पना से आप यह मान लें कि उत्तर सही नहीं आयेगा यह बात तर्क संगत नहीं है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने इस संबंध में सारी बात कह दी है ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

जो बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, उससे इनकार नहीं है । जो सूचना उन्होंने दी है उससे वह खुद संतुष्ट नहीं है । तो जो कल सूचना आयेगी वह भी उन्हीं स्रोतों से आयेगी, जिसके खिलाफ हम आरोप लगा रहे हैं । जिस अधिकारी के खिलाफ हम आरोप लगा रहे हैं, उसी की सूचना पर सदन कैसे विश्वास कर सकता है ?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी इस चिन्ता को ध्यान में रखकर ही सूचना मंत्री जी मंगवायेंगे । ताकि सूचना की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह न लग सके ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा सुझाव यह है कि आप यहां से किसी भी अधिकारी को भेज दें । एडीशनल डी० जी० ला एण्ड आर्डर या मुख्यालय से किसी भी अधिकारी को भेज दें । वह सारी सूचना लाकर दे देगा । क्योंकि मान्यवर, कल सदन का अन्तिम दिन है । इसलिये कृपा पूर्वक मैं अनुरोध करता हूं कि आप यहां से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

किसी को भेजकर सूचना एकत्र करवाकर सदन उठने से पहले सदन को दे दें। उससे हम भी संतुष्ट हो जायेंगे और सदन भी संतुष्ट हो जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

किसी जिले में डी० एम० और एस० पी० के अलावा भी मण्डल के अधिकारी होते हैं। हम उनसे सूचना मंगवा लेंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

कल सदन का आखिरी दिन है इसलिये हम लोग परेशान हैं वैसे कोई परेशानी नहीं होती। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री जी भी इस बात से सहमत हैं कि बड़ी नृशंस हत्या हुई है। बड़ा दुख है और मान्यवर, सूचना सही नहीं आ पायी है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जैसे तेवर वाले मंत्री ने यह कहा आपको कहना चाहिए था कि यहां से हम किसी उच्चाधिकारी को भेजेंगे जो कल तक रिपोर्ट भेजेगा और वह रिपोर्ट यहां पेश होगी और उसके सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण होंगे और जिस अधिकारी ने रिपोर्ट भेजी है, जिसे आप ठीक नहीं समझते हैं और पढ़ने में शर्म महसूस कर रहे हैं अगर रिपोर्ट गलत होगी तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आप मरने वाले पर थोड़ा रहम और तरस तो खाइये। आप सरकार में हैं, आप प्रदेश चला रहे हैं, आप पर लोगों की आशायें लगी हैं और आप इतने बेरहम हो रहे हैं कि मरने वाले के प्रति आपके मन में तरस नहीं है। सच्चाई कैसे मालूम होगी, कौन दोषी है, किसके ऊपर मुकदमा कायम होगा इसकी जानकारी आनी चाहिए। जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करना चाहते हैं उसमें आप बाधा डाल रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप यहां से किसी अधिकारी को भेजें ताकि सही तथ्यों की जानकारी हो सके और सत्यता के आधार पर कार्यवाही हो सके।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, किरनपाल सिंह जी ने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी कि मरने वाले के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। हम तो खुद ही मरने वालों में से हैं। हम सदियों से सताये हैं, हम तो खुद ही मरे हुए हैं। बहुत काफी अहसास है मरने मारने का। आपकी ख्वाहिश है तो वहां एक बड़े अधिकारी हैं, आई० जी० नसीम अहमद, उन्हें हम बुलाने की कोशिश करेंगे और उनसे जांच कराने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

ठीक है आप कहें कि वह रिपोर्ट लेकर आ जायं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ठीक है।

* श्री तेजपाल सिंह (मथुरा)–

मान्यवर, मेरी सूचना जनपद मथुरा की अपर आगरा कैनाल के संबंध में है । मान्यवर, मथुरा की वह सीमा जो हरियाणा और राजस्थान से लगी हुई है वहां पर सिंचाई की समस्या है । अपर आगरा कैनाल जो ओखला से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से होते हुए आगरा और मथुरा की सिंचाई करती है । आप देखेंगे कि नहर के नाम पर इसमें जो पानी दिया जाता है वह पानी नहीं है बल्कि दिल्ली की गंदगी और मैला व गंदा पानी इस नहर के जरिये दिया जाता है । इस पानी के लिये भी लोग तरसते हैं । मुख्य बात यह है कि इस सरकार ने घोषणा की है कि टेल तक पानी पहुंचाया जायगा । माननीय नेता सदन ने घोषणा की थी कि 98 फीसदी, टेल तक पानी देने की व्यवस्था कर चुके हैं । लेकिन मुझे अफशोस के साथ कहना पड़ता है कि टेल के नाम पर बात करने वाली सरकार में आज तक कभी टेल तक पानी देने की व्यवस्था नहीं की गयी है । यह गंदा और विषैला पानी जो दिया जाता है यह पूरी मात्रा में नहर में नहीं जाता है । जो हेड होता है वहां का मीटर बताता है कि साढ़े तीन फुट पानी नहर में दिया जा रहा है लेकिन वास्तव में पानी एक डेढ़ फुट दिया जाता है । इसका कारण यह है कि नहर में 2 फुट तो सिल्ट ही जमी रहती है इसलिये सिल्ट जमी होने के कारण नहर के टेल तक पानी पहुंचने का सवाल नहीं है । इसमें अविलम्बनीय समस्या यह है कि इस समय हमारे यहां का जो इलाका है जो सीमावर्ती राजस्थान से लगा हुआ इलाका है वहां पर मरुस्थल का प्रभाव बढ़ रहा है और पानी का भीषण अकाल पड़ा हुआ है । नगर विकास मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाय । आशा है मेरे अनुरोध को वह स्वीकार भी करेंगे ।

इस समय सबसे बड़ी समस्या मवेशियों के लिये पीने के पानी संबंधी है । अपर आगरा कैनाल का पानी राजस्थान सरकार को डंडे के जोर पर उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है । और अब हमारी सरकार पूरे 4 हफ्ते से आगरा कैनाल के नंदग्राम रजबहा से डींग स्केव द्वारा राजस्थान को पानी की आपूर्ति कर रही है, उसे तुरन्त रोक कर जनपद मथुरा, विधान सभा क्षेत्र छाता के राजस्थान सीमा से लगे गांव कामर, सिरथला, गढ़ी बरवारी, बदनगढ़, भरौकर, मेहराना, रीठौरा, लोहरवारी, कूंठरी, मैनकी, ऊंचा गांव, मानपुर, चिकसौली, दवाला, राकौली, नारा और हाकिया, जानू, मेरौली, गुरसेरस, दौरातपुर आदि गांवों के सूखे पड़े तालाबों और पोखरों को भरा कर पानी मुहैय्या करायें । जो बड़े गांव रजबहा से उक्त ग्रामों के काश्तकार पानी ले जाने के लिये प्रयास करते हैं, तो गस्त कर रही राजस्थान पुलिस उन्हें मारती-पीटती है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान को दिये जाने वाले पानी की आपूर्ति अविलम्ब बन्द करके पहले प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के सूखे तालाबों को भरवाया जाय और साथ ही यह भी अनुरोध करूंगा कि इस अपर आगरा कैनाल में गंदा पानी आने के कारण जो सिल्ट जमा हो जाती है , इसलिये इसकी सफाई के लिये साल में दो बार रबी और खरीफ की फसल से पहले सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायें । मान्यवर, सरकार ने जो भरोसा दिया था कि रबी की फसल में किसानों को टेल तक पानी पहुंचायेंगे, सरकार इसमें फेल हो गयी है । इस नहर का पानी कभी भी टेल तक नहीं पहुंच पाया है । यह तभी सम्भव होगा,जब साल में दो बार इसकी बजाय छिलाई से खुदाई कराई जाय । इस कैनाल से लगे हुए रजबहों और माइनरों की व्यवस्था भी इसी प्रकार सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्षेत्र के निचले इलाके में जहां खरीफ में धान की फसल बड़ी तादाद में बोई जाती है, उसके लिये आवश्यक हो गया है कि खरीफ की फसल में भी उन सभी नहरों, माइनरों और रजबहों की सफाई होनी चाहिए । अतः बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सदन के सभी नियमों को स्थगित कर इस पर अविलम्ब चर्चा कराई जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जनपद कानपुर देहात में तहसील घाटमपुर हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत इस समय कई गांवों में आग लग गयी है, जो हमारे ग्राम मुड़ेपुर कुड़नी बंगली, कैथा, इटर्रा, बेलणं, वारी गांव आदि में सैकड़ों घर जल राख हो चुके हैं। वहां अधिकारियों द्वार जो 750 रु० की धनराशि इस क्षति के लिए निश्चित की गयी है, वह भी उन्हें मुहैय्या कराई गयी। आज स्थिति यह है कि अचानक आग जाने से आज कल गांवों में पानी की भी दिक्कत है, पानी है नहीं, तालाब सूखे पड़े हैं, जब आग लग जाती है, तो उनको बुझाने में कठिनाई होती है। इन सारे के सारे घर जल जाते हैं, जल कर राख हो जाते हैं, बावजूद भी 15 दिन तक अधिकारियों द्वारा कोई भी राहत कार्य नहीं दिया जाता है। गांव के लोग आपस में चन्दा करके, अनाज आदि इकट्ठा करके राहत देने का कार्य करते हैं। मान्यवर, ग्राम मड़ेपुर में कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी गये थे, और उन्होंने सभी घरों का निरीक्षण कर 20 हजार रु० की धनराशि मंत्री की ओर से देने की घोषणा की थी और सभी दलितों को इंदिरा आवास देने की बात कही थी, एक हैण्ड पम्प लगाये जाने की बात कही थी, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया। यह सरकार खोखली घोषणा कर रही है और इसके पहले भी इस विषय पर सदन में ग्राह्यता पर चर्चा हुई थी, जिस पर सारे सदस्यों की यह भावना थी कि जो आगजनी के बाद सरकार की ओर से राहत के लिए धनराशि निश्चित है, वह बहुत कम है, उसे बढ़ा कर 5000 रु० कर दिया जाय। उस पर भी सरकार मुकर रही है। उनको खाने के लिए भोजन और पहनने के लिये कपड़ा नहीं रह गया है। जो धनराशि सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं के लिये दी जाती है, उसको बढ़ाने का विचार था और यह था कि इसको 5 हजार तक कर दिया जाये, लेकिन मान्यवर, सरकार उससे मुकर गयी है। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है, गांवों में आग लग गयी और लोगों के मकान जल गये, उनके खाने का सामान जल गया, पहनने के कपड़े जल गये, लेकिन इतना होने पर भी तहसील का कोई भी अधिकारी या जिले का अधिकारी वहां पर नहीं गया जो राहत का कार्य करता और जो निश्चित है उसको भी नहीं मुहैय्या कराया, गया है।

श्री अधिष्ठाता–

सचान जी आप ग्राह्यता पर बोलें, आप तो घटना पर बोल रहे हैं।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर आप चर्चा करायें, जिससे सरकार द्वारा आगजनी से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। श्री ऊदल जी की जो सूचना है, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है और जो राकेश सचान जी की सूचना है, उस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरी एक सूचना है, उस पर सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी, नियमों के तहत सदन की कार्यवाही चलेगी। 5 सूचनाओं को मैंने सुन लिया है। आप स्वयं सहमत होंगे, यह कैसे हो सकता है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

ज्यादा समय नहीं लगेगा। केन्द्र सरकार की सहायता से एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार को मिली थी, यह योजना 10 करोड़ की थी और कुक्कुट पालन की थी और उसकी पहली किश्त 4 करोड़ 30 लाख की मिल चुकी है। मत्स्य निगम ने जिस अधिकारी को इस योजना का कार्य सौंपा है, उस अधिकारी ने क्या किया कि 4 करोड़ 30 लाख का अनुपयोगी सामान खरीद लिया उसको स्टोर में डाल दिया और उसके बाद कुक्कुट विशेषज्ञों से राय ली गयी और राय में यह बाद सामने आयी कि जो सामान खरीदा गया है, वह अनुपयोगी है और इस कारण जो शेष राशि केन्द्र सरकार से मिलने वाली थी वह नहीं मिल पायी है। इस अधिकारी को सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है, उसके पास भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रमाण है तीन-तीन सालों तक प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टियां दी गयी हैं, और उसके बाद भी 10 करोड़ का काम उसके सुपुर्द कर दिया गया, उसने 4 करोड़ 30 लाख का अनुपयोगी समान खरीद लिया और केन्द्र सरकार से जो धनराशि मिलनी थी वह नहीं मिली और वह खटाई में पड़ गयी है और इस अधिकारी को सेवा में बनाये रखने की साजिश की जा रही है। जो यह भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी जांच की जाये और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाये।

श्री ऊदल–

माननीय वर्मा जी ने जो बात कही है, उससे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। इस अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रपति शासन में महामहिम राज्यपाल के समय में 15-11-1993 को कार्यवाही करने के आदेश हुये थे, लेकिन उस फाइल को दबा दिया गया और उस अधिकारी की सेवा का कार्यकाल 1993 में समाप्त हो गया था और अब पुनः कोशिश की जा रही है कि उसको रखा जाये। इसलिये आप इस बात से अवगत करायें और सरकार को निर्देश दें कि इस अधिकारी द्वारा जो भ्रष्टाचार और गबन हुआ है, उसकी जांच करायें और इस पर सख्ती से कार्यवाही करें और उस अधिकारी के कार्यवाही करें।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

माननीय ऊदल जी ने जिस अधिकारी के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये हैं, उस अधिकारी को मैं बहुत अच्छी तर से जानता हूं और मुझे स्पष्ट जानकारी है कि वह करोड़ों रुपये के घोटाले में लिप्त है और उसे बचाने की साजिश के परिणाम स्वरूप वरिष्ठ अधिकारियों में मा० नेता सदन के नाम का

उल्लेख भी पत्रावली में किया है । मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाया जाय तथा सदन के नाम का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके, सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

मान्यवर, अधीनस्थ अधिकारियों ने यह रिपोर्ट देकर कि यह सदन के संज्ञान में था उसके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं और उसके बावजूद नेता सदन के आदेश से नियुक्त किया गया है । मान्यवर, उस अधिकारी का कार्यकाल समाप्त किया जाय और उसके खिलाफ जांच करायी जाय । इस सम्बन्ध में लिखित प्रतिवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने प्रस्तुत किया था । इस पर आप स्पष्ट व्यवस्था दें कि सरकार इस पर जांच करायें और उस अधिकारी का कार्यकाल फरवरी 93 को समाप्त हो गया था तो इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रदेश के निकम्मे अधिकारी को बचाने के लिए जिन अधिकारियों ने माननीय नेता सदन को भी शामिल करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय तो इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है ।

श्री ऊदल–

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मना नहीं किया है ।

माननीय महराज सिंह अपनी याचिका उपस्थित करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस याचिका को बाद में उपस्थित कराइये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

जनपद इटावा के अन्तर्गत ग्राम पाथ एवं जायसिंहपुरा में पुरहा नदी को चौड़ा व गहरा कराने के सम्बन्ध में याचिका †

(निम्नलिखित याचिका पढ़ी हुई मान ली गई)

श्री महाराज सिंह यादव–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद इटावा के अन्तर्गत ग्राम पाथ एवं जायसिंहपुरा, पो० ताखा में पुरहा नदी को चौड़ा व गहरा कराने के सम्बन्ध में श्री शिव प्रताप सिंह तथा श्री सुरेश चन्द्र निवासीगण–जनपद इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं ।]

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित तथा कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मेरी एक महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस गम्भीर प्रकरण पर कुछ शासन का भी मत आ जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने दूसरी मद ले लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इतने बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार कुछ बता दें । इस पर आप कुछ कहलवाइये ।

(नगर विकास मंत्री को पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सारी सूचनाओं को सुन लिया है यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती हैं यह सब अस्वीकार की जाती हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उसने जो लिखा था इससे गम्भीर प्रकरण और क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना हमारे पास नहीं है जो कार्यसूची में 7 सूचनाएं थीं उनको मैंने सुन लिया है, मैं नगर विकास मंत्री को बुला रहा हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(श्री राकेश सचान के बोलने के लिए खड़े होने पर)

आप कितनी सूचनाओं पर बोलेंगे, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है अब आप स्थान ग्रहण करें। अब मैं नहीं सुनूंगा आप बैठें।

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, इस अधिकारी ने अपने नाम के आगे हरिजन शब्द लिखा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

पूरे देश का सम्मान किया है, पूरे राष्ट्र का सम्मान किया है। ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ सरकार ने कार्यवाही करने की साजिश रची है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने पूज्य महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन किया, महात्मा गांधी जी ने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, दलितों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था ऐसे पूज्यनीय बापू जी के आदेशों पर वह अधिकारी चला और उसने अपने नाम के आगे हरिजन शब्द लगाया और उसी के खिलाफ यह सरकार कार्यवाही करने जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी यह सूचना मेरे पास नहीं आयी है। जब आप सूचना देंगे तभी तो सुना जायेगा आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? जो आपकी यह सूचना है उसे कल दे दीजियेगा तब सुन लिया जायेगा।

(श्री प्रमोद तिवारी जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अभी जब मैं बोल रहा था तो उससे पहले आपने माननीय राकेश सचान जी को बोलने के लिए कहा था और मैंने उनसे माफी मांगते हुए अपनी बात पहले कह ली थी। तो आप उनको अब मौका दे दें और दो मिनट उनकी बात को सुन लें अन्यथा माननीय सदस्य मेरी वजह से अपने अधिकार से वंचित हो जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सचान जी का नाम मैंने ससम्मान लिया था और मैंने उनकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है। आज गृह विभाग का भी बजट है और नगरपालिका का विधेयक भी आने वाला है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, केवल दो मिनट दे दें यह अपनी बात दो मिनट में पूरी कर लेंगे ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, ग्राम कुड़नी में ग्राम समाज का तालाब था । उस पर उस गांव के और बगल के गांव के लोग अवैध कब्जा करने लगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात संक्षेप में कहें । आप तो पूरी कहानी सुनाने लगते हैं ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं । अवैध कब्जे की शिकायत के लिए लोग तहसील गये और एस०डी०एम० से मिले तो उन्होंने यह आदेश दिया कि सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य तुरन्त बन्द कराया जाये । उस आदेश की प्रति लेकर लोग चौकी इंचार्ज के पास गये तो वहां के चौकी इंचार्ज ने लोगों को हड़काया और मारा उस आदेश को नहीं माना । तथा जबरन कब्जा करने वालों का सहयोग किया जब गांव के लोग तीन ट्रेक्टरों में बैठकर सैकड़ों लोग जिलाधिकारी से शिकायत करने जा रहे थे तो पुलिस के लोगों ने उन्हें चौराहे पर रोका और मारा पीटा 151 की धारा लगा कर चालान कर दिया । जैराम कुशवाहा नामक एक व्यक्ति का फ्रैक्चर हो गया । वहां के चौकी इंचार्ज सोबरन सिंह ने का कि मेरी शिकायत करोगे तो यही हाल करूंगा । लोकतंत्र में वह अपनी बात को कहने के लिए जिलाधिकारी के पास गये थे लेकिन उसने यह कहा कि अगर कोई भी मेरी अधिकारी से शिकायत करेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं । ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दें तथा निलम्बन की कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपने नाम के साथ 'हरिजन' शब्द जोड़े जाने पर शासन द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था उठाना चाहता हूं अभी हमारे एक माननीय सदस्य जो वरिष्ठ भी हैं एक प्रश्न उठाया था और उसमें कोई नियमों की जरूरत नहीं है । महात्मा गांधी जी के लिए कोई नियम नहीं हैं और उनका आदर सभी लोग करते हैं । उन्होंने एक उद्धरण दिया कि पुलिस की एक जो पत्रिका प्रकाशित होती है, उसके सम्पादक के रूप में एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने अपने नाम के आगे "हरिजन" शब्द का प्रयोग कर लिया । मान्यवर, यह शब्द राष्ट्रपिता के लिये सबसे प्रिय था और बहुत से नेताओं ने भी कहा है कि यदि यह बहुत ही प्रिय है तो अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाते । अब जब किसी ने हरिजन शब्द अपने नाम के आगे लगाया है, तो अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है, यह आलोचना का विषय नहीं हो सकता । यदि उसे प्रशंसनीय कार्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करने पर दंडित किया जायेगा तो यह गलत परम्परा कायम होगी । यह सरकार पता नहीं किसके इशारे पर, किसके दबाव में किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है, यह अत्यन्त दुखद है और निन्दनीय भी है । यदि उस अधिकारी ने अपने नाम के साथ हरिजन शब्द का प्रयोग किया है और उसे दंडित किया जाता है तो यह महात्मा गांधी का अपमान होगा, इस सदन का अपमान होगा, भूमिका के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं, अब व्यवस्था के माध्यम से मेरा आग्रह यह है कि माननीय आजाद जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह महात्मा गांधी के सन्देश से संबंधित प्रश्न है, वह इसे नियम–56 में लाये हैं । आपकी पीठ को अधिकार है कि यदि आप ऐसा समझते हैं कि यह अत्यन्त महत्व का प्रश्न है, तो इसे आप स्वीकार कर सकते हैं और दो मिनट बोलने की अनुमति कर सकते हैं । मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपने जो 7 सूचनायें ली हैं, व अपने स्थान पर हैं । आपका यह भी अधिकार है कि विषय के महत्व को देखते हुये जो माननीय सदस्य और भी इस पर बोलना चाहें, उन्हें आप दो मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, यह सूचना पटल कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है । आप कल किसी नियम में दे देंगे तो इसको सुन लिया जायेगा । आज गृह विभाग का बजट आने वाला है, उस पर माननीय सदस्य जो विचार रखना चाहेंगे, उसे सुन लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह तो स्पष्ट हो गया कि इसे आप कल सुन लेंगे और अवश्य सुनेंगे ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994

नगर विकास मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन् यह जो संशोधन विधेयक है, इसकी आवश्यकता समाजवादी सोच वाले लोगों के दिमाग में तो बहुत पहले से रही है । क्योंकि श्रीमन् जो स्थानीय निकाय हैं, या हमारी ग्राम पंचायतें हैं, वह हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई के रूप में मानी जाती है लेकिन यह बहुत ही खेदजनक स्थिति रही है कि हमारे स्थानीय निकाय और हमारी ग्राम पंचायतें, जो उसने अपेक्षायें थीं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सर्वथा असमर्थ रहीं । श्रीमन्, इसके बहुत से कारण रहे हैं, जैसे वैधानिक कारण भी रहे हैं, वित्तीय संसाधन भी रहे हैं, वहां काम करने की शैली भी रही है । ऐसे बहुत से कारण रहे, जिनके कारण जो अपेक्षायें की जाती रहीं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती रही । समाजवादी विचारधारा के लोग बहुत पहले से इस बात को सोचते रहे हैं कि हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का जो राजनीतिक ढांचा हो, वह 4 खम्भों पर स्थापित हो, लेकिन अब तक यह सिर्फ दो खम्भों पर ही स्थापित रहा है । श्रीमन्, इस संबंध में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस सोच में पहले की और जो 74वां संशोधन में हुआ, उसमें ऐसी व्यवस्थायें की गयीं, जिनसे लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने में सहायता मिले और जिसने हमारी जो सोच लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की है, उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी । इसीलिये श्रीमन्, 74वां संशोधन के तहत, हमारी उस विचारधारा

के तहत, कि हमारे स्थानीय निकाय, जो इस तरह के नहीं हैं कि वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें, वह इस लायक बन सकें कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करें ही, साथ ही लोकतंत्र की प्रमुख इकाई के रूप में वह ऐसी व्यवस्था चलावें जिससे हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायता मिलती रहे ।

(इस समय 2 बज कर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इसी आधार पर श्रीमन्, इस विधेयक को लाया गया है । यद्यपि मैं इस विधेयक को नये विधेयक के रूप में देखता हूं क्योंकि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किये गये है । समय की कमी के कारण क्योंकि इसमें अधिक समय लगता इसलिये समय बचाने की दृष्टि से इसको संशोधन विधेयक के रूप में रखा गया है । हमारे ऊपर संवैधानिक दायित्व था कि 31 मई तक इसको पारित करायें और यदि 31 मई तक हम पारित नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से संविधान की जो धारायें हैं और जो संविधान की अपेक्षायें हैं उनमें एक वैक्यूम पैदा हो जायेगा, एक शून्य पैदा हो जायेगा इसलिये इसे संशोधन विधेयक के रूप में लाये हैं । जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया गया है । अभी तक वित्तीय व्यवस्था ठीक न होने के कारण जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति स्थानीय निकायों के जरिये से नहीं हो पाती थी, और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आकर खड़ा होना पड़ता था, इनको सड़क के लिये, सफाई के लिये, रोशनी के लिये उ०प्र० सरकार से गिड़गिड़ाना पड़ता था, यह स्थिति लोकतंत्र के लिये अच्छी नहीं है अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत इस लायक बनाना चाहते हैं कि वह लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई के रूप में काम करें तो निश्चित रूप से उनके लिये वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिये इसमें वित्तीय संसाधन की भी व्यवस्था की गयी है । अब तक के जो अनुभव रहे हैं उनमें वित्तीय अनुशासन का अभाव रहा है । इस संशोधन विधयेक में वित्तीय संसाधन और वित्तीय अनुशासन दोनों का प्रावधान किया गया है, ताकि वे अपने कामों को ठीक ढंग से कर सकें, लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें ।

अब मैं कुछ विशेष मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अब तक जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, नगर पालिका, सिटी बोर्ड, और नगर महापालिका, इस प्रकार से पांच-छः व्यवस्थायें हमारे यहां थी । अब हम इसको तीन स्तरीय कर रहे हैं । एक नगर पंचायत जो 30 हजार से लेकर एक लाख की आबादी की होगी, दूसरा नगर परिषद्–एक लाख से लेकर पांच लाख की आबादी तक, तीसरे नगर निगम जो पांच लाख की आबादी से ऊपर के होंगे । लेकिन जो मौजूदा टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया हैं जिनकी आबादी 30 हजार से कम हैं अभी हम उनको भी नगर पंचायत का दर्जा देंगे, उनको अलग नहीं करेंगे । 30 हजार की आबादी का जो प्राविधान रखा है वह भविष्य में जब नई नगर पंचायतें बनेगी उन पर लागू होगी । पर्वतीय क्षेत्र के लिये आबादी को आधा रखा गया है जैसे नगर पंचायत के लिये 15 हजार से 50 हजार की आबादी, इसी प्रकार अन्य के लिये कौन हैं । इसके साथ ही इनके कक्षों का परिसीमन इस प्रकार किया जायेगा कि जो भी वार्ड बने उसमें वोटरों की संख्या समान हो । नगर निगमों में सदस्यों की अधिकतम संख्या 110 और नगर परिषद् में अधिकतम सदस्यों की संख्या 55 होगी और नगर पंचायत में 15 के स्थान पर 24 होगी । एक महत्वपूर्ण बात खासतौर से कहना चाहता हूं कि इनके सारे चुनाव जनता से सीधे कराये जाने की

हमने व्यवस्था की है । चाहे वह नगर निगम के चुनाव हों, या मेयर का चुनाव हो, या किसी का हो, नगर परिषद् के अध्यक्षों का या नगर पंचायत अध्यक्षों का, चुनाव सीधे जनता के जरिये से किया जायेगा । इसको अविश्वास प्रस्ताव के मामले में यह प्रतिबन्ध है कि दो साल तक उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आयेगा । 2/3 से अधिक संख्या में अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिये (व्यवधान)

2/3 सदस्यों के रूप में किया गया है ।

(श्री राम आसरे वर्मा के बोलने पर)

जहां तक आरक्षण की व्यवस्था का संबंध है । जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण होंगे, जिनमें से एक तिहाई सदस्य उन जातियों की महिलायें होंगी, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण होगा और महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण होगा, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की एक तिहाई महिलायें सम्मिलित होंगी । सभी प्रकार की नगरपालिकाओं में सभी पद निर्वाचकों द्वारा भरे जायेंगे अर्थात् नगर प्रमुख और अध्यक्ष के भी निर्वाचन प्रत्यक्ष होंगे । उप नगर प्रमुख और उपाध्यक्ष का कार्यकाल पालिका के समकालीन होने के बजाय अब मात्र एक वर्ष रहेगा और उनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायेगा । उप नगर प्रमुख के विरुद्ध अब अविश्वास प्रस्ताव का कोई प्राविधान नहीं रहेगा । नगर प्रमुख और अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दो वर्ष के उपरान्त दो तिहाई बहुमत से लाया और पारित किया जा सकेगा । प्रत्येक नगर महापालिका का कार्यकाल पांच वर्ष होगा । अब नगर महापालिकायें अवक्रमित नहीं हो सकेंगी । विशिष्ट आधारों पर केवल विघटन हो सकेंगे किन्तु 6 मास के भीतर पुनर्निर्वाचन और पुनर्गठन करा दिया जाना अनिवार्य होगा । यदि कार्यकाल में 6 मास से कम अवधि शेष है तो पुनर्निर्वाचन अवश्य नहीं होगा । तीन लाख से अधिक जनसंख्या की नगर परिषदों और नगर निगमों में कक्ष समितियां होंगी । नगर निगमों में दस कक्षों पर और नगर परिषदों में पांच कक्षों में एक कक्ष समिति हो सकेगी । कक्ष समिति में कक्षों के सदस्य ही सदस्य होंगे जो अपने में से अपना अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे । कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगी जो नियमों द्वारा विहित किये जायं । नगर पालिकाओं के सामान्य निर्वाचन और उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जायेंगे । नगरपालिका के सभासद/सदस्य होने के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी । प्रत्येक नगर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जायेगा जो कक्ष कहे जायेंगे । कक्षों का आरक्षण नियमों द्वारा विहित रीति से किये जायेंगे । प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जायेगी । नगर निगमों में मुख्य नगर अधिकारी के साथ ही एक या एक से अधिक अपर मुख्य नगर अधिकारी हो सकेंगे । मुख्य नगर अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकार अब वेतनमानों के स्थान पर पदों के अनुसार होंगे । राज्य के कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों में समाविष्ट जिलों में नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों, नगर निगमों और जल संस्थानों के लिए सामान्य सेवायें सृजित की जा सकेंगी ।

संविधान की 12वीं अनुसूची में दिये गये कृत्यों के अनुसार नगरपालिकाओं के अनिवार्य कृत्यों में वृद्धि की गयी है, यथा घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यक प्रयोजनों के लिए जल सम्पूर्ति, पार्किंग स्थलों. बस स्टाफ और जन सुविधाओं और निर्माण और उनके संधारण, मातृत्व केन्द्रों और शिशु कल्याण एवं

संतति निगृह सदनों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, छोटे परिवार के मानक का उन्नयन, वधशालाओं और चर्मशालाओं विषयक व्यवस्थायें, नगर वानिकी, परिस्थित की पहलुओं की वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण, समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति भी हैं, के हितों का संरक्षण, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि, कांजी हाउस का निर्माण और संधारण और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, गन्दी बस्तियों का सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता कम करना तथा नगरीय सुविधाओं तथा सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदान की व्यवस्था भी सम्मिलित होंगे। संविधान के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है जो अब राज्य द्वारा उदग्रहणीय करों, स्थलों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण और ऐसे आगमों के अंशों का आवंटन सम्पुनिर्दिष्टीकरण एवं विनियोजन, राज्य की संचित निधि से सहायतार्थ अनुदान, नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय आदि के संबंध में राज्यपाल की संस्तुतियां प्रस्तुत करेगा जो विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी। पालिकाओं के वित्तीय अनुशासन को पुष्ट बनाने के प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। महापालिका अधिनियम में लेखे और उनके संप्रेक्षण हेतु विस्तृत प्राविधान हैं। इनको और अधिक प्रभावी बनाने हेतु नियमावली बनायी जायेगी और वित्तीय अनुशासन पुष्ट किया....श्रीमन् यह 74वां संशोधन है। जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन कर दिया था कि इसे जल्दी ही पारित करना था। मुझे नहीं मालूम परन्तु श्री तिवारी जी बता रहे हैं कि शायद कल अन्तिम बैठक होगी। अगर उनकी बात सही है तो इसे पास कराना और भी आवश्यक हो गया है। इसलिए इसे तत्काल पारित किया जाय। शायद 31 मई तक उनके बैठने की भी इच्छा नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जिन-जिन बिन्दुओं को श्री तिवारी जी उठायेंगे, उनका जिक्र तो मैं बाद में करूंगा, परन्तु आशा करता हूं कि वह उन संशोधनों को वापस भी लेते जायेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सरकार हर काम जल्दबाजी में करती है। कल सदन का अन्तिम दिन है, यह तो इनको पहले मालूम होना चाहिए। यह जानबूझकर इसे इस दिन लाये हैं ताकि अगर कल उसे हम पारित नहीं करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेंगे। चूंकि आज गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण बजट है, जिस पर चर्चा होनी है, इसलिए जानबूझकर इसे आज लाये हैं। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है कि इनकी नीयत क्या है ? चूंकि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से यह आया है।

श्री अध्यक्ष–

सबसे ज्यादा तो माननीय तिवारी जी ही जानते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उनकी नीयत साफ है, यह हम जानते हैं और हमारी नीयत साफ है, यह वह जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आत्मा का आत्मा से संबंध होता है।

श्री प्रमोद तिवारी–

श्रीमन्, जब आत्मा का आत्मा से संबंध हो जाता है तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मान्यवर, मैं साथ ही साथ संशोधन भी रखते जाता हूं तो सहूलियत रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री तिवारी जी, पहले आप विचार रखते फिर संशोधन रखते।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं चाहता था कि दोनों कार्य एक साथ हो जाते। मैं आपकी अनुमति से रख रहा हूं। खण्ड 69 द्वारा मूल अधिनियम की बढ़ाई जाने वाली नई धारा 579–क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द "अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की" के स्थान पर शब्द "तथा अन्य समितियों की" रख दिये जायं,

खण्ड 69 द्वारा मूल अधिनियम की बढ़ाई जाने वाली नई धारा 579–क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशासक कहा गया है" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा इसे निमित्त नियुक्त प्रबन्ध समिति में, जिसमें एक अध्यक्ष एवं अधिकतम दस सदस्य होंगे" रख दिये जायं, तथा

खण्ड 69 द्वारा मूल अधिनियम की बढ़ाई जाने वाली नई धारा 579–क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में, पंक्ति 7 में, प्रयुक्त शब्द "अथवा मुख्य नगर अधिकारी" निकाल दिये जायं।

खण्ड 69 में जहां-जहां शब्द "प्रशासक" प्रयुक्त हुआ है वहां-वहां शब्द "प्रबन्ध समिति" रख दिये जायं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 जो यहां लाया गया है, इसका सपना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने देखा था और मौजूदा श्री नरसिंह राव जी की सरकार ने 74वें संशोधन के माध्यम से भारत की संसद द्वारा इसे पारित कराया है। इसके उद्देश्य बड़े पवित्र हैं। जहां पहले नगरपालिकायें, नगर महापालिकायें व टाउन एरियाज की पहले जो जिम्मेदारी थी कि वह छोटे-छोटे शहरों, कस्बों की सुख-सुविधा का ध्यान रखें। आप एक नजर डालें तो आजादी के बाद इन समितियों का कार्यकाल रह नहीं पाया उसका कारण यह था कि एक बार जब चुनाव हो जाते थे तो दुबारा चुनाव सरकार की मर्जी पर रहा करते थे या मौसम और परिस्थितियों के अनुकूल रहते थे। जब सरकार समझती थी कि राजनीतिक दृष्टि से लाभकर होगा तो करा देती थी और जब लगता था कि अनुकूल नहीं रहेगा तो चुनाव टाल देती थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इनको नामित कर दिया जाय और जनप्रतिनिधियों का दायित्व सुनिश्चित कर दिया जाय और इन संस्थाओं के कार्यकलाप भी थोड़े बढ़ा दिये जायं। इसके पीछे मूल उद्देश्य यही था कि हमारी टाउन एरिया, नोटीफाइड ऐरियाज या नगर पालिकाओं से अपेक्षा तो ज्यादा रहती हैं लेकिन उनके संसाधन नहीं होते हैं तो इसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि उनके संसाधन भी बढ़ें और कार्यकाल भी नियमित हो। यह छोटी विधान सभाओं के रूप में काम करेंगी यह कहना अनुचित नहीं होगा। अब नगर पालिकाओं जिनका नाम नगर परिषद् या 20 हजार की आबादी वाली जो संस्थायें हैं उनके अब निश्चित अवधि में चुनाव होंगे, चुनाव

कराना एक तरह से संवैधानिक जिम्मेदारी होगी जिसका निर्वहन करना पड़ेगा । अब अपेक्षा यही है कि चुनाव समय से होते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों का सीधा संबंध सदा सर्वदा बना रहेगा ।

एक बात जो अच्छी हैं इसमें वह हैं नगर प्रमुख के बारे में । पहले थी नगर प्रमुख चुने जाते थे लेकिन वह धनबल के रहते हो जाते थे । वह लोग जो वार्ड से चुने नहीं जा सकते थे प्रमुख बन जाते थे । अब नगर प्रमुख का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा । अब हम अपेक्षा ही करते हैं कि जो नगर प्रमुख निर्वाचित होंगे वह जनबल के साथ होंगे धनबल के प्रभाव से कम होंगे, अब वह सीधे जनता के प्रति जबावदेह होंगे और जनता की समस्या समझेंगे ।

तीसरा मुख्य बिन्दु यह है कि इन संस्थाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है । अगर यह आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो यह अपना काम ठीक से नहीं कर पायेंगे क्योंकि अभी तक यह अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं ।

जिस कार्य के लिए संशोधन लाना पड़ा है उसका कारण यह है जिस पर सरकार विचार करे कि ऐसी परिस्थितियां आयेंगी जिनमें समय की रिक्तता आयेगी । जब यह अधिनियम लागू होगा और जब चुनाव होंगे उसके बीच के समय में रिक्तता आयेगी वह चाहे नगर पालिकाओं में हो या टाउन एरियाज या नोटीफाइड एरियाज में है जिसमें प्रशासक नियुक्त सरकार करेगी । तो ऐसी स्थिति में इसकी जो मूल भावना है वह इसके विपरीत होगा । जहां पर जनप्रतिनिधि हों उसके विपरीत उसमें अधिकारी होंगे । जिस अधिकारी को जिले में चार्ज नहीं मिलेगा उसे कहीं न कहीं टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में प्रशासन बना देंगे । उसका सारा समय इसी में जायेगा कि कैसे अपना भला करे बजाय इसके कि उस स्थान का भला करे क्योंकि उसकी जनता के प्रति जबाबदेही नहीं होगी । इसमें मेरा छोटा सा सुझाव है अगर कहीं से इन्स्ट्रक्शन नहीं मिले होंगे अधिकारियों से तो मंत्री मेरी बात को मान लेंगे तो अभी मालूम हो जायेगा कि ज्यादा किसकी बात मानते हैं जनता की या अधिकारियों की ? तो इस शून्य काल में अधिकारी को प्रशासक बनाने के बजाय जनता के प्रतिनिधि को रख दें उस कार्यकाल में वह कार्य करे । मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि जनप्रतिधि ज्यादा चिन्ता करेगा ऐसे अधिकारी के जो थोड़े समय के लिए कार्य करेगा । इसलिए मैंने सुझाव रखा है कि जहां-जहां प्रशासक शब्द आया है वहां कृपया उसके स्थान पर जनता के लोगों को डाल दें । यह ऐसे समय के लिए नहीं होगा जब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे इसमें इसके पचात् प्रशासक कहा गया है) के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा निमित्त नियुक्त प्रबन्ध समिति में जिसमें एक अध्यक्ष एवं अधिकतम दस सदस्य होंगे" रख दिये जायं । तो राज्य सरकार से हम कोई अधिकार तो छीन नहीं रहे हैं । चाहे अधिकारी नियुक्त कर दें या फिर जनप्रतिनिधि नियुक्त कर दें । तो आपके सामने एक विकल्प है और एक ही हमारा संशोधन है, जो मूल भावना है विधेयक की वह जनता के हितों में जनता का शासन रहे । तो उस समय नियुक्ति तो आप ही करेंगे, इसलिए प्रशासक की जगह जनता के लोगों को प्रबन्ध समिति के रूप में नियुक्त कर दें इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । यह मूलतः केन्द्र सरकार लायी है, इसका इरादा है जनता की शक्ति जनता के हितों में सौंप दी जाये और इस प्रकार उसके अधिकारों को बढ़ाया जाये । मैं उसकी मूल भावना का स्वागत करता हूं लेकिन जो आपने प्रशासक जोड़ने की बात किया है उसकी जगह मैं प्रबन्ध समिति चाहता हूं जिसको आप नामित कर दें । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 जिसके बारे में प्रथम वाचन पर विचार चल रहा है उसमें मुझे भाग लेने का अवसर दिया और श्री प्रमोद तिवारी द्वारा रखे गये संशोधन पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है उसको तो हम पारित करेंगे और इसलिए पारित करेंगे कि इस विधेयक की जो मंशा है, कि प्रदेश की नगरपालिकाओं, जिसको आप नगर पंचायत, नगर परिषद् और नगर निगम के रूप में निर्मित करने जा रहे हैं उनके कार्यकाल को सुनिश्चित करने वाला विधेयक है। और सीधे जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने के लिए भी दायित्व है। आज पूरे प्रदेश में नगरपालिकाओं के सामने वित्तीय संकट है जिससे उबरने के लिए इस विधेयक में व्यवस्था की गयी है। जिस तरह से इस विधेयक में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में वृद्धि करने की बात है उसमें मैं समझता हूं कि प्रमोद तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है उसकी मंशा भी वही है। इस विधेयक के किसी मूल भावना से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। हमने तो विधेयक में उन बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकृर्षित किया है कि जहां इनकी मंशा है कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगम को उन माननीय सदस्यों को जो निर्वाचित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे जिससे उनको अधिक से अधिक अधिकार दिये जा सकें। और ऐसी परिस्थिति में जब नगर पंचायत, नगर परिषद् में यह चुने हुए जनप्रतिनिधि न हों तो उस दौरान नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों, नजर परिषदों के कृत्यों के लिए उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए जो सरकारी प्रशासक की व्यवस्था की गयी है उसमें संशोधन के माध्यम से उस समय भी प्रबन्ध समिति के रूप में नामित किया जाये, इस प्रकार यह शासन द्वारा हम व्यवस्था चाहते हैं कि वह प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मान्यवर, यह विधेयक संविधान के संशोधन का विधेयक है, इसलिए यह एक प्रकार से औपचारिक भर है। जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक इस प्रदेश की नगरपालिकाओं की वित्तीय संरचना और गठन के संबंध में एक संशोधन विधेयक आया, उसके परिपेक्ष्य में अपने प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थाओं को उसके अनुरूप अधिनियमित करने के लिए हमें विधेयक में संशोधन करना आवश्यक है। इस तरह से जो मंत्री जी लाये हैं, वह निश्चित रूप से सराहनीय है और हम स्वागत करेंगे। क्योंकि मंत्री जी ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि आजादी के बाद पहली बार देश की पंचायती राज व्यवस्था में जो गांव की बुनियादी इकाई है, गांव सभा है या शहरों की जो टाउन एरियाज या नोटीफाइड एरियाज हैं, उनकी दुर्दशा देखकर, उनकी कठिनाई और दुश्वारियां देखकर, उसकी अनुभूति करके स्व० राजीव गांधी जी ने पूरे देश के जनप्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में बैठकर, करीब चार दिन लगातार बैठ कर इस देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप इसे बनाने में सफल हुए। स्व० राजीव गांधी की उस भावना को नरसिम्हा राव जी ने संविधान का संशोधन करके अंगीकार किया और विधेयक के रूप में सारे उपबन्धों को उसमें आत्मसात किया, जो इस देश की जनता की आवश्यकता थी। मैं तो कहता हूं कि आज इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज नगरपालिकाओं में, टाउन एरिया में कोई व्यवस्था सुरक्षित नहीं थी । सामाजिक कार्यकर्ता या बाल्मीकि समाज के रूप में वह नामित तो होते थे, लेकिन महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । आज केन्द्र की सरकार ने संविधान संशोधन करके इस देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगरपालिकाओं में उनके आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है । अब प्रत्येक स्थानीय स्वायत्तशासी इकाई में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जायेगा और इसके माध्यम से उनके आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी । यह जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, वह इतना प्रगतिशील कदम है कि आज इस विधेयक को पारित करेंगे तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित होगी । इसलिए इस विधेयक में जिस तरह प्रदेश के सभी वर्गों और सभी समुदायों और दबे हुए लोगों की भागीदारी सुनिश्चत करने के लिए इस विधेयक में व्यवस्था की गयी है, वह स्वागत योग्य है ।

लेकिन फिर भी एक-दो कठिनाई की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । पिछली बार सरकार बनने के बाद मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी भी अपनी समस्यायें हैं, उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, इसलिए उनकी महिलाओं की 6 बजे के स्थान पर 8 बजे से ड्यूटी कर दी गयी है । उसके बाद से यह स्थिति हुई है कि पूरे प्रदेश में नगरपालिकाओं की सफाई की स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है । उस दिन नगरपालिका द्वारा सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाती है । जिन रास्तों से होकर आप जाते हैं, वहां सफाई होती है, चूना भी छिड़का जाता है । अगर आप किसी दूसरे रास्ते से जायं, किसी गली या मोहल्ले की तरफ से जायं तो आपको नगर पालिका की वास्तविक स्थिति का पता चल जायेगा । नगर पालिकाओं की जो दुर्दशा है, उसका दिग्दर्शन कर सकते हैं । प्रदेश की नगर पालिकाओं की व्यवस्था को देखते हुए लोग इसे अब नरक पालिका कहने लगे हैं । आज पूरे प्रदेश की स्थिति एक सी है । अभी पिछले दिनों मंत्री जी ने कृपापूर्वक मेरे बस्ती जनपद के लिए लोकल बाडीज के डायरेक्टर हैं, उनको भेजा था । उन्होंने स्वयं पूरे दिन बस्ती शहर की नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाले मोहल्ले व क्षेत्रों का निरीक्षण किया ।

श्री अध्यक्ष–

इसको शार्ट कर दीजिये । आगे बजट आ रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज हर शहर की स्थिति एक सी है चाहे आजम खां साहब का रामपुर हो, शाहजहांपुर हो, फैजाबाद हो । हर जगह नालियों में पानी स्टेगनेंट हो गया है । सीवेज का सिस्टम सही नहीं है । बरसात न भी हो, गर्मियों में नालियां बजबजा रही हैं । माननीय मंत्री जी ने चुंगी समाप्त कर दिया है । गांव से गरीब लोग शहर आते थे, इसको देखते हुए माननीय मुलायम सिंह जी ने चुंगी को समाप्त किया, यह उनकी अपना सदाशयता थी । जब व्यय भार शासन के ऊपर आया है तो वह उसकी प्रतिपूर्ति कर रहा है । नगर पालिका के कर्मचारियों की वेतन आदि देने की व्यवस्था आपने की है । नगर पालिका के कर्मचारियों का वेतन काफी समय से रुका हुआ था आपकी प्रतिपूर्ति के बावजूद भी महीनों-महीनों की

तनख्वाह अभी भी सफाई कर्मचारियों को नहीं मिली है माननीय मंत्री जी ने उनको वेतन दिये जाने के संबंध में घोषणा भी की थी और अपने संसाधनों के अतिरिक्त आकस्मिकता निधि से या जैसे भी हो पैसा दिया था ताकि कई-कई महीनों से नगर पालिका के कर्मचारियों का जो वेतन रुका है, वह दिया जा सके जिसके विरोध में तमाम जनपदों में नगरपालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गयी थी गन्दगी का साम्राज्य स्थापित हो गया था, बीमारियों का अम्बार बढ़ रहा था । इन सब परिस्थितियों को देखते हुए धन की आवश्यकता की गयी जिससे उनको वेतन दिया जा सके । अभी भी पूरा वेतन नही मिल पाया है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वह अपना उत्तर भाषण दें या तो वह स्वयं बतायेंगे कि वेतन के लिए अपने खजाने से प्रतिपूर्ति करा रहे हैं । मान्यवर, रोज नये-नये मोहल्ले बसते जा रहे हैं जिनके लिए सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । लखनऊ में तो इन्दिरा नगर और गोमती नगर दो कालोनियां हैं जिन्हें डेवलपमेंट एथारिटी विकसित कर रही है । प्राइवेट कालोनियां लोग खुद बसा रहे हैं उनमें सड़क और नालियां जो कि मूलभूत नागरिक समस्यायें हैं, उनको दूर करने के लिए सुविधायें सुलभ नहीं हैं । मान्यवर, आप कल्पना करें कि इन मूलभूत सुविधाओं के बगैर किस तरह से लोग जिन्दगी बसर कर रहे हैं । मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जगह-जगह नालियों में गन्दा पानी रुका होने की वजह से, गन्दगी से मच्छरों का प्रकोप भी है । इसके लिए फोगिंग मशीन नहीं है । इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । अभी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि इसके पास हो जाने के बाद आप अधिनियम बनायेंगे जिससे नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकेगा । आडिट सम्प्रेक्षण की बात भी कही है । मान्यवर, आज जो स्थिति है नगर पालिकाओं की उसको ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किये जाने चाहिए । इस अवसर का लाभ उठाते हुए माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं वह अपने उत्तर भाषण में इसको जरूर करेंगे ।

श्री रमा शंकर कौशिक–

श्रीमन्, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि महिला सफाई कर्मचारियों के हटने के कारण या समय के कारण सफाई नहीं हो रही है यह सही नहीं है और बहुत से कारण हैं इसका उल्लेख किया है । इसके अनेक कारण हैं जिनकी वजह से स्थानीय निकायों में जनता की जो आकांक्षायें हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है । सफाई ठीक से नहीं हो पाती है । कारण इतने हैं उनमें हम सब पीड़ित हैं । उन्हीं कारणों को दूर करने के लिए विधेयक की व्यवस्था की जा रही है और उसके जरिये संकल्प कर रहे हैं जिससे इनकी वित्तीय स्थिति सुधरे । यह जनता की आशाओं के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है इसमें दो कारणों से फर्क पड़ा है । एक तो आबादी बढ़ रही है लोग दूसरी जगहों से गांव से लोग आ रहे हैं 25 साल पहले जो हमारे रहन-सहन का स्तर था, 50 साल पहले हम यह नहीं सोचते थे कि बिजली की रोशनी में पढ़ेंगे, तो आवश्यकतायें बढ़ी हैं उसके अनुरूप क्षमतायें नहीं बढ़ी हैं । जहां तक चुंगी खत्म करने का सवाल है इसके पीछे जो कारण बताये गए उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है टोलटैक्स से क्षतिपूर्ति करते हैं । वेतन 25 फीसदी देते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र की किसी इकाई को ऊपर से देने की बात कही जाए यह अनुचित है । चाहे वह जितना अच्छा सोचते हों । यह बात सही है जहां विकास प्राधिकरण हैं, नगर

निगम बने हैं वहां व्यवस्थायें हैं । चाहे इमारत बने, टाउन एरिया में बने, नक्शा पास कराने की व्यवस्था है वह अनुपात में नहीं आ पाती है । समितियां दबाव में काम करती रही है ।

मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिये से यह नियमावली बनेगी उसके जरिए से वित्तीय आयोग के जरिए से, वित्तीय संसाधन बढ़ायेंगे । शासन अपने स्तर से जो भी संभव होगा जब तक उनकी ऐसी हैसियत नहीं हो जाती है कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें शासन ऐसे मामलों में पीछे नहीं रहेगा । शासन के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके अनुसार उनको संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा । संसाधन का जहां तक सवाल है तो मूल रूप से बात पर केन्द्रित हैं रिक्तता की स्थिति में क्या हो तो इस विधेयक के जरिए से ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई सस्पेंड होगा, तो रिक्तता शून्यता का को कोई सवाल नहीं है । इस संशोधन को प्रमोद तिवारी जी वापस ले लें इसको उस भावना के साथ, राजीव गांधी जी का जिक्र भी इन्होंने किया है जिस भावना को हमने बताया है अपनी व्यवस्था को चार खम्भों पर स्थापित कर यह मानते हैं कि इस विधेयक के जरिये से जो परिकल्पनायें हैं जो इसमें प्राविधान हैं, उनको पूरा होने में समय लगेगा । लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है जिसकी भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० राजीव गांधी ने शुरुआत की थी । इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि श्री तिवारी जी अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से यह पास होने दें ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर आवादी नहीं बढ़ाई जा सकती है । हमीरपुर ऐसा नगर है जो दो नदियों के बीच में बसा हुआ है । वहां जिला मुख्यालय हैं । इस जनपद को 'बी' श्रेणी की सुविधा उपलब्ध कराने का मंत्री जी कष्ट करें ।

श्री रमा शंकर कौशिक–

जहां पर 30 हजार से कम की जनसंख्या है । वहां पर नगर पंचायतें रहेंगी । जनसंख्या कम होने से सुविधाएं तो मिलती रहेंगी । वहां पर नगर परिषदें या नगर पंचायतें बनाएंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

चूंकि मंत्री जी ने मूलतः वह बातें मान ली हैं जिसकी मैंने अपेक्षा की थी । मंत्री जी तो स्व० राजीव जी के सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जो संशोधन मैंने रखा था, उसको वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री प्रमोद तिवारी जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, उनको वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 163 तक

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 के दीर्घ शीर्षक और प्रस्तावना का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक और प्रस्तावना में, शब्द "नगर महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द "नगर निगम" रख दिये जायेंगे ।

सामान्य संशोधन

3–मूल अधिनियम में, शीर्षकों, उप-शीर्षकों और पार्श्वांकित शीर्षकों को सम्मिलित करते हुये, शब्द "नगर महापालिका," "महापालिका", "महापालिकाओं" और "महापालिकायें" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "नगर निगम", "निगम", निगमों"और "निगम" रख दिये जायेंगे और संबंधित क्रिया पदों को तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा ।

धारा 1 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 1 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 कहा जायगा;"

(ख) उपधारा (3) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, (ग) में शब्द "विशिष्ट सदस्य", जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (17) निकाल दिया जायेगा;

(ख) खण्ड 24 के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"(24-क) "वित्त आयोग" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-झ में निर्दिष्ट वित्त आयोग से है;"

(ग) खण्ड (38) में शब्द "उप नगर प्रमुख तथा" निकाल दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (39) में शब्द "मुख्य नगराधिकारी तथा" के पश्चात् शब्द "अपर मुख्य नगर अधिकारी और" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (45) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(45-क) "महानगर क्षेत्र" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित क्षेत्र से है;

(45–ख) "नगरपालिका" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित स्वायत्त शासन की किसी संस्था से है,

(45–ग) "नगरपालिका क्षेत्र" का तात्पर्य किसी निगम के प्रादेशिक क्षेत्र से है;"

(च) खण्ड (51) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(51–क) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;"

(छ) खण्ड (52) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(52-क) "पंचायत" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (च) में निर्दिष्ट पंचायत से है;";

(ज) खण्ड (53) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(53–क) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हैं;"

(झ) खण्ड (67) निकाल दिया जायगा;

(ञ) खण्ड (73) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे; अर्थात् :–

"(73–क) "राज्य निर्वाचन आयोग" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है",

(ट) खण्ड (82) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(82-क) "कक्ष समितियों" का तात्पर्य धारा 6-क के अधीन संगठित कक्ष समितियों से है ;"

(ठ) खण्ड (88) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(89) "संक्रमणशील क्षेत्र" और "लघुतर नगरीय क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में क्रमशः उनके लिये किये गये हैं ;"

6–मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) राज्यपाल, पांच लाख या अधिक की जनसंख्या वाले किसी स्थानीय क्षेत्र को, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिये प्राप्त राजस्व, कृषि इतर क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या ऐसी ही अन्य बातों को, जैसा वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले ऐसे क्षेत्र को बृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित कर सकता है जिसे ऐसे नाम के नगर से जाना जायगा जिसे वह निर्दिष्ट करे ।";

(ख) उपधारा (2) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "राज्यपाल" और शब्द "कर सकती" के स्थान पर शब्द "कर सकता" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (4) में शब्द "संगठित" के स्थान पर शब्द "घोषित" रख दिया जायेगा ।

धारा 4 का प्रतिस्थापन

7–मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"4 (1) प्रत्येक नगर के लिये एक नगर निगम संगठित किया जायगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार (नगर का नाम) नगर निगम के नाम से जाना जायगा :

प्रत्येक नगर के लिए नगर निगम

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई नगर निगम ऐसे शहरी क्षेत्र या उसके किसी भाग में संगठित नहीं किया जा सकेगा जिसे

राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन के द्वारा दी जा रही या दिये जाने के लिये प्रस्तावित नगर पालिका सेवाओं और ऐसे अन्य कारण जो वह उचित समझे, को ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे, या जिसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संगठित नगर निगम एक निगमित निकाय होगा ।''

धारा 5 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(क क) कक्ष समितियां,''

(ख) खण्ड (घ) में शब्द ''एक मुख्य नगराधिकारी'' के पश्चात् शब्द ''और एक अपर मुख्य नगर अधिकारी'' बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 6 का प्रतिस्थापन

9–मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात :–

निगम की संरचना

''6 (1) निगम एक नगर प्रमुख और निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,–

(क) सभासद जिनकी संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, परन्तु जो साठ से अन्यून और एक सौ दस से अनधिक होगी और जो संख्या खण्ड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त होगी :

(ख) नाम निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों में से, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, नाम निर्दिष्ट किया जायगा और जिनकी संख्या पांच से अन्यून और दस से अनधिक होगी :

(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के वे सदस्य हैं जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें नगर पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं ;

(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के वे सदस्य हैं जो उस नगर में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;

(ङ) धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित समितियों के यदि कोई हों, अध्यक्ष, यदि वे निगम के सदस्य नहीं हैं :–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्त से निगम के संगठन या पुनस्संगठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

(2) सभासद कक्षों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे ।

कक्ष समितियों का संगठन और संरचना आदि

6-क (1) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कक्ष समितियों का गठन किया जायगा जिनमें दस से अन्यून इतने कक्ष होंगे जो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा सभी या किसी निगम के संबंध में विनिर्दिष्ट करे ।

(2) किसी कक्ष समिति में समाविष्ट कक्षों का प्रादेशिक क्षेत्र उस समिति का प्रादेशिक क्षेत्र होगा ।

(3) कक्ष समिति एक अध्यक्ष और उस समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सभासदों से मिलकर बनेगी ।

(4) किसी कक्ष समिति का अध्यक्ष उस समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जायगा ।

(5) कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगी जो विहित किये जायें ।"

धारा 7 का प्रतिस्थापन

10–मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

स्थानों का आरक्षण

"7 (1) प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथाशक्य, वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(2) प्रत्येक निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले स्थानों का सत्ताईस प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किया जायेगा और ऐसे स्थान निगम में विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किए जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन आरक्षित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए किसी निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(5) राज्य में निगमों के नगर प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिये ऐसी रीति में आरक्षित किये जायेंगे जो नियमों द्वारा विहित की जाय ।

(6) अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये इस धारा के अधीन स्थानों और पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों और पदों के लिये निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी ।''

11–मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

धारा 8 का प्रतिस्थापन

निगम का कार्यकाल

''8 (1) कोई निगम जब तक कि उसे धारा 538 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक के 5 वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बना रहेगा ।

(2) किसी निगम के संगठन के लिये निर्वाचन–

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ;

(ख) धारा 538 के अधीन उसके विघटन के आदेश के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ;

पूरा कराया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित निगम की शेष अवधि, जब तक कि निगम बनी रह सकती थी, छः मास से कम हो, वहां ऐसी अवधि के लिये निगम का संगठन करने के लिये कोई निर्वाचन कराना आवश्यक न होगा ।

(3) किसी निगम के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन पर संगठित किया गया निगम उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये, जिस अवधि तक विघटित निगम, उपधारा (1) के अधीन बना रहता, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बना रहेगा ।"

धारा 8-क का निकाला जाना

12–मूल अधिनियम की धारा 8-क निकाल दी जायेगी ।

धारा 8-क क का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 8-क क में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "जहां किसी स्थानीय क्षेत्र का संगठन धारा 3 के अधीन नगर के रूप में किया गया है" के स्थान पर शब्द "जहां किसी स्थानीय क्षेत्र को धारा 3 के अधीन नगर के रूप में घोषित किया गया है " रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (क) में शब्द "नगरपालिका बोर्ड" के स्थान पर शब्द "नगर पालिका परिषद" रख दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ख) में शब्द "उप नगर प्रमुख", जहां कहीं भी आये हों, के पश्चात्, शब्द "कक्ष समिति" रख दिये जायेंगे ।

धारा 11 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

(क) उप धारा (2) निकाल दी जायेगी ;

(ख) उप धारा (3) में, शब्द "सदस्य" के स्थान पर शब्द "सभासद" रख दिया जायगा ।

नई धारा 11-क का बढ़ाया जाना

15–मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"11–क (1) नगर प्रमुख का निर्वाचन नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा ।

नगर प्रमुख का निर्वाचन

(2) धारा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय अपने पद से हटने वाला नगर प्रमुख पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

(3) किसी सभासद के निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से संबंधित विवाद भी है) नगर प्रमुख के निर्वाचन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर प्रमुख और सभासद दोनों रूप में या किसी उप चुनाव में सभासद के रूप में होने पर नगर प्रमुख निर्वाचित होता है, तो वह नगर प्रमुख के रूप में अपने निर्वाचन के दिनांक से सभासद नहीं रह जायेगा ।"

धारा 12 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 12 में पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुये, शब्द "नगर प्रमुख और" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 13 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द और अंक "धारा 9 के प्रयोजनों के निमित्त और नगर प्रमुख और" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 14 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 14 में शब्द और अंक "धारा 12 में" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "धारा 11-क में, या यथास्थिति धारा 12 में" रख दिये जायेंगे ।

धारा 15 का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय,–

(क) नगर प्रमुख की पदावधि निगम के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगी :

(ख) उप नगर प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष या सभासद के रूप में उसके पद के शेष कार्यकाल के लिये, जो भी कम हो, होगी ।"

धारा 15-क का निकाला जाना

20–मूल अधिनियम की धारा 15-क निकाल दी जायेगी ।

धारा 16 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की धारा 16 में,

(क) पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुये शब्द "उप" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे :

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) नगर प्रमुख के पद ग्रहण करने से दो वर्ष के भीतर इस धारा के अधीन अविश्वास के किसी प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त नहीं की जायगी ।";

(ग) उपधारा (5) और (6) में शब्द "नगर प्रमुख" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (7) निकाल दी जायेगी ;

(ङ) उपधारा (8) में शब्द और अंक "उपधारा (5), (6) और (7)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (5) और (6)" रख दिये जायेंगे ;

(च) उपधारा (9), (12) और (13) में शब्द "नगर प्रमुख" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश रख दिये जायेंगे ।

(छ) उपधारा (16) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(16) यदि प्रस्ताव उपर्युक्त प्रकार से सफल न हो अथवा गणपूर्ति जो कि तत्समय निगम के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून होगा, के अभाववश अधिवेशन ही न हो सके, तो अधिवेशन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने तक उसी नगर प्रमुख में अविश्वास के किसी पश्चात्वर्ती प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार नहीं किया जायगा :"

(ज) उपधारा (17) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्–

"(क) ऐसा संदेश पाने के तीन दिन के भीतर अपना पद त्याग देगा, तथा ;"

(झ) उपधारायें (19), (20), (21) और (22) निकाल दी जाएंगी ;

(ञ) उपधारा (23) में, शब्द "नगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया जायेगा ।

धारा 23 का प्रतिस्थापन

22–मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम निर्दिष्ट सदस्य पर लागू होंगे

"23–धारा 24, 25, 26, 28, 29, 30–क, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 565, 570 और 572 के उपबन्ध जैसे सभासदों पर लागू होते हैं, वैसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।"

धारा 24 का प्रतिस्थापन

23–मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

सभासद के निर्वाचन के लिये अर्हतायें

"24–कोई व्यक्ति सभासद के रूप में चुने जाने के लिये और सभासद होने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह–

(क) नगर का निर्वाचक न हो ;

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो, तथा

(ग) स्थान के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिये आरक्षित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित श्रेणी का नहीं है ।"

धारा 25 का संशोधन

24–मूल अधिनियम की धारा 25 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "विशिष्ट सदस्यों तथा" निकाल दिये जायेंगे :

(ख) उपधारा (1) में,–

(एक) खंड (ञ) में,–

(क) शब्द "कोढ़ग्रस्त हैं, अथवा" निकाल दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "सिविल सर्जन" के स्थान पर शब्द "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" रख दिये जायेंगे :

(दो) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(ट) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ;"

(तीन) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "नगरपालिका" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका परिषद्" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, खण्ड (1) में शब्द और अंक "कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965" रख दिये जायेंगे ।

धारा 31 का संशोधन

25–मूल अधिनियम की धारा 31 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक नगर कक्षों (वार्ड) में बांटा जायेगा" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक नगर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जायेगा जो कक्ष कहे जायेंगे" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व निगम में एक सभासद द्वारा किया जायेगा ।"

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 32 का संशोधन

26–मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (1) में–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(क) किसी नगर को कक्षों में ऐसी रीति में विभाजित किया जायेगा कि यथासाध्य, प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में एक समान हो :" ;

(ख) खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा ;

(ग) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या ।"

धारा 34 का निकाला जाना

27–मूल अधिनियम की धारा 34 निकाल दी जायेगी ।

धारा 35 का प्रतिस्थापन

28–मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली

"35–प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी ।"

धारा 38 का संशोधन

29–मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (3) में शब्द "म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी या गांव सभा" के स्थान पर शब्द "लघुतर नगरीय क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत" रख दिये जायेंगे ।

धारा 39 का संशोधन

30–मूल अधिनियम की धारा 39 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली को विहित रीति से तैयार और प्रकाशित करेगा" के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली को विहित रीति से तैयार और प्रकाशित करायेगा" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :–

"(1-क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग किसी कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त विधान सभा की सूचियों को अपना सकता है जहां तक उसका संबंध उस कक्ष से हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली में ऐसे कक्ष के लिये नाम निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचक के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।" ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :–

"(2) जहां राज्य निर्वाचन आयोग का, चाहे उसको दिए गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार निष्कासन या परिवर्द्धन कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा ।" ;

(घ) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 40 का प्रतिस्थापन

31–मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"40–राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के निर्वाचन नामावली लिये ऐसा करना आवश्यक समझे, सभी कक्षों की या किसी का पुनरीक्षण कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष की निर्वाचक नामावली, जैसा कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाये ।"

धारा 41 का संशोधन

32–मूल अधिनियम की धारा 41 में,–

(क) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे :

(ख) खण्ड (झ) निकाल दिया जायेगा ।

धारा 43 का निकाला जाना

33–मूल अधिनियम की धारा 43 निकाल दी जायेगी ।

धारा 45 का प्रतिस्थापन

34–मूल अधिनियम की धारा 45 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

धारा 46 का संशोधन

"45–निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचक के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा ।"

निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण आदि

35–मूल अधिनियम की धारा 46 में,–

(क) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे :

(ख) खण्ड (क) और (थ) निकाल दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (च) में शब्द "कक्षों में जहां अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं, निर्वाचनों के लिये विशेष प्रक्रिया" निकाल दिये जायेंगे ;

(घ) खण्ड (ध) में शब्द "नगर प्रमुख और" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 48 का संशोधन

36–मूल अधिनियम की धारा 48 में,–

(क) जहां कहीं भी शब्द "निर्वाचन संचालक (स्थानीय निकाय)" आये हों के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे :

(ख) खण्ड (ग) में शब्द "नगर महापालिका अधिनियम" के स्थान पर शब्द "नगर निगम अधिनियम" रख दिये जायेंगे ।

धारा 49 का संशोधन

37–मूल अधिनियम की धारा 49 में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना ; या" ।

धारा 50 का प्रतिस्थापन

38–मूल अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

निर्वाचन और रिक्ति के लिये अधिसूचना

"50–(1) किसी निगम के गठन या पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए एक सामान्य निर्वाचन कराया जायेगा ।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक को जिसकी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की जाय, नगर में सभी कक्षों को, इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार सभासदों और नगर प्रमुख का निर्वाचन करने के लिए, आहूत करेगी ।

(3) यदि मृत्यु या त्याग-पत्र या किसी अन्य कारण से नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या किसी सभासद के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो, यथास्थिति ऐसा पद या स्थान राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, रिक्त घोषित कर दिया जायेगा ।

(4) जब कोई पद या स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया हो तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा संबंधित कक्ष या, यथास्थिति, सभासदों को इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिए आहूत करेगा ।"

39–मूल अधिनियम की धारा 57 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :– नई धारा 57–क का बढ़ाया जाना

महानगर योजना समिति

"57–क (1) सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति संगठित की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति एक अध्यक्ष जो नियमों द्वारा नियत रीति से चुना जायगा, और इक्कीस से अन्यून और तीस से अनधिक इतनी संख्या में सदस्यों से, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विर्निर्दिष्ट करे, मिलकर बनेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कुल सदस्यों की संख्या में से–

(क) दो तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, और उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे : और

(ख) एक तिहाई सदस्य राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे :–

(एक) एक अधिकारी, जो केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय में उपसचिव से अनिम्न स्तर का हो ;

(दो) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के नगर विकास विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो :

(तीन) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के वन विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो :

(चार) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश :

(पांच) निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश :

(छः) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबन्ध निदेशक ;

(सात) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित महानगर क्षेत्र में स्थित जल संस्थान का महाप्रबन्धक ;

(आठ) लोक निर्माण विभाग का एक अधीक्षण अभियन्ता :

(नौ) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का एक अधीक्षण अभियन्ता :

(दस) महानगर क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का उप सभापति ।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति का निर्वाचित सदस्य जिस पद पर होने के आधार पर ऐसा सदस्य बना था, उस पद पर न रहने पर समिति का सदस्य न रह जायेगा ।

(5) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (एक) में निर्दिष्ट कोई सदस्य शहरी विकास विभाग में भारत सरकार के सचिव की सिफारिश पर नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(6) सदस्यों की कोई रिक्ति महानगर योजना समिति के संगठन या पुनस्संगठन में बाधक नहीं होगी ।

(7) महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,–

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :–

(एक) महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजनायें :

(दो) नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित के मामले, जिनके अन्तर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है :

(तीन) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकताएं :

(चार) उन विनिधानों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने सम्भाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध साधन चाहे वे वित्तीय हों या अन्य ;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ।

(7) महानगर विकास समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नगर पालिका" का तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत से है ।"

धारा 58 का प्रतिस्थापन

40–मूलअधिनियम की धारा 58 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्–

मुख्य नगर अधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति

58–राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मुख्य नगर अधिकारी और एक या अधिक अपर मुख्य नगर अधिकारी जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्य सरकार की सेवा में नहीं है, तब तक इस रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि राज्य लोक सेवा आयोग उसकी नियुक्ति का अनुमोदन न कर दे ।''

धारा 59 का संशोधन

41–मूल अधिनियम की धारा 59 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द ''मुख्य नगर अधिकारी का'' के स्थान पर शब्द ''मुख्य नगर अधिकारी और अपर मुख्य नगर अधिकारी के'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में शब्द ''मुख्य नगर अधिकारी'' के पश्चात् शब्द ''और अपर मुख्य नगर अधिकारी'' बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 62 का संशोधन

42–मूल अधिनियम की धारा 62 में पार्श्वांकित शीर्षक में, शब्द ''विशिष्ट सदस्य अथवा'' निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 84 का निकाला जाना

43–मूल अधिनियम क धारा 84 निकाल दी जायगी ।

धारा 89,90,91,97, 102 और 103 का संशोधन

44–मूल अधिनियम में शब्द ''विकास समिति'' जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द ''विकास समिति कक्ष समिति'' रख दिये जायेंगे ।,

धारा 106 का संशोधन

45–मूल अधिनियम की धारा 106 में, उपधारा (1) में खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:–

''(3) मुख्य अभियन्ता'';।

46–मूल अधिनियम की धारा 107 में,–

धारा 107 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द ''नगर अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पदों पर तथा ऐसे अन्य पदों पर जिनका प्रारम्भिक वेतन पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम न हो, नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, नगर प्रमुख द्वारा विहित रीति से की जाएंगी,'' के स्थान पर शब्द ''मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक और ऐसे अन्य पदों पर, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से की जायेंगी, '' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "अन्य पदों पर जिनका प्रारम्भिक वेतन तीन सौ एक रुपये प्रतिमास से कम न हो, नियुक्तियां" के स्थान पर शब्द "ऐसे पदों पर जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों में सम्मिलित नहीं हैं, पर नियुक्तियां" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (5) में शब्द जलकल (वाटर वर्क्स), लोक स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों में ऐसे पदों पर, जिनका प्रारम्भिक वेतन एक सौ अस्सी रुपये प्रति मास से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "लोक स्वास्थ्य और निगम के अन्य विभागों के ऐसे पदों पर जिनका वेतनमान उपधारा (3) में निर्दिष्ट पदों के वेतनमान से कम हो" रख दिये जायेंगे ।

धारा 112 का संशोधन

47–मूलअधिनियम की धारा 112 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "उप नगराधिकारी" के स्थान पर शब्द "अपर मुख्य नगर अधिकारी, उपनगर अधिकारी" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "उप नगराधिकारी" के पूर्व शब्द "अपर मुख्य नगर अधिकारी," बढ़ा दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द "नगर अभियन्ता" के स्थान पर शब्द "मुख्य अभियन्ता" रख दिये जायेंगे ।

धारा 112-क का संशोधन

48–मूल अधिनियम की धारा 112-क में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "नगर पालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द "नगर पांचायतों, नगर पालिका परिषदों" रख दिये जायेंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"**स्पष्टीकरण**–इस उप धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के कुमायूं, और गढ़वाल मण्डलों में समाविष्ट जिलों में नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों, या नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों और जल संस्थानों के लिए सामान्य सेवाएं सृजित की जा सकेंगी ।"

धारा 114 का संशोधन

49–मूल अधिनियम की धारा 114 में,–

(क) खण्ड (7) में शब्द "सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के निमित्त" के स्थान पर शब्द "घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए" रख दिए जायेंगे;

(ख) खण्ड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:–

"(9–क) पार्किंग स्थलों, बस स्टापों और जन सुविधाओं का निर्माण और उनका संधारण;";

(ग) खण्ड (16) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:–

"(16) मातृत्व केन्द्रों और शिशु कल्याण एवं सन्तति निग्रह सदनों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण,परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानक का उन्नयन;";

(घ) खण्ड (21) में शब्द "वधशालाओं (स्लास्टर हाउसेस)" के स्थान पर शब्द "वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं" रख दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (33) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"(33-क) नगरीय वानिकी और परिस्थिति की पहलुओं की वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण;";

(च) खण्ड (34) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(34-क) समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों का संरक्षण;

(34-ख) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि;

(34-ग) कांजी हाउस का निर्माण और संधारण और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण;";

(छ) खण्ड (38) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात्:–

"(39) गन्दी बस्ती का सुधार और उन्नयन;

(40) नगरीय निर्धनता कम करना;

(41) नगरीय सुख सुविधाओं तथा सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना ।"।

धारा 115 का संशोधन

50–मूल अधिनियम की धारा 115 में, खण्ड (8) में शब्द "सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों," निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 117 का संशोधन

51–मूल अधिनियम की धारा 117 में, उपधारा (1) पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–:–

"(1-क) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक कक्ष समिति में, उस क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए उसको संगठित किया गया है, निगम की ओर से ऐसी शक्तियां और कृत्य निहित होंगे, जिन्हें नियमों द्वारा विहित किया जाय ।"

धारा 126 का संशोधन

52–मूल अधिनियम की धारा 126 में, उपधारा (1) में शब्द "म्यूनिसिपल बोर्ड," जहां कहीं आये हों,के स्थान पर शब्द "नगरपालिका परिषद्" रख दिए जायेंगे ।

धारा 132 का संशोधन

53–मूल अधिनियम की धारा 132 में,–

(क) उपधारा (3) में, अंक "10,000" के स्थान पर शब्द "एक लाख" और अंक "50,000" के स्थान पर शब्द "पांच लाख" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में अंक "50,000" के स्थान पर, शब्द "पांच लाख" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (5) में अंक "1,000" के स्थान पर शब्द "पचास हजार" और अंक "10,000" के स्थान पर शब्द "एकलाख" रख दिये जायेंगे;

धारा 135 का संशोधन

54–मूलअधिनियम की धारा 135 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

पांच लाख रुपये से अनधिक के तखमीने

"135–(1) मुख्य नगर अधिकारी किसी तखमीने की जो कि एक लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई तखमीना जिसकी राशि पचास हजार रुपये से अधिक हो उसे मुख्य नगर अधिकारी द्वारा केवल नगर प्रमुख के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2)कार्यकारिणी समिति किसी तखमीने को जिसकी राशि पांच लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृत कर सकती है ।"

धारा 136 का संशोधन

55–मूल अधिनियम की धारा 136 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द और अंक "50,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच लाख रूपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "दो लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच लाख रुपये रख दिये जायेंगे ।

56–मूलअधिनियम की धारा 136 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:– नयी धारा 136-क का बढ़ाया जाना

कतिपय परियोजनाओं सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

"136-क–इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित या विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली किसी नगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक संविदा या तखमीना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृत किया जायगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नगर विकास परियोजनाओं के लिए निधियों की स्वीकृति के लिए निगम की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि निगम की बैठक प्रथम प्रतिबन्धात्मक काण्ड में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न आयोजित की जाय या विनिश्चय न किया जाय, तो समझा जायगा कि निगम ने निधि स्वीकृत कर दी है और यदि स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया जाय या उपान्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और निगम पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायगा कि निगम ने तद्नुसार निधि स्वीकृत कर दी है । मुख्य नगर अधिकारी तदुपरान्त परियोजना का निष्पादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित करेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगा और अपनी आख्या राज्य सरकार को भेजेगा ।"

57–मूल अधिनियम की धारा 138 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात:– नये अध्याय 6-क का बढ़ाया जाना

"अध्याय 6-क

वित्त आयोग

वित्त आयोग

38–क (1) वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा– 138-क वित्त आयोग

(क) उन सिद्धान्तों की बाबत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे,:–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और निगमों के बीच वितरण और ऐसे आगमों का निगमों के अंश का आवंटन;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से निगमों के लिए सहायता अनुदान;

(ख) निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा निगमों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय ।

(2)राज्यपाल उपधारा (1)के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेंगे ।''

धारा 139 का संशोधन

58–मूल अधिनियम की धारा 139 में, उपधारा (1) में, खण्ड (च) में शब्द ''समस्त प्राप्त धन'' के पश्चात् शब्द ''जिसमें राज्य की संचित निधि से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है'' बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 140-क का संशोधन

59–मूल अधिनियम की धारा 140-क में, शब्द और अंक ''धारा 537, धारा 538 या धारा 539'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 537 या धारा 538'' रख दिए जायेंगे ।

धारा 175 का संशोधन

60–मूल अधिनियम की धारा 175 में निम्नलिखित पार्श्वांकित शीर्षक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्,–

''जल-कर लगाने पर प्रतिबन्ध''

धारा 210 का संशोधन

61–मूल अधिनियम की धारा 210 में, उपधारा (1) में शब्द ''समिति'' के पूर्व शब्द ''कार्यकारिणी'' बढ़ा दिया जायेगा ।

नई धारा 383-क का बढ़ाया जाना

62–मूल अधिनियम की धारा 383 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

नगर के लिए विकास योजना तैयार करना

''383–क (1) निगम नगर के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा ।

(2)उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को नियमों द्वारा विहित रीति से निगम की विकास समिति द्वारा तैयार किया जायेगा ।

(3)योजना को निगम के समक्ष रखा जायेगा जो उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और मुख्य नगर अधिकारी इसे संविधान के अनुच्छेद 243-यघ में उल्लिखित जिला योजना समिति को उस दिनांक तक जो नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा ।''

धारा 397 का संशोधन

63–मूल अधिनियम की धारा 397 में शब्द ''चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक अथवा सिविल सर्जन'' के स्थान पर शब्द ''चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के निदेशक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 462 का निकाला जाना

64–मूल अधिनियम की धारा 462 निकाल दी जायेगी ।

धारा 538 का संशोधन

65–मूल अधिनियम की धारा 538 में उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(3) यदि निगम उपधारा (1)के अधीन भंग कर दिया जाय तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे,–

(क) नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और समस्त सभासद आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को पुनर्निर्वाचन की पात्रता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन निगम के संगठन तक मुख्य नगर अधिकारी निगम और धारा 5 में उल्लिखित समितियों के सेमी कार्य चलाता रहेगा ।''

धारा 539 का निकाला जाना

66–मूल अधिनियम की धारा 539 निकाल दी जायेगी ।

धारा 540 का संशोधन

67–मूल अधिनियम की धारा 540 में, उपधारा (4) निकाल दी जायेगी ।

धारा 574 का संशोधन

68–मूल अधिनियम की धारा 574 को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''(2) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी लेखा या कार्यवाही में नगरमहापालिका या महापालिका के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वह क्रमशः नगर निगम या निगम के प्रति किये गये निर्देश हैं ।''

नई धारा 579-क का बढ़ाया जाना

69–मूलअधिनियम की धारा 579 के पश्चात् निम्नलिखित धारा दी जायेगी, अर्थात्:–

"579–क (1) इस अधिनियम में किस बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, इस अधिनियम के अधीन नगर निगम के संगठन के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन के लिये नियत दिनांक तक की अवधि के दौरान नगर महापालिका और उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्य क्रमशः नगर निगम और उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और नगर निगम के नगर प्रमुख, उस नगर प्रमुख और सदस्य समझे जायेंगे ।

नगर निगम के संगठन तक के लिये व्यवस्था

(2) जहां निगम का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से छः मास के भीतर समाप्त होता है और नए निगम का संगठन नहीं होता है, ऐसी समाप्ति पर और नये निगम के संगठन के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत दिनांक तक

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद और धारा 95 तथा 97 के अधीन संगठित या नियुक्त समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा निगम का मुख्य नगर अधिकारी, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त विशेष समितियां, संयुक्त समितियां और उप-समितियां विघटित हो जायेंगी :

(ख) निगम, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य, तथा कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे इसमें पश्चात् प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन उसके द्वारा किया जायेगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से निगम नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समितियां अथवा मुख्य नगर अधिकारी जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा :

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार, के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में–

(1) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा, अथवा

(2) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उप-खण्ड (1) के अधीन संगठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा,

(घ) प्रशासक का वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किए जायं, निगम की निधि से दिए जायेंगे ।

(3) निगम के गठन के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से छः मास के भीतर किए जायेंगे और ऐसे चुनाव के पश्चात् निगम के संगठित हो जाने के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन के लिये नियत दिनांक तक, या ऐसे प्रारम्भ के छः मास के बीतने पर, इनमें जो भी पहले हो, उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) प्रभावी नहीं रहेंगे ।

(4) जहां उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से पूर्व ही किसी निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया हो वहां भी उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध लागू होंगे और जहां ऐसे प्रारम्भ के पूर्व प्रशासक नियुक्त किया गया है उसे इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक समझा जायेगा ।

धारा 580 का प्रतिस्थापन

70-मूल अधिनियम की धारा 580 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेगी,–

"580–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को यह इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे ।

कठिनाइयो को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाए गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानों वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994, के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक न होगा दिया जा सकता है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा

23-क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।"

"580-क (1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ को और से, और धारा 140 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,-

कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियों जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं भी वे स्थित हो, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले नगर महापालिका में निहित थीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, निगम में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेगी, तथा

(ख) पूर्वोक्त नगर महापालिका के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, उस निगम के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगे ।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) अधीन निगम में निहित हो गयी है, या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार निगम का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा संदेह या विवाद, यथास्थिति, मुख्य नगर अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाय, अन्तिम होगा ।

580-ख-किसी नगर महापालिका को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय धनराशियां देय हों या किसी अन्य खाते में निगम द्वारा वसूल की जायेगी और निगम ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिये सक्षम होगा या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा, जिसे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त नगर महापालिका करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होती ।

580-ग (1) किसी नगर महापालिका द्वारा या उसकी ओर से धारा 580-क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गयी सभी संविदाओं के संबंध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके निगम द्वारा हुए अथवा किये गये और तद्नुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

ऋण, आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियां

(2) उक्त नगर महापालिका के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, निगम को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती ।

(3) उक्त नगर महापालिका के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेगी मानों उसके प्रारम्भ किये जाने के समय निगम विद्यमान था ।

(4) उक्त नगर महापालिका द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त नगर महापालिका द्वारा या उसके विरुद्ध या उक्त नगर महापालिका के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, निगम या अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय निगम संगठित किया जा चुका हो ।''

अनुसूची–1 का संशोधन

71–मूल अधिनियम की अनुसूची–1 में, भाग (घ) में, धारा 107 (2) के संबंध में तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि में, शब्द ''राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से 200 रुपये से अन्यून प्रारम्भिक वेतन वाले पदों पर'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे पदों पर जो धारा 107 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों में सम्मिलित नहीं है,'' रख दिये जायेंगे ।

अध्याय तीन

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 का सामान्य संशोधन

72–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, शीर्षकों, उपशीर्षकों और पार्श्वांकित शीर्षकों को सम्मिलित करते हुए, जहां कहीं भी शब्द ''बोर्ड'',. ''बोर्डों'', ''म्युनिसिपल बोर्ड'' और ''म्युनिसिपल बोर्डों'' आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द ''नगरपालिका'', नगरपालिकाओं, ''नगरपालिका'' और ''नगरपालिकाओं'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

73–मूल अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्–

"(1) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;"

(ख) खण्ड (4) निकाल दिया जायगा;

(ग) खण्ड (5-क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(5–कक) 'जिला योजना समिति' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-य घ के अधीन गठित जिला योजना समिति से है";

(घ) खण्ड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(6-क) 'वित्त आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-झ में निर्दिष्ट वित्त आयोग से है";

(ङ) खंड (9) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(9) 'नगरपालिका' का तात्पर्य धारा 3–क के अधीन गठित किसी स्वायत्तशासी संस्था से है;

(9-क) 'नगरपालिका क्षेत्र' का तात्पर्य किसी नगरपालिका के प्रादेशिक क्षेत्र से है, जिसकी सीमायें ऐसी होंगी जैसी धारा 3 के अधीन परिनिश्चित की गयी है";

(9-ख) 'नगरपालिका परिषद्' का तात्पर्य धारा 3-क के अधीन किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के गठित लिये गठित नगरपालिका से है;

(9-ग) नगरपंचायत का तात्पर्य धारा 3-क के अधीन किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिये गठित नगर पालिका से है;"

(च) खण्ड (13) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(13-क) 'पंचायत' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (च) में निर्दिष्ट पंचायत से है,"

(छ) खण्ड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(16) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना पर यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों";

(ज) खण्ड (22) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेंगे, अर्थात् :–

"(22-क) "लघुत्तर नगरीय क्षेत्र" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;"

"(22-ख) "राज्य निर्वाचन आयोग" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है;"

(झ) खण्ड (23) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(23-क) "संक्रमणशील क्षेत्र का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत स्थानीय क्षेत्र से है;"

(ञ) खण्ड (24) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(24-क) "कक्ष समिति' का तात्पर्य धारा 3-ख के अधीन गठित कक्ष समिति से है;" ।

धारा 3 का प्रतिस्थापन

74–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

संक्रमणशील क्षेत्र और लघुतर नगरीय क्षेत्र की घोषणा इत्यादि

"3–(1) राज्यपाल किसी स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या, इसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिये प्राप्त राजस्व, कृषियेत्तर कार्यकलापों में सेवायोजन का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या ऐसे अन्य तथ्यों को जो वह उचित समझें, ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा,–

(क) किसी स्थानीय क्षेत्र को,–

(एक) जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु पांच लाख से अनधिक हो, एक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या

(दो) जिसकी जनसंख्या तीस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अनधिक हो, एक संक्रमणशील क्षेत्र, घोषित कर सकते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के गढ़वाल और कुमायूं मण्डलों के जिलों में किसी स्थानीय क्षेत्र को, जिसकी जनसंख्या पचास हजार से अधिक हो, एक लघुतर नगरीय क्षेत्र और जिसकी जनसंख्या पन्द्रह हजार से अधिक किन्तु पचास हजार से अनधिक हो, को एक संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किया जा सकता है ।

(ख) यथास्थिति, किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को परिनिश्चित कर सकते हैं ;

(ग) किसी क्षेत्र को, यथास्थिति, किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर सकते हैं, या उससे निकाल सकते हैं ;

(घ) किन्हीं पूर्ववर्ती खंडों के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना को निरस्त कर सकते हैं ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र जिसे धारा 3 के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन नगरपालिका घोषित किया गया था, इस अधिनियम के अधीन एक लघुतर नगरीय क्षेत्र समझा जायगा ;

(ख) प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र–

(एक) जिसे धारा 337 के अधीन, जैसी कि वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, नोटीफाइड एरिया कहा जाता था, या

(दो) जिसे संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन, जैसा कि वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा निरसन के ठीक पूर्व था टाउन एरिया घोषित किया गया था,

इस अधिनियम के अधीन एक संक्रमणशील क्षेत्र समझा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी अधिसूचना धारा 4 द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात् जारी की जाय और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी क्षेत्र को जो कोई छावनी हो या किसी छावनी का भाग हो, इस धारा के अधीन संक्रमणशील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं किया जायगा और न उसमें सम्मिलित किया जायगा ।

3–क (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार–

प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिये नगरपालिका

(क) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र के लिये एक नगरपालिका गठित की जायगी जिसे नगर पंचायत कहा जायगा ; और

(ख) प्रत्येक लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिये एक नगरपालिका गठित की जायेगी जिसे नगरपालिका परिषद् कहा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि, यथास्थिति, कोई नगर पंचायत या कोई नगरपालिका परिषद् इस धारा के अधीन ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में, जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिये जाने के लिये प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसे अन्य कारण जो वह उचित समझें, को ध्यान में रखते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करे या ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में जो कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया हो, गठित नहीं की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित, प्रत्येक नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद् एक निगमित निकाय होगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान था, ऐसे प्रारम्भ पर इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका परिषद् समझा जायगा ;

(ख) धारा 338 के अधीन गठित प्रत्येक नोटीफाइड एरिया कमेटी या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन गठित प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी जो कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ ठीक पूर्व थी, ऐसे प्रारम्भ पर इस अधिनियम के अधीन नगर पंचायत समझा जायगा ।

कक्ष समितियों का गठन और संरचना इत्यादि

" 3—ख (1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले किसी नगरपालिका क्षेत्र में कक्ष समितियां गठित की जायेगी जिनमें पांच से अन्यून कक्षों की ऐसी संख्या होगी जैसी राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(2) कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में उसके अन्तर्गत आने वाले कक्षों का प्रादेशिक क्षेत्र सम्मिलित होगा ।

(3) किसी कक्ष समिति में एक अध्यक्ष और उस समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर के कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे ।

(4) किसी कक्ष समिति का अध्यक्ष उस समिति के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा ।

(5) कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगी जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाय ।"

धारा 4 का संशोधन

75–मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "राज्य सरकार" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "राज्यपाल"रख दिया जायेगा ।

धारा 5 का संशोधन

76–मूल अधिनियम की धारा 5 में, पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुए, शब्द "नगर पालिका" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।

धारा 6 का निकाला जाना

77–मूल अधिनियम की धारा 6 निकाल दी जायगी ।

धारा 7 का संशोधन

78–मूल अधिनियम की धारा 7 में,–

(क) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

(जज) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये जलापूर्ति उपलब्ध कराना ;

(ख) खण्ड (डड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(डड) प्रसूति केन्द्रों, शिशु कल्याण और जन्म नियंत्रण क्लीनिकों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानक का संवर्द्धन करना ;

(ग) खण्ड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित ख़ण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्–

(न) चर्मशोधन शालाओं को विनियमित करना ;

(प) पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना ;

(फ) नगरीय वानिकी और परिस्थिति की पहलुओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करना ;

(ब) समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण करना ;

(भ) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंन्दर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि करना ;

(म) कांजी हाऊस का निर्माण और अनुरक्षण करना और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना ;

(य) गन्दी बस्ती सुधार और उन्नयन ;

(य-क) नगरीय निर्धनता कम करना ;

(य-ख) नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे कि पार्क, उद्यान और खेलों के मैदानों की व्यवस्था करना ।"

धारा 8 का संशोधन

79–मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (ख) में शब्द "सार्वजनिक पार्क, उद्यान" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ढ) में शब्द "बोर्ड द्वारा, नगरों की दशा में राज्य सरकार की और अन्य नगरपालिकाओं की दशा में" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका द्वारा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8–क का निकाला जाना

80–मूल अधिनियम की धारा 8–क निकाल दी जायेगी ।

धारा 9 और 9-क का प्रतिस्थापन

81–मूल अधिनियम की धारा 9 और 9-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्,–

"9-(1) किसी नगरपालिका में एक अध्यक्ष और

नगरपालिका की संरचना–

(क) निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या,–

(एक) किसी नगर पंचायत की दशा में, 10 से कम और 24 से अधिक नहीं होगी, और

(दो) किसी नगरपालिका परिषद् की दशा में 25 से कम और 55 से अधिक नहीं होगी ; जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें,

(ख) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित हैं, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पूर्णतः या भागतः नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट हैं,

(ग) पदेन सदस्य, जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के ऐसे समस्त सदस्य सम्मिलित हैं जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं ;

(घ) नाम निर्दिष्ट सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और जिनकी संख्या–

(एक) नगर पंचायत की दशा में, दो से कम और तीन से अधिक नहीं होगी ;

(दो) नगरपालिका परिषद् की दशा में, तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होगी ।

(ङ) धारा 104 के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष यदि कोई हों, यदि वे किन्हीं पूर्वगामी खण्डों के अधीन सदस्य न हों :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों में किसी रिक्त से किसी नगरपालिका के गठन या पुनर्गठन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

स्थानों का आरक्षण

9–क (1) प्रत्येक नगरपालिका में स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या उस नगरपालिका में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगी जैसी कि नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे ।

(2) प्रत्येक नगर पालिक्रा में, सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का सत्ताईस प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किया जायेगा और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम में ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे ।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे ।

(4) किसी नगरपालिका में स्थानों की कुल संख्या [उप धारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए] के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में विभिन्न कक्षों को चक्रानुक्रम द्वारा, ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, आवंटित किये जा सकेंगे।

(5) राज्य में नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिये ऐसी रीति में आरक्षित किये जायेंगे जो कि नियमों द्वारा विहित की जाय।

(6) इस धारा के अधीन स्थानों और अध्यक्षों के पदों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभाव में नहीं रह जायेगा।

स्पष्टीकरण :–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों या पदों के लिये चुनाव लड़ने से निवारित नहीं करेगी।

धारा 10 का निकाला जाना

82–मूल अधिनियम की धारा 10 निकाल दी जायगी।

धारा 10-क का प्रतिस्थापन

83–मूल अधिनियम की धारा 10–क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात–

नगरपालिका का कार्यकाल

"10-क (1) प्रत्येक नगरपालिका, जब तक कि धारा 30 के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाय, उसकी पहली बैठक के लिये नियत दिनांक से पांच वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेंगी।

(2) किसी नगर पालिका को गठित करने के लिये निर्वाचन–

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ; या

(ख) उसके विघटित होने के दिनांक से छः मास की अवधि के समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां शेष अवधि, जिसके लिये विघटित नगरपालिका बनी रहती, छः मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिये नगरपालिका गठित करने के लिये इस धारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी नगर पालिका के अवसान के पूर्व उसके विघटन पर गठित नगरपालिका केवल उस शेष अवधि के लिये बनी रहेगी, जिसके लिये इस प्रकार विघटित नगरपालिका उपधारा (1) के अधीन उस दशा में बनी रहती यदि उसे विघटित नहीं किया गया होता।"

धारा 10-क का और 11 का निकाला जाना

84–मूल अधिनियम की धारा 10-क क और 11 निकाल दी जायेंगी ।

धारा 11-क का प्रतिस्थापन

85–मूल अधिनियम की धारा 11–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात,–

"11–क (1) किसी नगरपालिका के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जिन्हें कक्ष कहा जायेगा, ऐसी रीति में विभाजित किया जायेगा, कि जहां तक सम्भव हो सके, प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक समान हो ।

कक्षों का परिसीमन

(2) नगर पालिका में प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व एक सदस्य द्वारा किया जायगा ।

धारा 11–ख का संशोधन

86–मूल अधिनियम की धारा 11–ख में, उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्,–

"(क) कक्षों की संख्या जिनमें नगरपालिका के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र विभाजित किया जायेगा ;"

(ख) खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा ;

(ग) खण्ड (घ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या ।"

धारा 12–क और 12 – ख का प्रतिस्थापन

87–मूल अधिनियम की धारा 12–क और 12–ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्,–

"12–क–किसी नगरपालिका के सदस्य का इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जायेंगे ।

सदस्यों का निर्वाचन

12–(ख) (1) प्रत्येक कक्ष के लिये एक निर्वाचक नामावली होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जायेगी ।

प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली

(2)राज्य निर्वाचन आयोग ऐसी निर्वाचन नामावली को नियमों द्वारा विहित रीति में तैयार और प्रकाशित करवायेगा और इसके प्रकाशन पर वह, इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावली होगी ।

(3) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली तैयार करने प्रयोजन के लिये तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन तैयार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहां तक उसका संबंध इस कक्ष के क्षेत्र से हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली में ऐसे कक्ष के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

धारा 12–ङ का संशोधन

88–मूल अधिनियम की धारा 12–ङ में, उपधारा (2) में शब्द "म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी या गांव-सभा" के स्थान पर, शब्द नगरपालिका क्षेत्र, "छावनी या ग्राम पंचायत का क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।

धारा 12–च का प्रतिस्थापन

89–मूल अधिनियम की धारा 12–च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्,–

निर्वाचक नामावलियों में सुधार

"12–च (1) जहां राज्य निर्वाचन आयोग का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्व-प्रेरणा से, ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझें, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय में कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धित किया जाना चाहिये, वहां इस अधिनियम और इसे अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अधीन, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति, निष्कासन, सुधार या परिवर्द्धन करेगा,

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा सुधार निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा ।''

धारा 12-छ का संशोधन

90–मूल अधिनियम की धारा 12–छ में;–

(क) शब्द ''निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय)'' के स्थान पर शब्द ''राज्य निर्वाचन आयोग'' रख दिए जायेंगे :

(ख) शब्द ''विशेष'' जहां कहीं आया हो, निकाल दिया जायेगा ।

धारा 12-ज में संशोधन

91–मूल अधिनियम की धारा 12–ज में,–

(क) शब्द ''राज्य सरकार'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य निर्वाचन आयोग'' रख दिये जायेंगे,

(ख) खण्ड (ङ) निकाल दिया जायेगा ।

धारा 13-क का प्रतिस्थापन

92–मूल अधिनियम की धारा 13–क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्,–

सामान्य निर्वाचन

''धारा 31–क में यथा उपबंधित के सिवायें, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी नगर पालिका के सामान्य निर्वाचन के लिये एक या उससे अधिक दिनांक नियत कर सकती है ।''

धारा 13-ख और 13-ग का प्रतिस्थापन

93–मूल अधिनियम की धारा 13–ख और 13–ग के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्–

''13–ख नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा ।

निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण इत्यादि

13–ग कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि–

सदस्य के निर्वाचन के लिये अर्हतायें

(क) वह नगरपालिका में किसी कक्ष के लिये निर्वाचक न हो ;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, और स्त्रियों के लिये आरक्षित किसी स्थान की दशा में, वह यथास्थिति, उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो,

(ग) उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ।"

धारा 13-घ का संशोधन

94-मूल अधिनियम की धारा 13-घ में,-

(क) खण्ड (ज) निकाल दिया जायेगा,

(ख) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्,-

"(ट) वह राज्य के विधान मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया जाता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जायेगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है ।"

धारा 13-च का निकाला जाना

95-मूल अधिनियम की धारा 13-च निकाल दी जायेगी ।

धारा 13-छ का संशोधन

96-मूल अधिनियम की धारा 13-छ में,-

(क) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "जहां तक इस अधिनियम के द्वारा किसी विषय के संबंध में उपबन्ध न किया गया हो तो राज्य निर्वाचन आयोग", रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (च) में शब्द "उन कक्षों में जहां अनुसूचित जातियों के लिये स्थान आरक्षित हों, निर्वाचनों में विशेष प्रक्रिया" निकाल दिये जयेंगे ।

धारा 13-ज का संशोधन

97-मूल अधिनियम की धारा 13-ज में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "जिला मजिस्ट्रेट बोर्ड के परामर्श से" के स्थान पर, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,-

(एक) शब्द "अनुसूचित जातियों" के पश्चात्, शब्द "अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) शब्द "अनुसूचित जाति का होगा" के स्थान पर, शब्द "यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों का होगा या स्त्री होगी" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13–झ का संशोधन

98–मूल अधिनियम की धारा 13–झ में, शब्द "राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि उक्त रिक्ति अगले सामान्य निर्वाचनों तक भरी न जायेगी" के स्थान पर शब्द "ऐसी रिक्ति भरी न जायेगी" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13–त्र का संशोधन

99–मूल अधिनियम की धारा 13–त्र में, शब्द "निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय)" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13–ट का संशोधन

100–मूल अधिनियम की धारा 13–ट में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्––

(ख) निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन या तैयारी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना, या' " ।

धारा 25 का संशोधन

101–मूल अधिनियम की धारा 25 में पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिये जायेंगे ।

धारा 30 का प्रतिस्थापन

102–मूल अधिनियम की धारा 30के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात,––

राज्य सरकार की नगरपालिका को विघटित करने की शक्ति

यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई नगर पालिका इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक करती है या अपनी शक्तियों का एक से अधिक बार अतिलंघन या दुरुपयोग करती है तो वह नगरपालिका को कारण बताने के लिये युक्ति युक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् कि ऐसा आदेश क्यों न कर दिया जाय, आदेश द्वारा जिसके साथ तत्संबंधी कारण होंगे, सरकारी गजट में प्रकाशित करके नगरपालिका को विघटित कर सकती है ।"

धारा 31 का निकाला जाना

103–मूल अधिनियम की धारा 31 निकाल दी जायेगी ।

धारा 31–क का प्रतिस्थापन

104–मूल अधिनियम की धारा 31–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

नगरपालिका के विघटन के परिणाम

"31–क (1) जहां धारा 30 के अधीन कोई नगरपालिका विघटित की जाय तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे–

(क) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को सदस्य या अध्यक्ष के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे किन्तु इससे पुनर्निर्वाचन या पुनः नाम - निर्देशन के लिये उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ख) नई नगरपालिका का गठन होने तक—

(एक) नगरपालिका, उसके अध्यक्ष और समितियों की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों में जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त नियत करें, निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को विधि में अवसर की अपेक्षानुसार नगरपालिका, अध्यक्ष या समिति समझा जायगा ;

(दो) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वेतन और भत्ता जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निश्चित कर, नगरपालिका निधि से दिया जायेगा ;

(तीन) राज्य सरकार, समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डालें, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर हो, कर सकती है ।"

धारा 34 का संशोधन

105–मूल अधिनियम की धारा 34 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द "किसी नगर के संबंध में" निकाल दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 35 का संशोधन

106–मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) शब्द "यथास्थिति, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (1) में शब्द "किसी नगर के बोर्ड ने या विहित प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि नगर से भिन्न किसी नगरपालिका बोर्ड ने" के स्थान पर, शब्द "किसी नगरपालिका ने" रख दिये जायेंगे ।

धारा 38 का संशोधन

107–मूल अधिनियम की धारा 38 में,––

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "निर्वाचित" के पश्चात् शब्द "या नाम-निर्दिष्ट" बढ़ा दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "निर्वाचित" के पश्चात् शब्द "या नाम-निर्दिष्ट" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ग) शब्द "निर्वाचन" के पश्चात् शब्द "या नाम निर्देशन" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 40 का संशोधन

108–मूल अधिनियम की धारा 40 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "नगर की दशा में राज्य सरकार या किसी अन्य दशा में विहित प्राधिकारी" के स्थान पर, शब्द "राज्य सरकार" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी ;

(ग) उपधारा (4) में शब्द "जब, यथास्थिति, या तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "जब राज्य सरकार" रख दिये जायेंगे,

(घ) उपधारा (5) निकाल दी जायेगी ;

(ङ) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्––

"(6) किन्हीं पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर सदस्य को हटाने के बजाय उसे चेतावनी दे सकती है ।"

धारा 41 का संशोधन

109–मूल अधिनियम की धारा 41 में, उपधारा (4) में, शब्द "या विहित प्राधिकारी के, इनमें से जिस प्राधिकारी ने भी हटाये जानें का आदेश दिया हो," निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 43 का प्रतिस्थापन

110–मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्,–

"43-(1) अध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा ।

अध्यक्ष का निर्वाचन

(2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

(3) किसी सदस्य के निर्वाचन के संबंध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन और निर्वाचन अपराध से संबंधित विवाद भी है) इस अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन बनाये गये नियम अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाये, या नगरपालिका सदस्य होते हुए किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाये, तो वह धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जायगा ।"

धारा 43-कक का संशोधन

111-मूल अधिनियम की धारा 43-कक में,--

(क) उपधारा (1) में, खंड (क) में शब्द "म्युनिसिपैलिटी में" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र में" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (क) में शब्द "खण्ड (क) से लेकर (ञ) तक में उल्लिखित" के स्थान पर, शब्द "खण्ड (क) से (छ) तक और (झ) से (ट) तक में उल्लिखित" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 43-ख निकाला जाना

112-मूल अधिनियम की धारा 43-ख निकाल दी जायेगी ।

धारा 43-खख का संशोधन

113-मूल अधिनियम की धारा 43-खख में, उपधारा (1) में शब्द, अक्षर और अंक "या धारा 43-ख की उपधारा (1)" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 43-ग का संशोधन

114-मूल अधिनियम की धारा 43-ग में,--

(क) पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुए, शब्द "राज्य सरकार" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "और निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा करने से" निकाल दिये जायेंगे,

(ग) खण्ड (ञ) से (द) तक निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 44-क का प्रतिस्थापन

115–मूल अधिनियम की धारा 44-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्,–

अध्यक्ष का उप निर्वाचन

"44–क–यदि मृत्यु या त्याग पत्र दिये जाने या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष के पद मेंआकस्मिक रिक्ति हो जाये तो तत्पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु उक्त रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर, धारा 43 में उपबन्धित रीति से, अध्यक्ष निर्वाचित किया जायगा ।"

धारा 47 का संशोधन

116–मूल अधिनियम की धारा 47 में,––

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्,–

"(1) नगरपालिका का अध्यक्ष, जो पदत्याग करना चाहे, अपना लिखित त्याग-पत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को भेज देगा ।"

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "यथास्थिति, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख दिये जायेंगे ।

धारा 47–क का संशोधन

117–मूल अधिनियम की धारा 47–क में,––

(क) उपधारा (1) में,––

(एक) खण्ड (क) में शब्द "या तो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा या राज्य सरकार से यह अभ्यावेदन करेगा कि बोर्ड का अतिक्रमण कर दिया जाय और ऐसा किये जाने के लिये अपने कारण देगा" के स्थान पर, शब्द "अपने पद से त्याग-पत्र दे देगा" रख दिये जायेंगे,

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा,

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी,

(ग) उपधारा (6) निकाल दी जायेगी ।

118–मूल अधिनियम की धारा 48 में उपधारा (3) निकाल दी जायगी ।

धारा 48 का संशोधन

119–मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्,––

अध्यक्ष का सदस्य होना

धारा 49 का प्रतिस्थापन

"49–नगरपालिका का अध्यक्ष नगर पालिका का पदेन सदस्य होना होगा ।"

धारा 54 का संशोधन

120–मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

"(2) किसी भी उपाध्यक्ष के पद का कार्यकाल, उसके निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, इनमें जो भी कम हो, होगा ।"

धारा 54-क का संशोधन

121–मूल अधिनियम की धारा 54–क में, उपधारा (1) में शब्द "और तद्नुसार धारा 10-कक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे," के स्थान पर शब्द "और उसमें अध्यक्ष की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 57 का संशोधन

122–मूल अधिनियम की धारा 57 में, उपधारा (2) में शब्द "उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवा" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 66 का संशोधन

123–मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्,–

"(1) प्रत्येक नगरपालिका जिसमें कार्यपालक अधिकारी न हो, विशेष संकल्प द्वारा एक या एक से अधिक सचिव नियुक्त करेगी,"

धारा 69-ख का संशोधन

124–मूल अधिनियम की धारा 69–ख में, उपधारा (1) में––

(क) शब्द "म्युनिसिपल बोर्डों अथवा म्युनिसिपल बोर्डों, महापालिकाओं और जल संस्थानों" के स्थान पर शब्द "नगर पंचायतों या नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों, नगर निगमों या जल संस्थानों" रख दिये जायेंगे,

(ख) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों के जिलों में नगर पंचायतों और नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों, नगर निगमों और जल संस्थानों के लिये सामान्य सेवायें सृजित की जा सकती हैं ।"

धारा 87-क का संशोधन

125-मूल अधिनियम की धारा 87-क में,-

(क) उपधारा (12) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर, शब्द "दो तिहाई" रख दिये जायेंगे,

(ख) उप-धारा (13) में,-

(एक) शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे,

(दो) शब्द "आधे से अधिक होंगे" के स्थान पर शब्द "दो तिहाई से कम नहीं होंगे" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (14) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 92 का संशोधन

126-मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "धारा 43 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी बोर्ड के" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 93 का संशोधन

127-मूल अधिनियम की धारा 93 में शब्द "मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य सेवा निदेशक या सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक, जिला सिविल सर्जन" के स्थान पर शब्द "मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम, निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश या सहायक निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी," रख दिये जायेंगे।

धारा 96 का संशोधन

128-मूल अधिनियम की धारा 96 में, उपधारा (1) में,--

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्,

(ख) जिसमें किसी नगरपालिका परिषद् द्वारा किये गये संविदा की दशा में दस हजार रुपये और नगर पंचायत द्वारा किये गये संविदा की दशा में तीन हजार रुपये से अधिक मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो ;"

(ख) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,-

"प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका परिषद् की दो बैठकों के मध्य की अवधि के दौरान, अध्यक्ष बीस हजार रुपये से अनधिक के मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त होने वाली संविदाओं को स्वीकृत कर सकता है।"

129-मूल अधिनियम की धारा 97 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

धारा 97-क का बढ़ाया जाना

कतिपय परियोजनाओं के संबंध में विशेष उपबन्ध

"97-क-इस अधिनियम मे किसी बात के होते हुए भी, विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित नगर विकास परियोजना के संबंध में प्रत्येक संविदा या तखमीने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृत किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नागर विकास परियोजना के लिये निधि की स्वीकृति के लिये नगरपालिका की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगरपालिका की बैठक प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न बुलायी जाय या विनिश्चिय न किया जाय तो यह समझा जायगा कि नगरपालिका ने निधि स्वीकृति दी है और यदि स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया जाय या उपान्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम और नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायेगा कि नगरपालिका ने तद्नुसार निधि स्वीकृति कर दी है । अधिशासी अधिकारी तदुपरान्त परियोजना का निष्पादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि नगरपालिका परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगी और राज्य सरकार को अपनी आख्या भेजेगी ."

धारा 110-क का संशोधन

130-मूल अधिनियम की धारा 110-क में, उपधारा (3) में, खण्ड (घ) निकाल दिया जायगा ।

धारा 113 का संशोधन

131-मूल अधिनियम की धारा 113 में, उपधारा (2) में,--

(क) शब्द "निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति" के स्थान पर, शब्द "निर्वाचन या नाम-निर्देशन" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "बोर्ड के या नियुक्त की गयी किसी समिति के सदस्य" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका के सदस्य या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में या नियुक्त की गयी किसी समिति के सदस्य" रख दिये जायेंगे ;

धारा 114 का संशोधन

132-मूल अधिनियम की धारा 114 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"(1) प्रत्येक नगरपालिका के लिये एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे नगरपालिका निधि कहा जायेगा और इसमें प्राप्त सभी राशियां, जिसमें राज्य का संचित निधि से प्राप्त अनुदान और नगरपालिका द्वारा या उसके निमित्त लिये गये सभी ऋण सम्मिलित हैं, जमा की जायेंगी ."

धारा 116 और 120 का संशोधन

133–मूल अधिनियम की धारा 116 और 120 में, शब्द "नगरपालिका" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।

धारा 121 और 122 का संशोधन

134– मूल अधिनियम की धारा 121 और 122 में, पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुए शब्द "नगरपालिका" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "यथास्थिति संक्रमण शील क्षेत्र या लघुतर नगरीय क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।

नये अध्याय 4-क का बढ़ाया जाना

135–मूल अधिनियम की धारा 127 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्,—

अध्याय-4-क

जिला योजना समिति और वित्त आयोग

जिला योजना समिति

127–क–(1) प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति, जिले में पंचायतों और नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करने के लिये और सम्पूर्ण जिले के लिये एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिये गठित की जायेगी ।

(2) जिला योजना समिति में ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा निगमों द्वारा विहित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम चार बटा पांच भाग जिला पंचायत के और जिले में नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और अपने में से, जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति के अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि सदस्यों की कोई रिक्ति ऐसी समिति के गठन या पुनर्गठन में बाधक नहीं होगी ।

(3) जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जायेगा जैसा कि नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(4) जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,–

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :—

(एक) पंचायतों और नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के बीच सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना या एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है ;

(दो) उपलब्ध साधनों की सीमा और प्रकार चाहे यह वित्तीय हो या अन्य,

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(5) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गयी विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा ।

127–ख–(1) प्रत्येक नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी नियमों द्वारा विहित रीति में नगरपालिका क्षेत्र के लिये प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा ।

योजना का तैयार किया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी योजना नगरपालिका की बैठक में उसके समक्ष रखी जायगी और नगरपालिका उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के अनुमोदित कर सकती है ।

(3) अधिशासी अधिकारी, योजना के नगरपालिका द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् उसे ऐसे दिनांक के पूर्व जो नियमों द्वारा विहित किया जाय, जिला योजना समिति को भेजेगा" ।

127–ग–(1) वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगा–

वित्त आयोग

(क) उन सिद्धान्तों की बाबत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे,–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों की राज्य और नगरपालिकाओं के बीच वितरण और ऐसे आगमों का नगरपालिकाओं के अंश का आवंटन;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो नगरपालिकाओं, को समनुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिये सहायता अनुदान;

(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक उपाय ;

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय ।

(2) राज्यपाल उपधारा (1) के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेंगे ।''

धारा 129 का संशोधन

136–मूल अधिनियम की धारा 129 में, निम्नलिखित पार्श्वांकित शीर्षक बदल दिया जायेगा, अर्थात् :—

''जलकर के अधिरोपण पर निर्बन्धन ।''

धारा 132 का संशोधन

137–मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में शब्द ''नगरपालिका'' के स्थान पर शब्द ''नगरपालिका क्षेत्र'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 137 का संशोधन

138–मूल अधिनियम की धारा 137 में, उपधारा(1) में शब्द ''नगरपालिका बोर्ड'' के स्थान पर शब्द ''नगरपालिका'' रख दिया जायेगा ।

धारा 141, 145, 151 और 158 का संशोधन

139–मूल अधिनियम की धारा 141, 145, 151 और 158 में शब्द ''नगरपालिका'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''नगरपालिका क्षेत्र'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 160 का संशोधन

140–मूल अधिनियम की धारा 160 में उपधारा (2) निकाल दी जायेगी ।

धारा 173, 178, 188, 189, 191 और 196 का संशोधन

141–मूल अधिनियम की धारा 173, 178, 188, 189 और 191 और 196 में पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुए, शब्द ''नगरपालिका'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''नगरपालिका क्षेत्र'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 200 और 202 का संशोधन

142–मूल अधिनियम की धारा 200 और 202 में, शब्द ''नगरपालिका की सीमा में'' जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द ''नगरपालिका क्षेत्र में '' रख दिये जायेंगे ।

143–मूल अधिनियम की धारा 212-क में,— धारा 212-क का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "नगरपालिका की सीमा" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।

(ख) शब्द "नगरपालिका की सीमा" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र की सीमा" रख दिये जायेंगे ।

144–मूल अधिनियम की धारा 220, 224 और 226 में, शब्द "नगरपालिका" और "नगरपालिका सीमा" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे । धारा 220, 224 और 226 का संशोधन

145–मूल अधिनियम की धारा 228 में, उपधारा (1) में, शब्द "प्रत्येक नगरपालिका का बोर्ड" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक नगरपालिका" रख दिये जायेंगे । धारा 228 का संशोधन

146–मूल अधिनियम की धारा 235 में, उपधारा (1) में, खण्ड (छ:) में, शब्द "नगरपालिका की सीमा" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे । धारा 235 का संशोधन

147–मूल अधिनियम की धारा 237, 238, 239, 240 और 241 में, शब्द "नगरपालिका" और "नगरपालिका की सीमा" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, क्रमशः शब्द "नगरपालिका क्षेत्र," और "नगरपालिका क्षेत्र की सीमा" रख दिये जायेंगे । धारा 237, 238, 239 240 और 241 का संशोधन

148–मूल अधिनियम की धारा 245 में,— धारा 245 का संशोधन

(क) शब्द "नगरपालिका" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "नगरपालिका सीमा" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र की सीमा" रख दिये जायेंगे ।

149–मूल अधिनियम की धारा 246, 248, 250 और 252 में, शब्द "नगरपालिका" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे । धारा 246, 248, 250 और 252 का संशोधन

150–मूल अधिनियम की धारा 273 और 275 में, शब्द "नगरपालिका सीमा" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "नगरपालिका क्षेत्र की सीमा" रख दिये जायेंगे । धारा 273 और 275 का संशोधन

151–मूल अधिनियम की धारा 279 और 282 में, शब्द "नगरपालिका" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे । धारा 279 और 282 का संशोधन

धारा 284 का संशोधन

152–मूल अधिनियम की धारा 284 में,––

(क) शब्द "नगरपालिका" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "नगरपालिका की सीमा" के स्थान पर शब्द, "नगरपालिका क्षेत्र की सीमा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 296 का संशोधन

153–मूल अधिनियम की धारा 296 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) में, शब्द "नगरपालिका" के स्थान पर, शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ।

धारा 298 का संशोधन

154–मूल अधिनियम की धारा 298 में,––

(क) सूचियों को सम्मिलित करते हुए शब्द "नगरपालिका" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "बोर्ड" जहां कहीं भी आया हो, निकाल दिया जाएगा ;

(ग) सूची एक में, उप शीर्षक "च–बाजार, वधशाला, भोजन की बिक्री इत्यादि" के अधीन मद ङ में, शब्द "नगरपालिका की सीमा" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र की सीमा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 301 का संशोधन

155–मूल अधिनियम की धारा 301 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :––

"301-(1) धारा 297 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) से (ट) तक और संयुक्त प्रान्त प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम, 1919 के अधीन विनियम बनाने की नगरपालिका की शक्ति ऐसे विनियमों की शर्त के अधीन होगी जो तब तक प्रभावी न होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि न कर दी जाय ।

नगरपालिका द्वारा बनाये गये विनियमों और उप-विधियों का पुष्टिकरण

(2) उपविधियां बनाने की नगरपालिका की शक्ति ऐसी उपविधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने और राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि और सरकारी गजट में प्रकाशित होने तक प्रभावी न होने की शर्त के अधीन होगी ।

(3) राज्य सरकार किसी उपविधि या विनियम की पुष्टि करने में उसमें परिवर्तन कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझें ।

(4) नगरपालिका द्वारा धारा 297 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) से (ढ) के अधीन बनाये गये किसी विनियम या किसी उपविधि में कोई परिवर्तन या विखण्डन प्रभावी न होगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाये ।

(5) राज्य सरकार अपने अभिप्राय के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् किसी ऐसे विनियम या उपविधि को, जिसे उसने पुष्ट किया हो, विखण्डित कर सकती है और तदुपरान्त विनियम या उपविधि प्रभावहीन हो जायेगी ।"

धारा 318 का संशोधन

156–मूल अधिनियम की धारा 318 में, उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाएगा ।

धारा 333 का संशोधन

157–मूल अधिनियम की धारा 333 में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाएगा ।

धारा 333-क का प्रतिस्थापना

158–मूल अधिनियम की धारा 333-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"333–क–जहां किसी संक्रमणशील क्षेत्र के स्थान पर कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र घोषित किया जाय, वहां लघुतर नगरीय क्षेत्र की घोषणा के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

किसी संक्रमणशील क्षेत्र के स्थान पर एक लघुतर नगरीय क्षेत्र की घोषणा के परिणाम

(एक) ऐसे समस्त कर, शुल्क, लाइसेन्स, जुर्माने या शास्ति को, जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को नगर पंचायत द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत किये गये हों, इस अधिनियम के अधीन या इसके उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका परिषद् द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत किये गये समझे जायेंगे और जब तक कि उन्हें उपान्तिरित या परिवर्तित न किया जाय पूर्ववत् वसूल किया जायेगा ;

(दो) नगर पंचायत द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय नगरपालिका परिषद् द्वारा उसी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानो वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो ;

(तीन) उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को नगर पंचायत में निहित समस्त सम्पति जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूति या वादप्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या लाभ भी है, नगरपालिका परिषद् को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी और उसके लाभ के लिये प्रवृत्त हो जायेगी ;

(चार) ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्यथा उत्पन्न हुए हों जो नगर पंचायत के प्रति प्रोद्भूत हुए हों, और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हों, तत्पश्चात् नगरपालिका परिषद् के दायित्व हो जायेंगे ;

(पांच) नगर पंचायत की नगरपालिका निधि और उसके द्वारा उद्गृहीत या वसूल किये गये कर, पथकर, फीस या जुर्माना का व्यय न किया गया समस्त आगम नगरपालिका परिषद् की नगरपालिका निधि को अन्तरित हो जायेगा और उसकी निधि का भाग बन जायेगा ;

(छः) समस्त विधिक कार्यवाहियां जो नगर पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध आरम्भ की गयी हों और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को विचाराधीन हों, नगरपालिका परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध चलती रहेंगी ;

(सात) कोई ऐसा अधिकारी या सेवक जो उक्त दिनांक के पूर्ववर्ती दिनांक की नगर पंचायत द्वारा पूर्णकालिक नियोजन में नियोजित हो, नगरपालिका परिषद् को स्थानान्तरित हो जायेगा और उसका अधिकारी या सेवक हो जायेगा मानो वह उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया गया हो ; और

(आठ) नगर पंचायत द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही जिसमे की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गयी कोई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश, बनाया गया कोई नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या स्कीम, स्वीकृत किया गया कोई अनुज्ञा पत्र या लाइसेन्स या किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, नगरपालिका परिषद् द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह इसके लिये किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रान्त न हो जाय ।

धारा 333-ख का प्रतिस्थापन

159-मूल अधिनियम की धारा 333-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"333-ख-जहां किसी नगरपालिका क्षेत्र के लिये कोई नगरपालिका ऐसे वर्तमान नगरपालिका क्षेत्र से (जिसे आगे इस धारा में अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र कहा गया है) निकाल कर गठित की जाय, वहां नगरपालिका के गठन के दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में, उक्त दिनांक कहा गया है) निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

वर्तमान नगरपालिका क्षेत्र से किसी क्षेत्र को निकालकर नगरपालिका के गठन का परिणाम

(क) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत समस्त कर, फीस, लाइसेन्स, जुर्माने या शास्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नवगठित नगरपालिका द्वारा अधिरोपित, विहित या उद्गृहीत समझा जायगा ;

(ख) नव-गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के संबंध मे अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को या उसके पूर्व अपनी निधि से उपगत किया गया कोई भी व्यय, नव-गठित नगरपालिका द्वारा उसी प्रकार उपगत किया जाता रहेगा मानों वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत कोई व्यय रहा हो ;

(ग) नव-गठित नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर ऐसी समस्त सम्पत्ति जिसके अन्तर्गत किसी विलेख, संविदा, बन्ध, प्रतिभूति या वाद प्राप्य वस्तु के अधीन कोई अधिकार या फायदा भी है जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका में निहित थी नव-गठित नगरपालिका को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी और उसके फायदे के लिये प्रवृत्त हो जायेंगी ;

(घ) नव-गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के संबंध में ऐसे समस्त दायित्व, चाहे वे संविदा के कारण या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हों, जो अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका के प्रति प्रोद्भूत हुए हों, और उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को बकाया हो, तत्पश्चात् नव-गठित नगरपालिका के दायित्व हो जायेंगे ;

(ङ) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका की निधि का ऐसा भाग और अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका द्वारा उद्गृहीत या वसूल किये गये कर, पथकर, फीस या जुर्माना का व्यय न किये गये आगम का ऐसा भाग जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायगा, नव-गठित नगरपालिका की नगरपालिका निधि को अन्तरित हो जायगा और उसका भाग बन जायगा ;

(च) अविभाजित नगरपालिका क्षेत्र की नगरपालिका के ऐसे सेवक जिनका स्थानान्तरण विहित प्राधिकारी के परामर्श से नव-गठित नगर पालिका में किया जाय, नव-गठित नगरपालिका के सेवक हो जायेंगे मानों उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अध्यधीन रहते हुए, नव-गठित नगरपालिका द्वारा नियुक्त किया गया है ;

(छ) नव-गठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही जिसके अन्तर्गत की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई कोई अधिसूचना, जारी किया गया कोई आदेश या निदेश बनाया गया कोई नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या स्कीम, स्वीकृत किया गया अनुज्ञा-पत्र या लाइसेन्स या किया गया कोई कोई रजिस्ट्रीकरण भी है, नवगठित नगरपालिका द्वारा किया गया या की गई समझी जायेगी ।''

अध्याय 12 का निकाला जाना

160–मूल अधिनियम का अध्याय 12 जिसमें धारा 337 से 339 समाविष्ट है, निकाल दिया जायगा ।

नई धाराओं का बढ़ाया जाना

161–मूल अधिनियम की धारा 339 के पश्चात्, निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

340–(1) यदि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होने के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से किन्तु जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथासमय शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

संदर्भों का अर्थ

341–उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को ओर से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी लेख्य या कार्यवाही में नगरपालिका बोर्ड या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन टाउन एरिया कमेटी के उल्लेख का अर्थ यह किया जायेगा कि वह क्रमशः नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का उल्लेख है ।"

342–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक नगर-
नगरपालिकाओं के गठन तक के लिये व्यवस्था
पालिका बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों, नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ पर जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, यथासिथति, नगरपालिका बोर्ड, उसका अध्यक्ष या समिति या, नोटीफाइड एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायगा ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उक्त समस्त या किसी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य को किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है ।

(3) जिला मजिस्ट्रेट जिसमें किसी नगरपालिका बोर्ड, और उसके अध्यक्ष या नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1994 के अधीन निहित है जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने अपने शक्ति प्रतिनिहित कर दी है, में इस धारा के उपबन्धों के अधीन ऐसी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य निहित समझे जायेंगे ।

(4) इस धारा कें उपबन्ध, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति पर या, यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक तक, इसमें जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रह जायेगे ।

162–मूल अधिनियम में,– अनुसूचियों का संशोधन

(क) अनुसूची एक में,—

(एक) धारा 96(1) के सामने स्तम्भ दो की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"ऐसी संविदा स्वीकृत करना जिसके लिये बजट में कोई व्यवस्था न हो या जिसमें ऐसा मूल्य या धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो जो किसी नगरपालिका

परिषद् द्वारा की गई पंचायत द्वारा संविदा की दशा में तीन हजार रुपये से अधिक न हो,''

(दो) धारा 97(2)(ख) के सामने दो और तीन की प्रविष्टियां निकाल दी जाएगी ;

(ख) अनुसूची तीन में शब्द ''नगरपालिका'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''नगरपालिका क्षेत्र'' रख दिये जायेंगे ;

(ग) अनुसूची सात में,—

(एक) शब्द ''बोर्ड'' के स्थान पर, शब्द ''नगरपालिका'' रख दिया जायेगा ;

(दो) धारा 3(1) (ख) के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जायेंगी ;

(तीन) धारा 8(1) (ढ) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

''किसी निमित्त किये गये व्यय को नगरपालिका निधि पर समुचित प्रभार घोषित करना ;

(चार) धारा 13–क (1) के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी ;

(पांच) धारा 13–झ के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जायेंगी ;

(छ) धारा 30 के सामने की प्रविष्टि में, शब्द ''या अतिक्रमण'' निकाल दिये जायेगे ;

(सात) धारा 31 के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी ;

(आठ) धारा 35 के सामने की प्रविष्टि में, शब्द ''किसी नगर की दशा में'' निकाल दिये जायेगे ;

(नौ) धारा 40(1) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

''किसी नगर के बोर्ड के किसी सदस्य को हटाना'' ;

(दस) धारा 40 (2) और 40(5) के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी ;

(ग्यारह) धारा 40(6) के सामने की प्रविष्टि में शब्द ''या निलम्बित करना'' निकाल दिये जायेंगे ;

(बारह) धारा 47–क के सामने की प्रविष्टियां निकाल दी जायेगी ;

(तेरह) धारा 48 के सामने प्रविष्टियों में शब्द "या निलम्बित करना" निकाल दिये जायेंगे ;

(चौदह) धारा 55(3) के सामने प्रविष्टियों में शब्द "या निलम्बित करना" निकाल दिये जायेंगे ;

(पन्द्रह) धारा 337 से 339 तक के सामने की प्रविष्टियां निकाल दी जायेगी ।

अध्याय–चार

निरसन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1914 और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1994 का निरसन

163–संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 और उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी; नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1994 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 163 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 को निरसित करने के लिये

विधेयक

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 को संशोधित करना और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 को निरसित करना संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुरूप बनाने के लिये समीचीन है,

अतएव भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को, जो 31 मई, 1994 के बाद का नहीं होगा, प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री रमाशंकर कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 53– राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 78– सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट)

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 7,45,85,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,67,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 71,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 46,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 45,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 38,48,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–सर्तकता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त, 4,42,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त, 31,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के लिए इस माननीय सदन के माध्यम से अनुदान स्वीकृत करने की मैं अपील कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं । लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण अनुदान है और सामान्य प्रशासन और गृह विभाग, जिसकी चर्चा किसी न किसी प्रकार से इस सदन के समक्ष रोजाना ही आती है, किसी भी नियमों में और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का है कि जो सबसे ज्यादा सदन के बाहर प्रदेश की शांति-व्यवस्था के संबंध में तरह-तरह के प्रचार और दुष्प्रचार भी किये जा रहे हैं, माननीय नेता उधर के, अपनी रुचि के अनुसार एक-एक मुद्दा लेकर पूरा हिन्दुस्तान घूम रहे हैं, हम भी बाहर सूबे से जब दौरा करने जाते हैं, तो यही चर्चा होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भय मुक्त समाज की सरकार थी और हमारी सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में अराजकता का

माहौल, जान-माल की हिफाजत अब किसी को नही रही है । ऐसी बात कल हमसे हैदराबाद में पूछी गयी थी ।

इस समय माननीय नेता विरोधी दल का गैर हाजिर रहना मैं संसदीय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं मानता हूं और यह भी सोचकर उन्होंने सदन का कल बहिष्कार किया । तो आज ही मैंने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया और हमने कहा कि आप सदन में आइये और जो भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके लिए आपको आना चाहिए, अगर देरी हो गयी है, तो हम एक घंटा, डेढ़ घंटा के लिए सभी नेताओं से प्रार्थना कर सकता हूं कि कार्यवाही को रोक सकते हैं । लेकिन नेता विरोधी दल को आज सदन में रहना चाहिए । हमारी प्रार्थना को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की, आज उनको यहां पर रहना चाहिए और आज उनका गैरहाजिर रहना और हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर देना यह भी मैं समझता हूं कि आगे चलकर जो जिम्मेदारी उनको नेता विरोधी दल को मिली है, वह उसे निभायेंगे, इस मुद्दे के साथ मैंने उनसे कहा था, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा भी नहीं था, सरकार के खिलाफ नहीं था, किसी मिनिस्टर के खिलाफ नहीं था, मान्यवर, एक-एक उच्च, महान परम्परायें रही हैं, जहां पर आप बैठे हैं, उन पर आक्षेप लगाने की कोई परम्परा नहीं रही है । इस सवाल को लेकर तीन दिन के लिए सदन के बाहर रहना यह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं या यह कहिये कि उनके पास सही तथ्य या सही जानकारी नहीं होगी । इस सरकार के प्रति उनकी अपने आप में नापसंदगी हो सकती है, मेरे से नापसंदगी हो सकती है, इसलिए वह नहीं आये, अन्यथा उन्हें रहना चाहिए था और बताते कि शांति व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो मैं स्वीकार भी करता, उनका सुझाव भी आता तो उनके सुझाव के अनुसार सरकार को चलाने का प्रयास भी करता । इसलिए जान-बूझकर हम इस बात को रख रहे हैं कि नेता विरोधी दल, अभी तक परम्परा रही है, रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने हिस्सा नहीं लिया । कांग्रेस के नेता, सी० पी० आई०, सी० पी० एम० के नेताओं के द्वारा हमें महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे । हम यह नहीं कहते हैं कि हमारे गृह विभाग की कोई शिकायत नहीं है । हो सकता है कि हमारी जानकारी में न हो, लेकिन आज हमारे माननीय नेताओं के माध्यम से सुझाव मिलेंगे, जो गृह मंत्रालय, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, जिससे सरकार की छवि बनती है या जान-माल की हिफाजत करना उसी की जिम्मेदारी होती है । उस जिम्मेदारी को आपके सुझाव के द्वारा और आपके सहयोग के द्वारा पूरे प्रदेश की जानमाल की हिफाजत के लिए सक्षम होगी । इसीलिये हम कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, इस बजट के संबंध में ।

मान्यवर, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन और पुलिस बल को आधुनिक और सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया है और इसको प्रभावी बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिये जो बजट रखा है, उसमें बढ़ोत्तरी करने का प्रयास किया है । 1994-95 में मूल बजट 995 करोड़ 8 लाख का प्रस्तावित है, जब कि गत वर्ष 1993-94 में 888 करोड़ 78 लाख प्रस्तावित किया गया था । चुनाव के लिये बाद में अतिरिक्त व्यय करना पड़ा । इस बजट में पुलिस पर व्यय 12 करोड़ प्रस्तावित है जो गत वर्ष से 20

प्रतिशत अधिक है । आधुनिकीकरण व्ययों के लिये 74 करोड़ 5 लाख का प्राविधान किया गया है, जो गत वर्ष से 21.5 प्रतिशत ज्यादा है । मशीन एवं साज सज्जा उपकरण के लिये 14 करोड़ 26 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है, पुलिस कर्मियों के आवास के लिये 30 करोड़ का प्राविधान है । पुलिस कल्याण हेतु विशेष धनराशि में 10 प्रतिशत की बृद्धि की गयी है । यह मैंने इसलिये कहा कि जो हमारी प्रतिबद्धता है शान्ति और व्यवस्था ठीक करने के लिये, पुलिस उपकरणों के आधुनिकीकरण और साज-सज्जा और पुलिस बल का सशक्त करने का हमारा संकल्प है । जान-माल की सुरक्षा को हमने प्राथमिकता पर लिया है और इसीलिये हमने इन आंकड़ों को रखा है । हमारा जो प्रयास है वह शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये है और इसी कारण आंकड़े देने की आवश्यकता हुई । हम प्रयास कर रहे हैं और 4-5 दिन पहले शांति सुरक्षा बल का जो विधेयक लाये थे, उसके बारे में भी जो हमारी नीति थी, उसको स्पष्ट किया था, कि सबसे पहला काम साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने का है इसलिये हमने प्राथमिकता के आधार पर इसको लिया है और इस दिशा में हमें सफलता मिली है और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि 5 महीने सरकार को होने जा रहे हैं, इस सरकार के समय में केवल एक दंगा हुआ है, जिसको हम दंगा मानते हैं, वह हरिद्वार के जनपद में हुआ है । 5 महीने में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ । एक ऐसा अवसर आया था कि कानपुर में हत्या होने पर कुछ लोगों ने पूरी तरह से दंगा कराने का प्रयास किया था, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि लोगों के पूरे प्रयास के बाद कि दंगा हो, फिर भी केवल तीन साढ़े तीन घंटे के अन्दर कानपुर में नियंत्रण पा लिया गया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

बस्ती में भी कराने का प्रयास किया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

पाल जी ने ठीक ही कहा । वहां पर अमुक सम्प्रदाय की लड़की या लड़का कहकर बस्ती में दंगा कराने का प्रयास किया गया, मैं कहना चाहता हूं कि उस प्रयास को बेनकाब किया गया, और दंगा होने से बचा लिया गया ।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अखिलेश पीठासीन हुये ।)

तो इस तरह से हमारा सबसे पहला काम है सद्भावना और भाईचारा बनाये रखना और आपको स्वयं मालूम है कि जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं, शांति व्यवस्था की समस्या आती है सरकारों के सामने उसमें हम देखेंगे तो हमारी सरकार के जो आंकड़ें हैं उसमें पायेंगे कि शांति व्यवस्था में बेहतर सुधार हुआ है । मैं यह भी नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से सुधार हो गया है लेकिन बेहतर सुधार हो गया है पहली सरकार से बेहतर सुधार है जबकि वह पूरे देश

और प्रदेश में प्रचार करते रहे हैं नेता विरोधी दल ही नहीं इनके राष्ट्रीय स्तर के जितने नेता हैं मुझे तो हैदराबाद में बंगलौर में, कलकत्ता में जाकर आश्चर्य हुआ कि हर जगह इनका परिपत्र पहुंचा है जिसके माध्यम से पूरे देश में प्रचार किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग हो चुकी है यहां जंगल राज है लेकिन जो शब्द बोला जाता है तो मालूम होता है कि परिपत्र कहां से चलकर गया है पत्रकार भी पूंछते हैं कि बी० जे० पी० के लोग कहते हैं कि जंगल राज हो गया है ।

हमारी 19 महीने सरकार रही और जो भाजपा की सरकार थी उसमें 18 महीने 17 महीने के अन्दर 13 सैकड़ा अपराधों में वृद्धि थी यानि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा अपराध थे हमारी सरकार से । इसी तरह से वर्तमान शासन काल में जो 4 माह का है हमारे से 22 सैकड़ा अपराध ज्यादा थे जब माननीय नेता विरोधी दल मुख्य मंत्री थे । उनकी सरकार में हमारी सरकार से ज्यादा अपराधों में वृद्धि थी । इस तरह से उनके में 22 सैकड़ा अपराध ज्यादा थे हमारे में घटे हैं । अपराध नियंत्रण हेतु हमने कई कदम मजबूती से उठाये हैं । मान्यवर, 49 अपराधियों को हमने माफिया कहकर 25 हजार से लेकर 2 लाख तक का इनाम रखा है जो सूचना भी देगा उसका भी इनाम है । इस तरह से हम कड़ाई के साथ इस उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने के पक्ष में है, मजबूती के साथ जो बुनियादी कदम है उसको उठा रहे हैं । इसी में हमने यह भी फैसला किया है कि जो अपराधियों को पकड़ेगा तो जो पुलिस के लोग हैं उनका अलग इनाम है लेकिन अगर नागरिक हैं, जनता के व्यक्ति हैं वह सूचना देंगे तो उसके लिए इनाम है उसकी सुरक्षा की पूरी गारन्टी है । जहां इन अपराधियों को कोई पकड़ता है तो उसको मैंने पहले भी बताया था और फिर पुलिस का मनोबल बढ़ा था । जब गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे और जब पुलिस अच्छा काम करेगी तो वहां उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी हमने कहा है । जो 49 अपराधी सूचीबद्ध हैं तो उनको पकड़ने पर उन्हें प्रमोशन देंगे । कास्टेबिल है तो हेड कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल है तो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर है तो डिप्टी एस० पी० बनायेंगे और यह कार्यवाही 15 दिन के अन्दर, इन अपराधियों को जो पकड़ेगा उसको यह इनाम 15 दिन के अन्दर दे दिया जायेगा, यह व्यवस्था कर रहे हैं और जो शहीद होगा उन पुलिसजन के आश्रितों को 75 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दिया है । उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ रुपये हमने खर्च किये हैं और पूरे संसाधन का आधुनिकीकरण जितने भी हथियार हैं और वहां पर जो जिप्सी है उनमें वायरलेस सेट होगा और वह हमेशा सचल रहेगी, घूमती रहेंगी और अगर कोई अपराधी अपराध करने के बाद भागने की कोशिश करेगा तो 10-15 मिनट में ही सड़क पर रोककर पकड़ने की व्यवस्था भी की गयी है । अभी हमने देहरादून और तीन जिलों में सहारनपुर और हरिद्वार में इन्तजाम किया है । इसके अलावा और भी चार जिले शेष हैं मेरठ मण्डल के चार जिले हैं इन चार जिलों में व्यवस्था एक हफ्ते 10 दिन के अन्दर कभी भी कर सकते हैं । इसी तरह से आगरा से लेकर फिरोजाबाद मैनपुरी इटावा जहां अपराधों के संबंध में यमुना के किनारे जो बड़े गिरोह हैं उनसे मुकाबला करने के लिये 11 जिलों में यह 22 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं ।

साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिये अभी हमने बताया कि अलग केन्द्रीय पुलिस की तरह से प्रशिक्षित अनुशासित शान्ति सुरक्षा बल के संबंध में एक विधेयक पास कराया उसका जल्दी से जल्दी गठन करेंगे उसमें भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ कर देंगे जैसे-जैसे जरूरत बढ़ेगी उनके संगठन को आगे बढ़ाते जायेंगे । आतंकवाद का जहां तक सवाल है इस सरकार को पूरी सफलता मिली है जो पिछली सरकार थी हमारे से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनके समय में 59 घटनायें हुई थी 59 लोगों की जानें गयी थी और आज केवल दो घटनायें हुई इतने ही दिनों में । 93 लोग मारे गये थे उस सरकार में जिसमें 80 जनता के लोग थे और 13 पुलिस के लोग थे और आज केवल 6 लोगों की जानें गयी हैं । इस प्रकार आतंकवाद पर पूर्ण नियंत्रण इस सरकार ने किया है । सबसे ज्यादा मुख्य आतंकवादी था, इस सरकार के जमाने में बहादुरी के साथ उसको मार गिराया गया । अनुसूचित जाति, जनजाति के पीड़ितों के मामले सही पंजीकृत नहीं हो रहे थे वह इस सरकार में पूरी तरीके से किये गये हैं । और जहां पर नहीं किये गये हैं वहां हमने हमारी सरकार ने पुलिस अधिकारियों के निलम्बन की कार्यवाही की गयी है और जहां महिलाओं का अपमान करने की कोशिश की गयी है उनमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही इस सरकार में सुनिश्चित की गयी है और हो रही है ।

जहां तक सामान्य प्रशासन के कुछ बिन्दु हैं जिसकी अक्सर चर्चा भी रहती है कहा गया कि बहुत ज्यादा ट्रांसफर किये गये हैं 4 महीने के ट्रांसफर का जिक्र कर रहा हूं इस सरकार में इतने दिनों मे 139 आई० ए० एस० के ट्रांसफर हुए पिछली सरकार में 18 पी० सी० एस० के हमारी सरकार में इतने ही समय में 190 और पिछली सरकार में 526 आई० पी० एस० 130 और इतने ही दिनों में पिछली सरकार में 186 निरीक्षक 204 पिछली सरकार में 255, उप निरीक्षक 146 पिछली सरकार में 328 ट्रांसफर के बारे में जो आलोचना की जाती रही कि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुये हैं जब कि इतने ही दिनों में पिछली सरकार में कई गुना टान्सफर किये गये यह किस आधार पर किये गये यह आप सबको जानकारी है ज्यादा कुछ नहीं कहना है । जिलाधिकारी हफ्ते में 3 दिन जनता की सुनवाई करेंगे जनता की शिकायतों को सुनेंगे और अभी कहीं ज्यादा ठीक तरह से अगर कार्यवाही नहीं हो रही है तो कल से सदन उठेगा, सभी माननीय सदस्य लगातार व्यस्त भी रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट मानकर हम सुनिश्चित करेंगे कि एक हफ्ते में 3 दिन जिलाधिकारी जनता की शिकायत सुनेंगे मौके पर ही उन शिकायतों का फैसला भी करें । जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं एक महीने में जनता की अदालत भी लगवायें जिससे शासन का जनता को जल्दी न्याय मिल सके जिला स्तर के अधिकारियों के आकस्मिक व पूर्व निर्धारित दौरे भी तेजी से बढ़ाये जा रहे हैं यह सदन उठते ही इस पर बहुत तेजी से कार्य होगा । हमारी पिछली सरकार में हमने अधिकारियों को गांवों में भेजने की कोशिश रात्रि में निवास भी किया था जनता की शिकायतें सुनी थी । कमिश्नर के बकायदा दौरे हों यह हमारी कोशिश हैं । जिन 448 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही थी, वह कार्यवाही की गयी है और 43 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और 87 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गयी है एक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी गयी है

और दो अधिकारियों को सेवा से अलग करने का दण्ड भी दिया गया है । समाज में जो दुर्बल वर्ग के लोग है, कमजोर हैं और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और यह गरीबों की सरकार है इसलिए आरक्षण को बदलकर हमने 18 सैकड़ों से बढ़ाकर 21 सैकड़ा किया है । वृद्धावस्था और विकलांग पेंन्सन योजना को अधिक तेजी से चलाने का प्रयास हमने किया है और अगले महीने और तेजी से चलाने के प्रयास किये जायेंगे ।

उर्दू के संबंध में, उर्दू को द्वितीय राज भाषा स्वीकार किया है, और यह शिकायत भी आ रही है कि उर्दू द्वितीय राज भाषा तो बन गयी लेकिन उसके विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है । कांग्रेस सरकार ने इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था । लेकिन उसकी शिकायतें आ रही है । हमने इसके लिए यह फैसला किया है कि इसके संबंध और गहरे हों और मैंने पहले भी सदन में यह कहा था कि हिन्दी और उर्दू आपस में बड़ी और छोटी बहिने हैं । लेकिन जिनकी यह मानसिकता है कि उर्दू मुसलमान की भाषा है तो उसे कौन समझा सकता है ? मगर यह मुसलमान की भाषा नहीं है । अभी तीन दिन पहले हिन्दुस्तान के उर्दू अखबारों के एडीटर्स का सम्मेलन हुआ था, विचार गोष्ठी हुई थी और इसमें भारत सरकार के दो केन्द्रीय मंत्री भी उपस्थित थे और यह कहा था कि यह जो सम्मेलन हो रहा है लगता है कि यह मुसलमानी भाषा है तो हम यह मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं कि यह मुसलमानी भाषा नहीं है यह पूरे हिन्दुस्तान की भाषा है । जब भी ऐसे सम्मेलन होते हैं उर्दू के विकास के लिए जो हिन्दू विद्वान हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और शायर हैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए । मुझे खुशी हुई कि उन्होंने हमें और राजबब्बर को उसमें बुलाया था । मैं आजम खां साहब से कहूंगा कि जब कभी इस तरह के सम्मेलन हों उर्दू की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए हिन्दुओं ने भी कम काम नहीं किया है, तब हिन्दू कवि, लेखक, पत्रकार और विद्वानों को आमंत्रित किया जाये । और यह भी कहूंगा कि जब कभी कहीं पर कवि सम्मेलन हो तो उसका उद्घाटन मुसलमान विद्वान करे और कहीं मुशायरा हो तो उसका उद्घाटन हिन्दू विद्वान करें । मगर होता क्या है कि मुशायरा का उद्घाटन मुसलमान करता है और कवि सम्मेलन का उद्घाटन हिन्दू करता है । हम सरकार की तरफ से और सभी नेताओं के सहयोग से मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाना चाहते हैं । चाहे वह स्पोर्टस हो, चाहे संगीत हो, चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे मुशायरा हो हम सरकार की तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं । इसलिए ले जाना चाहते हैं कि जो सभ्यता और संस्कृति हमारी मिट चली है और जो भाईचारा समाप्त हो गया है उसे हम खेलों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से लायेंगे तो इससे भाईचारा मजबूत होगा । इस ओर विशेष ध्यान देने हम लोग जा रहे हैं । उर्दू की तरक्की के लिये हमने प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति का इन्तजाम भी किया है और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला लागू करायेंगे, जिसमें आप जानते हैं कि हिन्दी और संस्कृत में से एक और एक उर्दू या भारतीय भाषा । भारतीय भाषा में जो उर्दू लेना चाहे, वह उर्दू लें । दूसरी तरफ मान्यवर, हम प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के लिये भी व्यवस्था करेंगे और इसके लिये उर्दू समाचार-

पत्रों को भी प्राथमिकता देंगे । उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ने के लिये सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन भी कर दिया गया है, यह सारे काम हम अपनी सरकार में करेंगे और जो इस संबंध में आप लोगों के सुझाव होंगे, उनको हम मानेंगे ।

मान्यवर, पश्चिमी जिलों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा । हमारे वहां प्रयास काफी हुये हैं और शान्ति व्यवस्था भी रही है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले किये कराये पर पानी फिरा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सफलता जरूर मिल जायेगी । एक 4 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है । अभी तक देहरादून से लेकर गाजियाबाद तक शान्ति व्यवस्था स्थापित होने की बात लोगों ने स्वीकार की थी । विगत 19 तारीख को हिन्दुस्तान के सारे उद्योगपति एक तरफ तारीफ कर रहे थे कि शान्ति व्यवस्था में सुधार हुआ है इसलिये अब हमें उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योगों को बढ़ाना है, लेकिन 19 तारीख को ही एक 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया, अब इसमें क्या हो सकता है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा । ऐसे समय में, जबकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था सुधर रही है, ऐसे मौके पर 4 साल के बच्चे का अपहरण हमारी सरकार के लिये चुनौती है और यह हमारी सरकार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गयी है, हम इस चुनौती से निपटने में अवश्य कामयाब होंगे । पश्चिमी जिलों में विगत 1-1-94 से 31-3-94 तक के मेरे पास आंकड़ें उपलब्ध हैं, उसके अनुसार इतने समय में हमारे शासनकाल में अपराधों की संख्या 7355 और भयमुक्त समाज का दावा करने वाली सरकार के समय 7972 । इस प्रकार हमारे समय में 8.5 प्रतिशत अपराधों में पश्चिमी जिलों में कमी आई है । मान्यवर, ऐसी कुछ शिकायतें मिलती रहीं है कि जो हमारे विधान सभा के साथी हैं, उनके साथ ज्यादती की गयीं, इस संबंध में हम अपने साथियों को संतुष्ट करना चाहेंगे कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ यदि कोई पुलिस अधिकारी गलत व्यवहार करता है, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे । अगर किसी को हिस्ट्रीशीटर बनाने की कोशिश की जायेगी तो उस अधिकारी को उसका फल भुगतना पड़ेगा । हम पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि एक समय आया था सन् 80 के बाद, जब चौधरी शंकर सिंह को पता नहीं था कि उन्हें हिस्ट्रीशीटर बना दिया गया और हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनको सजा नहीं दी गयी । माननीय चौधरी साहब ने लखनऊ के इसी बेगम हजरत महल पार्क में एक बार कहा था कि हमको हिस्ट्रीशीटर बनाया जा रहा है, हमारी आवाज सुनकर कोई कार्यवाही करेंगे, लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी । मान्यवर, हमने पहले भी कहा है और आज भी कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि सतर्क होकर काम करने का अधिकार अपने पास रखें अन्यथा लोकतंत्र कभी कामयाब नहीं हो सकता और यदि जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी बात किसी के सामने कहने पर यह कहा जायेगा कि दखलन्दाजी की जा रही है, तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । यदि कोई विधायक या कोई नेता किसी भी अधिकारी से कोई सिफारिश करता है या अपनी बात कहता है तो उसे दखलन्दाजी हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे । हर जनप्रतिनिधि को अधिकारी के समक्ष अपनी बात कहने की छूट है । यह तो अधिकारी के विवेक पर है कि वह बात सही हो तो उसे माने और सही न हो तो उसे न माने । लेकिन यह कहना कि दखलन्दाजी की जा रही है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करना चाहते । हम अपने अधिकारियों से इस बात को कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की बात को उन्हें सुनना होगा और सही बात को मानना होगा । मान्यवर, 4-5 महीने की यह सरकार चली है, इस दौरान हम कभी काफी उलझे रहे, कई चीजों में, और आप लोग भी उलझे रहे । सदन भी काफी लम्बा चल गया है लेकिन अब

हम जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे भी उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और हम इस प्रदेश की जनता को और अधिकारियों को इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने की कोशिश न करें। इन शब्दों के साथ मैं गृह विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण सुझाव आयेंगे, इन सुझावों से हमें मदद मिलेगी जिससे हम प्रदेश में शान्ति व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रख सकेंगे।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

* श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह पुलिस विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी नेता सदन और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग का बजट प्रस्तुत किया है। बड़े गौर से मैं उन्हें सुन रहा था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक कुहासा की स्थिति थी, एक अनिश्चितता की स्थिति थी, इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर तेजी से फैल रहा था और यह लग रहा था कि मानवता पर साम्प्रदायिकता हावी हो जायेगी परन्तु मान्यवर, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया कि उसने साम्प्रदायिक शक्तियों को नकार दिया है और गैर साम्प्रदायिक शक्तियां जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती हैं, उन पर अपना पूरा विश्वास करके साम्प्रदायिकता को नकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की कुछ विवशता थी और बड़े व्यावहारिक रूप से बोले हैं, बहुत लम्बे-चौड़े वादे नहीं किये हैं। इनकी सरकार को अभी 4-5 महीने पूरे हुये हैं। बहुत लम्बा समय नहीं है जिस पर हम कह सकते कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, क्या असफलतायें हैं। लेकिन 5 माह का समय कम भी नहीं होता है। 5 माह का समय यह तय कर देता है कि सरकार की दिशा क्या है ? हम किस ओर बढ़ रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं और इसे मुख्य मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो अपराध की स्थिति थी, यदि उनका तुलनात्मक अध्ययन मौजूदा सरकार से करें तो निश्चित रूप से हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में गिरावट आयी है, आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहतर कानून व्यवस्था कायम किये है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहूंगा कि अभी जो बीता हुआ वर्ष है उस वर्ष से तुलना कर ली जाये। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी उत्तर प्रदेश की जनता थी, अपराधी थे और अपराध भी थे। उनसे अगर आप तुलना करें तो मैं आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं, निर्णय लेना आपका काम है।

1993 की अपेक्षा 1994 में जो अपराधों की स्थिति है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक में जो आई० पी० सी० के अपराध हुये थे वह 1993 में 51316 थे और आपके शासन काल में 55697 अपराध हुये हैं। कुल चार हजार का इजाफा है, इसमें 7.9 प्रतिशत की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बढ़ोत्तरी हुयी है । मान्यवर, कुछ लोगों की आदत है, इधर-उधर करने की, व्यवधान पैदा करते हैं, इधर का वातावरण दूषित न करें । मान्यवर, डकैती के संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1993 में 446 डकैतियां पड़ी थी, आपके शासनकाल में 503 डकैतियां पड़ी है, इसमें 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । मान्यवर, लूट के मामलें 1993 में 1476 हुये थे जबकि आपके शासनकाल में 1612 हो गये हैं, इसमें 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । वर्ष 1993 में 2346 हत्यायें हुयीं, जो यह बढ़कर 239 हो गयी हैं, इसमें मान्यवर, दो प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । मान्यवर, 1993 में 2168 दंगे हुये थे जो आपके शासनकाल में 2497 हो गये हैं, इसमें 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है ।रोड होल्डअप के मामले वर्ष 1993 में 29 थे,जो अब बढ़कर 36 हो गये हैं, इसमें 19.4 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । 1993 में 508 मुठभेड़ के मामले हुये, जो यह बढ़कर 614 हो गये हैं, इसमें मान्यवर, 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । मान्यवर, मुठभेड़ में मारे गये लोगों की संख्या वर्ष 1993 में सिर्फ 73 थी जो यह संख्या बढ़कर 119 तक पहुंच गयी है,इसमें मान्यवर, 38.7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । मान्यवर, मुठभेड़ में गिरफ्तारी के संबंध में वर्ष 1993 में 1094 लोगों की गिरफ्तारी हुयी, जबकि आपके शासनकाल में यह संख्या बढ़कर 1100 तक ही पहुंची, इसमें केवल 0.4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुयी है, मान्यवर, यह सब सामान्य बातें रहती हैं । मान्यवर, महिला उत्पीड़न के संबंध में मैं आपको बता दूं, वर्ष 1993 में 349 दहेज हत्यायें हुयी और आपके शासनकाल में यह बढ़कर 384 तक पहुंच गयी, इसमें 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । वर्ष 1993 में 374 बलात्कार की घटनायें हुयी. जो आपके शासनकाल में यह बढ़कर 584 तक पहुंच गयी, इसमें मान्यवर, 36.0 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । वर्ष 1993 में 633 शील भंग की घटनायें हुयी और आपके शासनकाल में यह 858 हो गयी हैं, इसमें 26.0 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । मान्यवर, वर्ष 1993 में 730 अपहरण के मामले हुये और आपके कार्य काल में 810 तक पहुंच गये हैं, इसमें मान्यवर, 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । वर्ष 1993 में जो अन्य प्रकार की घटनायें घटी उनकी संख्या 1466 थी जो आपके शासनकाल में बढ़कर 1638 हो गयी हैं, इसमें भी मान्यवर, 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । मान्यवर, इस तरह की घटनाओं का कुल योग चार हजार से ऊपर है, यानी 4274 है और वर्ष 1993 में राष्ट्रपति शासन के दौरान 3552 की संख्या थी, इस तरह मान्यवर, 17.0 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है ।

मान्यवर, अब मैं थोड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बता दूं । मान्यवर, वर्ष 1993 का अच्छा रिकार्ड है, उस समय मात्र 79 हत्यायें हुयी थीं जो अब बढ़कर 93 तक पहुंच गयी हैं, मान्यवर, इसमें तो सिर्फ 15 प्रतिशत की ही वृद्धि हुयी है । वर्ष 1993 में गम्भीर चोटें जिसकों आई उनकी संख्या 195 थी, अब आपके शासनकाल में यह 221 तक पहुंच गयी हैं, इसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है, बलात्कार की 80 घटनायें हुयी थी, अब 109 हो गयी हैं, इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है । आगजनी आदि की वर्ष 1993 में 70घटनायें हुयी, अब यह 131 तक पहुंच गयी हैं । मान्यवर, राष्ट्रपति शासन में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 1993 में 20 घटनायें हुयी, जो कि आपके शासनकाल में 34 हो गयी हैं, इसमें अन्य घटनायें वर्ष 1993 में 640 हुयी जबकि आपके कार्यकाल में 1008. इसमें 36.5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । मान्यवर, 41 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । मान्यवर, अब मैं अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे दूं । अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ वर्ष 1993 में बलात्कार की 80 घटनायें घटी जो आपके कार्यकाल में यह बढ़कर 109 तक पहुंच गयी, इसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । शीलभंग की 49 घटनायें हुयी

जो आपके कार्यकाल में 99 तक पहुंच गयी इसमें 50.5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और अपहरण के मामले वर्ष 1993 में 14 हुये थे, जो आपके शासनकाल में 14 ही हैं, इसमें किसी तरह की वृद्धि नहीं हुयी है। मान्यवर, यह प्रदेश की स्थिति है, राष्ट्रपति शासन से जब उनकी तुलना की जाती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के बाद इस स्थिति में सुधार हुआ है, दंगों की तुलना आप कर लें। भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आपके शासनकाल में 55697 अपराधों की संख्या है जबकि राष्ट्रपति शासन में यह 51316 हैं और भाजपा शासनकाल में 57000 हजार से ऊपर थी। डकैती के मामले आपके शासनकाल में 503, भाजपा के शासनकाल में 607 और राष्ट्रपति शासन में 446, लूट के मामले आपके शासन काल में 1612, भाजपा के शासनकाल में 1842 और राष्ट्रपति शासन के दौरान 1476, हत्या के मामले आपके शासनकाल में 2394, भाजपा के शासनकाल में 2364 और राष्ट्रपति शासन के दौरान 2346 हैं। मान्यवर, यह आंकड़े हैं, आपके और आपके विभाग के हैं, मैंने इनको उजागर करने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से राष्ट्रपति शासन के दौरान बेहतर रहा है, मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं और मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान के बाद जो गिरावट आई है तो मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है, इन पर नियंत्रण करना होगा।

मुझे आपकी नियत पर शक नहीं है। आप प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। जनवरी में जो स्थिति थी, वह फरवरी में नहीं थी और जो फरवरी में थी वह अप्रैल में नहीं थी। उत्तरोत्तर सुधार की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं परन्तु इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा क्योंकि अगर जनता की अदालत में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं बन पायेगी, जिस जनता ने आपको बड़ी आशा के साथ साम्प्रदायिकता पर नियंत्रण लगाने के लिए भेजा है तो अच्छी बात नहीं होगी।

मान्यवर, कुछ ऐसी घटनायें होती हैं जो विचलित कर देती हैं और जो शासन की छवि को धूमिल कर देती हैं। यद्यपि इन घटनाओं की संख्या 1 या 2 होती है परन्तु इनके परिणाम निरुत्साहित करने वाले होते हैं। पुलिस की तरफ से जो निरंकुशता की जाती है और एक घटना समाज को उद्वेलित कर देती है। चार जनवरी को पुलिस की पिटाई से चौकी हरबर्टपुर, थाना विकासनगर देहरादून में असद् की हत्या कर दी गई और कमल कुमार को जला कर मार दिया गया। यह एक दुखद घटना है जो समाज और प्रशासन दोनों पर कलंक लगा देता है। फिरौती के लिए अपहरण हो रहे हैं, जिसके लिए आप भी चिन्तित हैं। आपने प्रभावी अंकुश लगाने की बात कही है। 4-5 प्रकरण ऐसे हैं जो मन को उद्वेलित कर देते हैं। आपको याद होगा, गाजियाबाद में डा० दहल का किस तरह से अपहरण किया गया और जिन नाटकीय परिस्थितियों में वह लौट आये। यह चर्चा आम है कि उन्हें पुलिस वालों ने घर नहीं पहुंचाया और जो पुलिस वाले वहां थे, वह उनको पहचान भी नहीं पाये, वह अपने आप पहुंच गये। आपकी पुलिस ने कह दिया कि वहां इतना दबाव बढ़ा दिया गया था कि अपहरणकर्ताओं के लिए कोई रास्ता ही नहीं रह गया था सिवाय छोड़ने के परन्तु चर्चा दूसरी है। चर्चा यह है कि 55 लाख रुपये की रकम दी गई और उसके बाद उनको छोड़ा गया और वह सकुशल घर वापस लौट आये। फरीद अहमद, देहरादून के बड़े उद्योगपति थे, जिस ढंग से उनका अपहरण हुआ और जिस तरह से छोड़ा गया, पता नहीं मुझे अपने राजनैतिक जीवन में सबसे ज्यादा चिन्ता और परेशानी और दुख है एक अपहरण के मामले में जो कोई मेरा सगा संबंधी नहीं है। 4 वर्ष के बालक, जिसका नाम तरुण खजांज

है,आप भी इस घटना के बारे में जानते हैं, का अपहरण कर लिया गया । न हमको मालूम है और न आपको मालूम है कि वह सकुशल है या नहीं है । इससे सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है । यदि सरकार उसे सकुशल घर वापस ले आती है तो आपके शासनकाल मे चार चांद लग जायेंगे और यदि कोई दुर्घटना होती है तो आने वाले बहुत दिनों तक जनता कोसती रहेगी और सबको सालती रहेगी । इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा अपराध बढ़े हैं । इधर आपने थोड़ा ध्यान दिया है । इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करें । मैंने आंकड़ों को सामने रखा और यह भी स्वीकार किया कि उत्तरोत्तर सुधार हुआ है, परन्तु इस पर अंकुश लगाना जरूरी है । आंकड़ों से सरकार अपने को साबित तो कर सकती है परन्तु आंकड़ों से समाज नहीं चलता है, देश व प्रदेश नहीं चलता है । जहां-जहां असुरक्षा की भावना व्याप्त हो और वहां लोगों को यह लगने लगे कि वह सुरक्षित हैं तो वही सही पैमाना है सरकार की कसौटी का । मान्यवर, अभी उसमें कमी है, आपको प्रयास करना पड़ेगा और पूरी ताकत से प्रयास करना पड़ेगा । कुछ और चिन्ता के विषय हैं । आप के लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में कहते नहीं थकते कि यह सरकार पिछड़ों और दलितों की सरकार है लेकिन यह कैसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सरकार है जब सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर ही हो रहे हों । तो वह कौन से कारण हैं जिनमें दलितों पर पिछड़े वर्ग के लोगों की क्यों मुठभेड़ हुई है ?

मेरे पास एक समाचार पत्र है जो ऐसे लोगों का है जिन्होंने बड़ी स्पष्टता से लिखा है जो 60 से अधिक घटनायें हुई है अब तो 80 से ज्यादा होंगी तो उसमें ज्यादातर घटनायें दलितों और पिछड़े वर्गों के बीच हुई है । यह संघर्ष दोनों में क्यों हुआ है इसका कारण आपको देखना होगा कि कोई साजिस तो नहीं है कि बहुत से लोगों को यह गठबंधन पसन्द नहीं आ रहा हो, उनका सत्ता में आना पसंद न आ रहा हो । मैं पूरे विश्वास पूर्वक साक्ष्य के रूप में कह रहा हूं मैं इसे पढ़ूंगा नहीं इसलिये नहीं पढ़ूंगा कि इसके पढ़ते ही वह सदन की कार्यवाही का अंग बन जायेगा और जब कार्यवाही का अंग बन जायेगा तो अखबारों में प्रकाशित होगा और उससे मैं समझता हूं कि इसको प्रकाशित करने वालों का ध्येय, उनकी मंशा पूरी हो जायेगा । मैं अपने साथियों से भी कहूंगा अगर उनके पास यह है तो उसे यहां न पढ़ें । तो मैं पूरी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुये यह जो सरकुलर है माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से भेज रहा हूं । यह सरकुलर आर०एस० एस० के द्वारा जारी हुआ है, आर० एस० एस० ने अपने गुप्त लोगों को भेजा है । उनके माध्यम से अफवाहें उड़ायेंगे जिनका यह धंधा है उनको यह संकेत दिया है । इसमें साफ-साफ लिखा है जो लगभग 4 पृष्ठ में है साइक्लोस्टाइल है । इसकी मूल मंशा क्या है । जिन लोगों की आर०एस० एस० में आस्था है, जिनकी कट्टरपंथ में आस्था है वह हथियार ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लें । जिनका आर० एस० एस० में मन लगता है, जो इसमें निष्ठा रखते हैं वह आने वाले दिनों के लिये तैयार रहें हिंसा के लिये और वह ऐसी स्थिति समाज में उत्पन्न करायें जिनमें अगड़ों और पिछड़ों में संघर्ष हो, विचारों का संघर्ष नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष हो जिसे उन्होंने हिंसक क्रान्ति का नाम दिया है । यह गोपनीय पत्र है जिसे मैं आपके माध्यम से भेज रहा हूं । आप दिखवा लें पूरे प्रदेश में भयंकर पैमाने पर हिंसा कराना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं, एक संघर्ष की स्थिति लाना चाहते हैं, जिसमें तिथि भी है और जिनको भेजा गया है वह पता भी मौजूद है । मैं इसे जानबूझ कर नहीं पढ़

रहा हूं पढ़ने से वह कार्यवाही का अंग बन जायेगा और बाहर प्रकाशित होगा और देश और प्रदेशो में जायेगा और उनका उद्देश्य पूरा हो जायेगा इसलिये मैं शासन को प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है जिस पर मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह आपकी जानकारी में होगा, मैं गम्भीरता से आरोप लगा रहा हूं और जानकारी दे रहा हूं, भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आपके प्रदेश में ही नहीं देश के अनेक हिस्सों में सक्रिय है, उनकी गतिविधियां सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं रह गयी हैं, कई प्रदेशों में वह सक्रिय हैं इस पर आप ध्यान दें। वह आई ० एस० आई० अकेले काम नहीं कर रही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक से गठबन्धन करके हिंसा फैलाने के लिये मिल जुल कर यह दोनों काम कर रहे हैं।

मान्यवर, दोनों का उद्देश्य एक ही है। कट्टरता इस देश की दुश्मन है फिर वह चाहे हिन्दूवाद की कट्टरता हो या मुस्लिमवाद की हो। दोनों कट्टरवादी चाहते हैं कि सहिष्णु का जीवन ठीक से न चल सके ! तो यह जो कट्टरवाद की संधि है उसके लिये हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। मैंने जो आपको पत्र दिया है वह आर० एस० एस० का है। पाकिस्तान की आई० एस० आई० की चर्चा यूनेस्को और जिनेवा में हो चुकी है तथा अन्तरर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी गतिविधियों के बारे में चर्चा हो चुकी है ! इसलिए यह आज चिन्ता और चुनौती का विषय है, अतः इस पर सरकार को वरीयता से ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग इसलिए नहीं लग पा रहे हैं चूंकि वहां का वातावरण, कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है। वहां आज अपहरण का उद्योग फलफूल रहा है इसलिए वहां उद्योग नहीं लगने पा रहे हैं। अतः इस पर कड़ाई की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं किन्तु श्री मुलायम सिंह जी को बधाई देते हुये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आज साम्प्रदायिकता पर उनकी विजय हुई है और उनकी ही विजय नहीं बल्कि साथ ही साथ जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टी और निर्दलीय दलों की विजय हुई है और साम्प्रदायिक ताकतों पर यह विजय हुई है। लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की 66 प्रतिशत जनता ने उस जनादेश को नकार दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिकता के रूप में मांग रही थी। लेकिन शेष 34 प्रतिशत को वह आज वापसी के लिये तैयार कर रहे हैं और जैसी उनकी साम्प्रदायिकता है वैसी ही वह जातीयता को आधार मानकर नंगा नाच कर रहे हैं। इसलिए जातीयता जो आज उभर रही है उस पर अंकुश लगाने के लिये सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। मान्यवर, जातीयता का संघर्ष इस तरह नहीं रुकेगा यदि सरकार में शामिल और मौजूद लोग उसको बढ़ावा देंगे, इसलिए इसको रोकने के लिये दृढ़ शक्ति और आत्म अनुशासन की जरूरत है नये गठबन्धन को हम बधाई देना चाहते हैं लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि दल की भावना की भाषा अलग होती है और सरकार की भाषा अलग होती है। दल की भाषा और सरकार की भाषा में फर्क होता है। दल की भाषा विचारों और लोगों के साथ चलती है लेकिन सरकार की भाषा उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता की भाषा होती है इसलिए दल में जो शामिल हो गये हैं उनको वही बोलना पड़ेगा जो 14 करोड़

जनता की भाषा है और जो उत्तर प्रदेश की भाषा है । मान्यवर, इस देश पर महात्मा गांधी जी का, सरदार पटेल जी का, मौलाना अब्दुल कलाम जी का और स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों का उपकार है तथा इसके साथ ही जवाहर लाल नेहरू जी का, सुभाष चन्द्र बोस जी का उपकार है जिन्होंने नये भारत का निर्माण किया है और इसके साथ ही साथ इन्दिरा गांधी जी और चौधरी चरण सिंह जी का उपकार है जिससे देश अलग नहीं हो सकता है । मान्यवर, कहने में संकोच नहीं है डा० बाबा भीमराव अम्बेदकर ने इस देश को संविधान दिया और भारत का मान बढ़ाया इसलिये उनके उपकार को यह देश कभी नहीं भूल सकता है । लेकिन क्या यह उचित है कि हम उन महान नेताओं, आत्माओं को तराजू पर रखें और तुलना करें कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है । आवश्यकता इस बात की है कि जो उन्होंने देश और प्रदेश को दिया है, उसको हम मान्यता दें और उनकी सेवाओं, विचारों, आदर्शों और त्याग के प्रति नमन करें । जिस दिन हम मिलकर चलेंगे, सबका सम्मान करना सीखेंगे तो वह दिन निश्चित रूप से इस देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ दिन होगा ।

हमने आंकड़े द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि राष्ट्रपति शासनकाल में अपराधों पर अंकुश रहा है और इसके लिए इस अवसर पर हम बोरा जी की या सत्यनारायण रेड्डी जी की प्रशंसा न करें तो यह उचित नहीं होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह सन्देश उन तक पहुंचाना चाहता हूं । किन्तु अब कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी तो हमारी व्यवस्था में जरूर है, नहीं तो कैसे वह साम्प्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधि उनके नगर अध्यक्ष से मिलकर, उनके सर्वोच्च नेता से मिलकर वह एक कालिख कैसे मुख्य मंत्री निवास में प्रवेश कर जाता । कहीं कमी तो अवश्य है व्यवस्था में कि यह अपने घृणित उद्देश्य में सफल हो गया । लेकिन उसका इरादा पूरा नहीं हुआ । उसका इरादा क्या था ? उसका इरादा केवल मुलायम सिंह यादव पर आक्रमण कर हत्या करने का न था, बल्कि साथ ही पूरे देश में साम्प्रदायिकता की जड़ों को मजबूत करना और धर्म निरपेक्ष ताकतों को कमजोर और हताश करने का था । यदि कहीं वह अपने इरादे में पूरी तरह सफल हो जाता है तो वह दिन उत्तर प्रदेश का सबसे काला दिन होता । हमारी व्यवस्था में निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य है । डाक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने में आज तमाम विवाद हो रहे हैं उसको हम सुलझा सकते हैं । इसके लिए उचित यह होगा कि उनका स्थान चयनित करने के लिए आप एक समिति बना दें । प्रतिमा वहीं लगे जहां उक्त समिति के द्वारा स्थान निर्धारित कर दिया जाए ।

जातीयता की जो बात कही उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि यहां पर आंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उसके संबंध में नगर में एक शोभा यात्रा निकली और उसमें एक ऐसी झांकी भी निकली जिसमें गांधी जी के रूप में एक बच्चे को बैठाया गया था, उसके चेहरे पर कालिख पोत दी गई थी और उसमें उस गांधी को लेकर तमाम अपमानित करने वाली बातें भी कही गई, कही जा रही थीं । इसे एक भैंसे पर बैठाकर प्रस्तुत किया गया था । तो गांधी जी का अपमान उत्तर प्रदेश की राजधानी में और आपकी नाक के नीचे हो तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती है । आप इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगाएं । जहां कहीं भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हों आप उन पर तुरन्त प्रभावी रोक लगाएं । आज हम साम्प्रदायिकता के विरुद्ध हैं तो जातीयता और जातीय उन्माद के भी विरुद्ध हैं । आज सड़कों पर जो जातीय नारे लगाए जा रहे हैं, उनसे आपको लड़ना होगा । आज गांव-गांव में साम्प्रदायिकता को फैलाने के लिए एक नौटंकी भी हो रही है । उससे देश

उससे देश और प्रदेश का भारी नुकसान हो रहा है, समाज में कटु वैमनस्य पैदा हो रहा है । उनका तो कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वह पुलिस की सुरक्षा में अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद गरीबों और बड़े लोगों के बीच विवाद होता है । झगड़े और सर फुटव्वल होते हैं । इस किस्म का सांस्कृतिक कार्यक्रम जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं और यह प्रदर्शन तोड़ने के लिए ही हो रहा है । इसलिए इस पर अंकुश लगना चाहिए । तो इसको आपको मिटाना चाहिए ।

कुछ चीजें और हैं जिन पर आपको ध्यान देकर दूर करना चाहिए, जैसे 700 रुपया प्रति व्यक्ति मिलता है, जो थाने में खाना बनाते हैं और मुख्यालय वाले को 1500 रुपया देते हैं । यह 7 सौ या 15 सौ रुपया दुर्भाग्य है । सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया । आज इस प्रकार तीन-चार बार परीक्षाएं स्थगित करते चले जा रहे हैं । परीक्षा द्वारा इनकी नियुक्ति न करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है । उनकी आवासीय समस्याओं के लिए हमेशा 25 करोड़ रुपया दिया जाता रहा है । आप 4 करोड़ और पांच करोड़ दे रहे हैं । पुलिस बल की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन उनके आवास की समस्या के निदान के लिये प्रयास नहीं किये जा रहे हैं । बहुत पुराना उद्देश्य था कि पुलिस कमिश्नरी स्थापित होनी चाहिए । चौधरी चरण सिंह के समय में एक कमीशन बना था लेकिन उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है । मान्यवर, मेरा कहना है कि लखनऊ या कानपुर में एक जगह ले लें, प्रयोग के रूप में देखें, सफल होता है तो चलाना चाहिए । मान्यवर, आज मुकदमों की पैरवी किस तरह से हो रही है, इतना लम्बा समय लग रहा है । अपराधी छूट जाते हैं और इस तरह से उनके हौसले बुलन्द हो रहे हैं । मान्यवर, पुलिस तो है ही, इसके साथ ही साथ होमगार्ड और पी० आर० डी० भी है । पी० आर० डी० पन्त जी ने बनाया था प्रान्तीय रक्षा दल । इस दल का एक उद्देश्य था कि शांति व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जायेगा लेकिन मान्यवर, आज इसे पूरी तरह से अलग कर दिया गया है । उन्होंने जो कार्य किया था उसका भत्ता भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है । इसी तरह से मान्यवर, गांव में सुरक्षा व्यवस्था चौकीदार के ऊपर छोड़ रखी है । मान्यवर, उन चौकीदारों को आज कितना वेतन मिल रहा है, यह आप अच्छी तरह जानते होंगे । जितना पैसा उसको मिलता है वह इतना भी नहीं होता है कि वह उससे 2/4 दिन गुजर कर सके । मैं चाहता हूं कि आप इस बात की घोषणा करें कि चौकीदारों के लिये निश्चित रूप से उनका वेतन सुनिश्चित किया जाय और वेतन सुनिश्चित करके उनकी पूर्णकालिक सेवा का उपयोग आप करेंगे । आप तो कहते रहे हैं नेता विरोधी दल के रूप में, और माननीय मुख्य मंत्री के रूप में, कि दोषी अधिकारियों को दंडित किया जायेगा और जो ईमानदार होगा वह सीना तानकर चलेगा । दोषी अधिकारी दंडित हो रहा है या नहीं, इस बारे में नहीं कह सकता हां ईमानदार आदमी जरूर बिस्तर बांध कर चल रहा है । जो दृढ़ता के साथ ईमानदारी के साथ अपना काम करता है, उसे अपना बिस्तर हर समय बांधे रहना पड़ता है क्योंकि उसे पता नहीं कि आज कहां और कल कहां जाना हो । आपको ईमानदार अधिकारी के प्रति एक रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा ताकि वह अच्छी तरह से, लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से काम कर सके । आज आपके यहां पुलिस में भर्ती होती जा रही है लेकिन उनके वेतन भत्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जब एक सिपाही भर्ती होता है तो आज भी आपके यहां 10 और 16 साल की सेवा के बाद उसे स्पेशल इन्क्रीमेंट देकर स्टैनगनेशन को दूर करने का प्रयास करते हैं । एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती होता है तब उसे 16 साल बाद स्पेशल इन्क्रीमेन्ट के रूप में 20/25 रुपये का लाभ मिल पाता है । मान्यवर, यह ज्यादती है । बेइन्साफी है । इस तरह के नियम में

संशोधन करने की आवश्यकता है यह सीमा अवधि जो 10 साल और 16 साल है, इसको घटाकर 7 साल और 12 साल कर दिया जाना चाहिए ताकि सात साल की सेवा करने के बाद उसे विशेष भत्ता मिल सके।

मान्यवर, कानून व्यवस्था आज बड़ी चिन्तनीय है। हिन्दुस्तान के समाचार पत्रों ने आपकी प्रशंसा में जो कहा है मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। यह अंग्रेजी में है मैं इसका तर्जुमा कर दूंगा। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस ने कहा है–मुलायम सेट्स वाइल्ड वेस्ट एबलेज पूरे पश्चिम में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, उसका एक नमूना है। इसी तरह से स्टेट्स ने लिखा है चरनसिंह आहूजा द्वारा क्राइम रेट जूम्स इन बेस्टर्न यू० पी०, जिस तरह से पश्चिम में अपराध बढ़े हैं, उसके विषय में छापा है। जो बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति शासन से स्थिति खराब है। आपके शासन काल में जैसी थी पहले उसके बाद भाजपा के समय में खराब हुई फिर राष्ट्रपति शासन में खराब थी और अब और खराब है, ऐसा आंकड़ों के द्वारा बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस 12-2-94 में लिखा है–

"ए नोट प्रिपेयर्ड बाई द डाइरेक्टर जनरल आफ उत्तर प्रदेश पुलिस हैज कंफर्म्ड स्टीप राइज इन क्राइम रेट इन उत्तर प्रदेश आफ्टर मुलायम सिंह यादव रिटर्ंड टू पावर इन द स्टेट।"

डी० जी० पुलिस का कहना है कि जब से मुलायम सिंह की सरकार आई है अपराध और बढ़े हैं। इसी तरह से मान्यवर जनसत्ता ने माननीय मुलायम सिह के शासनकाल के 100 दिन पूरे होने पर कहा हैं "मुलायम शासन के सौ दिन में सौ से ज्यादा वारदातें" सौ से ज्यादा महत्वपूर्ण और चिन्तनीय वारदातें हैं। इसे पढ़ूंगा तो काफी समय लगेगा। कटिंग के रूप में यह मेरे पास मौजूद है। निश्चित रूप से मान्यवर, अपराधों में जिस तरह से तेजी के साथ बढ़ोत्तरी हुई है वह चिन्ता का विषय है। उनको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। "हिन्दुस्तान" ने जो अपना विशेष लेख लिखा है "जातीय संघर्ष के चक्रव्यूह में उलझा उत्तर प्रदेश" माननीय मुलायम सिंह के आने के बाद यदि कोई उपलब्धि हुई है वह है जातीय संघर्ष। इंडियन एक्सप्रेस का है। तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से आया है। अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है, कैसे हो रही है ? तो किसी को ऐसा न लगे कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। गत वर्ष की अपेक्षा और राष्ट्रपति शासन की अपेक्षा अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है विशेष रूप से पश्चिमी अंचलों में बढ़ोत्तरी हुई है यह चिन्ता का विषय है। आज जिस तरह से सुनिश्चित नहीं है कि दोषी अधिकारियों के स्थानान्तरण न हों तो उनकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ेगी। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। एक दो अधिकारी ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और कुछ दिनों के लिए आए हैं। एक अधिकारी जो असम से आए हैं उनकी नियुक्ति हुई है उनको महत्वपूर्ण स्थान पर भेजा गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्षमता के आधार पर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं साथ ही यह भी कहूंगा कि अपराध बढ़ रहे हैं इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृपा करके आज के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विभागों के अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने आद्योपान्त माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन को सुना और प्रमोद तिवारी जी को सुना। जिस संवेदनशीलता का संदर्भ प्रमोद जी ने दिया और जिस संवेदनशील मंशा की तरफ इशारा माननीय नेता

सदन ने किया मैं भी उस पर बल देना चाहता हूं। आज जो सबसे बड़ी जरूरत है वह किस बात की है। मान्यवर, आपके स्नेहपूर्ण सानिध्य में लगभग 20 वर्षों से अवसर मिला है इस माननीय सदन में बहुत से नेता जो ऊंचे पदों पर प्रदेश की राजनीति में रहे उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं पहली बार 1974 में आया था उस समय माननीय नेता सदन मुख्य मंत्री जी की कुर्सी पर नहीं थे वह इस सदन में ही बैठते थे। बहुगुणा जी उस समय नेता सदन थे आपको स्मरण होगा तब किसी अनुसूचित जाति जनजाति, माइनारिटी, गरीब गरीबों के संदर्भ में बात होती है तो बहुगुणा जी की बात याद आती है जिलाधिकारी के संबंध में कोई बात कही जाती है तो कहा जाता है, बहुगुणा जी के जमाने में शिड्यूल कास्ट माइनारिटी के बारे में, उन्होंने संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छाप छोड़ी थी मैं उनके नजदीक रहा था इस कारण उनका प्रभाव होना स्वाभाविक है। उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित रहा हूं। बहुगुणा के जमाने में यहां प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जिलाधिकारियों की संख्या 13 थी वह संख्या अभी तक एक रिकार्ड थी। आज मैं मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इससे ज्यादा संवेदन शीलता और क्या हो सकती है कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के जिलाधिकारियों की संख्या 18 है ? हमारे नेता की नीति और नीयत में कोई अन्तर नहीं है। प्रमोद जी चूंकि मैंने आपको भी स्नेह से सुना है इसलिए आप भी मेरी बात स्नेह से सुनें। बहुगुणा के कार्यकाल में 13 अनुसूचित जाति और जनजाति के जिलाधिकारी थे जिनकी संख्या आदर्श मानी जाती थी लेकिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इनकी संख्या 18 हो गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए हमारे पास शब्द विन्याश नहीं हैं। जिसका हम प्रयोग करें। आज सही मायने में संवेदन शीलता का परिचय दिया गया है।

प्रशासन जब संवेदनशील होगा तभी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों में आशा का संचार होगा। यदि आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी एस०, ज्यादा संख्या में दलित होंगे तभी गरीबों के साथ न्याय करेंगे। एक प्रश्न एस० पी०, एस० एस० पी० के संदर्भ में आता है। बहुगुणा के जमाने में केवल इनकी संख्या 11 थी और वर्तमान में 14 है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं। माइनारटी अल्पसंख्यक के 7 हैं। आई० जी० जोन आपके जमाने में 3 हैं। इसी तरह से डी० आई० जी० के 5 में 3 पिछड़े वर्ग के हैं। बहुगुणा जी के जमाने में कोई नहीं था। बहुगुणा जी ने एक संवेदनशील प्रशासन के लिए अनूठा इतिहास प्रस्तुत किया था उनका उदाहरण आज भी लिया जाता है। बहुगुणा जी के पद चिन्हों पर चलने वाले दलित, पीड़ित मानवता की रक्षा करने वाले, उनके अधिकारियों की रक्षा करने वाले, मुख्य मंत्रीजी निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देता हूं। आपने इसी मंशा के तहत शांति सुरक्षा बल का गठन किया है। जिसका कि पहले जिक्र किया जा चुका है। अभी तक तो दिमाग का टेस्ट होता था। आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, दरोगा, कांस्टेबिल की परीक्षा के लिए दिमाग का टेस्ट होता था, उसका दिल कैसा है, वह किन पूर्वाग्रहों से ग्रसित है इसका टेस्ट नहीं होता था। उसके संस्कार क्या हैं, इसका टेस्ट नहीं होता था। पूर्वाग्रहों से ग्रसित व्यक्ति कभी भी सही काम नहीं कर सकता है। इसलिए शांति सुरक्षा बल में खास तौर से इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि उसका दिल ठीक है वह किसी मानसिक पूर्वाग्रह से तो नहीं ग्रसित है। शांति सुरक्षा बल की तभी तो 5 बटालियनों का गठन किया जायगा। इस बल की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि पीड़ित, अल्पसंख्यक, दलित लोगों घसीटा रामकलिया, मटरुआ जैसे लोगों को न्याय मिल सके। मैं समझता हूं कि कवि सम्मेलनों में हिन्दू विद्वान जाते हैं उद्घाटन करते हैं तथा शायरा-मुसायरा में मुसलमान भाई जाते हैं। सभी ने अब्दुल रहीम खानखाना को पढ़ा होगा उन्होंने कहा है "रहिमन धागा प्रेम का मत तोरयो चटकाय। टूटे ते फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए।" "व टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार। रहिमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार॥" यह सभी हम लोग प्राइमरी में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा और आपको जानकर खुशी होगी कि अब्दुल रहीम खानखाना जो अकबर के दरबार में नौ-रत्नों में से एक थे उन्होंने संस्कृत में भी लिखा है। मैं समझता हूं

कि उन्होंने संस्कृत में जो लिखा है उस पर बड़े-बड़े संस्कृत के विद्वान भी कुरबान हो सकते हैं। उन्होंने जो लिखा है वह राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय एकता के परिपेक्ष्य में प्रासंगिक है। उन्होंने कहा है :–

"रत्नाकरोस्ति सदने गृहणी च पद्मा,
कि देयमस्तु भवते जगदीश्वराय।
राधागृहीत मनसे मनसे च तुभ्यम्,
दत्तं मया निज मनस्त दिदं ग्रहाण ॥"

अर्थात् हे कृष्ण, हे विष्णु, रत्नाकर ही जिसका घर हो, क्षीर सागर में जो वास करता हो। लक्ष्मी जिसकी पत्नी हो, हे विष्णु, हे कृष्ण मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूं। आपके पास यद्यपि क्षीरसागर है, लक्ष्मी जैसी पत्नी हैं लेकिन एक चीज की कमी है कि राधा ने तुम्हारा मन चुरा लिया है इसलिये मैं चाहता हूं, हे कृष्ण मैं तुम्हें अपना मन देना चाहता हूं और अपना मन तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम भी मन वाले हो, और मेरा मन भी तुममें हमेशा रमा रहे। मान्यवर, इससे बड़ा कृष्ण भक्ति का और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है।

मान्यवर, अब सत्रावसान होने वाला है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसको अन्यथा न लें, जो वस्तुस्थिति है मैं उसको बताना चाहता हूं। आप धीरवीर पुरुष हैं, प्रदेश की यह पीढ़ी आपकी तरफ देख रही है। मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक शक्तियों का आप मुकाबला कीजिये :–

"निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु,
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम,
अधैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।"

अर्थात् वह व्यक्ति जो नीति में निपुण हो चाहे उसकी निन्दा की जाय या गुणगान किया जाय, लक्ष्मी आये या चली जाय, आज मौत हो या एक युग के बाद हो, न्याय के पथ पर चलते हुये ऐसे लोग कभी अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसा है चाहे उन पर कोई हमला करे, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनका मुकाबला आप करें। जो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। वह सुन लें :–

"हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा,
फसीले आतसो आहन बहुत बुलन्द सही,
इस बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा,
नये ख्यालकी परवाल रोकने वालो,
इस नये अवाम की तलवार कौन रोकेगा ?

इन शब्दों के साथ में अपने मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं, और उनको साधुवाद देता हूं और उनसे यही कहता हूं :–

"मेरे नशेमन के चार तिनके, जो मेरी मेहनत की मिल्कियत हैं,
जब यही नहीं सलामत तो मैं बहारों का क्या करूंगा।"

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप सलामत रहें, आबाद रहें, आपकी ताकत बढ़े,

"मैंने इस दिल से तुम्हारे लिये दुआ मांगी है,
कि चांद तारों का नूर इस कदर बरसे ।
इस तरह तुमसे लिपट जाये बहारों की खुशी,
उम्र भर तू चाहे भी तो गम को तरसे ।"

इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत मुबारकवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये समय दिया ।

(समय 4 बजकर 35 मिनट)

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया । मैंने मुख्य मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना । कटौती के प्रस्ताव पर औपचारिक बहस को सुना और माननीय सदस्य जो अभी बोल रहे थे उनको भी सुना । माननीय सदस्य पहले इटावा से आते थे, माइग्रेशन उनकी आदत है, कभी इधर कभी उधर । उनकी पीड़ा क्या है यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं ।

तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उनकी जो मनोभावना थी, उसकी कद्र करना, उनकी मानसिकता की कद्र करना, उनकी इच्छा शक्ति आपका गुण-गान करेगी । मान्यवर, बड़ी आशा इन्हें है, आपने इन्हें इटावा से मलिहाबाद भेज दिया । मान्यवर, अब मैं चाहता हूं, गौरी शंकर जी बोलेंगे । मान्यवर, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था हमारी पुलिस चलाती है । पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में जो माहौल था, इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर था, आप इसको निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ आपके द्वारा लड़ाई लड़ी गयी, सब लोगों के समन्वय से आप लोग आज सरकार में बैठे हैं, परन्तु यह भी सही है और मेरे दल की भी मानना है कि साम्प्रदायिकता का सांप अभी मरा नहीं है ।

मान्यवर, पुलिस की चुस्ती की बात आती है, अफशोस होता है, केवल एक ही बात है कि आपके आवास पर, किसी का भी आदमी रहा हो, शिव सेना का आदमी रहा हो, मेटल डिटेक्टर को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच गया, जहां पर हम लोग भी नहीं जा पाते हैं, उस स्थान पर वह व्यक्ति पहुंच गया, और वहां पर आपके सुरक्षा कर्मी न रहे होते,तो निश्चित रूप से वह आपके ऊपर हमला कर देता और इस प्रदेश में एक अनिश्चितता का माहौल भी आ जाता, इसलिए मैं पुलिस की कैसे तारीफ करूं ? इस प्रदेश में राजनैतिक लोगों के द्वारा चाहे धर्म की बात की हो, चाहे जाति की बात की हो, इतने बड़े प्रदेश में अगर कानून-व्यवस्था का काम चलता था, तो उनकी इच्छा शक्ति के जरिये, उनके अनुशासन के जरिये चलता था । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता का जहर जो था, उसे मुख्य मंत्री जी ने समाप्त किया । अधिकारियों के अन्दर यह भावना है कि यहां पर हिन्दू पोस्ट होना चाहिए, इस प्रकार से आज हमारे प्रदेश में जातिवाद का जहर फैल रहा है और आज हमारे जिम्मेदार नेता, मैं मानता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें नहीं है । खुल्लमखुल्ला एक विशेष जाति के बारे में कहा था कि अमुक जाति का दरोगा होगा, अमुक जाति का सिपाही होगा ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, अभी गौरीशंकर कह रहे थे कि इतने अधिकारियों को पोस्ट किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि आपने उनसे संघर्ष किया है।

मान्यवर, यह जो साम्प्रदायिकता का जहर समाज में फैला है, वह बहुत ही बुरा है और जो जातिवाद का जहर बढ़ रहा है वह उससे भी बुरा है। हमारे अधिकारी जब जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रीयवाद में बंट जायेंगे, तो उसका बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की जो नियुक्ति हो, वह उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिये, किसी जाति या सम्प्रदाय के आधार पर नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारे देश में पाकिस्तान का खुफिया विभाग सक्रिय है और उसी कारण बरेली में घटनायें हुयीं, मुरादाबाद में घटनायें हुईं और लखनऊ में भी वह सक्रिय है। मुझे सूचना मिली है कि अल्लाया इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज नाम से एक कालेज खोला गया है, उसके बारे में हमारे पास सारी सूचना है, उसके बारे में मैं पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा, कृपया उसकी जांच करा लें। मान्यवर, मेरा आपसे यही कहना है कि आप पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे स्थान से चुनकर आता हूं, जहां हम लोग कानून व्यवस्था के नाम पर बदनाम हैं, उसमें किसकी जिम्मेदारी है ? मान्यवर, जब से यह व्यवस्था की गयी है कि रेंज तोड़कर ट्रान्सफर किये जायेंगे, तब से इधर का दरोगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता है और यह प्रयास करता है कि वहां पर कमा लिया जाये और वह इस कारण बदमाशों से मिल जाता है और रुपया कमाता है और इसी कारण मान्यवर अपहरण की घटनायें होती हैं और उन घटनाओं में उसका हिस्सा रहता है। इन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लूट मचा रखी है।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो इन अपहरणकर्ताओं को पकड़ेगा, उसको प्रोन्नति दी जायेगी, उस दिन से अपहरण का उद्योग समाप्त हो गया है। आपसे अनुरोध है कि आप जो व्यक्ति बिना धर्म और बिना जाति का भेदभाव रखे इनसे लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिये। मान्यवर, एल० आई० यू० एक विभाग है, उसमें जो इन्सपेक्टर होता है उसको वहां पर थोप रखा जाता है और इसलिये वह मन लगाकर अपने कार्य को नहीं करता है और वह चाहता है अगर कोई उसके विरुद्ध कार्यवाही हो जाये तो वह उस स्थान से हट जाये और इस चीज को आप दिखला लें, यह बहुत महत्व की बात है। मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं मेरठ के शेरगढ़ी काण्ड की मैंने इस सम्मानित सदन में कहा था जब आपका डी० आई० जी० विजय पाल नाम के क्रिमिनल को लेकर घूमता रहा और आपके ए० डी० एम०, डी० एम०, एस० पी० और एस० पी० सिटी रोते रहे किसी ने उनकी बात को नहीं सुना और नतीजा हुआ कि दंगा भड़का और आप डी० आई० जी० को दंडित नहीं कर पाये।

मान्यवर, पश्चिम के बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैं मुजफ्फरनगर जिले से आता हूं। मैं यह तो मानता हूं कि अपराधों में कमी हुई हैं। हमारे मुजफ्फरनगर में अपराध बढ़े हैं और अब भी प्रतिदिन 3 कत्ल का औसत हैं, अपहरण जरूर कम हुआ है। चूंकि ईख कट गयी है इसलिये जंगल में अपहरण को नहीं रख सकते हैं इसमें आपकी पुलिस ने क्या कर दिया। आज मुझे अफसोस होता है कि एक भी नामित अपराधी हमारे मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया और न ही मारा गया सब कहां चले गये रातोरात आपने पेट्रोल कार दे दी तो इससे एस० पी०, डी० एस० पी० सब की आमदनी बन्द हो गयी। मान्यवर, मुजफ्फरनगर में एक ही जाति के 25 सिपाही और दीवानों को डी० ओ० लिखा

गया । वह एम० पी० के थे और उनका सामान्य जनता से कोई वास्ता नहीं था आपका एस० पी० तो जातिवाद का प्रर्याय बन गया है । पुलिस क्लब के सामने एल० आई० यू० के इंस्पेक्टर को रोककर यह कहा कि आप फला जाति के हो आपका दिमाग ठीक कर दूंगा, टेलीफोन पर सिपाही से कहा कि सालों तुम क्या जानते थे कि हम तुम्हारे एस० पी० बनेंगे । मान्यवर, एस० पी० को उन्हीं से काम लेना हैं उन्हें जाति और धर्म से दूर रहना चाहिये । यह लोकतंत्र इनकी निष्पक्षता पर भी निर्भर करता है । अधिकारियों को इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिये और न ही उन्हें राजनीति करने की इजाजत होनी चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री जी की उस घोषणा का स्वागत करूंगा जहां इन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जायेगी लेकिन मान्यवर, कांग्रेस के हमारे एक साथी हैं नकली सिंह उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था लेकिन उनके ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है उनके मामले में आपने क्या किया । कांग्रेस के निरंजन स्वरूप थे उन्हें बेइज्जत किया गया और यह सौभाग्य है कि कम से कम हम लोग उस आरोप से बरी हैं तो जरा इसको भी दिखवा लें । मान्यवर, 5 अल्पसंख्यकों को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया हमारे आई० जी० मेरठ जोन को इसकी जानकारी है और ऐसे लोगों को मारा गया जिसकी बात भी मुझसे थाने पर कराई गयी हमने फिर भी उन्हें प्रशस्ति किया ताकि उनको मनोबल बना रहे । ऐसा ही नहीं अफसोस इस बात का है कि जो लोग अपराधियों से क्राइम कराते हैं उनको पुलिस हमारे कहने के बावजूद नहीं पकड़ पाई क्योंकि वह सत्ता पक्ष से संबंधित हैं । मान्यवर, जब आप सहारनपुर गये थे तो उसके पहले दिन रात्रि में हमने आई० जी० और एस० पी० की मौजूदगी में कहा था, कुछ कमियां बताई थीं उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे समर्थकों को परेशान किया जा रहा है । हमारे श्री ताहर सिंह प्रधान नरोत्तमपुर को 10 दिन थाने में बैठाये रखा गया आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मैजिस्ट्रेट की जांच करा दी लेकिन वह तो तमाम लोगों को बैठाये हुए हैं और हजारों रुपये की उगाही लोगों से कर रहा है क्या यही लोकतंत्र है । एस० पी० भले लोगों को मुल्जिम बनाना चाहता है और अपराधियों को खुला संरक्षण दे रहा है । पिन्ना की वसलूट क्यों नहीं खुल पा रही है इसमें कहीं न कहीं पुलिस का हाथ है । पुलिस निश्चित रूप से अपहरणकर्ताओं से पैसा लेती है नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है अपराधियों का पता न चले । मान्यवर, 15 वर्षीय विभा के साथ पुलिस के लोगों ने बलात्कार किया लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में प्रशिक्षण के दौरान आरक्षी, डी० एस० पी० डाइरेक्ट व आई० पी० एस० अधिकारी को उसका वेतन मिलता है जबकि उपनिरीक्षक को नहीं मिलता है केवल वजीफा मिलता है अतः उनको भी वेतन मिलना चाहिये । इससे निश्चित रूप से कुंठा उनके मन में है पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं । अधिकारी तो विद्वान होता है । रामकोला में एक एस० एस० पी० थे, निरीह लोगों पर लाठीचार्ज करायी गयी, नेता सदन पहले नेता थे जो किसानों के बीच में रामकोला गये थे । त्रिपाठी एस० एस० पी० की माननीय कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे बड़ाई कर रहे थे कि अच्छा काम किया है आज वह हमीरपुर में हैं । जब एक नीति ऐसी नहीं बनेगी कि जो कोई अधिकारी कहीं निरीह लोगों पर अत्याचार करेगा उसको दंडित किया जायेगा तब तक क्या होगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

चौकीदारों को तनख्वाह क्या दे रहे हैं, होमगार्ड को क्या दे रहे हैं ? ढाई रु० देते हैं, मुल्जिम पकड़ा जाता है खानापूरी हो जाती है थाने को कितना पैसा मूवमेंट के लिये देते हैं उस पर विचार कर लें । नहीं तो करेप्शन बढ़ेगा । डिप्टी एस० पी० रेंक के अधिकारी हैं उनको अधिकार हो, जो जर्नी है बेरिफाई हो, वास्तविक खर्चा दिखायें । पुनः अनुरोध है कि ऐसे अधिकारी जो सरकार को केवल खुश करने के लिये किसानों पर गोलियां चलवाते हैं जब दूसरी सरकार आती है तो उसे खुश करने के लिये डंडा भाजते हैं यह अपने हिसाब से नेताओं को हैंडिल करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

चतुर्वेदी का मामला है, आरोप लगाया है, कुछ लोग तो हरिजन नहीं होना चाहते हैं उस अधिकारी ने तो अपने नाम के आगे हरिजन लिख दिया क्या पाप कर दिया ? मान्यवर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । इसी के साथ मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आज इस प्रदेश के सामान्य विभाग के बजट पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं । मान्यवर, यह देश के आजादी के दीवानों का लम्बा संघर्ष था कि जो यह मुल्क आजाद हुआ और ऐसे लोगों के प्रति यह सरकार और इस सरकार में सम्मिलित दोनों दल बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, चाहे पूज्य बापू हों, पं० जवाहर लाल नेहरू या सरदार पटेल हों, मौलाना आजाद हों, चन्द्रशेखर हों, सरदार भगत सिंह हों या देश के जिन लोगों ने प्राणों की आहुति देकर इस मुल्क को आजाद कराया है उन सबके प्रति हम सब लोग दोनों दल पूरे उनके आभारी हैं उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, नमन करते हैं और बन्दन करते हैं । इसलिये माननीय तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि इन अमर शहीदों के प्रति जिनका मुल्क को आजाद कराने में जो योगदान है उनके प्रति जो आदर की बात है वह हम दोनों दलों में है और उसमें कहीं कोई शंका नहीं है । मान्यवर, अमर शहीदों ने सपना देखा था मुल्क को बनाने का, एक अच्छा देश बनाने का और वह देश एक आजाद भारत, जो अंग्रेज लूटकर ले जाते थे सारा माल, सारा धन वह इस देश में रहेगा, एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा परन्तु तिवारी जी इस देश को बनाने की जिम्मेदारी आजादी के बाद किसके कंधे पर आयी और जो देश आपने बनाया उसकी तरफ भी देखना चाहिये । अंग्रेज जब यहां से गये छोड़कर इस देश को तो एक रुपये का भी कर्ज नहीं था । आज जब हम 47 साल के बाद फिर बात कर रहे हैं तो इस देश के ऊपर इतना कर्ज है इस मुल्क के बाहर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दुनिया के सामने हमारी स्थिति ऐसी बनी है कि हम कर्जा लेने के लिये अगर किसी को जमानतदार के रूप में ढूढंते हैं तो कोई जमानत लेने के लिये तैयार नहीं होता है । यह मुल्क का आज चेहरा बना है ।

इस संविधान में जिम्मेदारी थी, कांग्रेस पार्टी के कंधों पर छुआ-छूत को समाप्त करने की । मैं पूछना चाहूंगा कि क्या 47 वर्ष के बाद यह समाप्त हो गया, कोई छुआ-छूत का व्यवहार गांव में नहीं हो रहा है ? एक अच्छे समाज को बनाने की जिम्मेदारी थी । जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था समाप्त कर एक समान समाज को बहाल करने की जिम्मेदारी थी ? क्या जातीय व्यवस्था समाप्त कर एक समान समाज को बहाल करने की जिम्मेदारी थी ? क्या जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गयी है और एक अच्छा राष्ट्र बना है ? माननीय तिवारी जी से विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात संविधान के आर्टिकल 45 में लागू हुई थी कि प्रदेश और देश के हर नागरिक को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होगी । 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अगर यह हो गया होता तो आज 47 वर्ष के बाद एक भी आदमी ऐसा न होता 40 साल से कम उम्र का जो निरक्षर होता इसके क्या आंकड़े हैं ? एक अच्छा राष्ट्र, समुन्नत राष्ट्र बनाने के लिये जब सभी लोग प्रण करते हैं, सबकी अच्छी माली हालत होती है, भागीदारी होती है तब समुन्नत राष्ट्र होता है । क्या यह हो गया ? नहीं हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि बोया पेड़ बबूल आम कहां से खायें । इन 47 सालों में जो हुआ है आज तो यह पांच महीने की सरकार है जो काई जमी हुई है उस काई को धोकर जो बबूल के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें कहीं से आम आ गया था आपने पहचान-पहचान कर उसे बांटा है । इस सरकार में बबूल को समाप्त करके सबको आम उपलब्ध हो जाये, सबके लिये समान व्यवस्था हो जाये इसे करने का सरकार ने निश्चय लिया है । (व्यवधान) प्रतिभा किसी बाप की बपौती नहीं हुआ करती है । किसी भी समाज में प्रतिभावान लोग हो सकते हैं उनको कोई अलग से न देखकर सबको समानता का मौका मिलना चाहिये । ऐसे लोगों के गुण के आधार पर अब तक यह होता रहा कि पहचान-पहचान कर पदों पर बैठाते रहे यह हमारी पहली सरकार है जो गुण के आधर पर, योग्यता के आधार पर, कर्मठता के आधार पर कुर्सियां देने का काम कर रही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी की विद्वता की पहचान तो माननीय मुख्यमंत्री जो करनी है इनको माननीय प्रमोद तिवारी जी से शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जब यह गठबंधन बना बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का तो यह प्रदेश में जो साम्प्रदायिकता की धधकती आग जल रही थी, साम्प्रदायिकता के चेहरे पूरे मुल्क में छाये थे, देश को तहस नहस कर रहे थे ऐसे समय में मानीनय मुलायम सिंह जी और माननीय कांशी राम जी का जो गठबंधन बना वह कुछ लोगों को पसन्द नहीं आ रहा है । वे लोग सोचते थे कि गठबंधन चल नहीं पायेगा । यह जो गठबंधन की सरकार बनी है यह अच्छी नहीं चल पायेगी लेकिन जब यह चलने लगी है तो इनके पेट का पानी हिलने लगा है । आज वे लोग कुचक्र रच रहे हैं, मुद्दों को उछाल कर सरकार को बदनाम करने के लिये । बलात्कार और व्याभिचार के दुष्प्रचार कर रहे हैं । तरह-तरह से यह दुष्प्रचार करके इस सरकार को बदनाम करने के लिये ऐसी जो प्रतिगामी शक्तियां हैं वे बार-बार प्रयास कर रही

हैं । मैं तिवारी जी की बात से अपने को सम्बद्ध करता हूं । ऐसी प्रतिगामी शक्तियां जिनको यह सरकार पसन्द नहीं आ रही है, यह सरकार गरीबों की है, दलितों की है, शोषितों की है, ऐसे लोग इस सरकार को बदनाम करने के लिये चाहे सी० आई० ए० से हाथ मिलाना पड़े, या जो आर० एस० एस० ने जो परिपत्र जारी किया है उसके तहत आई० एस० आई० के तहत इस देश में हिंसा का एक नग्न तांडव करना चाहते हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं तिवारी जी इस सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी में पूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति है और इस दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं देंगे और इस देश की बहादुर जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, कुशल प्रशासन और सबको भागीदारी का प्रशासन वह जरूर मिलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री शिव कुमार बेरिया–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर दिया ! मैं ज्यादा लम्बी बात न कहकर चन्द बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । मान्यवर, यह प्रदेश 14 करोड़ की जनता का प्रदेश है । और इस प्रदेश में विभिन्न जातियों और विभिन्न सम्प्रदायों के लोग रहते हैं । दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं । अभी माननीय तिवारी जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, विद्वान हैं कह रहे थे और उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर अपराध बढ़े हैं । यह स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बढ़े थे परन्तु राज्यपाल जी के जमाने में कम हुए हैं । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के अन्दर जन-प्रतिनिधि नहीं थे और चुनी हुई सरकार नहीं थी और, उस जमाने में मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं आप हर गांवों में और हर ब्लाकों में सर्वे करायें आम जनता को थाने में जाने नहीं दिया जाता था । लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, दलितों की, पिछड़ों की सरकार बनी है और लोगों ने यह सुना कि हमारे नुमाइन्दे आ गये हैं, पहले यह होता था कि जब लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने आते थे तो उनको डांट-डपटकर भगा दिया जाता था, अब जनता को रिपोर्ट दर्ज करने का मौका मिलेगा तो इस लिये आंकड़े देखने से ऐसा लगता है कि अपराध बढ़े हैं । अभी माननीय हरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि जातियता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है । मैं सहमत हूं कि जातिवाद के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कानपुर शहर में काला बच्चा की हत्या होती है और उस हत्या के बाद हमारी सरकार के एक मंत्री श्री बाबू राम जी वहां जाते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनकी कार को फूंक दिया जाता है तो वह कौन लोग थे जिनकी वहां पर नियुक्ति हुई ? जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे जो दरोगा थे, जो डिप्टी एस० पी० थे और पुलिस के अफसर थे वह मूक बनकर देखते रहे । तो मैं यह मानता हूं कि जातिवाद के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिये । यह सब उनकी मानसिकता के कारण हुआ । तो नियुक्ति के समय उनकी मानसिकता की जांच भी करायी जानी चाहिये और अगर जांच नहीं कराते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे नेता सदन को चार पांच महीने ही कुर्सी को सम्भाले हुआ है और इस बीच दो बड़े त्योहार हुए हैं । मैं माननीय प्रमोद तिवारी और नेता जनता दल से यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई भी ऐसा त्योहार नहीं गया जिसमें दंगा नहीं हुआ ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हर शहर में ऐसी स्थिति हो गयी थी कि हिन्दुओं के मोहल्लों में मुसलमान भाई नहीं जाते थे और मुसलमानों के मुहल्लों में हिन्दू भाई नहीं जाते थे । लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को, कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाने का काम किया कि आज यह दीवार टूट गयी है और इस बार ईद के मौके पर हिन्दू और मुसलमान भाई आपस में गले मिले और मिलजुलकर त्यौहार मनाया । इसी प्रकार होली के मौके पर पूरे प्रदेश के अन्दर कहीं भी कोई घटना नहीं हुई और होली का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया । आज हमारे सम्मानित साथी प्रमोद जी ने एक बात कही और कुछ आंकड़े भी पेश किये तथा अखबारों की कटिंग भी दिखायी । मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्या उन्हें 6 दिसम्बर की घटना याद नहीं है, जब इन्हीं समाचार-पत्रों में लिखा गया कि हजारों लाशें वहां बिछ गयीं, यह हुआ वह हुआ । मान्यवर, मीडिया में बहुत से अच्छे लोग हैं जो देश को बनाने के रास्ते पर, उसको सुधारने के रास्ते पर लाने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल करते है और मीडिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी मानसिकता से ग्रसित होकर अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों पर भी, साफ नजरिये से देखना होगा, तभी हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं । मान्यवर, जिन लोगों ने इस देश में और प्रदेश में हिन्दू और मुसलमानों को आपस में बांटने का काम किया आज वह सदन में मौजूद नहीं हैं, वरना मैं उनसे पूछता कि जंगे आजादी की लड़ाई की पताका किसके हाथ में सबसे पहले थी । मैं बताना चाहता हूं कि किसी आर० एस० एस० के नेता के हाथ में जंगे आजादी की लड़ाई की पताका नहीं थी, बल्कि यह सबसे पहले पताका बहादुर शाह जफर के हाथ में थी और वह कौन थे ? यह सब जानते हैं । हमें अगर देश को मजबूत बनाना है तो इस मुल्क को फिरकापरस्ती से बचाना होगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा कल भी जारी रहेगी, अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, कांग्रेस के दूसरे ग्रुप से भी इनको बुलवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा ठीक है, मैं केवल आपको अनुमति दे रहा हूं, बाकी लोगों को कल सुनूंगा ।

* श्री इन्द्र भद्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने गृह विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने 5 माह के शासनकाल के उन भावी कार्यक्रमों के साथ-साथ शान्ति व्यवस्था, जानमाल की सुरक्षा, पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, जहां अपराध के आंकड़े कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से तथा माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी प्रस्तुत किये हैं वह बढ़े हैं या घटे हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, इतना जरूर रहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से बड़े

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साफगोई से यह प्रयास किया है कि अपराध घटे और सबसे बड़ी बात जो उनके शासन काल में आयी कि अधिकारियों पर एक अंकुश लगा है कि कोई भी घटना होगी उसके जिम्मेदार सीधे पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी होंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन मान्यवर, वहीं पर जहां कुछ अच्छे अधिकारी और दोषी अधिकारियों के बारे में भी चर्चा उठी कि दोषी अधिकारी सजा नहीं पाते हैं, उन्हें दूसरी जगह नियुक्ति मिल जाती है और अच्छे अधिकारियों की उपेक्षा की जाती है । माननीय तिवारी जी ने राष्ट्रपति शासन की चर्चा की । मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन में श्री बी० के० सिंह, एस०एस०पी० कानपुर के थे, वह बड़े ही ईमानदार और तेज-तर्रार- समझे जाते हैं, यह सभी को ज्ञात है, लेकिन वहां से हटा दिये गये, मान्यवर, अच्छे अधिकारियों की उपेक्षा प्रत्येक शासन काल में होती रही है, मैं चाहूंगा कि जो भी अच्छे अधिकारी हैं, चाहे जिस जाति और कौम के हैं, उन्हें निश्चित रूप से पुरस्कृत करें ।

मान्यवर, आज सुबह की कार्य-सूची में 72वें नम्बर पर एक प्रश्न लगा था माननीय श्री शिव बहादुर सक्सेना जी का कुछ ऐसे भी सब-इन्सपेक्टर हैं जिन्हें 53 साल की उम्र हो जाने के बाद थानाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई शासनादेश है ? इसके साथ ही कुछ ऐसे भी सब-इनसपेक्टर हैं, जिनकी उम्र 53 वर्ष हो चुकी है और वह आज भी थानाध्यक्ष बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वह 53 साल की आयु में अक्षम हो जाते हैं, कुछ करने योग्य नहीं होते हैं । दुःख तो उस समय होता है जब 35–40 साल का नौजवान थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाता है और 53 वर्ष का वरिष्ठ सब-इन्सपेक्टर उसके अधीन काम करता है । इससे मान्यवर, कुण्ठा की भावना पैदा हो जाती है और पुलिस के अन्दर जो टीम भावना होती है, उसमें कमी आती है और सबका सहयोग बराबर नहीं मिल पाता है । आज हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे भी सब-इन्सपेक्टर हैं जिनके विरुद्ध सी०आई०डी० द्वारा चार्ज शीट लग चुकी हैं, कहीं हत्या के मामले में और कहीं अन्य मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है, लेकिन न्यायालय के स्थगनादेश लेकर कार्य कर रहे हैं और पुलिस विभाग के द्वारा उन्हें सबसे अच्छे थानों का चार्ज दे दिया गया है, यह बहुत ही अनुचित है, जब हमारे पास सब इन्सपेक्टर मौजूद हैं तो उनहें वहां नियुक्त नहीं करना चाहिए, नये लोगों को मौका देना चाहिए । हमारे मालिक जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मोटर साइकिल भत्ता है, चौकीदार का भत्ता है वह वास्तव में बहुत कम है और वह मजबूर करते हैं उनहें गलत रास्ते पर जाने के लिए, वह मजबूर होकर घूस लेते हैं इसलिए इनके भत्तों को बढ़ाया जाना चाहिए ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की थी कि हफ्ते में 3 दिन जिलाधिकारी जनता की बात सुनने के लिए मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे । मान्यवर, मैं समझता हूं कि विशेष रूप से मेरे जनपद में इसका पालन नहीं हो रहा है । जनता दरबार जो प्रत्येक माह में लगाने की बात की गयी है, माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि जनता दरबार लगता है लेकिन उसकी सूचना नहीं दी जाती है, आम आदमियों की बात तो छोड़ दीजिये, हम जनप्रतिनिधियों को भी नहीं दी गयी । जो जनप्रतिनिधि सुल्तानपुर किन्ही कारणों से गया उन्हें इसकी जानकारी मिली या गांव का कोई आदमी कचेहरी गया उसके माध्यम से जानकारी मिल पायी । मैं चाहूंगा कि भविष्य में जब कभी जनता दरबार लगे तो उसकी सूचना विधिवत् दी जाये । अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि अधिकारी गांव में जायेंगे और वहां स्टे करेंगे, मान्यवर, यह बिल्कुल ही असम्भव सी

बात लगती है । क्योंकि पिछले भी शासनकाल में आपने प्रयास किया था, फर्जी आंकड़े आ गये थे, मान्यवर, जाने वाले की संख्या बहुत कम होती है, मेरा अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें । मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और माननीय श्री तिवारी जी से आग्रह करता हूं कि जो उन्होंने कटौती का प्रस्ताव एक रुपया कम करने के लिए प्रस्तुत किया है इससे हम लोगों को गनर शैडो नहीं मिलेंगे । अतः कृपया वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कल चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 26-4-94 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की नगरपालिका मुजफ्फरनगर में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ''गुरूजी'' नजूल भूखण्ड संख्या ओ०ओ० सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के भू-उपयोग वाणिज्यिक से आवासीय परिवर्तन हेतु समस्त औपचारिकताओं के बावजूद भी मुख्य नगर नियोजक, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण व आयुक्त इलाहाबाद मण्डल द्वारा की जा रही अनियमितता एवं घोर लापरवाही के संबंध में हैं । तीसरी सूचना श्री चैनसुख भारती की जनपद जालौन में निनावली घाट में पहुज नदी पर पक्का पुल निर्मित कराये जाने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री बैजनाथ रावत की–जनपद बाराबंकी विकास खण्ड सिद्धौर अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में जल स्तर नीचा हो जाने से कुएं सूख जाने के कारण गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'' की उप संचालक चकबन्दी मुजफ्फरनगर द्वारा धारा–23 एवं 27 प्रगति रिपोर्ट फर्जी रूप में शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में है । छठी सूचना श्री चरन सिंह की–स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारियों को कथित रूप से उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है । मैं इन सभी सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

जनपद सीतापुर के थाना मछरेहटा के अन्तर्गत पुलिस जुल्म एवं अपमान से मर्माहत पूर्व सैनिक द्वारा आत्म हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

* राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

प्राप्त सूचना के आधार पर पाया गया है कि दिनांक 4-4-94 को वादी श्री हवलदार सिंह....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बाबू राम यादव–

। निवासी गुलरिया थाना मछरेहटा ने थाना मछरेहटा पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 3-4-94 की रात्रि उसके खलिहान से कल्लू उर्फ चन्द्र शेखर यादव पुत्र सन्तू यादव निवासी झुलहनपुरवा अपने साथियों के साथ उसकी अरहर चुरा रहा था । तब वादी व उसके साथियों ने कल्लू को मय एक अदद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अद्धी व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर के पकड़ लिया और थाना मछरेहटा कर ले गये । इस सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 53/94 धारा 379/511 भा०द०वि० व मु०अ०सं० 54/94 धारा 25(1-बी) शस्त्र अधिनियम के अभियोग थाना मछरेहटा पर पंजीकृत हुए । इन अभियोगों में कल्लू उर्फ चन्द्र शेखर को जेल भेजा गया । धारा 379/511 से संबंधित शेष 4 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । यह कहना गलत है कि अभियुक्त कल्लू ने पुलिस के सामने जुर्म स्वीकार किया और पुलिस द्वारा उसे छोड़ दिया गया ।

2–दिनांक 4-4-94 को वादी श्री सन्नू यादव पुत्र श्री रग्घा यादव निवासी झुलहनपुरवा की लिखित सूचना कि उसके पुत्र कल्लू को दिनांक 3-4-94 की रात्रि लगभग 11.00 बजे हवलदार सिंह व चित्रकेत सिंह आदि 20 नफर जो शस्त्रों से लेस थे, पकड़कर ले जाते समय वादी के भाई लल्लू यादव व वादी ने छोड़ दिये जाने का अनुरोध किया, इस पर इन लोगों ने लल्लू यादव को भी बुरी तरह से मारा पीटा । इसी परिपेक्ष्य में यह भी अंकित किया गया कि दिनांक 25 मार्च, 94 को जमीन की फसल के बारे मे पहले हुए विवाद/झगड़े के घटनाक्रम में बदले की भावना से कल्लू को पकड़कर वे लोग ले गये । इस सूचना पर मु०अ०सं० 53/94 "ए" धारा 147/148/149/324/323 भा०द०वि० का अभियोग हवलदार सिंह व चित्रकेत सिंह आदि 20 नफर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । उल्लेखनीय है कि इस घटना में मजरूब लल्लू यादव को एक चोट धारदार हथियार से सिर पर तथा 7 चोट जिस्म पर कुन्दआले से आना डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पायी गयी, जबकि श्री लल्लू यादव जिसको इस घटना में गम्भीर चोट आयी है हवलदार सिंह द्वारा पंजीकृत कराये गये अभियोग अपराध संख्या 53/94 में अभियुक्त भी नहीं था । अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मय हमराही पुलिस बल के दिनांक 11-4-94 को थाने से रवाना होकर ग्राम गुलरिया गये और विवेचक द्वारा सम्भ्रान्त व्यक्तियों की मौजूदगी में नामजद सभी 20 अभियुक्तों के घरों पर रात्रि 8 व 9 बजे के मध्य दबिशें दी गयीं । इन दबिशों के मध्य किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा किसी के साथ मारपीट अथवा अपशब्दों को प्रयोग नहीं किया गया और न ही पुलिस पार्टी द्वारा महिलाओं व बच्चों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया ।

3-स्व० श्री कृत वर्मा की धर्मपत्नी व पुत्र तथा अन्य ग्राम के सम्भ्रान्त नागरिकों ने जांच अधिकारी को बताया कि श्री वर्मा मानसिक रोगी थे और उनका इलाज कमाण्ड हास्पिटल लखनऊ से चलता था । यह भी बताया गया कि उनकी रायफल उन्हें नहीं दी जाती थी । इसी मानसिक संतुलन के खराब होने के कारण श्री कृत वर्मा ने आत्म हत्या कर ली । इस बात की पुष्टि ब्लाक प्रमुख मछरेहटा जो मृतक के निकट संबंधी हैं, जिन्होंने घटना की सूचना थाना मछरेहटा पर की है, ने भी इन्हें मानसिक रूप से पीड़ित होने की ताईद की है । इस प्रकार यह कहना कि ग्लानि के कारण आत्महत्या की है यह पूरी तरह से असत्य है । यह भी असत्य है कि घटना से क्षेत्र में पुलिस के प्रति घोर असन्तोष तथा उत्तेजना है व स्थानीय जनता द्वारा प्रदर्शन आदि पुलिस के विरुद्ध किये गये तथा आम जनता आन्दोलित है, बल्कि सत्य यह है कि ग्राम गुलरिया व उसके आसपास के ग्रामों में कोई भी समस्या इस घटना को लेकर नहीं है और न ही कोई प्रदर्शन या घेराव आदि स्थानीय जनता द्वारा किया गया स्थिति सामान्य है । ।

नोट :–। । कह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगरा कालेज, आगरा में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ जाति सूचक अमानवीय व्यवहार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

* सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

विधान सभा में उपर्युक्त .....

श्री रामतेज–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[मा० सदस्यों ने दिनांक 12-4-94 को नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी कि आगरा कालेज में राजनैतिक प्रोफेसर द्वारा दिनांक 19-3-94 को द्वितीय घंटा 10.45 बजे कक्षा में पश्चिमी राजनीति विचारकों के विषय में अनुसूचितों को अपशब्द कहते हुये पढ़ाना शुरू किया तथा अनुसूचित छात्रों के विरोध करने पर खुलकर जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर अखिल भारतीय युवा खटिक महासंघ ने दिनांक 23-3-94 को उक्त भ्रष्ट असामाजिक मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले प्रोफेसर के विरुद्ध प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया किन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

2–इस संबंध में जिला अधिकारी, आगरा से प्राप्त आख्या के अनुसार अपर नगर मजिस्ट्रेट, आगरा से प्रारम्भिक जांच कराई गई जिसमें केवल प्राचार्य तथा प्रवक्ता श्री डी० एस० शर्मा ही हो पाये । संबंधित छात्र तथा अन्य छात्र उपलब्ध नहीं हो पाये ।

3–संबंधित प्रवक्ता श्री शर्मा के चिकित्सा अवकाश पर होने के कारण प्राचार्य द्वारा उक्त पत्र पर जांच नहीं की जा सकी ।

4–संबंधित शिक्षक श्री शर्मा के कथनानुसार उन्होंने जाति सूचक शब्दों का कदापि प्रयोग नहीं किया । वह संबंधित छात्र श्री नारायण राजोरा की उच्छृंखल हरकतों पर अंकुश लगाने का प्रयास करते थे । मादक पदार्थों का सेवन उनके द्वारा नहीं किया जाता है वरन् इसके विरुद्ध वह जनजागरण का कार्य करते हैं ।

इस संबंध में शिकायतकर्ता छात्रों से पूछताछ कर जांच सम्पूर्ण करने के आदेश जिला अधिकारी, आगरा द्वारा अपर नगर मजिस्ट्रेट, आगरा को दिये गये हैं । जांच पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया ।

जनपद बांदा के थाना गिरवा के अन्तर्गत पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

* सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

दिनांक 12-4-94 को पूर्वाह्न श्री बुधवा एवं .....

श्री रामतेज–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[श्री दुलीचन्द्र के मध्यम खेत की कटाई के विवाद पर मार पीट हुई थी, जिसके सम्बन्ध में श्री बुधवा के द्वारा श्री दुलीचन्द्र व उसकी पत्नी चन्दनिया के विरुद्ध एन० सी० आर० संख्या 32/94 धारा 323/504 समय 12.30 बजे तथा दुलीचन्द्र द्वारा एन० सी० आर० संख्या 33/94 धारा 323/504 बुधवा पुत्र तेजवी तथा लक्ष्मी पुत्र बुधवा के विरुद्ध 12.45 बजे पंजीकृत किया गया ।

2–थाने पर जब दुलीचन्द्र आया था तो थानाध्यक्ष श्री आर०बी० सिंह ने उसको मारा पीटा था, यह बात न्यू पी०एच०सी० के डा० मोहन झा के बयान में आई है, जिससे दुलीचन्द्र की प्राथमिक चिकित्सा दिनांक 12-4-94 को की थी । डा० झा के कथनानुसार श्री दुलीचन्द्र ने उन्हें बताया कि दरोगा जी ने उसे मारा पीटा है ।

3–दिनांक 13-4-94 को अपराह्न जिला चिकित्सालय, बांदा से श्रीमती चन्दनिया पत्नी दुलीचन्द्र एवं उसके पुत्र कमलेश ने प्रार्थना-पत्र दिया कि श्री आर० बी० सिंह, थानाध्यक्ष, गिरवां ने उसके पिता के साथ थाने में मार पीट की जिसके फलस्वरूप बेहोशी की हालत में जिला चिकित्सालय बांदा में भर्ती है । प्रार्थना-पत्र के आधार पर अपराध संख्या–116/94 धारा 308/325/323/भा०दं०वि० व 3(2)/एससी/एसटी ऐक्ट थाना गिरवां पर समय 10.01 बजे श्री आर०बी० सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण की जांच श्री अशोक कुमार अपर पुलिस अधीक्षक, बांदा को सुपुर्द की गयी तथा थानाध्यक्ष को उसी दिन पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया और उक्त अपराध की विवेचना श्री कन्हैया लाल, निरीक्षक कोतवाली को सुपुर्द कर दिया गया है ।

4–जिला अस्पताल, बांदा से श्री दुलीचन्द्र को उसी दिन दिनांक 13-4-94 को लखनऊ मेडिकल कालेज भेज दिया गया, वहां पर दिनांक 14-4-94 को उसकी मृत्यु हो गयी । मृतक दुलीचन्द्र का शवविच्छेदन लखनऊ में किया गया और उसका अन्तिम संस्कार भी लखनऊ में ही किया गया । मृत्यु की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सूचना पर अभियोग को धारा 302 में परिवर्तित कर दिया गया है । श्री आर० बी० सिंह, थानाध्यक्ष, गिरवां को आदेश संख्या 68/94 दिनांक 16-4-94 को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है । इस प्रकरण में जिलाधिकारी बांदा ने मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये हैं । विवेचना प्रचलित है ।

5–मृतक के परिवार को 10,000/- (दस हजार रुपया) आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । ।

प्रदेश में बुनकर सूत के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर्ज वसूली में बुनकरों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

* सहकारिता मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

यह सही है कि माह नवम्बर, 1993 में सूत के .....

श्री रामतेज–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां–

[मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुयी है । यह वृद्धि केवल उत्तर प्रदेश में ही नही बल्कि पूरे देश में हुयी है । सूत के मूल्यों में इस अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण कपास की फसल अच्छी न होना तथा कपास के मूल्यों में असाधारण वृद्धि रहा है । कपास में लगभग 100 प्रतिशत मूल्य वृद्धि इस अन्तराल में हुयी है जिसके सापेक्ष्य सूत के दामों में लगभग 25-50 प्रतिशत तक वृद्धि हुयी है । राज्य सरकार सूत के मूल्यों में इस अप्रत्याशित वृद्धि से पूर्णतः अवगत है । राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि कपास व सूत के निर्यात को पूर्णतः रोका जाय और सूत के मूल्यों में कमी करने के लिये अनुदान दिया जाय । केन्द्र सरकार ने निजी क्षेत्र की मिलों से यह प्रबन्ध कराया था कि दिनांक 15 जनवरी, 1994 को जो बाजार भाव था उससे आठ रुपये प्रति किलोग्राम कम दाम पर निजी क्षेत्र की मिलें सूत उपलब्ध करायेंगी । यह प्रबन्ध बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है ।

2–केन्द्र सरकार ने 15.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से अनुदान दिये जाने की कदाचित घोषणा की है जिसके औपचारिक आदेश अभी प्राप्त नहीं हुए है ।

3–जहां तक राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का प्रश्न है, राज्य सरकार के अधीन आने वाली कताई मिलों से हथकरघा निगम व यूपिका को 2 प्रतिशत डिस्काउन्ट पर सूत उपलब्ध कराने की पूर्व में कराई गयी थी ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

4–सरकारी व सहकारी कताई मिलें जोकि राज्य सरकार के अधीन आती हैं को यह निर्देश दे दिये गये है कि बैंक यानी जो कि करघों में प्रयोग होता है, का निर्यात प्रदेश के बाहर न किया जाय । सूत के मूल्य एक माह के लिए पूर्व में ही नियत किये जायेंगे और इस व्यवस्था के अन्तर्गत हथकरघा निगम व यूपिका को सूत उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वह इस सूत को अपनी परियोजनाओं तथा अपने से संबंधित सहकारी समितियों/बुनकरों को सामान बनाने हेतु उपलब्ध करायेंगे ।

राज्य सरकार ने अब 5.75 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी जो कि हथकरघा में प्रयोग होने वाले सूत पर लगायी जाती है के बराबर (5.75 प्रतिशत) अतिरिक्त छूट दिये जाने का निर्णय लिया है, इस पर कार्यवाही हो रही है । वह धनराशि अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त 2 प्रतिशत का डिस्काउन्ट, जिसका उल्लेख प्रस्तर–3 में किया गया है, भी उपलब्ध रहेगा । इस प्रकार से सूत के दामों में बहुत कमी आयेगी ।

6–इस बीच भारत सरकार ने जो अब योजना घोषित की है जिसका उल्लेख प्रस्तर–2 में किया गया है से सूत के दामों में कमी आयेगी । भारत सरकार ने कपास के आयात को भी "ओपेन जनरल लाइसेन्स" में आयात करने की व्यवस्था कर दी है ।

7–जहां तक ऋण माफी का प्रश्न है, राज्य सरकार ने 24.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिनांक 31 मार्च, 1994 को जारी कर दी थी जिसमें से 12.00 करोड़ रुपये दिनांक 22 अप्रैल, 1994 को अवमुक्त किये जा चुके हैं, शेष 12.00 करोड़ शीघ्र ही अवमुक्त कर दिये जायेंगे ।

8–जहां तक बुनकरों से वसूली हेतु उत्पीड़न कार्यवाही करने का प्रश्न है, राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने उत्पीड़न कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 3 अगस्त, 93 को आदेश जारी कर दिये थे ।।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य इसमें स्पष्टीकरण पूछना चाहें, पूछ लें ।

(किसी सदस्य के न खड़े होने पर)

अब मैं मद संख्या–29 लेता हूं ।

आंख का अस्पताल, सीतापुर के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत घोषित वेतन दिलाये जाने विषयक, 30 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न 7 नत्थी घ के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी तथा माननीय श्री नरेन्द्र सिंह जी चर्चा आरम्भ करें ।

कोई नहीं है, मैं अगली मद ले रहा हूं ।

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में चुंगी समाप्त होने के बाद अधिकांश निकायों के सामने उत्पन्न वित्तीय संकट विषयक दिनांक 22 अप्रैल, 1994 के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 नत्थी घ के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा० रामबाबू हरित, श्री किशन लाल दिलेर, श्री सुधीर कुमार वालियान जी कृपया आप लोग चर्चा आरम्भ करें।

कोई नहीं है।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगी।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 19 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

26 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं० । का उत्तर पीछे पृष्ठ । पर)

कृषि नीति संकल्प का मसौदा

1–भारत के सुनियोजित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए व्यापक अर्थों में कृषि का विकास सभी कार्य नीतियों का केन्द्र बिन्दु है । कृषि राज्यों का विषय होने के कारण राज्य सरकारें इस पर पूरा ध्यान देती रहेंगी और केन्द्र की भूमिका कृषि के विकास तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए इसमें राज्यों के प्रयासों को पूरा करने की होगी ।

2–विगत चार दशकों में कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है किन्तु इसके साथ ही क्षेत्रों और फसलों की दृष्टि से अनुसंधान और उत्पादन दोनों में असमान विकास हुआ है । अतः इस नीति का उद्देश्य बागवानी, पशुधन, मात्स्यिकी और रेशम कीट पालन सहित कृषि की आर्थिक व्यावहार्यता और समग्र विकास की गति तेज करना है । बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निवेश प्राप्त करके और निजी निवेश पर अत्याधिक बल देकर नई गतिशीलता प्रदान करना इसका लक्ष्य होगा । फार्मिंग को आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ग्रामीण लोग इस नेक व्यवसाय को चहुमुखी विकास, कल्याण और आशा के रूप में देखें ।

3–आज भारतीय कृषि के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिनको निम्नवत् व्यक्त किया जा सकता है :–

(1) बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना ।

(2) उन क्षेत्रों का विकास करना जिनकी क्षमता का दोहन नहीं किया जा सका है ताकि पूर्वी, पर्वतीय वर्षा सिंचित क्षेत्रों तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में असंतुलन को दूर किया जा सके ।

(3) भूमि पर बढ़ते हुए जैविक दबाव के कारण होने वाले परिस्थितियों असंतुलन और भूमि तथा जल संसाधनों के निम्नीकरण की चुनौतियों का सामना करना ।

(4) भूमि जोतों के आकार छोटे होने व खंडित होना जिसके कारण प्रबन्ध विकल्प सीमित हो गए हैं तथा आय स्तर गिर गया है ।

(5) कृषि का विविधीकरण करके और बागवानी, मात्स्यिकी, डेयरी, पशुधन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी, पालन, रेशम-कीट पालन आदि को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून रोजगारी, बेरोजगारी और कुपोषण की समस्याओं को हल करना ।

(6) परिसंस्करण, विपणन और भण्डारण सुविधाओं में वृद्धि करने पर लगातार जोर से ही कृषि में अधिक मूल्य के पदार्थों का बनाना हो सकेगा । यह कृषि परिसंस्करण उद्योग के लिये अनिवार्य है जो कृषि में विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं ।

(7) ऋण, आदान व विस्तार सहायता तथा विपणन व प्रसंस्करण की अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये सहकारी संस्थाओं को लोकतांत्रिक और पुनः गतिशील बनाना ।

(8) वर्षा सिंचित, असिंचित तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में अधिक रुप से व्यवहार्य और ध्यान विशिष्ट प्रोद्योगिकी का विकास करने के लिये कृषि अनुसंधान पद्धति पर ध्यान देना ।

(9) कृषि समुदाय के सभी तबकों के लिये विज्ञान और प्रोद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाना ।

(10) फार्म पर काम करने वाली महिलाओं व ग्राम्य समाज के अन्य कमजोर तबकों के जीवन की चाकरी और बोझ को दूर करने के लिए तथा उनकी आय में वृद्धि करने हेतु प्रौद्योगिकी व आदान संबंधी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।

(11) निर्यात व घरेलू मंडी दोनों के लिए प्रसंकरण व विपणन की पूरी सहायता सहित वर्षा सिंचित व सिंचित बागबानी, पुष्प संगठित व औषधीय पादपों, बागबानी फसलों का विकास तेज करना ।

(12) कृषि वानिकी के माध्यम से सीमान्त भूमि के प्रभावी प्रयोग को प्रोत्साहन देना व जैविक उत्पादन में वृद्धि करना ।

(13) सिंचाई क्षमता के उपयोग में वृद्धि करना और जल संरक्षण और इसके कुशल प्रबन्ध में वृद्धि करना ।

(14) किसानों को उनको गांवों में या उनके निकट उन्नत किस्म के बीज और अन्य महत्वपूर्ण आदान सुलभ करना ।

(15) विकेन्द्रित नियोजन के तर्कसंगत साधनों के रूप में किसान समुदाय की स्थानीय संस्थानों को स्थानीय समुदाय के पूरे सहयोग से फिर से चालू करना और उन्हें मजबूत बनाना ।

(16) कृषि विकास और ग्रामीण सुधार कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता में वृद्धि करना ।

(17) व्यापार की स्थितियां ठीक करना ताकि वे कृषि के लिए अनुकूल हो जायें और इस तरह संसाधन प्रवाह तथा कृषि में पूंजी सृजन की गति को बहुत बढ़ाना ।

कृषि विकास तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को इन चुनौतियों से संबद्ध किया जायेगा ।

4–एक समृद्ध और संपोषित कृषि अर्थ व्यवस्था के लिए नीति को एक दिशा देनी होगी । कृषि में पूंजी सृजन में बाधक प्रवृतियां खत्म की जायेंगी । कृषि क्षेत्र में संसाधन आवंटन प्रणाली की समीक्षा की जायेगी ताकि उपलब्ध संसाधनों को वर्तमान सहायक उपायों के स्थान पर पूंजी सृजन और बुनियादी तंत्र के सृजन के लिये इस्तेमाल किया जा सके । अनुकूल कीमतों और व्यापार प्रणाली के द्वारा किसानों के अपने निवेशों और प्रयासों में वृद्धि करने के लिए आर्थिक माहौल उत्पन्न किया जायेगा ।

5–कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सहायक बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास के लिए सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जाएगी । अनुसंधान, बुनियादी ढांचे के विकास तथा परिसंस्करण इत्यादि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी । विशेष रूप से जल संसाधनों के संरक्षण के लिए कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग करने जैसी नई पहल पर जोर दिया जाएगा । सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक

और पुनः नवीनी स्त्रोतों को प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा । बुनियादी ढांचे से संबंधित निवेश में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने और निर्यात योग्य अधिक कीमत के अतिरिक्त पदार्थ निर्मित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा ।

6–अनेक वर्षों के परिश्रम से निर्मित ऋण-तन्त्र ने कृषि विकास को मूलभूत सहायता प्रदान की है । इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि सुनिनिश्चत करना कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा । आर्थिक रूप से व्यवहार कार्यकलापों में संलग्न, व्यावसायिक रूप से प्रबन्धित तथा लोकतन्त्रात्मक ढांचे पर चलने वाली सहकारी संस्थाओं के समस्त प्रयासों को सरकार पूरा-पूरा सहयोग देगी । लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए सहकारी कानूनों में संशोधन किये जायेंगे तथा सरकारी आन्दोलन को राज्यीय नियन्त्रण से मुक्त किया जायगा । वैसे जिन क्षेत्रों में यह आन्दोलन कमजोर है अथवा जहां इसने अभी जड़ें नहीं जमाई हैं, वहां स्थिर सहकारी समितियों को सरकार द्वारा वित्तीय तथा विस्तार सहायता जारी रखी जायगी ।

7–देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा विदेशों में कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार के साथ-साथ कटाई पश्चात् की प्रौद्योगिकी के विकास पर पर्याप्त बल दिया जायगा । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए वहां कृषि प्रसंस्करण इकाइयां खोली जायेंगी । कृषि उत्पाद के प्रभावी उपयोग तथा अधिक मूल्य वाले पदार्थ का निर्माण करने वाली सुविधाओं का सृजन उत्पादन स्थल के निकट करने पर जोर दिया जायेगा ताकि उत्पादक को अधिक मूल्य दिलाना सुनिश्चित हो सके ।

8–खासतौर से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में फसल नष्ट होना तथा उत्पादन स्तर की अस्थिरता से उत्पन्न जोखिमों का सामना करने में किसानों की असमर्थता के परिणामस्वरूप अक्सर कृषि में निवेश कम होता है । इस प्रयोजन के लिए ऋण-उपलब्धि की व्यवस्था तथा वृहत् फसल तथा पशुधन बीमा योजना को फिर से तैयार किया जायगा जिसमें कृषकों को वर्षा न होने तथा प्राथमिक आपदायें आने से उत्पन्न होने वाली वित्तीय कठिनाइयों से राहत दिलाने का प्राविधान अन्तर्निहित होगा ।

9–कृषक समुदाय को लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के संबंध मे सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करती रहेगी । उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार मूल्य तन्त्र व्यापारिक पद्धति की लगातर समीक्षा करती रहेगी ताकि एक अनुकूल वातावरण बनाना सुनिश्चित हो सके । यह इस क्षेत्र में अधिक पूंजी सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी ।

10–आदानों के आयात की हमारी कम जरूरतों, हमारी उचित श्रम लागत तथा हमारी विविध कृषि जलवायु स्थितियों के कारण भारत के पास कृषि निर्यात का एक प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ है । फलों, सब्जियों, मुर्गी तथा पशुधन उत्पादों के निर्यात पर एक विशेष जोर देकर इस लाभ को अधिकतम बनाकर कुल निर्यात में अपने अंश में भारी वृद्धि की जानी है । उपर्युक्त की प्राप्ति हेतु कृषि उत्पादन के विस्तार और विविधिकरण की एक दीर्घवधिक नीति बनानी होगी जो किसानों को उचित अंश देने के लिए हमारे समग्र उद्देश्यों के अनुकूल होगी ।

11–सरकार कृषि के लिए उद्योग के समान एक सृजनात्मक व्यापार और निवेश का वातावरण सृजित करने की कोशिश करेगी । सरकारी नीति का उद्देश्य कृषि के लिए उसी तरह के लाभ सुलभ कराने के लिए प्रभावी पद्धतियां विकसित करना होगा जैसे उद्योग के लिए सुलभ हैं । लेकिन यह

सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जायेगा कि कृषकों को सरकार के विनियमन और कर एकत्र करने के तन्त्र का सामना न करना पड़े । साथ ही, किसानों को निर्धारित नगर-निगम सीमाओं में अनिवार्य कृषि भूमि अधिप्राप्ति पर पूंजीगत लाभ करके भुगतान से मुक्त रखा जायेगा ।

12–भारतीय कृषि मूलतया छोटे और सीमान्त किसानों के प्रयासों पर निर्भर करती है । भूमि सुधारों के मामले में इस प्रकार कार्यवाही की जायेगी कि उनकी शक्ति को अधिक उत्पादन की प्राप्त हेतु इस्तेमाल किया जा सके ।

13–सरकार देश की भूमि की क्वालिटी को अधिकम महत्व देती है तथा निम्नीकृत भूमि को फिर से ठीक करने को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी । भूमि को उसकी क्वालिटी और क्षमता के अनुसार विकसित किया जायेगा ताकि हमारी बढ़ती हुई आबादी की जरूरतें पूरी की जा सकें । देश के विशाल वर्षा सिंचित क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पनधारा प्रबन्धन के माध्यम से वानस्पतिक संरक्षक उपायों द्वारा वर्षा के पानी के संरक्षण को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि भूमिहीन मजदूरों तथा छोटे और बहुत छोटे किसानों के स्वतः विनियमित लाभानुभोगी वर्गों की मदद से समेकित विकास किया जा सके ।

14–भारत सरकार को विश्वास है कि कृषि नीति संबंधी इस वक्तव्य को लोगों के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा तथा इससे कृषि में विकास को प्रोत्साहन मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय का सृजन होगा । इससे गांवों के जीवन स्तर में सुधार होगा, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं के मामले में अन्तर को दूर किया जा सकेगा तथा आत्मनिर्भरता के आधार पर लाभप्रद रोजगार के अवसरों का सृजन होगा ।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

1993–विदेश प्रशिक्षण

सूची ''क''

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा आवंटन वर्ष	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण संस्थान एवं देश का नाम
	सर्वश्री			
1	रवीन्द्र शंकर पाठक 1965	अर्बन फाइनेंशियल मैनेजमेंट	13-9-93 से 1-10-93	रिसर्च ट्राइऐंगल इंस्टीट्यूट नाथ कारालोना, यू०एस०ए० ।
2	श्रीमती मंजुलिका गौतम 1972	कोर्स फार कोआपरेटिव बैंकर्स आफ रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग	15-5-93 से 29-5-93	दि रैनबो बैंक फाउण्डेशन, नीदरलैण्ड
3	सुधीर कुमार	परफारमेंस कंट्रेक ऐन अपरोच	28-6-93 से	बोस्टन मैस्चुएट्स, यू०एस०ए०
1	1978	टु इम्प्रूविंग पब्लिक इण्टरप्राइजेज	7-7-93	
4	चन्द्रपाल	रूरल डेवलपमेंट एण्ट पावर्टी	17-1-93 से	यूनिवर्सिटी आफ ससेक्स ।
	1972	एलीविएशन	7-4-93	
5	अशोक कुमार 1973	मैनेजमेंट एण्ड नेशनल डेवलपमेंट	20-9-93 से 15-10-93	रीपा इण्टरनेशनल लि०, यू० के० ।
6	आर० सी० द्विवेदी 1982	रिफ्रेशर कोर्स आन इनवायरमेंट	14-11-93 से 21-11-93	एशियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, बैंगकाक ।

7	डा० इन्दु प्रकाश ऐरन 1964	क्वालिटी सिस्टम आपरेशन एण्ड सर्टीफिकेशन	10-12-93 से 10 दिवसीय	ब्लू सर्किल इण्डस्ट्री सेन्टर, यू० के० ।

1	2	3	4	5
8	राधेश्याम 1973	क्वीन एलिजेबेथ हाउस विजिटिंग फेलोशिप-पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	28-9-93 से 30-6-94	यूनिवर्सिटी आफ आक्सफोर्ड, यू० के० ।
9	सिराज हुसैन 1979	मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	27-9-93 से एक वर्षीय	यूनिवर्सिटी आफ हुल, यू० के० ।
10	सुनील कुमार अग्रवाल 1982	सोशल पालिसी एण्ड प्लानिंग	25-9-93 से 30-9-94	लन्दन स्कूल आफ, इकोनोमिक्स, यू० के० ।
11	शिशिर प्रियदर्शी	एम० ए० इन रूरल सोशल डेवलपमेंट	26-9-93 से 30-9-94	यूनिवर्सिटी आफ रीडिंग, यू० के० ।

1994–विदेश प्रशिक्षण

सूची "ख"

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा आवंटन वर्ष	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण संस्थान एवं देश का नाम
सर्वश्री				
1	एस० एन० शुक्ल 1967	सेक्टर एण्डयुविलिटी आफ मैनेजमेंट आफ वाटर सप्लाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	11-4-94 से 28-4-94	नीदरलैण्ड
2	जे० एन० सिरोही 1983	तदैव	11-4-94 से 28-4-94	नीदरलैण्ड
3	हेमेन्द्र कुमार 1967	प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इण्टर प्राइजेज रीस्ट्रक्र्स एण्ड प्राइवेट	21-2-94 से 1-4-94	यूनिवर्सिटी आफ ब्रेडफोर्ड, यू० के० ।

प्रेस विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 125 वि० सभा (188)–1995–813 (डी० टी० पी०) ।